# मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची जुलाई, 2015 सत्र

सोमवार, दिनाँक 27 जुलाई 2015

#### भाग-1

#### तारांकित प्रश्नोत्तर

(वर्ग 1: किसान कल्याण तथा कृषि विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण, सहकारिता, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं टेक्नालॉजी, लोक सेवा प्रबंधन, जनशिकायत निवारण)

#### वाहनों के पंजीयन में अनियमितता

1. (\*क्र. 2559) श्री ओम प्रकाश ध्वें : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में बस वाहन क्र. एम.पी. 18 पी 1177 एवं एम.पी. 18 पी 1555 तथा अन्य वाहनों के पंजीयन वास्ते प्रस्तुत निवास के साक्ष्य में राशन कार्ड शहडोल नगर पालिका के सी.एम.ओ. ने अपने पत्र क्र. 6692/न.पा.स./2012 दिनाँक 02.12.2012 से निरस्त कर दिया है? यदि हाँ, तो फर्जी निवास व पता पर अंकित वाहनों का पंजीयन कब तक निरस्त कर अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में पंजीकृत वाहन स्वामी ने छत्तीसगढ़ राज्य से छ.ग. करार (आर.ए.) का स्थायी परिमट पेण्डारोड जिला बिलासपुर का पता व निवास अंकित कराकर छत्तीसगढ नामिनी बनकर स्थायी परमिट क्र. सी.जी./एस.टी.ए./45/11 वैधता दिनाँक 30.09.2016 में प्रति हस्ताक्षर दिनाँक 08.09.2011 से सचिव, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ग्वालियर से कराया है तथा वाहन क्र. एम.पी.18 पी. 1177 में शहडोल-पेण्ड्रा मार्ग की म.प्र. राज्य का आर.ए. परमिट प्राप्त किया है? यदि हाँ, तो एक ही वाहन स्वामी को फर्जी निवास का पता बनाकर तथा दो राज्य के रीजनल एग्रीमेन्ट के तहत प्रावधानित परमिट लेने की वैधानिक पात्रता है? (ग) क्या वाहन स्वामी को राज्य विभाजन के बाद भी म.प्र. राज्य का नामिनी बनकर एक ही व्यक्ति म.प्र. राज्य व छत्तीसगढ राज्य में रीजनल एग्रीमेन्ट में अंतर्राज्यीय करार में आरक्षित परमिट लेने की वैधानिक व कानूनी पात्रता तथा अधिकार है? यदि नहीं, तो ऐसे विशेष प्रकरण में विभाग स्वमेव निगरानी लेकर म.प्र. राज्य के हित में स्थायी परमिट निरस्तगी की कार्यवाही स्निश्वित करेगा? (घ) क्या कोई भी वाहन स्वामी किसी भी राज्य में व्यवसाय कर सकता है? यदि हाँ, तो क्या कोई फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर दो राज्य के रीजनल एग्रीमेंट परमिट को एक ही वाहन स्वामी द्वारा स्विधा अनुसार नामिनी बनकर परमिट प्राप्त कर लेना वैधानिक है? (इ.) क्या विभाग इस जालसाजी प्रकरण में निष्पक्षता से समय-सीमा में जाँच करायेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) जी हाँ। ए.पी.एल. राशन कार्ड निरस्त करने का पत्र प्राप्त होने के उपरांत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शहडोल के द्वारा पारित आदेश दिनाँक 19.06.2013 द्वारा पंजीयन निरस्त किया गया था। इसके विरूद्ध वाहन स्वामी द्वारा अपीलीय प्राधिकार सह परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर के समक्ष अपील क्रमांक 59/13 दायर की गई जिसमें उक्त आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध वाहन स्वामी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलप्र म.प्र. में याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी नं. 21916/2013 दायर की गई, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलप्र द्वारा आदेश दिनाँक 24.01.2014 से अग्रिम स्नवाई तक पंजीयन अधिकारी शहडोल के आदेश दिनाँक 19.06.2013 एवं अपीलीय प्राधिकार सह परिवहन आयुक्त के आदेश को स्थगित कर दिया गया है, जिसके पालन में दोनों वाहनों का पंजीयन बहाल करते ह्ये अग्रिम कार्यवाही तक यथावत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जबलप्र में प्रकरण आज दिनाँक तक विचाराधीन होने के कारण वाहन स्वामी के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। (ख) जी हाँ, दर्शित स्थाई परिमट का प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार द्वारा किया गया है। उक्त वाहन स्वामी को म.प्र. एवं छत्तीसगढ राज्य के पारस्परिक यातायात करार 2006 के संपन्न होने के पूर्व से ही वर्ष 2002 में मार्ग शहडोल-पेण्ड्रा के लिए म.प्र. से एक स्थाई परिमट क्र. 916/एस.टी.ए./2002 जारी है। जिसका नवीनीकरण किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील क्र. 70/2013 में माननीय अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण मध्य प्रदेश के आदेश दिनाँक 02.01.2014 द्वारा नवीनीकरण मान्य किया है। किसी राज्य के निवासी को किसी अन्य राज्य में व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार नियमों के अंतर्गत है। (ग) म.प्र. में परिवहन व्यवसाय हेतु म.प्र. में ही पंजीकृत वाहन को संचालन हेत् अनुजाएं स्वीकृत की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय जबलप्र में डब्ल्यूपी नं. 21916/2013 में प्रदत्त स्थगन आदेश दिनाँक 24.01.2014 के अनुसार यान का पंजीयन जीवित होने से अन्जा जारी है। माननीय उच्च न्यायालय की आगामी कार्यवाही तक अन्जा पर यान संचालित है। (घ) किसी राज्य के निवासी को किसी अन्य राज्य व्यवसाय करने से रोक नहीं है। जी नहीं। प्रश्नांश 'क', 'ख' एवं 'ग' के उत्तर अनुसार जारी परमिट वैध हैं। प्रभावित संबंधित को परमिट स्वीकृति तथा प्रतिहस्ताक्षर स्वीकृति के विरूद्ध अपील या रिविजन के माध्यम से म.प्र. राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के समक्ष चुनौती दिए जाने के अधिकार हैं। (ड.) माननीय उच्च न्यायालय जबलप्र द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी नं. 21916/2013 में पारित आदेश दिनाँक 24.01.2014 के प्रभावी होने से कोई जाँच अपेक्षित नहीं है।

# सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्ड में जारी खाद्यान्न पर्चियाँ

2. (\*क्न. 2146) इन्जी. प्रदीप लारिया: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में कितने गरीबी रेखा, अति गरीबी रेखा एवं कर्मकार काईधारी पंजीकृत हैं? विकासखंड वार जानकारी देवें? (ख) विगत छ: माह में सागर एवं राहतगढ़ विकासखंड में विभाग द्वारा कितनी खाद्यान्न पर्चियां जारी की गई? माहवार जानकारी देवें? (ग) क्या पंजीकृत काईधारी एवं जारी की गई खाद्यान्न पर्चियों में अंतर है? यदि हाँ, तो कारण बतावे? (घ) यदि खाद्यान्न पर्चियां पंजीकृत काईधारी संख्या से अधिक जारी की गई हैं तो क्या विभाग संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगा?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ): (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के पिरप्रेक्ष्य में सागर जिले में गरीबी रेखा से नीचे के 1,98,528 परिवार, अन्त्योदय अन्न योजना के 44,729 परिवार एवं कर्मकार कार्डधारी के 70,890 परिवार को पात्र परिवार के रूप में सत्यापित किया गया है। सत्यापित परिवारों की विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) विगत छः माह में विकासखण्ड सागर एवं राहतगढ़ में पात्रता पर्ची प्राप्त परिवारों की माहवार संख्या संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) सत्यापित पात्र परिवारों एवं उनको जारी पात्रता पर्ची में अंतर नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "एक" (पृष्ठ क्रमांक 15)

# जिला राजगढ अंतर्गत नियमित शाखा प्रबंधकों की नियुक्ति

3. (\*क्र. 603) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा कहां-कहां पर संचालित है? विकासखण्डवार बैंक शाखा का नाम बताइये? किस-किस बैंक शाखा में नियमित प्रबंधक किस दिनाँक से पदस्थ हैं? किन-किन बैंकों में प्रभारी अधिकारी पदस्थ हैं? उनका मूल पद क्या है? शाखावार जानकारी देवें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार जिला राजगढ़ अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं में लिपिकीय कर्मचारियों को प्रभारी शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो विभाग के वरिष्ठ लेखापालों को प्रभारी शाखा प्रबंधक के पद पर कब तक पदस्थ किया जावेगा? पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी हाँ, 04 शाखाओं में. वरिष्ठ लेखापाल में से 05 सहायक लेखापाल से प्रधान कार्यालय में अत्यधिक जिम्मेदारी वाला कार्य लिया जा रहा है, इस कारण से भविष्य में पदोन्नित उपरांत वरिष्ठ लेखापाल को शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ करने की कार्यवाही की जा सकेगी. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं.

परिशिष्ट - "दो" (पृष्ठ क्रमांक 17)

# सी.एम.हेल्प लाईन पर की गई शिकायत पर कार्यवाही

4. (\*क्र. 956) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना): क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीएम हैल्पलाईन शिकायत के निराकरण में निराकरण न कर निराकरण लिखकर शिकायत बंद कर दिये जाने पर क्या दण्ड दिये जाने का प्रावधान है? (ख) क्या सी.एम. हैल्पलाईन शिकायत क्र. 252205 दिनाँक 22.09.2014 एवं क्र. 221712 दिनाँक 13.09.2014 राजस्व विभाग में तथा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी के पृष्ठ क्र. 518/स्टोनो/शिका./2014 त्योंथर दिनाँक 15.10.2014 को तहसीलदार को प्रेषित पत्र ददन प्रसाद तिवारी ग्राम चिल्ला खुर्द ग्राम पंचायत अतरैला 12 ब्लाक व तहसील त्योंथर जिला रीवा की थी? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) संदर्भ में क्या पुनः इन बिन्दुओं की जाँच किसी सक्षम अधिकारी से कराई जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें? यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। सीएम हेल्पलाईन में विभाग द्वारा शिकायत क्रमांक 252205 में "आवेदक श्री ददन प्रसाद को खसरा खतौनी ऋण पुस्तिका नक्शा सुधार कराकर प्रदान किया जा चुका है" यह निराकरण कर दिया गया है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# बड़वारा विधानसभा अंतर्गत मार्ग निर्माण की स्वीकृति

5. (\*क्र. 1598) श्री मोती कश्यप: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मा. मुख्यमंत्री जी व विभागीय मंत्री जी को प्रश्नकर्ता विधायक ने अपने पत्र दिनाँक 26.06.2012, 13.09.2012, 15.09.2013, 18.09.2013 एवं 14.01.2015 द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत किन्हीं मार्गों व पुल-पुलिया निर्माण हेतु लेख किया गया है? (ख) क्या वि.स.क्षे. बड़वारा के किन्हीं वि.ख. के किन्हीं ग्रामों में मनरेगा और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कितनी लंबाई के किन मार्गों को स्वीकृति प्रदान होने पर कौन से पूर्ण हो गये हैं और कौन से किन कारणों से अपूर्ण हैं और उनकी भौतिक स्थित क्या है? विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में प्रस्तावित किन निर्माण को प्रशासकीय स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं और जिन्हें नहीं, तो उसके कारण क्या हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) (ग) के किन निर्माण कार्यों को कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) पत्र दिनाँक 26.06.2012, 13.09.2012 एवं 15.09.2013 द्वारा मनरेगा योजनांतर्गत 130 मार्गों एवं पुल-पुलिया निर्माण हेतु लेख किया गया है। पत्र दिनाँक 18-09-2013 एवं 14-1-2015 संज्ञान मे नहीं आए। (ख) विधानसभा क्षेत्र बड़वारा में मनरेगा एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मद से 199 कार्य 230.63 कि.मी. लम्बाई के स्वीकृत किये गये। इनमें से 152 पूर्ण एवं 47 अपूर्ण हैं। कार्यों के अपूर्ण रहने का कारण तथा भौतिक स्थिति का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'क' अनुसार प्रस्तावित 130 मार्गों में से 33 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतो में अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने, न्यूनतम 60 प्रतिशत व्यय कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों में किये जाने के भारत सरकार के निर्देशों के दृष्टिगत जिले द्वारा स्वीकृत किये जा सकेंगे। (घ) उत्तरांश 'ख' एवं 'ग' अनुसार।

# जिला पंचायत अध्यक्ष के अधिकार/शक्तियां/सुविधाएं

6. (\*क्र. 2547) श्री मधु भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत अध्यक्ष को क्या राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है? किस आदेश से और सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी कौन-कौन से परिपत्रों/निर्देशों/नियमों का प्रावधानुसार क्या-क्या सुविधाएं, स्टाफ की पात्रता है? परिपत्रों की प्रति सिहत बतावें? (ख) जिला पंचायत अध्यक्ष के कर्तव्य, उत्तरदायित्व, कार्यक्षेत्र, शिक्तयां क्या-क्या हैं? मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नित्तयों पर अनुमोदन, अनुमित, स्वीकृति किस से प्राप्त करेंगे? कलेक्टर से या अध्यक्ष से? विरोधाभासी मत होने पर निर्णायक/अंतिम निर्णय किसका होगा? (ग) जिला पंचायत अध्यक्ष को स्वयं विवेक से, इच्छानुसार मंत्रीपरिषद के राज्य मंत्री की भांति, पर्सनल स्टाफ में निज सचिव/निज सहायक के पद पर किसी भी विभाग के किसी भी जिले में पदस्थ कौन-कौन से संवर्ग/पद/समकक्ष पद वाले कर्मचारी को नियुक्त/रखने के अधिकार है? परिपत्र की प्रति सिहत बतायें? यदि वह कर्मचारी, पंचायत

विभाग, ग्रामीण विभाग को छोड़कर किसी अन्य विभाग/जिले का कर्मचारी है तो उसके वेतन भत्ते कहां से आहरित होंगे इसकी प्रक्रिया तथा आदेश जारी करने का प्राधिकार किसे है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-एउ-33/4/एक (1) जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा संबंधी आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार। अध्यक्ष जिला पंचायतों को मानदेय, टेलीफोन एवं क्षेत्र भ्रमण के लिए वाहन सुविधा संबंधी नियम मध्यप्रदेश जिला पंचायत सदस्य (यात्रा भता तथा अन्य भते) 995 तथा मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-1-13/पं.-1 दिनाँक 18.04.2013 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" एवं "ग" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "घ" अनुसार। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश पंचायत (मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1995 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जानी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ड." अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। अध्यक्ष जिला पंचायत को पर्सनल स्टॉफ में लिपिक रखने का प्रावधान है। जिस विभाग का कर्मचारी है, वेतन भत्ते का भुगतान उसी विभाग को करने का प्रावधान है। निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र है।

### दलहन विकास मिशन के अंतर्गत प्राप्त अनुदान

7. (\*क्र. 809) श्री मुकेश नायक: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार की दलहन विकास मिशन के तहत पिछले तीन वित्त वर्षों में मध्यप्रदेश को कुल कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई, वर्षवार विवरण दें? (ख) इस धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया? (ग) विगत तीन वर्षों में राज्य में दलहन उत्पादन में कितनी वृद्धि या कमी हुई? (घ) राज्य में दलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) भारत सरकार की दलहन विकास मिशन के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में मध्यप्रदेश को प्राप्त कुल अनुदान राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) मिशन अन्तर्गत मार्गदर्शी निर्देशों के प्रावधान अनुसार धन राशि का उपयोग कृषि आदान यथा उन्नत बीज, कृषि यंत्रों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि पर अनुदान तथा उन्नत कृषि तकनीकों का प्रदर्शन हेतु संस्थाओं को एवं निजी क्षेत्र से आदानों के क्रय करने पर कृषकों के खातों में भुगतान कर दिया गया है। (ग) विगत तीन वर्षों में राज्य में दलहन उत्पादन में वृद्धि या कमी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उन्नत तकनीकी का प्रदर्शन कर तकनीकी इस्तान्तरण, कृषि तकनीकी का प्रचार प्रसार एवं कृषि महोत्सव के माध्यम से नवीनतम तकनीकी उपलब्ध कराने एवं उन्नत कृषि आदान वितरित कर राज्य में दलहनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।

# फसल बीमा योजनांतर्गत मुआवजा वितरण

8. (\*क्र. 2084) श्री हरदीप सिंह डंग: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में पटवारी हल्कावार कितने प्रतिशत फसल नुकसानी का

आकंलन किया गया है? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार फसल नुकसानी पर कितनी क्षतिपूर्ति राशि का लाभ दिया गया? (ग) पटवारी हल्कावार क्षतिपूर्ति राशि की जानकारी देवें? (घ) गरोठ तहसील के ग्राम रलायती में कितने किसानों को क्षतिपूर्ति राशि दी गई है व किस आधार पर वितरित की गई है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) रबी 2014-15 मौसम हेतु वास्तविक उपज के आंकडे आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर द्वारा एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी को दिनाँक 31.07.2015 तक उपलब्ध होने के तत्पश्चात ही क्षतिपूर्ति प्रक्रिया आरंभ की जावेगी। रबी 2014-15 मौसम में मंदसौर जिले की तहसीलवार बीमा आवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार। (ग) रबी 2014-15 मौसम के अन्तर्गत सुवासरा तहसील की पटवारी हल्कावार बीमा आवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। (घ) रबी 2014-15 के अन्तर्गत अधिसूचना के अनुसार तहसील गरोठ में ग्राम रलायती का पटवारी हल्का नंबर 20 है,जिसकी बीमा आवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार है।

# परिशिष्ट - "तीन" (पृष्ठ क्रमांक 18)

#### सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बलराम तालाब का निर्माण

9. (\*क्र. 1431) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में कितने बलराम तालाबों की स्वीकृति हुई? कितनी राशि जारी की गई? कितने बलराम तालाब बन चुके हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) क्या बलराम तालाबों के निर्माण किये बिना ही राशि निकाल ली गई तथा बलराम तालाब आज दिनाँक तक नहीं बन पाया? यदि हाँ, तो कितने बलराम तालाब हैं जो आज दिनाँक तक नहीं बन पाए? (ग) चालू सत्र में सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र में कितने बलराम तालाबों की स्वीकृति हुई है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों (2010-11 से 2014-15 तक) में विकासखंड टॉकखुर्द में 2153 बलराम तालाब स्वीकृत किये गये जिनमें से 1389 का निर्माण कर कृषकों को अनुदान राशि रू. 1236.45 लाख जारी की गई तथा विकासखंड सोनकच्छ में 128 बलराम तालाब स्वीकृत किये गये, जिनमें से 65 का निर्माण कर कृषकों को अनुदान राशि रू. 58.33 लाख जारी की गई। (ख) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में निर्मित बलराम तालाबों की शासन के निर्देशानुसार गठित जाँच दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर 332 तालाब मौके पर नहीं पाये गये, विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में 10 बलराम तालाबों की स्वीकृति दी गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

# राजीव विपणन सह.समिति टीकमगढ़ में अनियमितता

10. (\*क्न. 2708) श्रीमती अनीता सुनील नायक: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उपर्युक्त विषयांकित समिति के प्रबंधक एवं लीड प्रभारी के विरूद्ध वर्ष 2014 में तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा कालाबाजारी के संबंध में प्राथमिकी एवं कालाबाजारी की राशि वसूलने के संबंध में आदेश दिया गया था यदि हाँ, तो उसका दिनाँक एवं दोषी व्यक्तियों के नाम बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित व्यक्तियों से कुल कितनी राशि वसूलने का आदेश था एवं आज

दिनाँक तक कितनी वसूली की गयी है? (ग) क्या उपर्युक्त समिति के प्रबंधक एवं लीड प्रभारी से न तो कोई वसूली की गयी न ही कोई विभागीय एवं पुलिस कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो क्या की गई और नहीं तो क्यों? कार्यवाही वसूली होगी तो कब तक और क्या और नहीं तो क्यों और कौन दोषी है?

खाय मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राजीव विपणन सहकारी समिति लीड संस्था, पलेरा जिला टीकमगढ़ द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन एवं सांझा चूल्हा योजनांतर्गत आवंटित खायान्न, नमक एवं शक्कर की कालाबाजारी के कारण संस्था के प्रबंधक श्री विनोद कुमार खरे एवं लीड प्रभारी श्री जगदीश प्रजापित के विरूद्ध दिनाँक 30.07.2014 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने एवं संस्था के अध्यक्ष श्रीमती पदमा सिंह गौर, प्रबंधक, श्री विनोद कुमार खरे एवं लीड प्रभारी, श्री जगदीश प्रजापित से समान रूप से अपयोजित सामग्री की राशि वसूलने के आदेश दिए गए थे। (ख) संस्था के अध्यक्ष, प्रबंधक एवं लीड प्रभारी से राशि रू. 1,63,79,138 वसूल करने के आदेश दिए गए थे। प्रकरण में राशि की वसूली नहीं हुई है। (ग) संस्था के प्रबंधक एवं लीड प्रभारी के विरूद्ध पुलिस थाना, पलेरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। राशि वसूली के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जबलपुर से स्थगन प्राप्त होने के कारण राशि की वसूली नहीं की जा सकी है। माननीय न्यायालय से प्रकरण के निराकरण उपरांत वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी।

### एन.एम.एस.ए. योजनांतर्गत बजट आवंटन

11. (\*फ्न. 2532) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में 1.4.2014 से प्रश्नतिथि तक एन.एम.एस.ए. (आर.ए.डी.) योजनांतर्गत कितना बजट प्राप्त हुआ? उसमें से किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (ख) क्या उक्त योजनांतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों का अनुमोदन जिला प्रबंध समिति से लिया जाकर शासन से स्वीकृति ली जाती है? यदि हाँ, तो उक्त चयनित ग्राम पंचायतों की स्वीकृति शासन से ली गई? यदि नहीं, तो क्यों? कार्य कैसे शुरू किये गये? (ग) क्या मेहगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पतलोखरी एवं रह्आ नं. 1 में उक्त योजनांतर्गत कार्य कराने हेतु विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हुये थे? प्रश्न तिथि तक उन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) नियम विरूद्ध किये गये कार्यों पर किस-किस नाम/पदनाम पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) भिण्ड जिलें में प्रश्नांकित अविध में एन.एम.एस.ए (आर.ए.डी.) योजनांतर्गत मद 13 में राशि रू. 52.24 लाख, मद 41 में राशि रू. 1.70 लाख, तथा मद 64 में राशि रू. 6.65 लाख का बजट दिया गया है, जिसके विरूद्ध मद 13 में राशि रू. 52.22 लाख, मद 41 में राशि रू. 0.00 लाख तथा मद 64 में राशि रू. 2.29 लाख का व्यय किया गया है। (ख) योजनांतर्गत चयनित ग्रामों के अंतर्गत क्लस्टर का अनुमोदन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से लिया जाता है एवं जिलों से प्राप्त स्वीकृत क्लस्टरों के कार्यक्रम के आधार पर भारत सरकार के वार्षिक प्रावधान अनुसार कार्यक्रम तैयार कर शासन स्तर से भारत सरकार को स्वीकृत हेतु भेजा जाता है। भिण्ड जिले में स्वीकृत क्लस्टरों के अंतर्गत ही कार्य करवाया गया है। (ग) मेहगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पतलाखोरी एवं रूआ नं. 1

की कार्य योजना जिला स्तर पर स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। वर्ष 2015-16 के कार्यक्रम में प्रश्नांकित ग्राम सिम्मिलित नहीं हैं। (घ) नियम विरूद्ध कार्य नहीं कराया गया है। अतएव कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

# मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में तकनीकी अमले की पदस्थी

12. (\*क्न. 2050) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के अता.प्रश्न क्रमांक 5274 दिनाँक 18 मार्च, 2015 के उत्तर में बताया गया था कि कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावरा में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु तकनीकी अमले की व्यवस्था संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनाँक तक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में तकनीकी अमले की व्यवस्था कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शासन कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लाखों रूपये की लागत से निर्मित प्रयोगशाला में तत्काल तकनीकी अमले की व्यवस्था सुनिश्वित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। तकनीकी अमले की संविदा नियुक्ति करने हेतु कार्यवाही प्रचलित है। (ग) कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही अमले की व्यवस्था की जा सकेंगी। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

# नलक्प खनन योजनांतर्गत लाभांवित हितग्राही

13. (\*क्र. 7) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंगरौली जिले के अन्तर्गत अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति के कृषकों के लिये नलकूप खनन योजना एवं सामान्य वर्ग के कृषकों के लिये नलकूप खनन (आर.के.बी.वाई.) योजना भारत सरकार सहायता के तहत वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कितने हितग्राहियों को इस योजना का लाभ दिया गया है और कितने हितग्राही शेष हैं? विकासखण्डवार विवरण दें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : सिंगरौली जिले के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिये नलकूप खनन योजना में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक 179 कृषकों के लाभ दिया गया एवं 4 कृषकों को लाभ दिया जाना शेष है सामान्य वर्ग के कृषकों के लिये नलकूप खनन (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) में 248 कृषकों को लाभ दिया गया है एवं 33 कृषकों को लाभ दिया जाना शेष है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चार" (पृष्ठ क्रमांक 21)

# बी.पी.एल. एवं अंत्योदय कार्ड की संख्या

14. (\*क्र. 2582) श्री बहादुर सिंह चौहान: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में कितने बी.पी.एल. एवं अंत्योदय कार्ड प्रचलन में है? (ख) प्रभावशाली असरदार लोगों द्वारा गलत तरीके से उपरोक्त कार्ड बनाये जाने की जाँच कब तक कर ली जावेगी? (ग) जो पात्र हितग्राही इससे वंचित रह गए हैं? उनका सर्वे कब तक करवाकर उनके कार्ड बनाये जाएंगे?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रश्नांकित वि.स. क्षेत्र में वर्तमान में 35,370 प्राथमिकता परिवारों (24,946 बीपीएल परिवार सहित) के राशनकार्ड एवं 3,564 अंत्योदय राशनकार्ड प्रचलन में हैं। (ख) राष्ट्रीय खाद्य स्रक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के पश्चात् प्राथमिकता परिवारों हेत् विभिन्न

श्रेणियों का चिन्हांकन एवं उनकी समग्र पोर्टल पर प्रविष्टि एवं सत्यापन का कार्य स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। केवल अन्त्योदय परिवारों का सत्यापन खाद्य विभाग के अमले द्वारा किया जाता है। तदुपरांत पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की जाती है। गलत उपभोक्ता कार्ड संबंधी शिकायत की जाँच जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कराई जाती है। (ग) पात्र परिवार की श्रेणी में सिम्मिलित परिवार यदि सत्यापन से शेष रह गए हैं, तो वे स्थानीय निकाय में आवेदन देकर सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची प्राप्त कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ ले सकते हैं। प्राथमिकता परिवारों के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन एवं सत्यापन एक सतत् प्रक्रिया है।

#### स्वच्छता अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण

15. (\*क्र. 2485) श्री स्बेदार सिंह रजीधा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र जौरा में वर्ष 2013-14, 2014-15 में स्वच्छता अभियान के तहत एवं योजनाओं के माध्यम से किन-किन ग्रामों में किस-किस हितग्राही के यहां शौचालय बनवाये गये हैं? (ख) शौचालयों की सूची तथा किस अधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है? क्या माननीय मंत्री जी शौचालयों की हितग्राही एवं ग्रामवार सूची प्रदाय करेगें? (ग) शेष कितने हितग्राहियों के यहां शौचालय नहीं बनवाए हैं? कब तक बनाए जावेगें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है तथा रोजगार सहायक, ए.डी.ई.ओ., पी.सी.ओ., उपयंत्री व ब्लाक समन्वयक द्वारा सत्यापन किया जाता है। जी हाँ। (ग) विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत 55593 परिवारों के यहाँ शौचालय निर्माण नहीं हुआ है। वर्ष 2019 तक शेष हितग्राहियों के यहाँ शौचालय निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है।

### सहकारी संस्थाओं द्वारा रासायनिक खाद्य की अधिक दर पर बिक्री

16. (\*क्र. 1476) श्रीमती ममता मीना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा रासायनिक खाद्य वितरण नीति किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण कराने की बनाई है? क्या गत वर्ष और वर्तमान में रासायनिक खाद्य की दरों में परिवर्तन हुआ है? यदि हाँ, तो कितना? (ख) क्या खुले बाजार में सुपर फास्फेट, यूरिया, डी.ए.पी. एम.पी. आदि में अन्य रसायानिक उर्वरक का विक्रय मूल्य और म.प्र. की सहकारी संस्थाओं के विक्रय मूल्य में 50 रूपये से अधिक अंतर है? सहकारी संस्थाओं में विक्रय मूल्य अधिक क्यों है? कौन जिम्मेदार है? कारण बतायें? (ग) क्या म.प्र. शासन द्वारा किसानों के हित में किये गये खाद्य वितरण नीति में सहकारिता द्वारा संशोधन कर दिया? यदि नहीं, तो बाजार दर से अधिक विक्रय क्यों हो रहा है? (घ) यदि रासायनिक उर्वरकों की विक्रय दर सहकारी सोसायटी या प्राईवेट लायसेंसधारियों से अधिक है, तो इसके जिम्मेदार कौन हैं? किसानों का शोषण करने वाले कौन जिम्मेदार हैं? उन पर कब और कैसे कार्यवाही करेंगे? विक्रय दर कब तक कम करेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी हाँ. जी हाँ. जानकारी संलग्न परिशिष्टि अनुसार है. (ख) यूरिया की दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है. भारत सरकार की तत्व आधारित अनुदान प्रणाली लागू होने के कारण समस्त फास्फेटिक एवं पोटासिक रासायनिक उर्वरकों की एमआरपी निर्धारण के लिये उर्वरक प्रदायक कम्पनियां स्वतंत्र है, कम्पनियों द्वारा प्रत्येक सीजन के

लिये अपने उत्पादों की एमआरपी का निर्धारण किया जाता है जो सहकारी एवं निजी क्षेत्र के लिये समान रूप से लागू रहती है. विपणन संघ द्वारा उर्वरकों के क्रय करने के लिये प्रदायकों से आफर आमंत्रित कर प्रदायकवार प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर विक्रय दरों का निर्धारण किया जाता है. कृषि विभाग से सीहोर जिले में खुले बाजार से सिंगल सुपर फास्फेट के प्राप्त दरों से स्पष्ट होता है कि रूपये 50 प्रति टन का अन्तर नहीं है. निजी डीलर द्वारा रासायनिक उर्वरकों पर प्रदायकों से प्राप्त डीलर मार्जिन में से अपना लाभांश कम कर कृषकों को विक्रय किये जाने से सहकारी सिमितियों द्वारा विक्रय किये जाने वाले उर्वरक की दर से कम दर पर विक्रय की स्थिति निर्मित हो सकती है. (ग) जी नहीं. उत्तरांश ख अनुसार. (घ) उत्तरांश ख अनुसार. चूिक एमआरपी का निर्धारण कम्पनियों द्वारा किया जाता है जो कि सहकारी एवं निजी क्षेत्र में समान रूप से लागू रहती है ऐसी स्थिति में एमआरपी से कम दर पर विक्रय करने से किसानों का शोषण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता और सहकारी क्षेत्र में पूरे प्रदेश के सुद्र अंचलों तक एक समान दर पर उर्वरकों का विक्रय किया जाता है ऐसी स्थिति में विक्रय दर कम किया जाना सम्भव नहीं है. निजी क्षेत्र में स्थानवार एवं भौगोलिक स्थिति अनुसार उर्वरक विक्रय दरों में भिन्नता हो सकती है.

परिशिष्ट - "पांच:" (पृष्ठ क्रमांक 23)

# मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत सड़क/पुलिया निर्माण

17. (\*क्न. 1223) श्री अमर सिंह यादव: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के विकासखण्ड राजगढ़ व खिलचीपुर के ग्रामीण क्षेत्र में विभाग द्वारा वर्ष जनवरी 2010 से आज दिनाँक तक कौन-कौन से ग्रामों में कितनी नवीन मुख्यमंत्री सड़कें एवं पुलियाओं के निर्माण की स्वीकृत दी गई है? स्वीकृत राशि सहित बतावें? (ख) यदि क्षेत्र में नवीन सड़क/पुलिया स्वीकृत की गई हैं तो कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी राशि के निर्माण कार्य किये गये हैं? वर्षवार स्वीकृत कार्यों का विवरण देवें? (ग) क्या स्वीकृत कार्यों के मान से समस्त स्थानों पर निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त कार्यों का मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया है? नाम व पदनाम सहित बतावें? (घ) क्या शेष रहे स्वीकृत निर्माण कार्यों का कार्य वर्तमान में चल रहा है? यदि हाँ, तो बतावें, नहीं तो कारण बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) अंतर्गत सभी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुये हैं। निर्माण कार्यों का मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों के नाम व पदनाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। शेष 04 सड़कें प्रगतिरत हैं।

### नवीन स्थानांतरण नीति के आधार पर स्थानांतरण

18. (\*क्र. 1686) श्री रामलाल रौतेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुपपुर जिलान्तर्गत विभाग में कुल कितने पद सृजित हैं? सृजित पद के विरूद्ध कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कितने रिक्त पद हैं? (ख) कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों का अनूपपुर जिले में पदस्थापना वर्ष, नाम, पद संपूर्ण विवरण सिहत जानकारी प्रदान करें? (ग) नवीन स्थानांतरण नीति के आधार पर जिले से कितने अधिकारी एवं कर्मचारियेां (कृषि) का स्थानांतरण

किया गया था? आदेश की कापी उपलब्ध करावें? क्या यह सच है कि स्थानांतरित अधिकारी एवं कर्मचारी का स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुसार जो अधिकारी 15 वर्षों से अधिक समय से जिले में पदस्थ हैं? उन्हें स्थांनातरित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) जिलान्तर्गत विभाग में कुल 184 पद सृजित हैं, जिसमें 81 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। जिसमें से 01 कर्मचारी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर अतिशेष में कार्यरत है तथा 104 पद रिक्त हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है, जी हाँ 03 अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण निरस्त किये गये हैं। शासन निर्णय अनुसार निर्धारत प्रक्रिया से निरस्त किये गये हैं। (घ) लंबे अविध से कर्तव्यस्थ मैदानी कर्मचारियों के स्थानांतरण शासकीय सेवकों के मैदानी स्तर पर कार्यप्रणाली एवं कार्य की प्रगति पर मूलतः नियत होते हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार है।

#### नियमित सहायक यंत्रियों एवं कार्यपालन यंत्रियों की पद स्थापना

19. (\*क्र. 1779) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया): क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में जबलपुर जिले के अंतर्गत अनुविभाग (एस.डी.ओ.) एवं कार्यपालन यंत्रियों के कार्यालय में स्वीकृत पद के अनुरूप सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री पदस्थ नहीं है? (ख) क्या विभाग में सहायक यंत्रियों एवं कार्यपालन यंत्रियों को उनके मूल पद से उपर बिना पदोन्नत किये कार्यपालन यंत्री एवं अधीक्षण यंत्री का प्रभार दिया गया है? (ग) कब तक प्रभारी अधिकारियों को हटाकर नियमित अधिकारियों को पदस्थ किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जबलपुर जिलें के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में स्वीकृत 04 अनुविभागीय अधिकारी के पदों के विरूद्ध 04 अनुविभागीय अधिकारी पदस्थ हैं तथा कार्यपालन यंत्री के स्वीकृत 02 पदों के विरूद्ध 01 कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं। 01 सहायक यंत्री को कार्यपालन यंत्री का प्रभार सौंपा गया है। (ख) जी हाँ। (ग) प्रशासनिक कार्य सुविधा के कारण प्रभारी अधिकारियों की व्यवस्था की गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

# सागर विधान सभा क्षेत्र में वाहनों का संचालन

20. (\*क्र. 2287) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर नगरीय क्षेत्र में आटो रिक्शा टेम्पो, चेम्पियन इत्यादि वाहनों को संचालित करने हेतु परिमेट जारी किए जाने संबंधी शासन की कोई नीति है? यदि हाँ, तो सागर नगर में इस तरह के कितने वाहनों को परिमेट जारी किए गये हैं? (ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र के उक्त प्रकार के वाहनों को नगरीय क्षेत्र में प्रवेश न हो इस संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनाँक से विगत तीन वर्षों में कितने वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई? (ग) क्या शासन नगर में यातायात व्यवस्था बाधित न हो इसके दृष्टिगत उक्त प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र के वाहनों के प्रवेश को लेकर आवश्यक कार्यवाही स्निधित करेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ): (क) जी हाँ, सागर जिले में नगरीय परिवहन के सुचारू संचालन हेतु निर्णय लेने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित है, जिसके द्वारा 15 वर्ष से अधिक पुराने

ऑटो व चैम्पियन वाहनों के नगरीय क्षेत्र का परिमट नहीं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिला सड़क सुरक्षा सिमित के निर्णय अनुसार शहरी क्षेत्र के 144 ऑटो रिक्शा व 121 चैम्पियन वाहनों के परिमट क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सागर द्वारा जारी किये गये हैं। (ख) जी हाँ, सागर नगरीय क्षेत्र में प्रश्नांकित अविध में जाँच के दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सागर एवं यातायात पुलिस सागर के साथ मिलकर प्रश्नांश 'क' के अनुसार 47 वाहनों पर कार्यवाही की जाकर रूपये 2,43,300 की शास्ति वसूल की गयी है। (ग) जी हाँ परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा निरंतर कार्यवाही की जाती है।

# रायसेन जिले में पेंशन राशि का नियमित भुगतान

21. (\*क्र. 1471) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में कितने हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा निराश्रित वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन का भुगतान प्रतिमाह कितनी राशि का किया जा रहा है? (ख) 01 जुलाई, 2015 की स्थिति में संबंधित हितग्राहियों को किस माह तक की पेंशन का भुगतान हो गया है, पेंशन का भुगतान किस माध्यम से कैसे किया जाता है, प्रतिमाह हितग्राही को पेंशन का भुगतान क्यों नहीं किया जाता है? (ग) क्या विकलांग, वृद्ध विधवाओं, लाचार व्यक्तियों को 10-12 किलोमीटर चलकर पेंशन प्राप्त करने पोस्ट ऑफिस/बैंक जाना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) 01 जुलाई 2015 की स्थिति में माह जून 15 तक की पेंशन का भुगतान किया गया है। पेंशन का भुगतान समग्र पोर्टल के माध्यम से कोषालय में देयक प्रस्तुत कर ई-पेमेंट द्वारा सीधे हितग्राहियों के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में वितीय संस्थाओं (बैंक/पोस्ट ऑफिस) की उपलब्धता ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर न होने से हिग्राहियों को पेंशन लाभ प्राप्त करने हेत् लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

परिशिष्ट - "छ:" (पृष्ठ क्रमांक 24)

# बॉर्डर चेकपोस्ट कंपनी का निजीकरण

22. (\*क्र. 983) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार के बॉर्डर चेक पोस्ट कंपनी को निजी हाथों में सौंपे जाने के आदेश को हाईकोर्ट ने स्थगित कर पुरानी व्यवस्था लागू रखने संबंधी आदेश शासन को दिये हैं? (ख) यदि हाँ, तो किस कारण स्थगन आदेश जारी हुआ संपूर्ण ब्यौरा क्या है? (ग) क्या निजी कपंनी को नई व्यवस्था तहत काफी लाभ व शासन को नुकसान के साथ ओव्हरलोड नियमों का पालन नहीं हो पा रहा था? (घ) क्या शासन उक्त नीति की समीक्षा करेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ): (क) एवं (ख) बॉर्डर चेक पोस्ट, कंपनी को निजी हाथों में सौपने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। वस्तुस्थित यह है कि शासन आदेश क्रमांक 5777/5710/2014/आठ, दिनाँक 18.12.2014 से इन्टीग्रेटेड चैक पोस्ट पर की जाने वाली जाँच में जो वाहन ठीक पाये जायें उनमें से मात्र 05 प्रतिशत वाहनों को रैन्डम आधार पर चयन कर पूरी जाँच करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये गये थे। इस आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में श्री सुशील लेवी द्वारा दायर रिट याचिका क्र.558/15 में पारित आदेश दिनाँक 28.01.2015 द्वारा शासन आदेश

दिनाँक 18.12.2014 को स्थगित किया गया हैं। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, यह सही नहीं है कि ओव्हरलोडिंग नियमों का पालन नहीं हो पा रहा था। प्रदेश में प्रारम्भ की गई सभी 14 एकीकृत जाँच चौकियों पर इलैक्ट्रानिक तौलकांटे स्थापित किये गये हैं। इन इलैक्ट्रानिक तौलकांटों पर प्रत्येक वाहन को अनिवार्य रूप से गुजरना पड़ता है। जिन पर ओव्हर लोडिंग की जाँच निरंतर की जा रही है। (घ) प्रकरण मान. उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सात" (पृष्ठ क्रमांक 25)

### मनरेगा के तहत प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

23. (\*क्र. 339) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में 2008 से 2012 तक संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अनियमितता, भ्रष्टाचार, शासकीय राशि के गबन एवं अन्य के संबंध में जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री एवं सब इंजीनियरों के विरूद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने पर किस-किस अधिकारी को दोषी पाया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त शिकायतों में से कितने प्रकरणों में जाँच उपरांत दोष सिद्ध पाए जाने पर किन-किन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कितने प्रकरण जाँच हेत् लंबित हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 5 अनुसार है।

परिशिष्ट - "आठ" (पृष्ठ क्रमांक 27)

### बरगी विधान क्षेत्र की सड़कों का निर्माण

24. (\*क्. 2246) श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-कटीला, बम्हनोदा, सिंहपुर, कैंथरा, परिष्ठिया, लामी, डोभी से खपरा (कनवास) मार्गों का निर्माण कब-कब कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत किया गया? (ख) उपरोक्त (क) में वर्णित सड़कों के निर्माण का कितना-कितना कार्य पूर्ण हो चुका है? निर्माण कार्य में सड़कवार अब तक कितना भुगतान किया गया? सड़कों के निर्माण का निरीक्षण किन-किन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया? उपरोक्त सड़कों का निर्माण गुणवत्ताहीन होने के कारण जर्जर होने के लिए कौन-कौन दोषी है? जर्जर सड़कों का मेन्टेनेन्स कब तक कराया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सड़कों का निरीक्षण कार्य से संबंधित कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री द्वारा किया गया। कार्यों का गुणवत्ता परीक्षण स्टेट क्वालिटी मॉनिटर से भी कराया गया है। सड़कों का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण होने से जर्जर नहीं है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "नौ" (पृष्ठ क्रमांक 29)

# शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की ग्रामीण क्षेत्र में स्थापना

25. (\*क्र. 2366) श्री शंकर लाल तिवारी: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का क्या प्रावधान हैं? दुकान की स्थापना ग्राम पंचायत मुख्यालय में किये जाने का प्रावधान है या नहीं? (ख) सतना जिले में कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें ग्राम पंचायत मुख्यालय में स्थापित हैं, तथा कितनी दुकानें ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्रामों में स्थापित हैं? ग्राम पंचायतवार, ग्रामवार सूची उपलबध करावें? (ग) सतना जिले में कितने खाद्य निरीक्षक/सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी पदस्थ हैं, तथा इनकी पदस्थापना दिनाँक से आज दिनाँक तक कब-कब, किन-किन जनपदों में पदस्थ रहे? (घ) कई वर्षों से एक ही स्थान पर जमें रहने वाले खाद्य निरीक्षक/सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी एवं मनमानी तौर पर ग्राम पंचायत मुख्यालय के स्थान पर गांवों में उचित मूल्य की दुकान खोलने वाले अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका 7 (2) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उचित मूल्य दुकान खोलने का प्रावधान है। ऐसी पंचायतें जहां पात्र गृहस्थियों की संख्या 800 से अधिक है, वहां एक अतिरिक्त दुकान खोलने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत की उचित मूल्य दुकान का संचालन उसी ग्राम पंचायत के किसी भी गांव में किया जा सकता है। दुकान-स्थल का निर्धारण जिला पंचायत द्वारा किये जाने का प्रावधान है। (ख) सतना जिले में 690 उचित मूल्य दुकानें ग्राम पंचायत मुख्यालय में स्थापित हैं। जबिक 27 उचित मूल्य दुकानें पंचायत मुख्यालय में न होकर पंचायत क्षेत्र के ग्रामों में स्थापित हैं। ग्रामवार सूची क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) वर्तमान में सतना जिले में 3 कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं 2 सहायक आपूर्ति अधिकारी पदस्थ हैं। प्रश्न के शेष भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) वर्तमान में जिले में नव नियुक्त 3 कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वर्ष 2013 से पदस्थ हैं तथा सहायक आपूर्ति अधिकारी अप्रैल 2015 एवं जून 2015 में अन्य जिलों से स्थानांतरित होकर जिले में पदस्थ हैं। जिले में ग्राम पंचायत मुख्यालय के स्थान पर गांव में उचित मूल्य दुकान पूर्व से निहित प्रावधानों के अनुसार संचालित है। अतः किसी भी अधिकारी के दोषी न होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

#### भाग-2

### नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

### प्रदेश में कर्मचारी/अधिकारी की निगरानी/अटेंडेंस गूगल/ई-अटेंडेंस की व्यवस्था की जाना

1. (क. 16) श्री विश्वास सारंग: क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के कुछ जिलों के कुछ विभागों में अधिकारियों/कर्मचारियों की निगरानी/अटेंडेंस में गूगल/र्इ-अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की गई है? यदि हाँ, तो किस जिले और विभाग में? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत इस व्यवस्था के परिणाम क्या रहे? (ग) क्या प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की निगरानी/अटेंडेंस में प्रश्नांश (क) में वर्णित व्यवस्था को लागू किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब से? नहीं तो क्यों? कारण दें? नियम बताएं?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ): (क) उच्च शिक्षा विभाग स्तर से आधार परियोजना आधारित बायोमेट्रिक ई-अटेंडेंस व्यवस्था पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया गया है। (ख) प्रोजेक्ट के पूर्ण क्रियान्वयन उपरांत परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। (ग) उच्च शिक्षा के अंतर्गत जनभागीदारी समिति के माध्यम से शासकीय महाविद्यालयों में योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

# अशोकनगर में हुए निर्माण कार्यों व सड़कों की शिकायतों पर कार्यवाही

2. (क्र. 78) श्री महेन्द्र सिंह काल्खेडा: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोक नगर जिले में पिछले 18 महिनों में ग्रामीण विकास विभाग व पंचायतों द्वारा बनाई गई सड़कों एवं निर्माण कार्यों के बारे में प्रश्नकर्ता व अन्य लोगों द्वारा शिकायतें शासन को की गई हैं? इन सड़कों व निर्माण कार्यों के शिकायतकर्ताओं के नाम के साथ विवरण देते हुए बतावें कि शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की हैं? (ख) अशोकनगर जिले में क्या समय सीमा में पिछले 5 वर्षों में पंचायतों के कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेंगे? (ग) अशोकनगर जिले में कितने सरपंचों व सचिवों के विरूद्ध शिकायतें पिछले 4 वर्ष के दौरान लिम्बित हैं? उनका विवरण देते हुए की गई कार्यवाही के बारे में विवरण दें तथा निर्माण कार्य व सड़कें लिम्बित हैं, उनका विवरण दें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

# प्रदेश में खाद्य की आपूर्ति

3. (क. 107) श्री सचिन यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में माह अक्टूबर से रबी फसल के समय वर्ष 2014-15 में कितने मेट्रिक टन यूरिया एवं डी.ए.पी. उर्वरक की आवश्यकता थी और मांग अनुसार केन्द्र से कितना यूरिया एवं डी.ए.पी. प्राप्त हुआ? (ख) प्रश्नांश (क) में केन्द्र सरकार से कुल प्राप्त यूरिया एवं डी.ए.पी. पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुआ? हां तो बतायें? नहीं तो क्यों? खरगोन जिले में उक्त अविध में यूरिया एवं डी.ए.पी. उर्वरक वितरण के दौरान कितनी शिकायत प्राप्त हुई और इस पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) वर्ष 2011-12 से 2013-14 रबी फसल हेतु खरगोन जिले में कुल कितने मेट्रिक टन यूरिया एवं डी.ए.पी.मांग अनुसार प्राप्त हुआ? यदि नहीं, तो क्यों? वर्षवार बतावें?। (घ) प्रश्नांश (ग) में अंकित समयाविध में खरगोन जिले में यूरिया एवं डी.ए.पी. वितरण के दौरान कितनी शिकायत प्राप्त हुई और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रदेश में माह अक्टूबर से रबी की फसल हेतु वर्ष 2014-15 में आवश्यक उर्वरक की मांग प्राप्ति एवं वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) माह अक्टूबर 2014 एवं नवम्बर 2014 में मांग से कम खाद प्राप्त हुआ। किन्तु राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किये जाने से अंततः रबी 2014-15 में मांग से अधिक यूरिया, डी.ए.पी एवं एन.पी.के. प्राप्त किया जा सका। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

### फर्म सतना साल्वेंट के प्रकरण पर कार्यवाही

4. (क्र. 163) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी समिति नागौद में फर्म सतना साल्वेंट को अनुज्ञित कब प्रदाय की गई? फर्म प्रोपराइटर का नाम पता बताएं तथा वर्तमान में एक दिन की क्रय क्षमता कितनी है तथा एक दिन में अधिकतम मूल्य की जिन्स कब क्रय की गई बताएं? (ख) प्रश्नांश (क) की मिल का मंडी शुल्क अपवचन एवं आकस्मिक जाँच दल द्वारा प्रकरण बनाया था जो आज भी मंडी बोर्ड भोपाल में विचारार्थ लिम्बत है? उक्त प्रकरण कितने लाख रुपये का है? क्या वसूली प्रकरण में किसी न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं होने के बाद भी फर्म को अनुज्ञित क्यों निलम्बित नहीं की गई? कब तक की जावेगी? अब तक निलम्बित न करने के लिए कौन दोषी है बताएं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति नागौद में फर्म सतना साल्वेंट को अनुज्ञिस दिनाँक 23.07.2000 को प्रदाय की गई। इस फर्म के प्रोपराईटर श्री गोविंद बडेरिया एवं पता आर्दश नगर रीवा रोड सतना है। उक्त फर्म की दैनिक क्रय क्षमता रूपये 5,00,000/- है तथा इनके द्वारा दिनाँक 19.07.14 को अधिकतम रूपये 43,65,951/- की अधिसूचित कृषि उपज सोयाबीन क्रय किया गया। (ख) प्रश्नागत प्रकरण में उक्त फर्म पर मंडी फीस रूपये 6,74,795/- एवं निराश्रित शुल्क रूपयें 13,496/- जमा कराये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। इस मामले में उक्त फर्म द्वारा म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 59 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को अपील प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है परंतु इसमें स्थगन नहीं दिया गया है। उक्त फर्म द्वारा निर्धारित राशि मंडी में जमा कराई जाने से अनुज्ञिस निरस्त नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

# समग्र पोर्टल पर जाति सत्यापन की कार्यवाही

5. (क्र. 191) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिये जाति सत्यापन के निर्देश समय-समय पर जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो निर्देशों/परिपत्रों की प्रतियां देवें, क्या यह भी सही है कि दायरा पंजी में दर्ज प्रमाण पत्रों की सत्यापन की कार्यवाही अनुविभागीय कार्यवाही, दर्ज करने की कार्यवाही अन्य शासकीय विभागों एवं कार्यवाही का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ 18 मार्च 2015 को मुख्य सचिव महोदय म.प्र. शासन की अध्यक्षता में शासकीय निकाय की बैठक में भी इस संबंध में निर्देश दिये गये थे? यदि हाँ, तो निर्देशों की प्रति उपलब्ध करार्ये? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कटनी अनुविभाग क्षेत्र में प्रश्न दिनाँक तक दायरा पंजी में दर्ज कितने प्रमाण पत्रों को समग्र पोर्टल पर दर्ज कर सत्यापित किया गया है, कितने

प्रमाण पत्र दर्ज करने, सत्यापित होने शेष है? (घ) प्रश्नांश (ग) के तहत कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी में उक्त कार्य का प्रभारी कौन है, किन-किन के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। (इ.) प्रश्नांश (क) से (घ) तक विभाग के निर्देशों की अवहेलना एवं लापरवाही पूर्ण कार्यशैली से पात्र व्यक्तियों को शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित रखने का कौन-कौन शासकीय सेवक जिम्मेदार है, क्या इनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी, यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, जारी निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के पत्रक-"अ" अनुसार है। (ख) जी हाँ। कार्यवाही विवरण की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के पत्रक-"ब" अनुसार है। (ग) अनुभाग कटनी में दायर पंजी के 12089 जाति प्रमाण पत्र पोर्टल पर दर्ज हैं। कटनी अनुभाग द्वारा किसी भी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं किया गया है। (घ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी के कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र का कार्य रीडर-2 के द्वारा अपनी देख-रेख में किया जाता है। (इ.) पात्र व्यक्तियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अतःशेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

# ग्राम पंचायतों के कार्यों की स्वीकृति

6. (क. 204) श्री संजय पाठक: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 54 दिनाँक 16.09.2014, पत्र क्र. 93 दिनाँक 20.09.2014 एवं पत्र क्रमांक 116, दिनाँक 24.09.2014 को विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ में ग्राम पंचायतों द्वारा मांग किये गये कार्यों को स्वीकृत करने हेतु पत्र लिखा गया था? (ख) यदि हाँ, तो पत्र से संबंधित कितने कार्य ग्राम पंचायतों में किन-किन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत किये गये? उनमें से कितने कार्य प्रारंभ हैं और कितने ऐसे कार्य हैं जो स्वीकृत नहीं किये गये एवं क्यों? स्पष्ट कारणों का उल्लेख करें? (ग) प्रश्नांश (क) से संबंधित जानकारी पंचायतवार एवं ग्रामवार, पृथक-पृथक विस्तृत ब्यौरे सिहत उपलब्ध करावें? पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ। (ख) पत्रों में उल्लेखित कार्य वर्तमान में स्वीकृत नहीं किये जा सके है। पत्र में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित कार्य विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं से संबंधित है, जिनकी स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी, कार्ययोजना एवं स्वीकृति हेतु प्रक्रिया पृथक-पृथक है। (ग) जानकारी प्रत्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।

# ग्राम पंचायतों के अंतर्गत मार्ग एवं पुल-पुलियों का निर्माण

7. (क्र. 220) श्री दिनेश राय (मुनमुन): क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में सिवनी विधानसभा अंतर्गत पंचायतों में कितने मार्ग एवं पुल-पुलिया कौन-कौन से मद से स्वीकृत किये गये हैं? पंचायतवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मार्ग एवं पुल-पुलियों के निर्माण हेतु कुल कितनी-कितनी राशि वर्ष 2014-15 एवं चालू वित्तीय वर्ष (प्रश्न दिनाँक) तक प्रदाय की गई? आवंटित बजट/राशि अनुसार कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण रहे? ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या सिवनी जिले में पंचायतों में निर्माण कार्यों की राशि आहरण के लिये सरपंच/सचिव सहित सीईओ जनपद पंचायत की अनुशंसा ली जा रही है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत् ली जा रही है? नियम/निर्देश/आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) सिवनी जिले में वितीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में सिवनी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पंचायतों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत कोई भी मार्ग एवं पुल-पुलियों के कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 66 की कंडिका 4 (1) अनुसार ग्राम पंचायतों में राशि का आहरण सचिव एवं सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षरों से किये जाने के प्रावधान है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन

8. (क्र. 234) श्री मेव राजकुमार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कौन-कौन सी योजनाएं किस-किस नाम से वर्तमान में संचालित हैं? (ख) प्रश्न (क) के संदर्भ में इंदौर संभाग के जिलों में कौन-कौन सी एवं किस-किस नाम से योजनाएं संचालित की जा रही है? संचालित योजनाओं में वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी-कितनी राशि आवंदित की गई एवं कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई है? (ग) उक्त योजनाओं के संचालन हेतु इंदौर संभाग में कितने अधिकारी, कर्मचारी एवं इससे लाभांवित होने वाले अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया एवं उस पर कितना व्यय किया गया? (घ) क्या उक्त योजना का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसमें क्या सुधार किया जावेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से (1) एम.पी.स्वान (2) सी.एस.सी. (3) आई.टी.पार्क सिंहासा (4) ई.एम.सी.धनखेड़ी (5) डाटा सेंटर पार्क बेटमा (6) एक्टेंशन ऑफ आई.टी.पार्क परदेशीपुरा इंदौर (7) ई.टी.डी.सी. इंदौर योजनाएं संचालित की जा रही है तथा म.प्र. एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नालॉजी के माध्यम से (1) ई-दक्ष (2) वर्चुअल क्लास रूम (3) ई-शक्ति (4) ई-डिस्ट्रिक्ट एवं (5) ईएसडीएम योजनाएं संचालित की जा रही है। (ख) जानकारी विधानसभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ग) जानकारी विधानसभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (घ) सभी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से किया जा रहा है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

# ग्राम पंचायत चुनाव में अभ्यार्थी हेतु न्यूनतम अनिवार्य शिक्षा

9. (क्र. 257) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार राजस्थान की तर्ज पर म.प्र. में भी जिला परिषद सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच हेतु नियत शैक्षणिक योग्यता का मापदण्ड तय करने का विचार कर रही है? यदि हाँ, तो वस्तु स्थिति से अवगत करावें? (ख) क्या सरकार मानती है कि शिक्षा प्रोत्साहन हेतु पंचायत चुनावों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है? यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई अध्यादेश जारी किया जायेगा? (ग) क्या रतलाम जिले के मेवासा में निरक्षक सरपंच ने अपनी निरक्षरता के कारण 100/- के स्टाम्प पेड पर नोटरी करवा कर अपने समस्त दायित्व गांव के कही अन्य व्यक्तियों को सौंप दिए। यदि हाँ, तो शासन द्वारा इस संबंध में की गई जाँच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जाँच रिपोर्ट की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।

#### आनलाईन कंपनियों द्वारा निम्नस्तरीय उत्पाद की बिक्री

10. (क्र. 269) श्री यशपालसिंह सिसौदिया: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क्र) क्या प्रदेश में विगत दो वर्षों में (1जनवरी 2013 के पश्चात) अनेक प्रकरण टीवी एवं मिडिया के माध्यम से भ्रामक प्रचार कर निम्न स्तरीय उत्पाद बेचने के दर्ज हुए है? यदि हाँ, तो उक्त प्रकरणों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या सरकार भ्रामक प्रचार कर ऑनलाईन निम्न स्तरीय उत्पाद बेचने वाली ऐजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु कोई ठोस नीति बना रही है यदि हाँ, तो अवगत करावें? (ग) क्या अधिकांश विज्ञापनों में दर्शाए गए उत्पादों की वैयता एवं सामग्री की जाँच की पृष्टि नहीं जा सकती एवं कई प्रकरणों में निर्माता कंपनी का पता एवं अन्य जानकारी भी फर्जी पाए गए यदि हाँ, तो क्या विभाग इस प्रकार उत्पादकों की बिक्री से पूर्व जाँच हेतु किसी एजेन्सी की स्थापना करने का विचार रखता है? यदि हाँ, तो कब तक?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ): (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन निम्नस्तरीय उत्पाद बेचने वाली ऐजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर आवश्यक प्रावधान करने की कार्यवाही की जा रही है इस आधार पर वर्तमान में राज्य स्तर से पृथक से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। (ग) उत्तर (ख) के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में आवश्यकता नहीं है अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएंगी।

### निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय का निर्माण

11. (क्र. 294) श्री जतन उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले में निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत समस्त घरों में शौचालय के निर्माण की कोई योजना शासन द्वारा बनाई जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो योजना का प्रारंभ कब से किया गया है तथा योजना के अनुरूप कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ग) छिंदवाड़ा जिले के कितने ग्रामों में कितने शौचालय का निर्माण कर लिया गया है तथा कितने ग्रामों में शौचालय निर्माण होना शेष है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी हाँ। (ख) निर्मल भारत अभियान योजना का प्रारंभ दिनाँक 01-04-2012 से किया गया है। दिनाँक 02-10-2014 से योजना में भारत सरकार द्वारा परिवर्तन किया गया तथा अब 02-10-2014 से स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया है। योजना के अनुरूप कार्य 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "दस"

# छतरपुर जिले में कार्यरत संस्थाएं

12. (क्र. 388) श्री आर.डी. प्रजापित : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ 2014 तथा रबी 2014 में छतरपुर जिले के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त बीज उत्पादक सहकारी समितियों को कृषि विभाग द्वारा कितनी अनुदान राशि भुगतान की गई तथा कितनी-कितनी राशि कृषकों के बैंक खाते में भुगतान की गई? (ख) उन्नत बीज उत्पादक सहकारी समिति बृजपुरा छतरपुर द्वारा खरीफ 2014 एवं रबी 2014 में कितने कृषकों द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया तथा कितने कृषकों का बीज उपार्जित हुआ एवं कितने कृषकों को उत्पादन अनुदान की राशि का

भुगतान किया गया? (ग) क्या कृषकों के बैंक खातों में अनुदान की राशि जमा कराई गई यदि हाँ, तो कितनी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) खरीफ 2014 में रू. 4.21 लाख एवं रबी 2014 में रू. 37.505 लाख कुल रू. 41.715 लाख का भुगतान किया गया है. जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है, कृषकों के बैंक खातों में कोई भी राशि भुगतान नहीं की गई है. (ख) उन्नत बीज उत्पादक सहकारी समिति बृजपुरा छतरपुर द्वारा खरीफ 2014 में 35 एवं रबी 2014 में 40 कुल 75 कृषकों द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया. खरीफ 2014 में 35 एवं रबी 2014 में 21 कुल 56 कृषकों से उपार्जित किया गया. कृषकों को उत्पादन अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि म.प्र. शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के ज्ञाप क्रमांक/बी-15-18/2011/14-2 भोपाल, दिनाँक 24.05.2014 के अनुसार खरीफ 2014 में उत्पादन अनुदान का प्रावधान नहीं था। इसी प्रकार म.प्र. शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के ज्ञाप क्रमांक/बी-15-18/2011/14-2 भोपाल, दिनाँक 22.09.2014 के द्वारा रबी 2014 में उत्पादन अनुदान का प्रावधान केवल सरसों एवं अलसी फसल हेतु 10 वर्ष तक की किस्मों में था, उन्नत कृषि बीज उत्पादक सहकारी समिति बृजपुरा के द्वारा रबी 2014 में सरसों एवं अलसी का बीज का उत्पादक कार्यक्रम नहीं लिया गया था. इसलिये उत्पादन अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है. (ग) प्रश्नांश ख के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है.

#### परिशिष्ट - "ग्यारह"

# जिला/जनपद पंचायतों के मूल कर्मचारियों की एकजाई वरिष्ठता सूची तैयार की जाना

13. (क्र. 445) श्रीमती ऊषा चौधरी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला/जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची एकजाई तैयार करने हेतु पंचायतराज अधिनियम 1984 धारा के तहत प्रावधान है, लेकिन डी.आर.डी.ए. के कर्मचारियों द्वारा अपने को जिला पंचायत में विलय मानते हुये अधीक्षक/सहायक अधीक्षक पद पर पदोन्नति का लाभ लेते हुये मूल कर्मचारियों के अधिकार का हनन किया जाता है? (ख) सतना जिला पंचायत में डी.आर.डी.ए. के कर्मचारी सहायक अधीक्षक पद पर पदोन्नति लेकर जिला पंचायत में डी.आर.डी.ए. के कर्मचारी सहायक अधीक्षक पद पर पदोन्नति लेकर जिला पंचायत के मूल कर्मचारियों की वरिष्ठता का ध्यान न देते हुये पंचायत राज अधिनियम का माखौल उड़ाया गया है? (ग) यदि हाँ, तो क्या जिला/जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों की जिला स्तर में एकजाई वरिष्ठता सूची तैयार कर सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी एवं गलत तरीके से ली गई पदोन्नति निरस्त की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 प्रभावशील है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) जिला-जनपद पंचायत के मूल कर्मचारी की जिला स्तर में वरिष्ठता सूची संधारित करने के शासन के आदेश नहीं है। बल्कि जिला-जनपद स्तर पर पृथक-पृथक वरिष्ठता सूची तैयार कर रिक्त पदों पर पात्रतानुसार पदोन्नित की कार्यवाही की गई है। इस प्रकार किसी भी कर्मचारी की गलत तरीके से पदोन्नित नहीं की गई। अतः पदोन्नित निरस्त किये जाने का औचित्य ही नहीं है।

### हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ठेके

14. (क्र. 462) श्री रामेश्वर शर्मा: क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने का ठेका विभाग व्दारा कब, किस कंपनी को और किन शर्तों के तहत दिया गया था? (ख) ठेका कंपनी व्दारा पूरे प्रदेश में वाहन स्वामियों से नंबर प्लेट के लिए आरंभ से वर्तमान तक कितनी फीस वसूली गई है, वर्षवार बताएं? (ग) क्या कंपनी व्दारा वर्तमान में नंबर प्लेट बनाने का काम किया जा रहा है यदि नहीं, तो अभी तक कंपनी पर विभाग व्दारा क्या कार्यवाही की गई?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट बनाने का ठेका दि. 21 जनवरी 2012 को मेसर्स लिंक उत्सव ऑटो सिस्टम प्रायवेट लिमिटेड को दिया गया था। कंपनी के साथ हुए अनुबंध (शर्ती) की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) अनुबंध की शर्त 5.1 (a) के अनुसार वाहनों में नम्बर प्लेट लगाने के एवज् में कंपनी द्वारा अनुबंध में प्रावधानित राशि (फीस) वाहन स्वामियों से सीधे प्राप्त कर इसकी दैनिक/मासिक जानकारी अनुबंध के एम.आई.एस. प्रपत्र 'सी' से 'एफ' में विभाग को प्रदाय की जाना निर्धारित है। अन्बंध की शर्त 6.1 (a) के अनुसार नम्बर प्लेट लगाने के एवज् में कंपनी द्वारा प्राप्त कुल राशि (फीस) की पाँच प्रतिशत राशि रायल्टी के रूप में विभाग में जमा कराये जाने का प्रावधान है। कंपनी द्वारा माह फरवरी 2014 तक रूपये 21,92,128/- (इक्कीस लाख बानवे हजार एक सौ अठ्ठाईस मात्र) रायल्टी की राशि विभाग में जमा कराई गई। कम्पनी द्वारा नम्बर प्लेट लगाने के लिये वाहनों की श्रेणीवार संग्रहित राशि, वाहन संख्या की जानकारी, रायल्टी जमा करने की जानकारी, समय पर तथा पूर्ण जानकारी उपलब्ध न कराने से तथा अन्य अनियमितताओं के कारण कंपनी को कई नोटिस दिये गये, नोटिसों का संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने से कंपनी का अनुबंध दिनाँक 17.10.2014 को निरस्त किया गया तथा कम्पनी की तीन करोड़ रूपये की परफार्मेन्स बैंक गारंटी राजसात कर शासन के खाते में जमा कराई गई। (ग) कंपनी का सेवा अनुबंध, प्रदाता द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं के कारण दि. 17.10.2014 से निरस्त किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में रिट याचिका क्रमांक-6567/2014 दायर की गई थी। उक्त याचिका में मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की युगलपीठ द्वारा दिनाँक 26.06.2015 को अंतिम आदेश पारित कर अनुबंध निरस्ती के आदेश दिनाँक 17.10.2014 को Quashed कर दिया है, तथा सेवा प्रदाता कंपनी को प्नः कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये है। मान. न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। इस आदेश के विरूद्ध शासन द्वारा मान. उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा रही है।

# हुजूर विधानसभा क्षेत्र के लंबित पेंशन प्रकरण

15. (क्र. 464) श्री रामेश्वर शर्मा: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हुजूर विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन के कितने आवेदन लंबित हैं और इनका निराकरण कब तक कर दिया जाएगा? (ख) वर्तमान में उक्त पेंशन योजनाओं का जिन्हें लाभ मिल रहा है उनकी संख्या बताएं? (ग) उक्त पेंशन योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के चयन के लिए क्या विभाग द्वारा कोई सर्व कराया गया है? यदि हाँ, तो कब कराया

गया है बताएं? (घ) क्या पुन: सर्वे करवाकर हितग्राही चिन्हित करने की कोई योजना विभाग ने बनाई है यदि हाँ, तो कब तक किया जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) कोई आवेदन पत्र लंबित नहीं है। (ख) कुल 8939 हितग्राहियों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। (ग) समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राहियों का सर्वे कराया जाकर सत्यापन का कार्य नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों द्वारा किया गया था। वितीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान यह सर्वे कराया गया था। (घ) वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रचलन में नहीं है।

# कोऑपरेटिव बैंक के जिला मुख्यालय की स्थापना

16. (क. 580) श्री दुर्गालाल विजय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में कोऑपरेटिव बैंक का जिला मुख्यालय स्थापित करने के संबंध में प्रश्नकर्ता की ध्यानाकर्षण सूचना दिनाँक 24.02.2015 पर सदन में चर्चा के दौरान 31.03.2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन बेलेंसशीट, सभी सोसायटी, बैंक शाखाओं सिहत श्योपुर, मुरैना जिले के क्षेत्र का अलग-अलग विभाजन कर देखने (परीक्षण) का आश्वासन माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने दिया था? (ख) उपरोक्तानुसार वायवल्टी पाये जाने पर आयुक्त/उपायुक्त सहकारिता अथवा शासन द्वारा कोऑपरेटिव बैंक मुरैना से प्रस्ताव/निर्धारित प्रपत्रों पर जानकारी मंगाकर नाबाई/आर.बी.आई. को श्योपुर में कोऑपरेटिव बैंक का जिला मुख्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव अनुशंसा सिहत प्रेषित करने का भी आश्वासन दिया था? (ग) तो बतावें कि प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित अभिलेखों को मंगाकर क्या उनका परीक्षण कर लिया गया हैं यदि हाँ, तो परीक्षण उपरांत शासन किस निष्कर्ष पर पहुँचा? (घ) उक्त परीक्षण उपरांत साध्यता पाये जाने की स्थिति में क्या श्योपुर में पृथक से उक्त बैंक का जिला मुख्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार कराकर अनुशंसा सिहत नाबाई/आर.बी.आई. को भेज दिया है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) परीक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है। (घ) जी नहीं, उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में.

# विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत फसल बीमा का लाभ

17. (क्र. 604) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रबी 2013-14 में फसल बीमा राशि किस-किस पटवारी हल्के हेतु कितने हितग्राही हेतु कितनी राशि का वितरण किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सारंगपुर तहसील के कितने किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया एवं कितने लाभान्वित होना शेष हैं शेष बचे किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं देने के क्या कारण था? (ग) प्रश्नांश (ख) जिला राजगढ़ तहसील सारंगपुर वर्ष 2013-14 में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत दावों का आंकलन किस आधार पर किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी को पटवारी हल्कावार बैंक द्वारा फसल बीमा हेतु घोषणा पत्र भेजे जाते हैं। रबी 2013-14 मौसम हेतु सारंगपुर तहसील की पटवारी हल्कावार बीमा आवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) प्रश्नांश क अनुसार लाभान्वित कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के

प्रपत्र-एक अनुसार है। आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर द्वारा औसत उपज के आंकडों के आधार पर उपज में कमी नहीं पाई गई इस कारण फसल बीमा का लाभ नहीं दिया गया है। (ग) फसल बीमा योजनान्तर्गत दावों का आंकलन संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

### पात्र गरीबों के गरीबी रेखा कार्ड बनाये जाना

18. (क. 609) श्री संजय पाठक: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भ्रमण दिनाँक 03.09.2014 को शिविर लगाकर विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं की पात्रता की जाँच करने हेतु निर्देश दिये गये थे? (ख) क्या उक्त निर्देशों के पालन में 12 सितंबर से 17 सितंबर तक 9 शिविर लगाये जाकर त्विरत समाधान हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये गये थे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या शिविरों के आयोजन के पश्चात् जाँच उपरांत पात्र एवं अपात्रों का परीक्षण कर लिया गया है? यदि हाँ, तो योजनावार प्राप्त आवेदन निराकृत आवेदन पात्र हितग्राही अपात्र हितग्राही लंबित आवेदनों की जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) विगत लगभग 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी पात्र हितग्राहियों का नाम गरीबी रेखा की सूची में नहीं जोड़ें जानें एवं अन्य प्रकरणों के पात्र हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ से वंचित रखे जाने हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? नहीं तो क्यों? (इ.) प्रश्नाधीन आयोजित शिविरों में पात्र हितग्राहियों को कब तक गरीबी रेखा के कार्ड वितरित किये जाकर पात्र पेंशन प्रकरणों का निराकरण कर दिया जावेगा? स्पष्ट समयाविध का उल्लेख करें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। योजनावार प्राप्त आवेदन, निराकृत आवेदन, पात्र हितग्राही, अपात्र हितग्राही, लंबित आवेदनों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। कोई अधिकारी दोषी नहीं है। (इ.) प्रश्नाधीन आयोजित शिविरों में पात्र हितग्राहियों को गरीबी रेखा के कार्ड तैयार कर वितरित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है तथा पेंशन के प्रकरणों का निराकरण पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात् निर्धारित समयाविध में किया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

#### परिशिष्ट - "बारह"

# कृषि उपज मण्डी समिति गुना में की गई अनियमितताएं

19. (क. 655) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला गुना कृषि उपज मण्डी समिति गुना में वर्ष 2012 से 2014 तक कितने निर्माण कार्य के प्राकलन मण्डी समिति एवं विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत हुये थे? कितनी राशि वर्षवार व्यय की क्या उपरोक्त निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं स्वीकृति तथा प्राक्कलनों की स्वीकृति मण्डी समिति से करायी या नहीं? (ख) कृषि उपज मण्डी समिति गुना के अंतर्गत आनेवाली समस्त उपमंडियों में कराये गये कार्यों की स्वीकृति एवं भुगतान की क्या मण्डी समिति से अनुमित ली की नहीं? (ग) कृषि उपज मण्डी गुना द्वारा गत तीन वर्षों में कितने कर की वसूली की, एवं क्या कृषि उपज मण्डी गुना ने थोक फल, सब्जी विक्रेताओं को स्थान का आवंटन किया है कि नहीं तो कब तक करेंगे? कारण बतायें? (घ) क्या गत तीन वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति गुना के अंतर्गत समस्त कार्यों का जो मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित या स्वीकृत नहीं थे उनसे की गई अनियमितताओं की

वरिष्ठ कार्यालय से जाँच एवं मिलान कराया जायेगा कि नहीं? यदि हाँ, तो कब और कैसे? जो दोषी हों उन पर कार्यवाही कब होगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति गुना द्वारा वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक निर्माण कार्यों की प्राक्कलन के आधार पर आंचलिक कार्यालय म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ग्वालियर द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति के अनुसार मंडी समिति द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति राशि का वर्ष वार व्यय एवं कार्यों की भौतिक स्थिति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। उपरोक्त निर्माण कार्यों का प्रावधान अनुसार तकनीकी अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन एवं तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासकीय स्वीकृति मंडी समिति के भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी की गई है। (ख) कृषि उपज मंडी समिति गुना के अंतर्गत आने वाली समस्त उपमंडी (1) म्याना (2) बम्होरी (3) फतेहगढ़ (4) कालोनी में वर्ष 2012 से 2014 तक कोई निर्माण कार्य नहीं कराये गये हैं। अतएव शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) कृषि उपज मंडी समिति गुना द्वारा गत तीन वर्षों में वसूल किये गये मंडी शुल्क (कर) की जानकारी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। कृषि उपज मंडी समिति गुना में थोक फल-सब्ज़ी विक्रेताओं को कोई स्थान आवंटित नहीं किया गया है। मंडी समिति के प्रस्ताव क्रमांक 11 दिनांक 26.07.14 से भूमि की मांग जिलाधीश से की गयी है, भूमि उपलब्ध होने पर स्थान आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी। (घ) मंडी समिति गुना द्वारा वर्ष 2012-13 (जनवरी-2013 तक) के अंतर्गत स्वीकृत किये गये 06 कार्यों की स्वीकृति भारसाधक अधिकारी एवं मंडी सचिव द्वारा प्रदान की गयी है। शेष अविध में कराये गये कार्यों की कार्य योजना की स्वीकृति मंडी समिति द्वारा अपने साधारण सम्मेलन दिनाँक 18.02.13 प्रस्ताव क्रमांक 04 से दी गयी है तथा प्रशासकीय स्वीकृति मंडी समिति अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी की गयी है अतएव शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

### परिशिष्ट - "तेरह"

# गुना जिले की सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था पेंशन तथा विवाह अनुदान अनियमितता

20. (क्र. 656) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में वर्ष 2012 से 2014 तक ऐसे कितने लोग है? जिन्हें निर्धारित समय पर सामजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था एवं निशक्तजन पेंशन तथा विवाह अनुदान नहीं मिला लेखों का मिलान कर जानकारी दें? (ख) विभाग के कौन से अधिकारी दोषी है जो निर्धारित समय पर गरीबों को प्रश्नांश (क) की स्वीकृत पेंशन का भुगतान नहीं करते है नाम एवं कार्यवाही सहित विवरण दें? (ग) गुना जिले में ऐसे कितने पात्र हितग्राही है जो प्रश्नांक (क) की पेंशन स्वीकृत नहीं हुई या वितरण नहीं हुई तथा ऐसे कितने हितग्राही है जो गलत पेंशन का लाभ ले रहे है उन्हें कब बंद करेंगे? (घ) जो पात्र हितग्राही प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पेंशनों के क्रम से छूटे है उन्हें क्या विभाग ग्रामवार सर्वे कराकर पेंशन वितरण करायेगा यदि हाँ, तो पेंशन पाने के पात्र हितग्राहियों का सर्वे कब तक होगा कब पेंशन वितरण करा दी जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) कोई नहीं। (ख) प्रश्नांश-"क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सभी पात्र हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। कोई भी अपात्र व्यक्ति पेंशन का लाभ नहीं ले रहा है। (घ) पात्रता होने पर हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत कर राशि का भुगतान किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# म.प्र. परिवहन निगम की बसों को पुन: चालू किया जाना

21. (क. 672) श्री अंचल सोनकर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा म.प्र. राज्य परिवहन निगम को पूर्णतः बंद कर दिया गया है? यदि हाँ, तो परिवहन निगम बंद करने का कारण क्या था? क्या इससे प्रदेश में यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? यदि हाँ, तो इस कमी को दूर करने के क्या उपाय किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिये क्या दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त यातायात के साधन शासन द्वारा किये गये? यदि हाँ, तो क्या? (ग) क्या परिवहन निगम बंद करने के उपरांत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राईवेट बस संचालकों द्वारा अपनी मन मर्जी से किराया निर्धारण कर आम जनता को वित्तीय भार से लाद दिया गया? यदि हाँ, तो क्या शासन आम जनता की सुविधा हेतु दूर - दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुनः शासकीय परिवहन की बसों का संचालन प्रारंभ करेगा तो कब तक? नहीं तो, क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) जी नहीं। अपितु म.प्र. सड़क परिवहन निगम को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य शासन द्वारा म.प्र. सड़क परिवहन निगम को बंद करने का सैद्धांतिक निर्णय फरवरी, 2005 में निगम के लगातार बढ़ते घाटे के कारण लिया गया था। दिनाँक 30.9.2010 के पश्चात् निगम द्वारा वाहनों का संचालन पूर्णतः बंद कर दिया गया है। निगम को बंद करने का निर्णय लिए जाने के पश्चात् निगम के लिए सुरक्षित राष्ट्रीकृत मार्गों को निजी वाहन मालिकों के लिए खोल दिया गया हैं। इस प्रकार निगम बंद करने पर पहले की तुलना में अधिक वाहन संचालित हो रहें है। (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त यातायात के साधन उपलब्ध कराने के लिये ग्रामीण परिवहन योजना लागू की गई है जिसकी प्रति संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) जी नहीं। बस संचालकों द्वारा अपनी मनमर्जी से किराया निर्धारण नहीं किया जाता वरन पूरे प्रदेश में किराया निर्धारण हेतु शासन के आदेश क्रमांक एफ 22-142/2004/आठ दिनाँक 09-09-2010 द्वारा प्रमुख सचिव, परिवहन की अध्यक्षता में किराया निर्धारण समिति बनाई गई। उक्त आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। परिवहन निगम द्वारा बसों को पुनः संचालित करने हेतु कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

### परिशिष्ट - "चौदह"

# विधानसभा अंतर्गत पंचायतों द्वारा स्वीकृति बाबत

22. (क्र. 677) श्री राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांवेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायतों/जिला पंचायतों/जनपद तथा ग्राम पंचायतों द्वारा 01.04.2014 से प्रश्न दिनाँक तक किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति दी गई? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को किन-किन अधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है? (ग) प्रश्नांक (ख) के संदर्भ में उक्त सभी पंचायतों, जनपदों आदि में चालू वित्तीय वर्ष में एवं पूर्व वित्तीय वर्ष में किस-किस मद में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया व इसमें से कितनी राशि प्रश्न दिनाँक तक स्वीकृत की गई? कितनी राशि कहाँ-कहाँ पर व्यय की गई मदवार जानकारी प्रदान करायें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स के कालम 02 से 05 अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार।

#### पंचायतों में ऑडिट किया जाना

23. (क्र. 678) श्री राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिलान्तर्गत आने वाली पंचायतों का ऑडिट विगत 3 वर्षों में कब-कब कराया गया वर्षवार, दिनाँकवार जानकारी दें? (ख) क्या सावेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायतों का ऑडिट कई वर्षों से नहीं कराया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं? व ऑडिट ना कराये जाने का क्या कारण था? (ग) प्रश्नांक (ख) के संदर्भ में ऑडिट ना कराने पर संबंधित पंचायतों/अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी? समय सीमा बतायें? (घ) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में इंदौर जिले में पंचायतों का ऑडिट कब तक कराया जायेगा? समय सीमा बतायें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार। (ख) सांवेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 29, 2013-14 में 85 एवं वर्ष 2014-15 में 13 पंचायतों का ऑडिट कराया गया है। ऑडिट कराना संबंधित ग्राम पंचायत सचिव का उत्तर दायित्व है। पंचायत निर्वाचन, 2014-15 में होने से तथा निर्वाचित सरपंचो को चार्ज हस्तांतरण प्रक्रिया जारी रहने से शेष ग्राम पंचायतों का ऑडिट लंबित है। (ग) म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के तहत संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है। (घ) जिलों में शेष रही पंचायतों का ऑडिट आगामी तीन माह में कराया जाना प्रस्तावित है।

# अनुदान योजनाओं में कृषकों को बीज का वितरण

24. (क. 723) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधान सभा क्षेत्र में विगत 03 वित्तीय वर्षों में कौन-कौन सा बीज अनुदान योजना के तहत प्रदान किया गया एवं किस श्रेणी के किसानों को दिया गया? जिलेवार, तहसीलवार संख्यात्मक जानकारी देवें? (ख) सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत 03 वित्तीय वर्षों में कौन-कौन सा बीज अनुदान योजनाओं में दिया गया एवं बीज किस फर्म से खरीदा गया? विवरण देवें एवं लाभान्वित कृषकों की संख्या उपलब्ध करावें? (ग) क्या अनुदान योजना में प्रदत्त बीज की अनुदान राशि कृषकों के खातों में जमा होना थी? यदि हाँ, तो विगत 03 वित्तीय वर्षों में विधानसभा क्षेत्र में कितने कृषकों के खातों में अनुदान जमा की गई? कृषकों की संख्या बतावें (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित अनुसार यदि अनुदान राशि जमा नहीं की गई हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या दोषियों पर कार्यवाही की जाकर कृषकों को अनुदान राशि दी जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक विवरण देवें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) आगर मालवा जिला का गठन 14 अगस्त 2013 को हुआ। अतः सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में विगत वित्तीय वर्षों 2013-14 एवं 2014-15 में आइसोपाम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सोयाबीन, चना एवं गेहूँ पर बीज अनुदान कृषकों को दिया गया। बीज सभी वर्गों के कृषकों को दिया गया। जिलेवार, तहसीलवार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) सुसनेर

विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में सोयाबीन, चना एवं गेंहूं का बीज अनुदान योजनाओं में दिया गया। बीज फर्म की जानकारी पुस्तकालय परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में 4962 एवं 2014-15 में 6055 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में 4962 एवं 2014-15 में 6055 कृषकों के खातों में राशि क्षेत्र की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा जमा की गई है। (घ) प्रश्नांश (ग) में 2014-15 की राशि संस्था को नहीं वरन सीधे किसान के खातों में जमा कराई जाना थी। नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

### विभागीय जाँच के दौरान शासकीय सेवकों पर कार्यवाही

25. (क. 728) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में किन-किन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/जिला पंचायत के विरूद्ध विगत 03 वर्षों में विभिन्न योजनाओं में अनियमितता की शिकायत के आधार पर विभागीय जाँच में क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जाँच के दौरान किन प्रकरणों में दोषियों पर निलंबन एवं बर्खास्तगी की कार्यवाही की गई, प्रकरणवार विवरण देवें? (ग) क्या जनपद पंचायत सुसनेर में परफारमेन्स ग्रांट योजना की राशि के दुरूपयोग की जाँच प्रचलित थी जिसमें तत्कालीन सी.ई.ओ. श्रीमती माधुरी शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया था जिसके पश्चात गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाना थीं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (घ) यदि श्रीमती माधुरी शर्मा तत्कालीन सी.ई.ओ. दोषी सिद्ध हुई है तो कब तक ठोस एवं क्या कार्यवाही की जावेगी? पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव ): (क) जनपद पंचायत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार तथा जिला पंचायत की जानकारी निरंक मानी जावे। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

# मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बरई के द्वारा शासकीय धन का गबन

26. (क. 744) श्रीमती इमरती देवी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर अंतर्गत जनपद पंचायत बरई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा वर्ष अप्रैल 2013 से जून 2015 तक प्रतिमाह किराये पर किस दर से किस-किस व्यक्ति की वाहन किस कार्य हेतु ली गई? जिसका प्रतिमाह किस मद से एवं किस दर से कितनी राशि का भुगतान अभी तक किया गया है? वर्षवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जनपद पंचायत बरई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा अप्रैल 2013 से जून 2015 तक स्वच्छता अभियान कार्यक्रम जनपद निधि, माध्यान्ह भोजन एवं सहरिया विकास आदि मदों की लगभग 5,00,000/- (पाँच लाख रूपये) से अधिक राशि वाहन किराया एवं पी.ओ.एल. के नाम पर जनपद पंचायत के अनुमोदन बिना एवं शासन आदेश के बिना मनमाने तरीके से व्यय की गई है यदि नहीं, तो शासन आदेश की प्रति एवं जनपद पंचायत बरई की बैठक की स्वीकृति / अुनमोदन की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार उक्त अविध में जनपद पंचायत बरई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उक्त शासकीय धन का गवन करने के कारण क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बरई को निलंबित कर वसूली की कार्यवाही कब तक की जावेगी समयाविध बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। शासन आदेश एवं जनपद पंचायत बरई की बैठक स्वीकृति/अनुमोदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) उत्तर ख अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

#### ओला प्रभावित किसानों को खाद्यान्न पर्ची का वितरण

27. (क्र. 745) श्रीमती इमरती देवी: क्या खाय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर में वर्ष 2015 में हुई ओलावृष्टि से रिव की फसलों को हुये नुकसान की राहत राशि प्राप्त विकासखण्ड डबरा एवं भितरवार में कितने-कितने कृषकों को खाद्यान्न सामग्री हेतु पर्ची वितरित की जाना है, पृथक-पृथक बतावें? (ख) कितने कृषकों को मई 2015 एवं जून 2015 तक खाद्यान्न सामग्री हेतु पर्ची प्रदाय की गई तथा शेष कृषकों को खाद्यान्न सामग्री की पर्ची कब तक वितरित की जावेगी? समय अविध बतावें?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ): (क) प्राकृतिक आपदा से वर्ष 2014-15 में प्रभावित ऐसे परिवार जिनकी फसलों की प्राकृतिक आपदा से क्षित 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, ऐसे परिवारों को राष्ट्रीय खाय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्राथमिकता परिवार श्रेणी में सम्मिलित किया जाना है। रबी विपणन वर्ष 2015 में ग्वालियर जिले के डबरा विकासखण्ड के 16,304 एवं भितरवार विकासखण्ड के 14,284 किसानों की रबी फसल को प्राकृतिक आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक होने के कारण उन्हें प्राथमिकता परिवार के रूप में सत्यापित किया जाकर पात्रता पर्ची का वितरण किया जाना था। (ख) माह मई, 2015 में विकासखण्ड डबरा के 2,853 तथा विकासखण्ड भितरवार के 2,852 किसानों को एवं माह जून, 2015 में विकासखण्ड डबरा के 4,863 तथा विकासखण्ड भितरवार के 5,502 किसानों को खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने हेतु पात्रता पर्ची प्रदाय की गई। शेष किसान अन्य पात्रता श्रेणी में सत्यापित होने के कारण पूर्व से ही पात्रता पर्ची धारी हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# चंबल संभाग की कृषि मण्डियों में श्रेणी स्तर के सचिवों की नियुक्ति

28. (क्र. 760) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चंबल संभाग की कृषि मण्डियों में श्रेणी स्तर के सचिवों की पदस्थापना न कर गैर श्रेणी के सचिवों को पदस्थ किया गया है क्यों मण्डियों के नाम, सचिवों के नाम किस श्रेणी की मण्डी पदांकन का वर्ष सिहत पूर्ण जानकारी दी जावें? (ख) वर्तमान में उक्त मण्डियों में प्रतिनियुक्ति पर कितने सचिव है इनमें ऑडिटर, लिपिकीय वर्ग के कितने सचिव कहाँ-कहाँ, कब से पदस्थ है शासन की नीतियों के अनुसार मण्डी सचिव नियुक्त क्यों नहीं किये गये हैं? (ग) चंबल संभाग की मण्डियों में श्रेणी स्तर के सचिवों की पदस्थापना नहीं करने के क्या कारण हैं नीति विरूद्ध पदस्थापना करने के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) जी हाँ। राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सचिव संवर्ग में अधिकारियों की कमी पदस्थापना का प्रमुख कारण है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) चंबल संभाग की 04 कृषि उपज मंडी समितियों में सचिव प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, जिसमें से मंडी समिति कैलारस मे वरिष्ठ अंकेक्षक पदस्थ है। वर्तमान में पर्याप्त संख्या में सचिवों की अनुपलब्धता के कारण सभी मंडी समितियों में संबंधित श्रेणी के सचिव की पदस्थापना संभव नहीं हो पा रही है।

(ग) उत्तरांश "क" एवं "ख" में वर्णित स्थिति पदस्थापना का कारण है अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

# सड़क विहीन एवं पेयजल समस्या मूलक गांव

29. (क्र. 810) श्री मुकेश नायक: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार पन्ना जिले में कुल कितने ग्राम एकल सम्पर्कता सड़क विहीन हैं और पेयजल की दृष्टि से कुल कितने समस्या मूलक गाँव हैं? (ख) इन गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने और स्वच्छ जल आपूर्ति के साधन उपलब्ध कराने की सरकार की क्या योजना है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) मध्यप्रदेश में मार्च 2015 की स्थित के अनुसार पन्ना जिले में कुल 236 ग्राम एकल सड़क सम्पर्कता विहीन प्रतिवेदित है और पेयजल की दृष्टि से कोई भी ग्राम समस्या मूलक नहीं है। (ख) एकल सम्पर्कता विहीन ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्ताव भारत शासन एवं मध्यप्रदेश शासन के विचाराधीन है और वर्ष 2015-16 में 220 पेयजल की दृष्टि से आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटों को पूर्ण श्रेणी में किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

# भिण्ड जिले में कृषि महोत्सव के नाम पर आर्थिक अनियमितता की जाँच

30. (क. 862) डॉ. गोविन्द सिंह: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में कृषि महोत्सव वर्ष 2015 में किस-किस मद एवं कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि खर्च की गई? प्रत्येक विकासखण्ड अलग-अलग विवरण दें? (ख) विकासखण्ड लहार में कृषि महोत्सव मनाने में कितनी राशि किस अधिकारी को प्रदान की गई? विकास खण्ड लहार में कृषि महोत्सव हेतु प्राप्त राशि को बिना खर्च करने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा राशि की हेराफेरी की जाँच कराई जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या माननीय जनपद अध्यक्ष लहार जिला भिण्ड ने माह जून 2015 में कृषि महोत्सव के निरीक्षण के समय पाई गई अनियमितताओं की शिकायते मय पंचनामा के साथ कलेक्टर भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भिण्ड, उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास अधिकारी भिण्ड तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार को की थी? (घ) यदि हाँ, तो उक्त शिकायतों की जाँच कब और किस अधिकारी से कराई गई? जाँच कब तक कराई जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) मदवार किये गये व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं विकासखण्डवार, मदवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) अधिकारीवार, मदवार प्रदाय की गई राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। जी हाँ। (ग) जी हाँ। अनियमितता की शिकायत उप संचालक कृषि भिण्ड को दिनाँक 23-06-2015 को प्राप्त हुई। (घ) शिकायत की जाँच, जाँचकर्ता अधिकारी अनुविभागीय कृषि अधिकारी लहार के द्वारा प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - "सोलह"

# उपार्जन केन्द्रों में कम खरीदी

31. (क्र. 885) श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में सरकार के द्वारा इस वर्ष जो गेहूँ उपार्जन खरीदी केन्द्र द्वारा की गई है, वह गत दो वर्षों के उपार्जन के प्रतिशत में कम है या नहीं? यदि कम है, तो उसका क्या कारण है? क्या इन कारणों का मूल्यांकन सरकार ने कराया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि पैदावार कम हुई, तो सरकार ने इन किसानों को क्षतिपूर्ति के लिये कोई ठोस कदम उठाया है या उठाने का विचार कर रही है? यदि हाँ, तो क्या?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ): (क) जी हाँ। रीवा जिले में वर्ष 2013-14 में 88,435 मे.टन एवं वर्ष 2014-15 में 81,190 मे.टन एवं वर्ष 2015-16 में 69,797 मे.टन समर्थन मूल्य पर गेहूँ का उपार्जन किया गया है। उपार्जन वर्ष 2015-16 में गेहूँ के कम उपार्जन का कारण ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षा के कारण उत्पादकता में कमी एवं बाजार भाव तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के मध्य कम अंतर होना है। राज्य सरकार द्वारा ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षा से हुए नुकसान का सर्वे कराया गया है। (ख) नियमानुसार 25% से अधिक नुकसान होने पर किसानों को राहत राशि वितरित की गई है। 25 प्रतिशत से कम नुकसान में राहत राशि का प्रावधान नहीं है।

# सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण

32. (क. 891) श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर एवं रीवा ब्लॉक, जिला रीवा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र गुढ - 75 में आने वाली पंचायतों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितगाहियों को दिनाँक 01.01.2014 से दिनाँक 01.06.2015 तक कितने लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं प्रदान की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उस अविध में कितने हितगाहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरित नहीं की गई और उनकी इस अविध के बीच मृत्यु हो गई? (ग) प्रश्न (क) में हितगाहियों को पेंशन न मिलने के क्या कारण हैं और इसके लिये कौन जिम्मदार है? क्या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत माह जून-15 तक सभी हितग्राहियों को भुगतान कर दिया गया है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश-"क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# रोजगार गारंटी योजना में गंभीर अनियमितताएं

33. (क्र. 903) कुँवर विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में रोजगार गारंटी योजना के तहत विगत तीन वर्ष में वृक्षारोपण हेतु प्रश्न दिनाँक तक कितनी राशि व्यय की गई? (ख) क्या रोपित किये गये वृक्षों की सुरक्षा हेतु बागवान नियुक्त किये गये थे? यदि हाँ, तो सुरक्षा हेतु कितना व्यय किया? (ग) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित कार्य के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये गये? यदि हाँ, तो कितने नहीं तो, कारण सिंहत बतायें? (घ) जनपद राजनगर जिला छतरपुर में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर द्वारा एक आवेदन पत्र पर जाँच कमेटी बनाई गई। यदि हाँ, तो अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) छतरपुर जिले में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विगत 3 वर्षों में वृक्षारोपण हेतु राशि रूपये 49.53 लाख व्यय की गई है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। 110 कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये है। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राज नगर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राज नगर से वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन चाहा गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद जाँच कमेटी के गठन का निर्णय लिया जा सकेगा।

#### अवितरित राशि को शासन के खजाने से जमा किया जाना

34. (क्र. 904) कुँवर विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छतरपुर में प्रश्न दिनाँक तक अवितरित राशि बैंक खातों में प्रश्न दिनाँक तक कितनी पड़ी है? (ख) क्या प्रश्नांश,क अन्तर्गत लम्बे समय से राशि बैंक खातों में जमा है, जो शासन खजाने में वापिस जमा नहीं की गई? (ग) प्रदेश के प्रश्नांश क अन्तर्गत जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा क्या उक्त राशि के संबंध में परीक्षण किया? यदि हाँ, तो कब? (घ) क्या प्रश्नांश क अन्तर्गत छतरपुर संभाग में अब तक उक्त राशि के संबंध में परीक्षण किया गया? कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, उनके नाम बताये?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) प्रदेश के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छतरपुर में बैंक खातों में प्रश्न दिनाँक तक कोई भी अवितरित राशि नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

#### पी.एस.सी. द्वारा चयनित वर्ष 1991 बैच के वि.ख. अधिकारी की पदोन्नति

35. (क्र. 946) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क्र) क्या यह सही है कि पी.एस.सी. द्वारा चयनित वर्ष 1991 बैच के विकासखण्ड अधिकारी जिन्हें विभाग द्वारा वर्ष 1993 में पदस्थापना की गयी, को मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदोन्नित संबंधी प्रक्रिया विभाग में विचाराधीन है? (ख) यदि हाँ, तो आज दिनाँक तक कितनी बार विभागीय पदोन्नित समिति की बैठक बुलाई गई या डी.पी.सी. की बैठक स्थगित की गई है? (ग) बैठक आयोजन की तिथियां एवं स्थगित होने का कारण क्या था? (घ) क्या उक्त पदोन्नित के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा भी कोई आदेश पारित किया गया है? आदेश क्या है? (इ.) उक्त पदोन्नित की कार्यवाही किस दिनाँक तक पूर्ण कर ली जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) कुल 8 बार, तथा बैठक स्थगित की गई। (ग) बैठक आयोजन की तिथियाँ 11.6.14, 26.7.14, 6.8.14, 18.9.14, 15.9.14, 29.10.14, 18.2.15, 16.4.15 किन्तु प्रशासनिक कारणों से स्थगित की गई। (घ) जी हाँ। मान.उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र.13637/2014 (एस) में पारित निर्णय दि. 27.10.14 के अनुसरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। आदेश संलग्न परिशिष्ट पर है। (इ.) उत्तर (घ) अनुसार समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

### परिशिष्ट - "सत्रह"

# राशि के व्यय से अनियमितता

36. (क्र. 949) श्री संजय पाठक: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक राज्यांश एवं केन्द्रांश से भूमि संरक्षण विभाग कटनी को कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में उपलब्ध कराई गई? वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से

अवगत करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या स्वीकृत राशि को आपस में बांटकर कार्य नियत स्थान में न कराया जाकर राशि स्वयं के उपयोग में व्यय कर दी गई? (ग) वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अब तक प्रश्नांश (क) की योजनाओं में स्वतंत्र जाँच कमेटी बनाकर जाँच कराई जाएगी तथा जाँच प्रतिवेदन के अनुसार दोषियों के उपर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए राशि वसूल की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, सभी योजनाओं के स्वीकृत कार्य नियत स्थान पर कराये गये है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में जाँच का प्रश्न ही नहीं उठता है।

परिशिष्ट - "अठारह"

### दोषी के विरूद्ध कार्यवाही

37. (क्र. 957) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना): क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के जनपद पंचायत मठगंज में पदस्थ उपयंत्री (मनरेगा) दीपक शर्मा को जनपद पंचायत के कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में उपयंत्री का प्रभार विगत पाँच वर्षों से प्राप्त है? उन पंचायतों का नाम एवं उपयंत्री का कार्यकाल बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में अपने समय में कितने निर्माण कार्य वर्षवार का ले-आउट कराये गये और कितने अधूरे निर्माण कार्य वर्षवार प्राप्त किए सभी पंचायतों की पृथक-पृथक सभी योजनाओं के निर्माण कार्य का नाम लागत, मूल्यांकन, आहरित राशि, वर्तमान स्थिति की पंचायतवार योजनावार पृथक-पृथक सूची देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में कौन-कौन से कार्यों की पूर्णता कब-कब दी गई कुल लागत सहित विवरण देवें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के प्रकाश में अधूरे अप्रारंभ पूर्ण कार्य की पूर्णता न जारी होने का स्पष्ट कारण बतावें इसके लिये कौन-कौन दोषी है नाम बतावें? इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी और कब की जावेगी तथा कार्यों का कब तक पूर्ण कराया जावेगा? समय सीमा बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जनपद पंचायत मठगंज में पदस्थ उपयंत्री (मनरेगा) दीपक शर्मा को विगत 5 वर्ष से आवंदित ग्राम पंचायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के प्रकाश में विगत 5 वर्षों में 384 पूर्णता प्रमाण पत्र लागत 531.92 लाख के जारी किये गये। कार्यवार पूर्णता एवं लागत के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) मनरेगा योजनांतर्गत अधूरे अप्रारंभ कार्यों का पूर्ण होना जॉबकाईधारी परिवारों द्वारा काम की मांग पर निर्भर होने से कार्यों के पूर्णता की निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है। अतएव किसी के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

# फसल बीमा/मुआवजा राशि का भुगतान

38. (क्र. 966) डॉ. रामिकशोर दोगने: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में रबी फसल 2015 के कुल कितने किसानों को कुल कितनी राशि का फसल बीमा का भुगतान किया जा चुका है व कितने किसान शेष है? (ख) क्या यह सही है कि हरदा जिले में कुछ किसानों को 02.04.06 रूपये की फसल बीमा राशि का भुगतान भी संबंधित किसान के बैंक खातों में जमा किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो इतनी कम बीमा राशि भुगतान किये जाने का क्या

मापदण्ड है? इस संबंध में किसानों को उचित बीमा राशि भुगतान किये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) हरदा जिले की खिरिकया तहसील के किसानों को बीमा राशि का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है क्या कारण है? उन्हें बीमा राशि कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? समय सीमा बताएं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) रबी 2015 प्रारम्भ नहीं हुआ है अपितु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत हरदा जिले की रबी 2014-15 मौसम की बीमा आवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) उत्तरांश के अनुसार। (ग) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत क्षितिपूर्ति दावों के संबंध में प्रक्रिया संलग्न परिशिष्ट दो अनुसार है। (घ) रबी 2014-15 मौसम हेतु वास्तविक उपज के आंकडे आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर द्वारा एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी को दिनाँक 31.07.2015 तक उपलब्ध होने के पश्चात ही क्षितिपूर्ति प्रक्रिया आरंभ होगी। खिरिकया तहसील में अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पाई जायेगी तो ही क्षितिपूर्ति देय होगी अन्यथा नहीं।

### परिशिष्ट - "उन्नीस"

### प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

39. (क्र. 978) डॉ. रामिकशोर दोगने : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम खेलागांव तह. नलखेड़ा जिला आगर मालवा के अंतर्गत क्या शासन द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हाँ, तो कब एवं कितनी राशि तथा उस राशि का संपूर्ण उपयोग हो चुका है? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें? (ख) क्या (क) अनुसार भवन निर्माण किस एजेंसी द्वारा किया गया एवं भवन का सत्यापन किस एजेंसी द्वारा किया गया? क्या निर्माण स्वीकृति प्राक्कलन अनुसार किया गया हैं? यदि हाँ, तो विवरण देवें? यदि नहीं, तो भवन निर्माण कब तक करा लिया जायेगा? समय सीमा बतावें? (ग) क्या यह सही है कि शासन द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्ण स्वीकृति राशि का आहरण कर पंचायत सचिव, सरपंच तथा विकासखण्ड के अधिकारियों, ठेकेदारों द्वारा केवल कागज पर भवन दर्शाया गया है मूल रूप से आज दिनाँक तक कोई निर्माण नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति में शासन दोषी लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा? समय सीमा बतायें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी हाँ। वर्ष 2007 में ग्राम खेलागांव जनपद पंचायत नलखेड़ा जिला आगर-मालवा में उपस्वास्थ केन्द्र भवन स्वीकृत होकर राशि रू. 4.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी, कार्य पर रू. 1.00 लाख व्यय किये गये। (ख) भवन निर्माण की एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाया गया है, भवन निर्माण का मूल्यांकन (मनरेगा) जनपद पंचायत नलखेड़ा द्वारा किया गया है। निर्माण कार्य प्राक्कलन अनुसार पूर्ण नहीं हुआ है। निर्माण लगभग 06 माह में पूर्ण करा लिया जाना लक्षित है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# प्रदेश में निराश्रित शुल्क की राशि का अपव्यय

40. (क्र. 1019) श्री हर्ष यादव: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निराश्रित अधिनियम (सामाजिक न्याय विभाग) के अन्तर्गत कृषि उपज मंडियों से प्राप्त निराश्रित शुल्क की राशि जो प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रूपये होती है, का रख-रखाव वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार पी.डी अकाउंट में नहीं किया जाकर बैंकों में राशि रखी जाती है? (ख) क्या प्राप्त शुल्क

को सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर राशि बैंकों में रखी जाकर उसका व्यय लेखा नियमों के विपरीत किया जाता है? (ग) क्या वित्त विभाग वर्ष 2008-09 से वर्ष 2014-15 तक निराश्रित शुल्क में जिलेवार एवं राज्यस्तर पर प्राप्त कुल आय एवं व्यय की गई राशि का लेखा परीक्षण एवं जाँच कराएगा, क्योंकि प्राप्त राशि के व्यय में सैकड़ों करोड़ की रूपये का भुगतान निःशक्तों को उपकरण बनाने वाली इंदौर स्थित दो प्रायवेट कंपनियों को जिला एवं राज्य स्तर से किया गया है तथा निराश्रित निधि से वाहन, क्रय मशीन क्रय, मेलों के आयोजन पर व्यय करना जैसा नियम विरूद्ध कार्य हुए है? (घ) राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में प्राप्त निराश्रित शुल्क की राशि के सही आय-व्यय रखने हेतु वित्त विभाग कोई निर्णय लेकर प्राप्त शुल्क पर नियंत्रण एवं अनियमित व्यय के लिए क्या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा एवं कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) म.प्र. निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 2013 के प्रावधान अनुसार निराश्रित निधि की प्राप्त राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में रखे जाने का प्रावधान है जिस पर वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त है। (ख) जी नहीं। (ग) संग्रहित निराश्रित निधि की संपरीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराये जाने का प्रावधान है। तदनुसार कार्यवाही की जाती है। नियमानुसार व्यय किया जाता है। (घ) उत्तरांश "क", "ख" एवं "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# मुरैना नगर की लालबहादुर शास्त्री गृह निर्माण समिति का चुनाव

41. (क्र. 1036) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना नगर की लाल बहादुर शास्त्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित मुरैना को पुर्न जीवित कर प्रशासक नियुक्त कर दिया है प्रशासक का नाम, पदभार की तिथि सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? (ख) क्या शासन की नीति के अनुसार एक निश्चित समय सीमा तक ही प्रशासक कार्यभार देख सकता है उसके बाद चुनाव कराना आवश्यक रहता है? क्या समय सीमा पूर्ण हो गई है यदि हाँ, तो कब चुनाव कराये जावेंगें समय सीमा बताई जावे?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी हाँ, श्री लोकेश वर्मा, विरष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनाँक 02.07.2014 को पदभार ग्रहण किया गया है। (ख) जी हाँ. जी हाँ. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल को संस्था के निर्वाचन कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

# जनपद पंचायत पुनासा अंतर्गत कुटीरों का आवंटन

42. (क्र. 1218) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खण्डवा जिले के जनपद पंचायत पुनासा की समस्त ग्राम पंचायतों में, जनपद पंचायत किल्लौद की समस्त ग्राम पंचायतों में व जनपद पंचायत हरसूद की ग्राम पंचायत छाल्पीखुर्द, सोमगांव, कौडियाखेड़ा, सिंगाजी, शिवरिया, दिनकरपुरा, मोहन्या, तथा जनपद पंचायत छैगांवमाखन की ग्राम पंचायत धनगांव, देलगांव बैडियां में वर्ष 2007 से 2014 तक कितने हितग्राहियों को कुटीर दी है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में प्रश्नांश (क) अवधि में ऐसे कितने हितग्राही है जिनका पात्रता क्रम पहले आता है लेकिन उन्हें किसी भी योजना में कुटीर नहीं मिली है? इसमें कौन दोषी है? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) खण्डवा जिले की जनपद पंचायत पुनासा की समस्त ग्राम पंचायतों में जनपद पंचायत किल्लौद की समस्त ग्राम पंचायतों में व जनपद पंचायत हरसूद की ग्राम पंचायत छाल्पीखुर्द, सोमगांव, कोडियोखेड़ा, शिविरिया, दिनकरपुरा, मोहल्या तथा जनपद पंचायत छैगांववमाखन, की ग्राम धनगांव, देलगांव बेडिया में वर्ष 2007 से 2014 तक हितग्राहियों को प्रदाय की गई कुटीर की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) इंदिरा आवास योजना की गाईड लाईन अनुसार ग्राम पंचायतों में आवासहीन एवं कच्चे आवास धारियों की तैयार प्रतीक्षा सूची के मान से क्रमानुसार इंदिरा आवास कुटीर प्रदाय की जाती हैं। पात्रता क्रम तोडकर किसी भी हितग्राही को लाभान्वित नहीं किया गया है। और न ही इसकी कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं, इस कारण किसी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

### परिशिष्ट - "बीस"

# सिवनी जिले के अंतर्गत मार्ग की स्वीकृति

43. (क्र. 1231) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत विगत तीन वर्षों में कितने मार्गों की स्वीकृत प्रदान की गई है? मार्ग एवं लागत राशि का विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कितने मार्गों का निर्माण कार्य अभी तक किया गया है एवं कितने मार्गों का निर्माण प्रगति पर है? मार्ग की लागत राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कितने मार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ क्यों नहीं किया गया है कारण स्पष्ट करें एवं कब तक चालू किया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) सिवनी जिले के अंतर्गत म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 171 एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में मुख़्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 20 सड़कों के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार हैं। (ख) उत्तरांश 'क' में उल्लेखित सड़क निर्माण कार्यों में से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 22 कार्य पूर्ण एवं 133 कार्य प्रगतिरत है। जबिक मुख़्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 6 कार्य पूर्ण एवं 13 कार्य प्रगतिरत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तराशं 'क' में उल्लेखित सड़क निर्माण कार्यों में से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 16 कार्य तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 1 कार्य अप्रारम्भ है। अप्रारंभ रहने का कारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार हैं। अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ कराये जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है

# सिवनी जिले में मध्यान्ह भोजन की प्राप्त शिकायतें

44. (क्र. 1234) श्री रजनीश हरवंश सिंह: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में मध्यान्ह भोजन रोज व लंबे समय तक नहीं बांटने की कितनी शिकायतें पिछले एक वर्ष में शासन को मिली एवं उस पर क्या कार्यवाही हुई है? (ख) केवलारी विधानसभा क्षेत्र में एवं सिवनी जिले में पिछले 3 वर्ष में किस-किस स्व सहायता समूह को मध्यान्ह भोजन की जिम्मेदारी दी गई है प्रत्येक को दिये गये स्कूलों की संख्या नाम व संस्था चलाने वालो के नाम बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) सिवनी जिले में मध्यान्ह भोजन रोज व लंबे समय तक नहीं बांटने की पिछले 01 वर्ष में शासन को 05 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिसमें संबंधित प्रधानपाठक, जनशिक्षक एवं स्व सहायता समूहों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया व इस प्रकार की पुनर्रावृत्ति न करने के संबंध में हिदायत दी गई। साथ ही 01 स्व सहायता समूह का अनुबंध समाप्त किये जाने की कार्यवाही की गई। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) केवलारी विधानसभा क्षेत्र एवं सिवनी जिले में पिछले 3 वर्ष में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन कर रहे स्व-सहायता समूहों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' एवं 'स' अनुसार है।

# मानव कल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था का ऑडिट

45. (क्र. 1259) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मानव कल्याण गृह निर्माण सहकारी साख संस्था, इंदौर के पिछले तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट एवं संस्था के सदस्यों की सूची संस्था का कार्यालयीन पता बतावें? (ख) उक्त संस्था द्वारा सदस्यों को प्लाट उपलब्ध कराने हेतु कितनी जमीन कब और किससे व कितने में क्रय की गई? जमीन का रकबा और कीमत भी बतावें? (ग) संस्था द्वारा क्रय की गई जमीन पर कितने प्लाट विकसित कर सदस्यों को दिये गये, यदि नहीं, तो क्यों? उक्त जमीन की वर्तमान में क्या स्थिति है? (घ) क्या संस्था द्वारा क्रय की गई जमीन बेच दी गई है यदि हाँ, तो किसकी अनुमित से बेची गई? अनुमित की प्रति उपलब्ध करावें? किसे बेची गई उसका संपूर्ण विवरण, प्राप्त राशि, किसने प्राप्त कि एवं उसका क्या उपयोग किया गया बतावें? यदि संस्था द्वारा जमीन बिना अनुमित के बेची गई तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) इंदौर जिले में मानव कल्याण गृह निर्माण सहकारी साख संस्था इंदौर के नाम से कोई संस्था पंजीकृत नहीं है अपितु मानव कल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर के नाम से गृह निर्माण सहकारी संस्था पंजीकृत है. विगत तीन वर्षों का ऑडिट नहीं हुआ है. ऑडिट कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये. संस्था सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है. संस्था का कार्यालयीन पता 30, सुतार गली, इंदौर है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है. (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है. (घ) संस्था द्वारा क्रय की गई भूमि में से खसरा क्रमांक-699/1 ग्राम बड़ा बांगडदा रकबा 1.70 एकड़ भूमि दिनाँक 23.02.2007 को विक्रय की गई है. संस्था द्वारा भूमि विक्रय हेतु विभाग से अनुमित प्राप्त नहीं की गई है. अतः प्रति उपलब्ध कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. उक्त भूमि डॉ. प्रियंका पिता श्री सुरेन्द्र प्रसाद दुबे को रूपये 5.50 लाख में विक्रय की गई है. विक्रय से प्राप्त राशि तत्कालीन संस्था अध्यक्ष द्वारा प्राप्त की जाकर संस्था के उत्तरापथ सहकारी संस्था के सेविंग खाते में जमा की गई है. जाँच कर कार्यवाही के निर्देश दिये जा सकेंगे.

# वृद्ध पेंशन, राशन कार्ड, शौचालय का निर्माण

46. (क्र. 1278) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड जवा, सिरमौर एवं गंगेव में क्या समुचित रूप से वृद्धापेंशन का भुगतान, राशन कार्ड वितरण एवं शौचालय का निर्माण हो चुका है? यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत शेष है? कब तक पूर्ण हो जायेगे? समय सीमा बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में क्या

विकासखण्ड जवा की ग्राम पंचायत भिनगवां, नीवा, पनवार, गेदुरहा विकासखण्ड सिरमौर की ग्राम पंचायत राजगढ़ दुलहरा, पड़री एवं गंगेव विकासखण्ड की ग्राम पंचायत क्योंटी, चौरी इन ग्राम पंचायतों में वृद्धापेंशन, राशन काई एवं शौचालय से सभी हितग्राही लाभान्वित हो रहे है यदि नहीं, तो समुचित रूप से शत् प्रतिशत हितग्राहियों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक समय सीमा बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में यदि नहीं, तो उपरोक्त विकासखण्डों में शासन द्वारा संचालित योजनाओं का समुचित रूप से क्रियान्वयन किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक समय सीमा बतायें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) की जानकारी संकलित की जा रही है।

### अवैध परिवहन रोकने की कार्यवाही

47. (क्र. 1279) श्री दिव्यराज सिंह: क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा से इलाहाबाद हाईवे नेशनल मार्ग से गुजरने वाले ओवर लोड ट्रक किस मार्ग से गुजरते हैं? क्या अन्य मार्ग से ओवर लोड ट्रक आने-जाने के कारण सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है? (ख) प्रश्न (क) के ही संदर्भ में - क्या सतना रीवा बाया सिरमौर से बड़गड़, शंकरगढ़ इलाहाबाद, चाकघाट के लिये ओवरलोड अवैध परिवहन रोकन के लिये क्या बैरियल (नाका) स्थापित कराये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? समय सीमा बतायें। (ग) प्रश्न (क) के ही संदर्भ में - प्रश्नांश (ख) में अंकित मार्ग ओवर लोड अवैध परिवहन होने के कारण हो रहे क्षतिग्रस्त मार्ग के लिये कौन जिम्मेवार होगा?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) रीवा से इलाहाबाद हाइवे नेशनल मार्ग से गुजरने वाले ट्रक, नेशनल हाइवे-27 के अतिरिक्त रीवा, सिरमौर, जवा, चाकघाट मार्ग से भी गुजरते है। अन्य कारणों के अतिरिक्त ओवरलोडिंग से भी मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है। (ख) प्रश्न में उल्लेखित मार्ग पर बैरियर (नाका) स्थापित किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) ओवरलोड परिवहन होने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त होने के लिए ओवरलोड वाहन संचालक/ प्रचालन करने वाला जिम्मेदार होता है। जिसके विरुद्ध 'प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट-1984' के अंतर्गत कार्यवाही करने का प्रावधान है।

## <u>पंचायत भवन का निर्माण</u>

48. (क्र. 1308) श्रीमती नंदनी मरावी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहोरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकास खण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में किन-किन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है? सूची उपलब्ध करायें? यह भी बतायें कि जिन पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है, उनके कार्यालय कहाँ पर संचालित हो रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) सूची अनुसार भवन विहीन पंचायतों में कब तक पंचायत भवनों का निर्माण कराया जावेगा? समय सीमा बतायें? प्रश्नकर्ता के पत्र क्र.304 दिनाँक 03.06.2015 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर को भेजे गये प्रस्ताव अनुसार क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) सिहोरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखंड सिहोरा में 05 पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है तथा विकासखण्ड कुण्डम में 03 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) भवनविहीन पंचायतों में आवंटन प्राप्त

होने पर पंचायत भवनों का नियमानुसार निर्माण कराया जावेगा। जी हाँ। पत्र में उल्लेखित ग्राम पंचायत कुर्रो, जनपद पंचायत में आवंटन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता से भवन स्वीकृत किया जावेगा।

### परिवहन आरक्षकों की भर्ती

49. (क्र. 1401) श्री निशंक कुमार जैन: क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गत पाँच वर्षों में परिवहन विभाग में किस-किस परिवहन आरक्षक को नियुक्ति दी गई? (ख) कितने परिवहन आरक्षकों की भर्ती के लिए किस दिनाँक को किसके द्वारा विज्ञापन जारी किया, किसके द्वारा किस दिनाँक को परीक्षा आयोजित की गई, किस-किस को सफल परीक्षार्थी बताया जाकर सूची किस दिनाँक को परिवहन विभाग को प्रदान की गई? (ग) परिवहन आरक्षक भर्ती संबंधी कौन-कौन सी जानकारी एस.आई.टी. या पुलिस विभाग के द्वारा चाही गई हैं? उसमें से कौन सी जानकारी किन कारणों से प्रश्नांकित दिनाँक तक भी उपलब्ध नहीं करवाई गई?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) गत पाँच वर्षों में परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति एवं सीधी भर्ती से नियुक्त कार्यरत आरक्षकों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है (ख) सीधी भर्ती से पद भरे जाने हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा दिनाँक 18 मई 2012 को 198 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया। इसके पश्चात पूर्व से कार्यरत 10 आरक्षकों के पदों को छोड़कर शेष रिक्त सभी 332 पदों हेतु व्यापमं को लेख किया गया, जिसके क्रम में व्यापमं द्वारा उनकी वेबसाईट पर दिनाँक 14.06.2012 को संशोधन जारी किया गया। व्यापमं द्वारा परिवहन आरक्षक के पद हेतु दिनाँक 12.08.2012 को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम व्यापमं द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय को अपने पत्र क्रमांक 6787/2012 दिनाँक 10.09.2012 द्वारा प्रदान किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग) परिवहन आरक्षक की भर्ती के संबंध में एसआईटी एवं एसटीएफ भोपाल द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारी एवं अभिलेख की प्रतियाँ चाही गई है, जिन्हें परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा एसआईटी एवं एसटीएफ को भेजा जा चुका है, तथा चाही गई अतिरिक्त जानकारी एकत्रित कर प्रेषित की जा रही है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है।

## रायसेन एवं देवास जिले में सड़क से वंचित ग्राम

50. (क. 1472) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन एवं देवास जिले में 500 से अधिक जनसंख्या तथा 500 से कम जनसंख्या वाले कौन-कौन से ग्राम है जो सड़क से नहीं जुड़े हैं तथा क्यों कारण बतायें? (ख) उक्त ग्रामों में सड़क निर्माण हेतु विगत दो वर्ष में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन विधायक सांसदों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त पत्रों पर आज दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा संबंधित सांसद/विधायकों को अवगत क्यों नहीं कराया गया? इसके लिये कौन जवाबदार है? (घ) प्रश्नांश (क) के समस्त ग्रामों को कब तक सड़क से जोड़ दिया जायेगा? समयावधि बतायें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। माननीय सांसद/विधायकों से प्राप्त पत्रो पर समुचित कार्यवाही

की जाती है। तथा की गई कार्यवाही के संबंध में माननीय सांसद/विधायक को यथास्थिति सूचित किया जाता है, जिन प्रकरणों में अंतिम कार्यवाही विचाराधीन होती है उनके संबंध में कार्यवाही पूर्ण होने पर माननीय सांसद/विधायक को सूचित किया जाता है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 में की गई कार्यवाही तथा दी गई सूचना का विवरण अंकित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

## राशन दुकानों का आवंटन

51. (क. 1478) श्रीमती ममता मीना : क्या खांच मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन व्दारा खांच विभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों के लिये नयी नीति बनायी है? यदि हाँ, तो क्या नवीन राशन दुकान खोलने एवं उनमें वितरण करने वाले कर्मचारियों की भर्ती की कोई नीति निर्धारित है या नहीं? (ख) क्या नवीन राशन दुकानों का आवंटन सहकारिता विभाग को होना है या पंचायतों के माध्यम से स्पष्ट करें? शहरों एवं ग्रामीण अंचल में वितरण की क्या अलग नीति है? (ग) क्या राष्ट्रीय खांच सुरक्षा मिशन के अंतर्गत निर्धारित नीति के अनुसार राशन दुकानें खोली जावेगीं या म.प्र. शासन नीति के अनुसार दोनों के क्या नियम हैं विवरण दें? (घ) क्या नवीन राशन दुकानें खोलने एवं जो दुकान संचालित है उनकी अनियमितताओं की जाँच करने या कराने का अधिकार विधायकों को है या विधायकों की अनुशंसा से जाँच एवं नवीन दुकान खोलने तथा उनके सेल्समैन भर्ती करने में विधायकों की अनुशंसा होगी यदि हाँ, तो नीति स्पष्ट करें यदि नहीं, तो क्या नियम हैं पटल पर रखें?

खाद मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) नवीन राशन दुकानों के आवंटन हेतु पात्र संस्थाओं का विवरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की अनुस्ची दो में दिया गया है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। पंचायतों को दुकान आवंटन की पात्रता नहीं है। शहरों एवं ग्रामीण अंचलों में वर्तमान में वितरण की अलग नीति नहीं है। (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की प्रतियां क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'व' एवं परिशिष्ट-'स' अनुसार है। (घ) जी नहीं। विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका 15 (1) के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के अनियमितताओं की जाँच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी या राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी या सहकारिता विभाग के उप-अंकेक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर इस आदेश के तहत कार्यवाही हेतु सक्षम है।

# कृषि उपज मण्डी समिति की शिकायतों की जाँच

52. (क्र. 1602) श्री मोती कश्यप: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संयुक्त संचालक व उप संचालक कृषि उपजमण्डी जबलपुर द्वारा गठित जाँच समिति एवं उड़नदस्ता के द्वारा दिनाँक 01.01.2014 से 30.06.2015 की अविध में कृषि उपजमण्डी समिति कटनी के सम्बद्ध किन-किन फर्मों की किन तिथियों में आकस्मिक जाँच की गई है और छापे मारे गये हैं?

(ख) क्या प्रश्नांश (क) जाँच एवं छापों में किन फार्मों में किन प्रकार की अनियमिततायें पायी गयी हैं? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) जाँच एवं छापों में किन फार्मों में पायी गई अनियमिततायों पर किनके विरूद्ध क्या कार्यवाहीयां की गई हैं? (घ) क्या प्रश्नांश (क) से (ग) जांचों एवं छापों के निष्कर्षों में कृषि उपजमण्डी समिति के अधिकारी, निरीक्षक व उपनिरीक्षक किस रूप में दोषी पाये गये हैं और उनके विरूद्ध किनके द्वारा कब और कैसी कार्यवाहियां की गई हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कालम 2 एवं 4 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कालम 5 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कालम 6 अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में कृषि उपज मंडी समिति कटनी के मंडी निरीक्षक को व्यापारी के भौतिक सत्यापन में पाई गई कृषि उपज की मात्रा से अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में कम मात्रा दर्शाकर मंडी को आर्थिक क्षति पहुँचाने के लिये प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के कारण म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल द्वारा आदेश दिनाँक 02.05.2015 से निलंबित किया गया, जिनके विरूद्ध आरोप पत्रादि जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

## परिशिष्ट - "इक्कीस"

#### सहकारी बैंक से किसानों को दिए गए ऋण

53. (क्र. 1632) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्या., सीधी के व्दारा किन-किन शाखाओं से कितने किसानों को टैक्ट्रर के लिये ऋण स्वीकृत किये गये है? स्वीकृत ऋण राशि की जानकारी वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 की वर्षवार सूची देवें? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में जिन किसानों को ऋण के माध्यम से टैक्ट्रर दिये गये थे, उनमें से कितने किसानों से ऋण वसूली हेतु टैक्ट्रर एवं जमीनों की नीलामी की गई है? वर्षवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांक (ख) के संदर्भ में टैक्ट्रर को कितनी राशि पर नीलामी की गई है? नीलामी की कार्यवाही वैधानिक तरीके से की गई है, यदि हाँ, तो पूरी नीलामी प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराये? (घ) प्रश्नांक (ख) के संदर्भ में किसानों के निजी पट्टे की जमीनों की नीलामी किस दर पर की गई है? किसानवार राशि एवं जमीन की रकवा सहित सूची उपलब्ध कराये? शासन के व्दारा भू-अर्जन अधिनियम के तहत उक्त वर्षों में नीलामी कृत जमीनों की दर कितनी निर्धारित थी? राशि की जानकारी देवें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) प्रश्नांश "क" में जिन किसानों को टैक्ट्रर हेतु ऋण वितरण किया गया था उनमें से किसी भी किसान की ऋण वसूली हेतु टैक्ट्रर एवं जमीन की नीलामी नहीं की गई है. (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक. (घ) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक.

## परिशिष्ट - "बाईस"

## निर्मल भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छता जागरूकता सप्ताह के तहत कराए गए प्रिंटिंग कार्य

54. (क्र. 1638) श्री कमल मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निर्मल भारत अभियान 20 से 25 फरवरी 2014 स्वच्छता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के लिए उक्त समय अविध निर्धारित थी? यदि हाँ, तो सिवनी जिले में किन-किन स्थानों में स्वच्छता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया? (ख) क्या स्वच्छता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के

लिए प्रचार-प्रसार सामग्री छपवायी गई थी? यदि प्रचार प्रसार सामग्री प्रिंट कराई गई है, तो क्या स्वच्छता जागरूकता सप्ताह के चलते निर्धारित अविध में उक्त प्रचार प्रसार सामग्री का वितरण सिवनी जिले में किया गया है? (ग) क्या स्वच्छता जागरूकता सप्ताह के लिए प्रचार प्रसार सामग्री को प्रिंट कराने के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हाँ, तो किस फर्म को कब कार्योंदेश जिला पंचायत सिवनी द्वारा जारी किया गया? नियत फर्म ने प्रिंट की गई सामग्री कब उपलब्ध करायी? (घ) स्वच्छता जागरूकता सप्ताह के नाम से प्रचार प्रसार हेतु करायी गई प्रिंटिंग का भुगतान जिला पंचायत सिवनी के द्वारा किस फर्म को कब और कितनी राशि का किया गया?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। ग्राम पंचायत स्तर की गतिविधियाँ दिनाँक 22-02-2014 से लगातार कराई गई। प्रिंटिंग सामग्री दिनाँक 30-08-2014 को प्राप्त हुई। जिसे जनपद पंचायत को वितरित की गई। (ग) जी नहीं। प्रिंटिंग कार्य जिला पंचायत सिवनी के आदेश क्र. 1183 दिनाँक 12-06-2014 द्वारा पंचायत प्रेस उज्जैन से कराया गया। प्रिंटेड सामग्री दिनाँक 30-08-2014 को उपलब्ध कराई गई। (घ) प्रिंटिंग का भुगतान पंचायत प्रेस उज्जैन दिनाँक 13-12-2014 को राशि रूपये 16.47 लाख किया गया है।

## सिवनी जिले के कुरई विकासखण्ड अंतर्गत अन्तोदय मेले का आयोजन

55. (क्र. 1639) श्री कमल मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले के आदिवासी विकासखण्ड कुरई में वर्ष 2014-15 में अन्त्योदय मेलों का आयोजन किया गया था? यदि हाँ, तो कब और कहाँ? (ख) क्या कुरई विकासखण्ड में आयोजित अन्त्योदय मेले के आयोजन हेतु आवंटन शासन स्तर पर दिया गया था? यदि हाँ, तो वह कितना प्रदान किया गया तथा प्रदत्त आवंटन में से कितना व्यय किया गया? (ग) कुरई विकासखण्ड में आयोजित अन्त्योदय मेले के लिए आवंटित राशि किस-किस व्यवस्था में व्यय की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। विकासखण्ड कुरई में वर्ष 2014-15 में दिनाँक 9.10.14 को ग्राम दुरिया में अन्त्योदय मेले का आयोजन किया गया। (ख) जी हाँ। विकासखण्ड कुरई में अन्त्योदय मेले का आयोजन हेतु राशि रु. 3.00 लाख प्रदाय किये गये थे। प्रदत्त राशि में से रु. 2,99,285/- व्यय किया गया। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

## परिशिष्ट - "तेईस"

# कृषि उपज मण्डी समिति की बैठकों में विधायकों को बुलाने का प्रावधान

56. (क्र. 1645) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समिति की बैठकों में पदेन सदस्य के रूप में विधायकों को बुलाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या प्रावधान है? (ख) ग्वालियर जिले की कृषि उपज मण्डी समिति लश्कर में वर्ष 2014-15 में कौन-कौन सी तिथियों में बैठक आहूत की गई तथा बैठक में उपस्थित होने हेतु कब-कब सूचना दी गई? (ग) यदि बैठक में भाग लेने हेतु सूचना नहीं दी गई तो इसके लिये कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी समय सीमा बतायें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) जी हाँ। म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (घ) में प्रावधान है कि "राज्य विधान सभा के ऐसे सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र की कम से कम पचास प्रतिशत जनसंख्या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के बाहर है, परंत् ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जहां एक से अधिक मंडी समितियाँ विद्यमान है, वहां लोकसभा के सदस्य को अपना विकल्प देना होगा कि वह ऐसी मंडी समितियों में से किस मंडी समिति में सदस्य होना चाहते है। परंतु लोक सभा का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य जो मंडी समिति का सदस्य है अपने प्रतिनिधि को जो ऐसी अर्हता रखता हो, जैसी कि विहित की जाय, मंडी समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित कर सकेगा"। (ख) वर्ष 2014-15 में कृषि उपज मंडी समिति लश्कर में क्रमशः दिनाँक 27.05.2014, 27.06.2014, 28.07.2014, 30.08.2014, 27.10.2014, 17.03.2015 को बैठक आहुत की गई है। श्री भारतसिंह जी क्शवाह, मान. विधायक को नाम-निर्देशन की कार्यवाही हेत् कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक/क्यू./निर्वा. /25-5/20/2014 दिनाँक 12.09.2014 से निर्धारित प्रारूप में चाही गयी जानकारी के अभाव में अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण मंडी समिति की बैठकों में आहृत करने हेत् सूचना पत्र जारी नहीं किये जा सके। (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं होने से कार्यवाही करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

## म.प्र. राज्य परिवहन की रिक्त भूमि व सामग्री का निष्पादन

57. (क्र. 1649) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य): क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम (एम.पी.आर.टी.सी.) अंतर्गत जिलों में वर्कशॉप की भूमि रिक्त पड़ी हुई है? यदि हाँ, तो किन-किन जिलों में भूमि रिक्त है? जिले व स्थान के नाम सहित सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार रिक्त भूमि पर मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम की विभिन्न सामग्री पड़े-पड़े खराब व चोरी हो रही है? यदि हाँ, तो क्या प्रदेश शासन इन सामग्री को सुरक्षित रखने अथवा निलामी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रहा है? (ग) क्या मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम की रिक्त भूमि का उपयोग जिले की अन्य आवश्यकता (जैसे- स्कूल निर्माण, कॉलेज निर्माण, हॉस्पिटल निर्माण, कम्प्यूनिटी हॉल, ऑडिटोरियम निर्माण आदि) की पूर्ति हेतु किया जा सकता है?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जैसा कि संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है वर्कशॉप की भूमि पर पूर्व से अनुपयोगी सामग्री रखी हुई है। कर्मशालाओं में सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को प्रभार दिया गया है तािक सामग्री की देखरेख हो सके। जहाँ तक चोरी का प्रश्न है वर्ष 2011 में केन्द्रीय कर्मशाला ग्वालियर में चोरी का प्रकरण संज्ञान में आया था। जिसकी विधिवत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई जा चुकी है। प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में काफी सामग्री विधि अनुसार नीलाम की जा चुकी है। यह प्रक्रिया सतत जारी है। (ग) निगम की रिक्त भूमि मध्यप्रदेश शासन द्वारा बकाया मोटरयान कर के विरुद्ध कुर्क की जा चुकी है। निगम की कुर्क की गई भूमियों के व्ययन हेतु शासन के आदेश क्रमांक एफ 19-42/2011/1/4, दिनाँक 18-05-2011 द्वारा प्रमुख सचिव, विधि की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है जो इन भूमियों के व्ययन के बारे में निर्णय लेती है।

#### सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मापदण्ड

58. (क्र. 1676) श्री गोविन्द सिंह पटेल: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या मापदण्ड है एवं कौन-कौन व्यक्ति पात्र है? (ख) पात्र व्यक्तियों को जो इस योजना से वंचित है इनको इस योजना से कैसे जोड़ा जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सके?

खाय मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राष्ट्रीय खाय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र परिवार तहत अन्त्योदय अन्न योजना एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता परिवार की श्रेणियों को सम्मिलित करने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश में प्राथमिकता परिवार अंतर्गत बीपीएल परिवार के अतिरिक्त 23 अन्य श्रेणी के परिवारों को जरूरतमंद मानते हुए सम्मिलित किया गया है। इन परिवारों के सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची (अस्थाई राशनकार्ड) के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामग्री का वितरण किया जाता है। पात्र परिवारों की श्रेणियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश की 5,21,74,011 जनसंख्या एवं 1,16,11,214 परिवारों को पात्र परिवार के रूप में सत्यापित कर लिक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया जा रहा है। पात्र परिवार की श्रेणी में सम्मिलित परिवार यदि सत्यापन से शेष रह गया है तो वह परिवार स्थानीय निकाय में आवेदन देकर पात्र परिवार के रूप में सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची के आधार पर लिक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त कर सकता है। पात्र परिवारों के सत्यापन उपरांत उन्हें पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है।

### परिशिष्ट - "पच्चीस"

# बुरहानपुर जिले की मंडियों से प्राप्त राजस्व एवं विकास कार्य

59. (क्र. 1714) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राज् श्रैया) दाद्: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुरहानपुर जिले की कृषि मंडियों से म.प्र. शासन को वर्ष 2010-11 से आज दिनाँक तक विभिन्न करों आदि से कितना राजस्व प्राप्त हुआ? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में कृषक हित में शासन द्वारा मंडी निधि से बुरहानपुर जिले में कौन-कौन से विकास कार्य स्वीकृत किये गये? वर्षवार, कार्यवार लागत राशि सहित कार्यों की भौतिक स्थिति की जानकारी देवें? (ग) किसान सड़क निधि अंतर्गत बुरहानुपर जिले के कितने निर्माण कार्य स्वीकृति की प्रत्याशा में शासन स्तर पर लंबित है? इनमें से कितने स्वीकृत योग्य है? इन्हें कब तक स्वीकृत किया जावेगा? अवधि बताएं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) म.प्र. शासन को नहीं, अपितु कृषि उपज मंडी समिति बुरहानपुर से वर्ष 2010-11 से दिनाँक 17.07.2015 तक राशि रू. 05,97,74,091.00 बोर्ड शुल्क के रूप में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को प्राप्त हुई है। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) वर्ष 2010-11 से वर्तमान तक बुरहानपुर जिले की कृषि उपज मंडी समिति बुरहानपुर में मंडी निधि से स्वीकृत विकास कार्यों की वर्षवार, कार्यवार, लागत राशि सहित कार्यों की भौतिक स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) किसान सड़क निधि के तहत बुरहानपुर जिले के अंतर्गत निर्माण कार्यों के मंडी बोर्ड को प्राप्त लंबित प्रस्तावों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। प्रस्तावों को स्वीकृत

अथवा अस्वीकृत करने का निर्णय निधि अंतर्गत शासन द्वारा गठित साधिकार समिति को है। गठित समिति की बैठक की तिथि अभी नियत नहीं होने से समयावधि बताना संभव नहीं है।

## आत्मा परियोजना (कनवेनर) में राशि का दुरूपयोग

60. (क्र. 1728) श्री अंचल सोनकर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में आत्मा परियोजना (कनवेनर) के अंतर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांकित योजनांतर्गत कहाँ-कहाँ पर कब से कब तक कितने दिवसीय कौन-कौन से प्रशिक्षण, प्रदर्शन, आयोजन किये गये? इन प्रशिक्षण, प्रदर्शन में कितने कृषकों व किन-किन अधिकारियों ने भाग लिया तथा इस पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (ग) प्रश्नांश (क) में आयोजित किये गये प्रशिक्षण, प्रदर्शन में भाग लेने वाले किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? इनके आवास भोजन एवं वाहन व्यवस्था आदि में कितनी राशि व्यय हुई? (घ) प्रश्नांकित आयोजन हेतु कितने वाहन किराये पर किस दर से लिये गये एवं इन्हें किराये की कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया? इसका परीक्षण/अंकेक्षण किस अधिकारी/ समिति/सी.ए. द्वारा किया गया? क्या शासन प्रशिक्षण प्रदर्शन के आयोजन में की गई वित्तीय अनियमितता एवं राशि के दुरूपयोग की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब बतावें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जबलपुर जिले में आत्मा अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक आवंदित एवं व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) आत्मा योजनान्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2(अ),2(ब) अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के आयोजन में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता एवं राशि का दुरूपयोग नहीं किया गया।शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

# शिकायती कर्मचारियों की पदस्थापना

61. (क्र. 1739) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बिजावर में विभाग के ऐसे कितने कर्मचारी एवं अधिकारी हैं जिन पर शासकीय दायित्वों के निर्वहन के दौरान किसी भी प्रकार के आरोप अथवा शिकायत की गई कृपया उनके नाम बताएं एवं कहाँ पर पदस्थ रहते हुए यह शिकायत अथवा आरोप आरोपित किए गए? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार इन अधिकारियों / कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार ऐसे कितने अधिकारी / कर्मचारी है, जिनकी पदस्थापना उसी समिति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत की गई है? जहां पर कार्य करते हुए शिकायतें प्राप्त हुई उनके नाम बताएं?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ): (क) छतरपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र बिजावर में शासकीय दायित्वों के निर्वहन के दौरान खाद्य विभाग के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध विगत एक वर्ष में किसी भी प्रकार के आरोप अथवा शिकायतें प्रकाश में नहीं आई हैं। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

### मनरेगा से किए गए कार्य

62. (क्र. 1740) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में मनरेगा एवं अन्य मद (अभिसरण मद) से कितने पंचायत भवन कहाँ-कहाँ स्वीकृत किए गए? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार इन स्वीकृत कार्यों में मनरेगा के नियमानुसार मजदूरी एवं सामग्री के अनुपात का पालन कार्य स्थल, पंचायत स्तर, जनपद स्तर अथवा जिला स्तर में कहाँ किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार इस अनुपात की पूर्ति हेतु जिले में मजदूरी मूलक अन्य कार्य कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी राशि के कराए गए?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) छतरपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में मनरेगा अन्य मद (अभिसरण मद) से 142 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत भवन स्वीकृत किये गये हैं। स्थलवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मनरेगा के नियमानुसार मजदूरी एवं सामग्री के अनुपात का पालन कार्यवार किये जाने की बाद्धता नहीं है। पूरे वित्तीय वर्ष में सभी कार्यों में किया जाता है। कार्य की क्रियान्वयन ग्राम पंचायत होने पर पंचायत स्तर पर एवं लाइन डिर्पाट होने पर जिला स्तर पर किये जाने के निर्देश हैं। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार छतरपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 में मनरेगा योजना में राशि का अविरल प्रवाह नहीं होने से तत्समय पर्याप्त कार्य स्वीकृत नहीं हो सके थे। वर्तमान में राशि की उपलब्धता होने से मजदूरी मूलक कार्य स्वीकृत व प्रारंभ करने की प्रक्रिया दुतगित से प्रचलित है।

### परिशिष्ट - "छब्बीस"

## धार जिले में निवासरत आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को खाद्यान्न पर्ची का वितरण

63. (क्र. 1747) श्री वेलिसेंह भूरिया: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के कितने परिवार निवास करते हैं? (ख) जिले के कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (आयकर विवरणी प्रस्तुत करने वालों को छोड़कर) परिवारों को खाद्यान्न पर्ची उपलब्ध कराई गई है एवं कितने परिवार शेष हैं? तहसीलवार जानकारी दें? (ग) धार जिले के सरदारपुर तहसील में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शेष परिवारों को खाद्यान्न पर्ची कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) धार जिले में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1,45,436 अनुस्चित जाति एवं 12,22,814 अन्स्चित जनजाति की जनसंख्या निवासरत है। (ख) धार जिले में 3,61,248 कुल पात्र परिवार में से अनुस्चित जाति एवं अनुस्चित जनजाति 3,00,838 (आयकरदाता, प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर) परिवारों को खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई गई है। तहसीलवार अनुस्चित जाति एवं अनुस्चित जनजाति के परिवारों को उपलब्ध कराई गई पात्रता पर्ची की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) धार जिले के सरदारपुर तहसील में अनुस्चित जाति एवं अनुस्चित जनजाति के कुल 47,517 परिवारों को पात्रता पर्ची उपलब्ध करा दी गई है। अनुस्चित जाति एवं अनुस्चित जनजाति (आयकरदाता, प्रथम, व्दितीय अथवा तृतीय श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर) के परिवार यदि सत्यापन से शेष रह गया है तो वह परिवार स्थानीय निकाय में आवेदन देकर पात्र परिवार के रूप में सत्यापन उपरांत

पात्रता पर्ची के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त कर सकता है। पात्र परिवारों के सत्यापन उपरांत उन्हें पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है।

## परिशिष्ट - "सताईस"

#### नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बलराम तालाब योजना का लाभ

64. (क्र. 1765) श्री गिरीश भंडारी: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किनरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कुल कितने ग्राम के कितने हितग्राहियों को बलराम तालाब योजना का लाभ दिया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) नरसिंहगढ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कुल 20 ग्राम के 22 हितग्राहियों को बलराम तालाब योजना का लाभ दिया गया।

## नरसिहंगढ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का क्रियान्वयन

65. (क्र. 1766) श्री गिरीश भंडारी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिहंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी, किस-किस गांव में, कहाँ से कहाँ तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़कें स्वीकृत हैं? स्वीकृत सड़कों में से कितनी पूर्ण हैं? कितनी अपूर्ण हैं? स्वीकृत सड़कों को पूर्ण करने की समय सीमा क्या थी? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार जो सड़कें समय सीमा में पूर्ण नहीं की गई, उन ठेकेदारों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही, किस-किस दिनाँक को की गई? अगर ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों नहीं? कब तक कार्यवाही की जावेगी? समय सीमा बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उत्तरांश (क) अंतर्गत समय-सीमा में पूर्ण नहीं की गई सड़कों के ठेकेदारों को समय-समय पर नोटिस दिये गये एवं उनके देयकों से अर्थदण्ड हेतु राशि रू. 35.03 लाख रोकी गई। इसकी विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

## कृषि उपज मंडी के निर्माण की जाँच

66. (क्र. 1803) श्रीमती पारूल साहू केशरी: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के ता. प्रश्न संख्या 24 दिनाँक 19 फरवरी 2015 में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा जाँच म.प्र. वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन भोपाल द्वारा कराये जाने बाबत् जानकारी दी गयी है तो जाँच के दौरान या बाद में म.प्र. वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन भोपाल द्वारा प्रश्नकर्ता की जाँच परिणाम से क्यों अवगत नहीं कराया गया, जैसा कि प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री जी को दिनाँक 24 फरवरी 2015 को लिखे गये पत्र में आपित बतलायी थी? जिसका कोई उत्तर प्रश्नकर्ता को प्रश्न दिनाँक तक भी नहीं दिया गया है? (ख) क्या प्रश्नकर्ता एवं एस.डी.एम. सागर के संयुक्त भ्रमण दिनाँक 12 अप्रैल 2015 में कृषि उपज मंडी जैसीनगर में पाया गया कि बारिश के दौरान मंडी का फर्श समतल न होने से बारिश का पानी बाहर न निकल पाने के कारण गड्ढे के रूप में एकत्रित हो जाने से किसानों का मंडी प्रांगण में रखा 6-7 हजार बोरी तुला हुआ गेहूँ डूब गया था? इस बात को लेकर सागर के दैनिक समाचार पत्रों में फोटो भी प्रकाशित हुआ था एवं कई किसानों को जबरजस्ती गीला गेहूँ भी वापिस किया गया जिसका उन

किसानों को कोई भुगतान नहीं किया गया? (ग) यदि हाँ, तो क्या इस बात से यह प्रमाणित नहीं होता कि वास्तव में मंडी निर्माण कार्य घटिया स्तर का एवं मानक स्तर का न होने के कारण ही बारिश का पानी मंडी प्रांगण के बाहर नहीं निकल सका और गड्ढों के रूप में भर गया? वास्तव में म.प्र. वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन भोपाल द्वारा करायी जाँच केवल कागजों तक ही सीमित थी? क्या नये सिरे से एक कमेटी बनाकर जिसमें प्रश्नकर्ता सदस्य हो डीपीआर अनुसार जाँच की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रश्नकर्ता को दिनाँक 02.02.2015 को मुख्यालय स्तर से की गई जाँच के परिणाम से विभाग के पत्र क्रमांक डी-10/1/2015/14-3, भोपाल दिनाँक 10.02.2015 से विधान सभा सचिवालय को अवगत कराया गया। (ख) दिनाँक 12 अप्रैल 2015 में कृषि उपज मंडी समिति जैसीनगर मंडी प्रागंण में सेवा सहकारी समिति जैसीनगर द्वारा खरीदी केंद्र संचालित था। दिनाँक 12.04.15 को अत्यधिक बारिश होने से कृषकों का खरीदी किया गया गेहूँ 6539 बोरियां रखा हुआ था, जो कि बोरियां लगभग 2 से 2.5 फुट पानी में इब गई थी। कृषकों का कोई भी गेहूँ वापिस नहीं किया गया जो कि गेहूँ गीला हुआ, वह खरीदी केंद्र जैसीनगर का हुआ। अन्य शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ-11-3/2015/1-10 दिनाँक 20.02.2015 द्वारा शासन के मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा जाँच करायी जा रही है। अतः शेष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

### 2 वर्ष से अधिक अवधि के निर्माणधीन मार्ग

67. (क्र. 1804) श्रीमती पारूल साहू केशरी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग में PMGSY द्वारा बनवायी जा रही कौन-कौन सी सड़कों के कार्यादेश 2 वर्ष से भी ज्यादा अविध के होने को बाद भी सड़कों का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है? (ख) और क्या सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री सड़कों के गुणवत्तहीन कार्यों के संबंध में पत्र दिनाँक 28.05.2014 ई-मेल 28.04.2014 और 23.4.2015 (वीडियो एवं फोटो सिहत) मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल को भिजवाये थे, जिसका जवाब पत्र दिनाँक 23.3.2015 द्वारा कठौदा फजलपुर मार्ग के निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद बतायी गयी है? यदि यह सही है तो कंसलटेंस मेसर्स मंगलम एसोसिएट्स के टीम लीडर सागर के पत्र दिनाँक 20.06.15 द्वारा महाप्रबंधक PMGSY सागर को लिखे पत्र में कठौदा-फजलपुर मार्ग के निर्माण कार्य को गुणवत्ताहीन बताया गया है और यह भी लिखा गया है कि ठेकेदार द्वारा जबरदस्ती बी.टी. का कार्य बिना सुधार किये प्रारंभ कर दिया गया है? कृपया दोनों पत्रों के आधार पर वास्तविक स्थित स्पष्ट करें? (ग) उत्तरदायी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी? बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, म.प्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र क्रं. 5529 दिनाँक 23.03.2015 द्वारा मीरखेड़ी से कठौदा सड़क पर तत्समय संपादित किये जा रहे डब्ल्यु.बी.एम. जी-2 स्तर के प्रगतिरत कार्य का दिनाँक 12.06.2014 को मुख्य महाप्रबंधक द्वारा किये गये परीक्षण में कार्य गुणवत्ता के अनुरूप पाये जाने का उल्लेख किया गया था। जबिक टीम लीडर द्वारा पत्र दिनाँक 20/06/15 में दिनाँक 19.06.2015 को कठौदा से फजलपुर सड़क (मीरखेड़ी से कठोदा) को किये गये निरीक्षण में डब्ल्यू.बी.एम. जी-3 के कार्य को गुणवत्ता अनुरूप नहीं पाये जाने का उल्लेख किया है। जिस पर महाप्रबंधक द्वारा ठेकेदार के

विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाई की है। उक्त दोनो निरीक्षणों में अलग-अलग स्तर के कार्यों की जाँच की गई है। अतः दोनों निरीक्षण परिणामों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। (ग) उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में गुणवत्ता अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने के उत्तरदायी ठेकेदार के विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

### पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य

68. (क्र. 1821) श्रीमती संगीता चारेल: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन रतलाम जिले की सेलाना विधान सभा क्षेत्र में पंचायत स्तर पर शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं समय अनुसार हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (ख) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में स्वीकृत कार्य को पूर्ण करने की क्या समयसीमा है कार्यवार बताएं? तथा नियत समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने से लागत वृद्धि से हुई हानि के लिए कौन जिम्मेदार है? (ग) सैलाना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य में मूल्यांकन से अधिक राशि आहरण कर गबन करने वाले सरपंच/सचिव के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा कितने प्रकरण में राशि वस्ली की जा सकी? ग्राम पंचायतवार वस्ली राशि तथा की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदान करें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। नियत समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने से लागत वृद्धि से हुई हानि के लिये एजेंसी जिम्मेदार है। (ग) सैलाना विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद पंचायत बाजना की ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत द्वारा करवाऐ जा रहे निर्माण कार्यों में मूल्यांकन से अधिक/वितीय अनियमितता कर गबन करने वाले सरपंच/सचिव के विरूद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 के तहत् राशि वसूली एवं एफ.आई.आर की कार्यवाही की जा रही है तथा संबंधित सचिवों को निलंबित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। ग्राम पंचायत गुडभेली से रू. 72000/- एवं ग्राम पंचायत सरवल से इं. 31500/- की वसूली की गई है। शेष प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही अनुविभागीय राजस्व सैलाना में प्रचलित है।

### परिशिष्ट - "उनतीस"

# सड़कों का निर्माण

69. (क्र. 1842) श्री प्रदीप अग्रवाल: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दितया-मौ रोड से (मुख्यमार्ग से) मंगरौल से नीम डांढा तक क्या कोई PMGSY अंतर्गत सड़क डाली गई है, यदि हाँ, तो कब व इसकी रख रखाव की समय-सीमा कब तक है? (ख) क्या समय-सीमा पूर्ण होने से पहले ही वह सड़क अपना मूल स्वरूप खो चुकी है अर्थात जगह-जगह से उखड़ चुकी है? यदि हाँ, तो क्या कारण रहे कि वह सड़क तय समय-सीमा से पूर्व ही उखड़ गई, तत्संबंध में निर्माण एजेंसी एवं जाँच अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, की गई तो कब तक की जायेगी? समय-सीमा स्पष्ट करें? (ग) क्या इस सड़क पर क्षमता से अधिक वजन के सैकड़ों वाहन

प्रतिदिन निकल रहे हैं, जिसके कारण उस सड़क में जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं? यदि हाँ, तो उसे रोकने के क्या उपाय किये गये हैं व सड़क के पून: निर्माण के लिये आगे क्या कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत मांगरील (मुख्यमार्ग) से नीमडाडा तक मार्ग निर्माण फरवरी 2008 में किया गया, इस मार्ग की गारंटी अविधि पश्चात् 05 वर्ष के अंतर्गत रखरखाव की समय-सीमा 11.07.2018 तक है। (ख) जी नहीं। मार्ग के अन्त में सिन्धु नदी पर स्थित रेत खदान रूहेरा घाट एवं भीकमपुरा घाट से रेत का उत्खनन एवं परिवहन भारी वाहनों के माध्यम से किये जाने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। मार्ग का निर्माण सात वर्ष पूर्व निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कराया गया। अतः निर्माण ऐजेंसी एवं अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है। (ग) जी हाँ, क्षतिग्रस्त मार्ग का ठेकेदार द्वारा रखरखाव कर सड़क को मोटरेवल बनाया जाता है। मार्ग से बिना अनुमित लिये भारी वाहनों के आवागमन को रोकने हेतु समय-समय पर खनिज अधिकारी दितया एवं परिवहन अधिकारी दितया को पत्र लिखते हुये कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक दितया को भी सूचित किया गया। अनुबंधानुसार ठेकेदार से मार्गों का संधारण कार्य कराया जायेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## जिला सहकारी बैंक दतिया द्वारा संस्थाओं को मिलने वाला कमीशन

70. (क्र. 1855) श्री सचिन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारी समितियों द्वारा किये जाने वाले कारोबार व्यवसाय से मिलने वाला कमीशन संस्था का मुनाफा है यदि हाँ, तो संस्था की बचत अमानत खाते में जमा होना चाहिये या नहीं कारण सहित जानकारी दें? (ख) वर्ष 2012-13 में दितया जिले के खरीद केन्द्रों पर किसानों से खरीदा गया गेहूँ संपूर्ण स्कन्द नागरिक आपूर्ति निगम में जमा नहीं कराया गया और क्या कम जमा हुये गेहूँ की राशि खरीद प्रभारी से वसूली की गई या नहीं यदि राशि जमा की गई तो संस्थावार कितनी राशि किस-किस दिनाँक तथा रसीद क्रमांक के सहित किस खाते में जमा कराई गई? यदि नहीं, की गई तो दोषियों पर प्रकरण दर्ज कराया गया की नहीं विवरण दें? (ग) क्या दितया जिले में खरीदा गया गेहूँ कम जमा किया गया था संस्थावार कमी का विवरण दें, जिससे कि अंतर की राशि संस्था को मिलने वाले कमीशन से बैंक की लिमिट में जमा कराई गई कितनी-कितनी राशि जमा ह्यी संस्थावार सूची दें तथा क्या कमीशन संस्था की अमानत है जिसे अमानत खाते में जमा होना थी? (घ) वर्ष 2012-13 खरीद केन्द्रों की बैलेन्स सीटों में संस्था को प्राप्त कमीशन संस्था के मुनाफा में दर्ज किया गया यदि नहीं, तो ऑडिटर द्वारा क्या आवजेक्शन लिया गया और उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ड.) क्या जिला सहकारी बैंक दितया द्वारा शाखा प्रबंधकों को संस्थाओं को मिलने वाला कमीशन संस्थाओं के बचत खाते में जमा कराने हेत् आदेश दिये गये थे, यदि हाँ, तो शाखा प्रबंधकों द्वारा बैंक के आदेश का उल्लंघन किया गया यदि हाँ, तो दोषियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) सहकारी समितियों के द्वारा किये जाने वाले कारोबार से मिलने वाले कमीशन में से व्यवसाय हेतु कैश क्रेडिट खाते में देय ब्याज सिहत किये गये अन्य समस्त खर्चों को कम कर शेष राशि संस्था का शुद्ध मुनाफा है, जिसे संस्था के बचत खाते में जमा की जानी चाहिए. (ख) वर्ष 2012-13 में दितया जिले में खरीद केन्द्रों द्वारा 22,491.99 क्विंटल गेहूँ राशि रू. 311.51 लाख नागरिक आपूर्ति निगम में कम जमा कराया गया जिसमें से रू. 67.85 लाख

की वसूली संस्था के कर्मचारियों से की गई जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्न-1 अनुसार है, शेष राशि की वसूली हेतु सहकारी अधिनियम की धारा 58 बी एवं 64 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलन में है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्न-2 अनुसार है. (ग) जी हाँ. खरीदी केन्द्रों द्वारा किये गये शार्टेज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्न- 3 अनुसार है. गेहूँ खरीदी केश क्रेडिट खाते एवं बचत खाते में जमा का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्न-4 अनुसार है, जी नहीं, उत्तरांश "क" अनुसार. (घ) वर्ष 2012-13 की बैलेंस शीट संस्थाओं द्वारा नहीं बनाई गई. अतः अंकेक्षण कार्य लंबित होने से ऑडिटरों द्वारा आब्जेक्शन लेने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. १ष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (इ.) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

## जिला सहकारी बैंक खरगोन में नियुक्तियों में अनियमितता

71. (क्र. 1869) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्य जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कर्मचारी भर्ती सेवा अधिनियम में बैंक संचालक मण्डल अथवा उच्च पद पर पदस्थ अधिकारी द्वारा अपने नजदीकी रिश्तेदार को बैंक में कर्मचारी हेतु नियुक्ति दी जा सकती है? (ख) क्या प्रबंध संचालक जिला सहकारी बैंक खरगोन श्री एन.आर. मण्डलोई द्वारा अपने दोनों पुत्रों को संविदा लिपिक पद पर नियुक्ति किया जाकर 18,000/- प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है? क्या इसकी नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञित का प्रकाशन किया गया था? हां, तो विज्ञित प्रकाशन की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या संचालक मण्डल खरगोन द्वारा प्रोसेस सर्वेयरों की भर्ती की गई है? हां, तो इस नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञित का प्रकाशन किया गया था? क्या इस नियुक्ति में पदस्थ कर्मचारी संचालक मण्डल के रिश्तेदार हैं? क्या यह सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया नियमांतर्गत की गई है? प्रकाशित विज्ञित की छायाप्रति, भर्ती नियम की प्रतिलिपि, नियुक्ति हेतु की गई प्रक्रिया तथा तैयार की गई वरीयता सूची की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें? (घ) क्या प्रश्न क्रमांक (क) का उत्तर नहीं है तथा प्रश्न क्रं. (ख) एवं (ग) में की गई कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने पर दोषी अधिकारियों एवं अन्य जवाबदार पर शासन द्वारा कार्यवाही या उच्च स्तरीय जाँच समिति का गठन किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियम के नियम क्र. 6.3.5 में प्रावधान है कि "म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 44 के तहत परिभाषित कोई भी व्यक्ति, जो बैंक के संचालक मंडल के किसी संचालक का नजदीकी रिश्तेदार हो, बैंक में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा." उच्च पदस्थ अधिकारियों के संबंध में सेवानियमों में पृथक से कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु उन्हें अपने नजदीकी रिश्तेदारों की नियुक्ति नहीं करना चाहिए. (ख) श्री एन.आर. मण्डलोई, प्रबंध संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन द्वारा अपने दो पुत्रों को संविदा लिपिक पद पर नियुक्त किया जाकर वर्तमान में रूपये 20,700/- वेतन प्रतिमाह दिया जा रहा है. नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञित का प्रकाशन नहीं कराया गया. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी हाँ. नियुक्तियों हेतु विज्ञित प्रकाशित नहीं करायी गयी है. नियुक्त किये गये कर्मचारियों में बैंक संचालक मंडल का कोई रिश्तेदार नहीं है. इन नियुक्तियों के संबंध में जाँच कराई जा रही है. जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. (घ) प्रकरण में जाँच के आदेश दिये गये है. प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी.

#### 48 कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का प्रदाय

72. (क्र. 1870) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन प्रधान खरगोन प्रधान कार्यालय से जारी वरीयता सूची वर्ष 2010 में से अनुक्रमांक 85 से 122 तक कुल 38 स्नातक कर्मचारियों को नियमित किया गया था तथा शेष 49 कर्मचारियों को स्टॉफ कमेटी निर्णय क्र. 1 दिनाँक 08.08.2001 द्वारा रू. 4000/-वेतन मासिक अनुबंध शर्तों के साथ एक आदेश प्रत्येक कर्मी का जारी किया गया था? (ख) क्या शेष पंजीयक संस्थायें कर्मचारियों को सहकारी म.प्र. भोपाल आदेश 49 क्रमांक/समन्वयक/साख/2009/906 दिनाँक 20.05.2009 के परिप्रेक्ष्य में बैंक स्टॉफ समिति बैठक में पारित संकल्प क्रमांक 2 में लिये निर्णयान्सार 01.04.2010 से नियमितिकरण का लाभ दिया गया था, जिसमें श्रीमती किरण रंसोरे का नाम भी सम्मिति था? (ग) क्या जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन आदेश क्रमांक 2827 दिनाँक 24.08.2012 अनुसार श्रीमती किरण रंसोरे को बैंक स्टॉफ उप समिति बैठक दिनाँक 12.07.2012 के पारित संकल्प क्र. 03 से पंजीयक महोदय के परिपत्र क्रमांक/साख/सी.बी.-3/2001/1756 दिनाँक 23.05.2001 से वर्ष 2001 में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण आईता से पूर्ति कर रही होने से माह 01 अगस्त 2001 से प्रचलित वेतनमान में नियमित करने का निर्णय लिया गया था? प्रश्न में वर्णित आदेश क्रमांक कि छायाप्रतियां उपलब्ध करावें? (घ) क्या प्रश्न (ग) अनुसार शेष 48 कर्मचारी जिन्हें 2010 से नियमित वेतनमान दिया गया था, उन्हें वर्ष 2001 से नियमित वेतनमान दिया जा सकता है? नहीं तो प्रश्न (ग) में की गई कार्यवाही किस आधार पर कि गई है? अगर यह कार्यवाही नियमान्सार नहीं की गई है, तो दोषी अधिकारी के खिलाफ शासन द्वारा कार्यवाही या जाँच की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं बल्कि बैंक की स्टाफ उप समिति की बैठक दिनाँक 08.08.2001 में 39 स्नातक कर्मचारियों को लिपिक पद पर नियमित किया गया, जिसमें वरीयता सूची वर्ष 2010 के अनुक्रमांक 85 से 122 तक के 38 कर्मचारी भी सम्मिलित है तथा 36 कर्मचारियों को लिपिक पद पर रूपये 4000/- मासिक वेतन अनुबंध शर्त पर रखा गया था. (ख) बैंक स्टाफ उपसमिति की बैठक दिनाँक 04.05.2010 में पारित संकल्प क्रमांक 2 (अ) के अनुसार 47 कर्मचारियों को लिपिक के पद पर नियमित किया गया, जिसमें श्रीमती किरण रंसोरे का नाम भी शामिल है. (ग) जी हाँ. बैंक के आदेश क्रमांक 2827 दिनाँक 24.08.2012 की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (घ) शेष 46 कर्मचारियों के संबंध में गुण-दोष के आधार पर परीक्षण किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी. अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

### परिशिष्ट - "तीस"

# पाटन विधान सभा अंतर्गत मार्ग एवं पुलियों का निर्माण

73. (क्र. 1883) श्री नीलेश अवस्थी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने राजस्व ग्राम है जिनमें आवागमन हेतु शासकीय मार्ग का निर्माण नहीं किया गया? विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने मार्ग है, जो पुल-पुलियों का निर्माण न होने के कारण वर्षा ऋतु में आवागमन हेतु बाधित रहते है? सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्गों एवं पुल, पुलियों के निर्माण की शासन की क्या योजना है? क्या शासन (1) लखनपुर, पिडंरई, लाहोदमोड मार्ग (2) बघेली से धाना (3) लमकना से भीटा (4) मोहला तिराहे से

इमिलया (5) रसुइयों से पडिरया (6) कैमोरी से घघरी मार्गों का निर्माण एवं जीणोद्धार कर आवागमन के उपयुक्त बनावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? (ग) प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों में पाटन विधानसभा अंतर्गत किन-किन मार्गों का निर्माण कब-कब स्वीकृत हुआ? कब पूर्ण हुआ? किन-किन सड़कों का निर्माण किन कारणों से अपूर्ण अथवा अप्रांरभ है? सड़कवार सूची देवें? (घ) प्रश्नांक (ग) में उल्लेखित योजना अंतर्गत निर्मित मार्गों का निर्माण के 5 वर्ष पश्चात संधारण/मरम्मत कार्य कब-कब कितनी राशि से किया गया एवं इन योजनाओं के अंतर्गत कौन-कौन से मार्गों का निर्माण किस क्रम में प्रस्तावित है, इनका निर्माण कब प्रारंभ किया जावेगा? क्या शासन इटवा-इमिलया पुल का निर्माण करेगा? यदि हाँ, तो कब किस योजना अंतर्गत यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भागव ) : (क) पाटन विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कोरनेटवर्क के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 9 राजस्व ग्राम तथा मुखयमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 32 राजस्व ग्राम ऐसे है, जिनमें आवागमन हेतु शासकीय मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण पुल-पुलियों सहित किया जाता है। अतः उक्त योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित ऐसा कोई मार्ग नहीं है जो निर्धारित अवधि से अधिक अवधि के लिये वर्षाकाल में पुल-पुलियों पर आवागमन बाधित होता हो। (ख) उत्तरांश 'क' में उल्लेखित राजस्व ग्रामों में स्वीकृति पश्चात पुल-पुलियों सहित निर्माण कार्य कराया जावेगा। प्रश्नांश 'ख' में उल्लेखित मार्गों में केवल एक मार्ग रस्ई्या से पड़रिया मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृति हेत् विचाराधीन है शेष मार्ग स्वीकृत कोरनेटवर्क का भाग नहीं होने से उक्त योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों को वर्तमान में 5 वर्ष पूर्ण नहीं ह्ये है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु कोई क्रम प्रस्तावित नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के निर्माण के वर्ष पश्चात संधारण/मरम्मत कार्य वाले मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के 2 अनुसार है। इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणना) के घटते क्रम में निर्माण कार्य प्रस्तावित किया जाता है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है। निर्माण कार्य प्रारंभ करने की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। उक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत इटावा-इमलिया पुल का निमार्ण कार्य स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है, अतः निर्माण कराया जाना संभव नहीं है।

## जनपद पंचायत पाटन की ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

74. (क्र. 1884) श्री नीलेश अवस्थी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत खजरी (भमका) जनपद पंचायत पाटन जिला जबलपुर द्वारा वित्त वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक कितनी लागत से कौन-कौन से निर्माण कार्य किस-किस मद से कराये गये? (ख) क्या प्रश्नांकित समय में कराये गये निर्माण कार्यों के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई थी एवं उस शिकायत पर जिला स्तर से आदेश क्र. 2042 दिनाँक 31-05-2014 द्वारा जाँच टीम गठित की गई थी? (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में यदि हाँ, तो यह बतलावें कि ग्रामवासियों द्वारा किन-किन बिंदुओं पर कौन-कौन से निर्माण कार्यों की शिकायत की गई एवं उस पर जाँच दल द्वारा

कब किनकी उपस्थिति में जाँच की गई? शासन द्वारा अपूर्ण निर्माण कार्य करने, निर्माण कार्य न कर राशि का अहरण करने वाले कदाचार के दोषी सरपंच एवं सचिव पर क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्या ग्राम पंचायत पडिरयाँ (भमक) जनपत पंचायत पाटन के पूर्व सरपंच द्वारा वर्तमान सरपंच को कब पदभार दिया गया? पदभार दिनाँक को ग्राम पंचायत के पास कितनी कौन-कौन सी चल-अचल संपित थी? एवं यह वर्तमान समय में किसके आधिपत्य में है? क्या ग्रामवासियों द्वारा पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सचिव के विरूद्ध कोई शिकायत शासन को की है? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत क्या है? एवं शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। जाँच दल द्वारा शिकायत की जाँच नवम्बर 2014 में की गई। अपूर्ण निर्माण कार्य निर्माण न करवानें के संबंध में सरपंच एवं सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। (घ) ग्राम पंचायत पडिरया भमका जनपद पाटन के पूर्व सरपंच को दिनाँक 26.03.2015 को पदभार दिया गया। पदभार दिनाँक को ग्राम पंचायत के पास चल-अचल संपत्ति में एल.सी.डी. कम्प्यूटर, यूपीएस, प्रिंटर, स्केनर, 01 टेबल, 04 कुर्सी, 01 दरी, 01 पानी टेंकर एवं ग्राम पंचायत के खाता क्रमांक 2174842387 में रू. 2.56 लाख की राशि प्रभार में सौंपी गई। वर्तमान में यह ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक, के आधिपत्य में है। ग्रामवासियों द्वारा पूर्व सरपंच द्वारा पंचायत का चार्ज न देने के संबंध में शिकायत की गई थी, जिसकी जाँच खण्ड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत पाटन द्वारा की गई। जाँच में पूर्व सरपंच द्वारा वर्तमान सरपंच को पदभार सौंपा जाना पाया गया। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

## नियम विरूद्ध पदोन्नति

75. (क्र. 1894) श्री ठाकुरदास नागवंशी (श्री सोहनलाल बाल्मीक) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उज्जैन जो वर्तमान में संयुक्त संचालक पंचायत के पद पर है के विरूद्ध आर्थिक अनियमितताओं के लिए म.प्र. आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग व्दारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर कार्यवाही की गई है? (ख) संबंधित अपचारी अधिकारी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने के बाद भी क्या उन्हें निलंबित करने या पद से हटाने की कोई कार्यवाही विभाग व्दारा की गई है? यदि नहीं, तो किन कारणों से? (ग) क्या संबंधित अधिकारी के विरूद्ध आर्थिक अनियमितताओं के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के बाद भी संबंधित अधिकारी को पदोन्नित दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जबिक पूर्व में दी गई पदोन्नित भी नियम विरूद्ध दी गई है? (घ) उपरोक्त अनियमितताओं के लिए विभाग कब तक कार्यवाही करेगा एवं संबंधित के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1025 (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। निलंबित किया गया था। (ग) नियमानुसार नियम का पालन होगा। (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

# सीहोर जिले की ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटरीकरण

76. (क्र. 1899) श्री सुदेश राय: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिले की किन-किन ग्राम पंचायतों में कितने कम्प्यूटर और एल.सी.डी. दी गई है? इसकी वर्तमान में क्या स्थिति है? (ख) 2014-2015 तक किन-किन ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटर चोरी होने की सूचना दर्ज की गई है, इनमें कितने मिले हैं? (ग) जिन ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटर चोरी जाने के बाद नहीं मिले हैं उनकी वसूली की क्या और किससे की जाने की योजना है? (घ) ग्राम पंचायतों से चोरी गये कम्प्यूटरों के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा जिम्मेदारी का निर्धारण किन अधिकारियों/कर्मचारियों के ऊपर किया गया है? (ड.) दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) सीहोर जिले की समस्त 5 जनपदों की समस्त 497 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक को एक कम्प्यूटर/एलसीडी प्रदाय की गई है। पंचायतवार सूची एवं वर्तमान स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "1" '3" एवं 'ब' पर है। (ख) कुल 56 ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटर/एलसीडी की चोरी की सूचना दर्ज कराई गई है। जिसमें से 24 कम्प्यूटर/एलसीडी मिले है। 56 ग्राम पंचायत की नामवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "2" पर है। (ग) जिन ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटर चोरी जाने के बाद नहीं मिले, उनकी वसूली संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव से की जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) प्रश्लांश "ग" अनुसार जिम्मेदारी का निर्धारण किया गया। (इ.) दोषी सरपंच/सचिव द्वारा सामग्री क्रय कर स्थापित करने एवं बीमा कंपनी से क्लेम की कार्यवाही प्रचलन में है।

# कृषि विस्तार अधिकारी की पदस्थापना

77. (क्र. 1900) श्री सुदेश राय: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर विधानसभा क्षेत्र 159 शाहजहांपुर मुख्यालय तहसील श्यामपुर जिला सीहोर में कौन कितने वर्षों से पदस्थ है? (ख) जिले में शासन नियम अंतर्गत अधिकारी कितनी अवधि तक एक ही स्थान पर पदस्थ रह सकता है यदि नियम 3 वर्ष का है तो श्री दुहुण के इतने वर्ष से जिला सीहोर में एक ही स्थान पर पदस्थ रहने का क्या कारण है तथा शासन के नियमों का कब तक पालन करा लिया जावेगा समय अवधि बतावें? (ग) क्या इनके कार्यकाल में इनके द्वारा घोर अनियमितता की गई है, फिर भी लंबे समय तक सीहोर में पदस्थ रहने का क्या औचित्य है? (घ) क्या इनकी अन्यत्र जगह पदस्थापना की जारेंगी? यदि नहीं, तो नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) श्री कुशलपाल दुहुण, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी शाहजहांपुर मुख्यालय तहसील श्यामपुर जिला सीहोर में दिनाँक 13/04/2012 से उपस्थित होकर पदस्थ हैं। (ख) जिले में शासन द्वारा नीति अनुसार तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारी एवं कर्मचारियों का एक ही स्थान पर तीन वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अविध पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया ही जावे। (ग) जी नहीं। विभागीय कार्य संपादन के लिए। (घ) प्रश्नांश "ख" के अनुसार।

## गृह निर्माण संस्थाओं के विरूद्ध जाँच

78. (क्र. 1929) श्री अनिल फिरोजिया: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय उपायुक्त सहकारिता उज्जैन में नवीन गृह निर्माण संस्था, महालक्ष्मी गृह निर्माण संस्था, आजाद गृह निर्माण संस्था, ओम गृह निर्माण संस्था, शिवम गृह निर्माण सहकारी संस्था

पंजीकृत हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या इन गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध कोई जाँच लंबित है? यदि हाँ, तो उक्त जाँच को कब तक पूरा कर लिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ. (ख) जी हाँ. जाँच प्रक्रियाधीन है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

# गृह निर्माण संस्था की भूमि का अवैध विक्रय

79. (क्र. 1930) श्री अनिल फिरोजिया: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय उपायुक्त सहकारिता उज्जैन में बजरंग गृह निर्माण सहकारी संस्था पंजीकृत है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त संस्था के कितने सदस्य हैं व संस्था के पास कितनी भूमि है? (ग) क्या उक्त संस्था ने बिना सहकारिता विभाग की अनुमित के अन्य गृह निर्माण संस्था को अपनी भूमि का विक्रय कर दिया है? (घ) उक्त अवैध विक्रय मामले में दोषी संस्था पदाधिकारियों के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की जावेगी? क्या संस्था की भूमि प्न: सदस्यों को वापस की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ. (ख) 534 सदस्य हैं. वर्तमान में संस्था के पास भूमि नहीं है. (ग) जी हाँ. (घ) संस्था का विशेष ऑडिट कराया जा रहा है. रिपोर्ट प्राप्त होने पर निष्कर्षानुसार कार्यवाही की जायेगी. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

# कपिलधारा योजनांतर्गत स्वीकृत कूपों का निर्माण

80. (क्र. 1934) श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में किपल धारा योजनान्तर्गत कितने कूप स्वीकृत किए गए? इनमें से कितने पूर्ण हो चुके, कितने अपूर्ण हैं? (ख) अपूर्ण कूप कब तक पूर्ण किए जायेंगे? (ग) क्या पूर्ण एवं अपूर्ण कूपों का भुगतान शेष है? यदि हाँ, तो शेष रहने का कारण बतावें? (घ) शेष भुगतान कब तक पूर्ण किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) बैत्ल जिले में किपलिधारा योजनांतर्गत 25594 कूप स्वीकृत किये गये। इनमें से 21239 कूप पूर्ण हो चुके हैं, 3779 कूप अपूर्ण हैं। (ख) योजनांतर्गत कार्यों की पूर्णता जॉबकाईधारी परिवारों द्वारा कार्य की माँग पर निर्भर होने से अपूर्ण कुओं को पूर्ण कराये जाने की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) पूर्ण कूपों पर कोई भुगतान शेष नहीं है। अपूर्ण कूपों पर कार्य की प्रगति अनुसार सतत् भुगतान किया जा रहा है। शेष प्रशन उपस्थिात नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रशन उपस्थिात नहीं होता।

# अंतिम संस्कार हेतु सहायता राशि

81. (क्र. 1946) श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. एफ-3-23/2013/26-2 दिनाँक 13 अगस्त 2013 में श्रमिक संवर्ग में पंजीकृत हितग्राहियों/लावारिस/निराश्रित आदि के अंतिम संस्कार हेतु अन्तेष्टि सहायता योजना 2013 प्रारंभ की गयी है, जिसमें अंतिम संस्कार हेतु रूपये 2000 के मान से राशि स्वीकृत का आदेश है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां, तो रीवा जिले के जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान एवं जनपद पंचायत रीवा सहित रीवा जिले के अन्य जनपदों द्वारा कितने श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत हितग्राहियों/लावारिस/निराश्रितों को अन्तेष्ठि सहायता का वितरण कर लाभान्वित किया गया है, अगर

योजना का लाभ पात्रों को नहीं दिया गया, तो क्यों? (ग) क्या योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को न देने के दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे, कार्यवाही करेंगे तो कब तक, नहीं तो क्यों बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जनपद पंचायतवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कोई पात्र हितग्राही लाभ हेतु शेष नहीं है। (ग) उत्तरांश-'ख' के परिप्रेक्ष्य में शेष कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इकतीस"

### जाँच रिपोर्ट पर कार्यवाही

82. (क. 1947) श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नोत्तरी दिनॉक 27 फरवरी 2013 के अता. प्रश्न क्र.-1099 के उत्तर में (क) जी हाँ, (ख) जी हाँ गठित दल क्र. एक एवं तीन द्वारा दिनॉक 17.01.2013 एवं जाँच दल क्र.-2 द्वारा दिनॉक 07.02.2013 को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा द्वारा जाँच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षणोपरांत समेकित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी बताया गया है? (ख) क्या अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा मण्डल रीवा के पत्र क्र.-357/स्था./अन./ग्रा.यां.से./13 दिनॉक 05.03.2013 के माध्यम से आयुक्त राजस्व रीवा विभाग रीवा को प्रतिवेदन भेजा जा चुका है? (ग) प्रश्नांश (ख) के सापेक्ष में कार्यालय किमश्नर राजस्व रीवा संभाग के पत्र क्र.-6/बी./यो./शिकायत/2013/2305 दिनॉक 01.05.2013 के माध्यम से अधूरी पी.सी.सी. सड़कों के जाँच में दोषी अधिकारी, कर्मचारियों के नाम, पदस्थापना व उत्तरदायित्व का निर्धारण कर विशिष्ठ जानकारी सात दिवस में मांगी गई थी? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) हां, तो दोषियों के विरूद्ध आज दिनॉक तक क्या-क्या, कब-कब कार्यवाही की गई की गई ? विवरण देवें। अगर कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों, की जावेगी तो कब तक? (इ.) क्या कार्यवाही का स्वरूप दण्डात्मक एवं अनुशासनात्मक दोनों होगा? अगर दोनों नहीं होगा तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) शिकायत व्यापक स्वरूप की होकर अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा द्वारा 326 कार्यों में से 28 कार्यों का निरीक्षण किया जा कर प्रतिवेदन आयुक्त रीवा संभाग को प्रेषित किया गया। प्रकरण में पाई गयी तकनीकी कर्मियों के दृष्टीगत शेष कार्यों की जाँच हेतु आयुक्त रीवा संभाग के आदेश क्रमांक 277 दिनाँक 01.07.2015 द्वारा पुनः 09 सदस्यी जाँच दल का गठन किया गया है। जाँच में वित्तीय अनियमितताएं पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (इ.) उत्तरांश 'घ' के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही का स्वरूप बताया जाना संभव नहीं है।

# खराब हुए भण्डारित गेहूँ एवं धान की जाँच

83. (क्र. 1953) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना): क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ एवं धान का भण्डारण कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस पद्धित से कितने-कितने निजी गोदामों एवं वेयर हाउस के गोदामों में किया गया था? (ख) उक्त भण्डारित गेहूँ एवं धान कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का किस-किस वर्ष में किन-किन कारणों से खराब हुआ है? क्या इसकी जाँच कराई गई

एवं जांचोपरांत किन-किन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) वर्ष 2014-15 में प्रश्न दिनांक तक उक्त खराब गेहूँ व धान बिक्री से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार बताएं। (घ) क्या वेयर हाउस कार्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा शराब निर्माताओं एवं फ्लोर मिल मालिकों से मिलीभगत होने के कारण उन्हें लाभ पहुंचाकर स्वयं लाभ अर्जित करने की दृष्टि से खाद्यान्न को घटिया सायलो बेग में भण्डारण कराया जाता है एवं खुले में खाद्यान्न छोड़ दिया जाता है ताकि गेहूँ खराब हो जाए? यदि नहीं, तो क्या उच्च स्तरीय जाँच कराई जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित एवं भंडारित गेहूँ की वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार तथा वर्ष 2014-15 में उपार्जित एवं भंडारित धान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ख) वर्ष 2014-15 में भंडारण के दौरान 521.92 मे.टन गेहूँ रखरखाव के दौरान खराब हुआ है इसमें से 300 मे.टन गेहूँ सायलो कंपनी द्वारा गेहूँ की सुरक्षा न करने के कारण एवं शेष 221.92 मे.टन गेहूँ स्कन्ध का अधिक समय तक भंडारित रहने से प्राकृतिक रूप से खराब होना रहा है। क्षतिग्रस्त गेहूँ के मूल्यांकन/विक्रय उपरांत उसकी राशि की गणना की जा सकेगी। धान के भंडारण में वर्तमान अवधि तक किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक खराब गेहूँ का विक्रय नहीं किया गया है तथा धान में क्षति न होने से बिक्री का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वेयर हाउस कार्पोरेशन के अधिकारियों का शराब निर्माताओं एवं फ्लोर मिल मालिकों से मिलीभगत का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## परिशिष्ट - "बतीस"

## प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ का उपार्जन

84. (क. 1956) श्री रामनिवास रावत : क्या खाय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2014-2015 में समर्थन मूल्य पर कुल कितने गेहूँ उपार्जन का अनुमान था? अनुमान के विरूद्ध कितने गेहूँ का उपार्जन किया गया व कितने गेहूँ का भण्डारण किया गया? कृपया जिलेवार मात्रा सिहत बतावें? क्या यह सही है कि इस बार अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से गेहूँ की गुणवत्ता हल्की रही? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा गुणवत्ता की छूट प्रदान कर दी गई है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में सहकारी संस्थाओं द्वारा उपार्जित गेहूँ के भण्डारण के समय एफ.सी.आई. द्वारा हल्की गुणवत्ता का गेहूँ बताकर लिखित पत्र भेज कर वापिस कर दिया गया? यदि हाँ, तो किस-किस जिले में कितनी-कितनी मात्रा में गेहूँ वापस लिया गया? कृपया बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में एफ.सी.आई. द्वारा निम्न गुणवत्ता बताकर वापिस किए गए गेहूँ में से स्थानीय प्रशासन द्वारा कितने-कितने गेहूँ का व किस-किस संस्था का अन्यत्र भण्डारण करा दिया व कितना अभी संस्थाओं के पास है? साथ ही यह भी बतावे कि प्रदेश में कितने किसानों का गेहूँ उपार्जन के पश्चात आज तक भुगतान नहीं किया गया है? इसके लिये कौन दोषी है व किसानों को कब तक भुगतान करा दिया जावेगा? क्या प्रदेश में ऐसी भी संस्थाएं हैं जिन्होंने किसानों को उपार्जित गेहूँ वापिस किया है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ किस-किस जिले में व कितना गेहूँ वापिस किया गया?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

# प्रदेश में उपार्जित किए गए गेहूँ की उपार्जित एवं भण्डारण में अंतर

85. (क. 1957) श्री रामनिवास रावत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क. 157 दिनांक 14 जुलाई 2014 के जबाव में वर्ष 2012-13 में गेहूँ की खरीदी गई मात्रा व भण्डारण की गई मात्रा में प्रदेश में 48479 मी. टन अर्थात् 4 लाख 84 हजार 47 क्विंटल की कमी आई? यदि हाँ, तो अधिक मात्रा का उपार्जन कर कम भण्डारण करने वाली संस्थाओं के विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्यां? यदि नहीं, तो क्यां? (ख) इसी प्रकार श्योपुर जिले में गेहूँ के उपार्जन व भण्डारण के अंतर के लिए जिम्मेवार संस्थाओं के विरूद्ध अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कृपया बतावें। (ग) प्रदेश की गेहूँ उपार्जन नीति के तहत वर्ष 2013-14 व 2014-15 में गेहूँ खरीदी का कितना लक्ष्य रखा गया व लक्ष्य के विरूद्ध कितना-कितना गेहूँ क्रय किया गया व खरीदे गए गेहूँ के विरूद्ध कितनी राशि का भुगतान किया गया व खरीदे गए गेहूँ के विरूद्ध कितनी राशि का भुगतान किया गया व खरीदे गए गेहूँ की मात्रा में कितना अंतर रहा? जिलेवार बतावें।

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

# सुद्र सम्पर्क ग्राम सडक योजना

86. (क्र. 1982) कुँवर हजारीलाल दांगी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खिलचीपुर विधान सभा में किन-किन गांवों में सुदूर सम्पर्क ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का सर्वे कराकर स्टीमेट बनाकर टी.एस. करा ली गई थी? (ख) जिन सड़कों के निर्माण की टी.एस. करा ली गई थी उनमें से कितनी सड़कों का भूमि पूजन आर.ई.एस. विभाग व्दारा करा लिया गया था व किन-किन सड़कों का काम चालू करा दिया गया था व किन-किन सड़कों का कार्य चालू नहीं कराया गया है? (ग) शेष बची सड़कों का कार्य कब तक चालू करा लिया जावेगा व उक्त सड़कों की पुलियाओं का भी निर्माण कब तक कराया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) खिलचीपुर विधान सभा क्षेत्र में सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना के तहत 12 जी.एस.बी. सड़क कार्यों की तकनीकी स्वीकृति फरवरी - जून 2014 में की गई। (ख) उत्तरांश 'क' के 12 कार्यों में से 8 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें से 6 का भूमि पूजन करा कर कार्य प्रारंभ कराया गया। शेष 2 सड़कों का कार्य वर्षाकाल उपरांत मनरेगा के प्रावधान अनुसार कराया जा सकेगा कार्यवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शेष बची 4 सड़कों के कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों में वृहद संख्या में प्रगतिरत कार्य होने से प्रारंभ नहीं कराये गये। प्रगतिरत कार्य पूर्ण होने के उपरांत नवीन कार्य लिये जा सकेंगे। पुलिया निर्माण कार्य सामग्री मूलक होने से मनरेगा के प्रावधान अनुसार 60:40 मजदूरी सामग्री अनुपात संधारण न होने के कारण शामिल नहीं किया गया है। जिले में मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 के संधारण होने पर या अभिसरण मद में राशि उपलब्ध होने पर नियमानुसार पुलियों के कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे। निश्चित समय सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "तैंतीस</u>"

## अमानक खाद एवं बीज का वितरण

87. (क्र. 1991) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिला अन्तर्गत अमानक उर्वरक एवं बीज बेचे जाने, वितरित होने एवं इससे होने वाली हानियों के संबंध में कृषकों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो जिले में सहकारी एवं निजी संस्थाओं द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक एवं बीज का वितरण किया जाता है? (ग) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त माध्यमों से वितरित उर्वरक एवं बीज की गुणवत्ता एवं मानक स्तर की जाँच हेतु विभाग/शासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है? (घ) यदि हाँ, तो वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 शासन/विभाग द्वारा किन-किन सहकारी संस्थाओं एवं निजी व्यवसायियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विकासखण्डवार बतावें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) रतलाम जिले में अमानक उर्वरक एवं बीज बेचे जाने, वितरित होने एवं इससे होने वाली हानि के संबंध में कृषकों से शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। (ख) जिले में सहकारी एवं निजी संस्थाओं द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक एवं बीज का वितरण किया जाता है। (ग) उर्वरक एवं बीज की गुणवत्ता एवं मानक स्तर की जाँच हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

## ग्रामीण क्षेत्र की स्ट्रीट लाईट एवं पेयजल योजनाओं के संबंध में

88. (क्र. 1992) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांवों में ग्राम की स्ट्रीट लाईट एवं पेयजल योजनाओं की जिम्मेदारी दी जाकर दोनों मूलभूत स्विधाएं जनता को प्रदान किये जाने हेत् नियमान्सार सौंपी गई है? (ख) यदि हाँ, तो रतलाम जिला अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के समस्त ग्रामों में कितनी स्ट्रीट लाईट एवं पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण होकर ग्राम पंचायतों द्वारा इन्हें संधारित किया जा रहा है? (ग) क्या विद्युत बिलों के बकाया होने के कारण स्ट्रीट लाईटें एवं पेयजल योजनाएं अन्पयोगी होकर विद्युत कनेक्शन विच्छेद किये जाने के कारण बंद पड़ी रहती है? (घ) यदि हाँ, तो रतलाम जिले में वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के प्रश्न दिनाँक तक कितने ग्रामों की जनता मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है? क्या अत्यंत आवश्यक जनस्विधा को प्रदान किये जाने हेत् जिला पंचायत हस्तक्षेप कर बकाया विद्युत बिलों की राशि जमा किये जाने हेतु कार्यवाही कर रहा है? पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) रतलाम जिला अंतर्गत स्ट्रीट लाईट एवं पेयजल योजनाओं में 418 ग्राम पंचायतों के 1053 ग्रामों में विद्युतीकरण हो चुका है तथा 412 ग्रामों में स्ट्रीट लाईट एवं 293 पेयजल योजना का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा संधारित किया जा रहा है। (ग) विद्युत बिलों के बकाया होने के कारण 35 ग्राम पंचायतों की स्ट्रीट लाईटे बंद है एवं 19 पेयजल योजना अन्य कारणों से बंद है। (घ) वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के प्रश्न दिनाँक तक विद्युत बिलों के बकाया होने के कारण 33 ग्राम पंचायतों की स्ट्रीट लाईटें बंद है। पेयजल योजनांतर्गत स्त्रोत सूखने से 7 पावर पांईट खराबी से 3 पाईप लाईन छतिग्रस्त होने से आठ व एक योजना पंचायत द्वारा नहीं चलाने से इस प्रकार 19 पेयजल योजना बंद है। बकाया विद्युत बिलों की राशि जमा किये जाने हेत् ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है।

# मनरेगा संविदाकर्मियों का स्थानांतरण

89. (क्र. 2028) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में मनरेगा अंतर्गत विगत 05 वर्षों से जनपद एवं जिला पंचायतों में कौन-कौन से

संविदाकर्मी किस-किस पद पर पदस्थ हैं? सूची उपलब्ध करावें? (ख) मनरेगा संविदाकर्मियों के स्थानांतरण की म.प्र.शा.पं. एवं ग्रा.वि. विभाग द्वारा क्या नीति बनाई गई है? प्रति उपलब्ध करावें? क्या उज्जैन जिले में युक्तियुक्तकरण के तहत कितने मनरेगा संविदाकर्मियों के स्थानांतरण किये गये हैं? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या यह युक्तिकरण शासन की स्थानांतरण नीति की कंडिका 1 से 6 तक एवं म.प्र.शा.पं. एवं ग्रा.वि. विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 5122 दिनाँक 25.05.2012 के पिरप्रेक्ष्य में बिंदुवार पालन करते हुए की गई? (घ) यदि हाँ, तो क्या उज्जैन जिले में संविदाकर्मियों की कोई शिकायत नहीं थी एवं न ही किसी संविदाकर्मी द्वारा पारस्परिक (स्वेच्छा से) स्थानांतरण चाहा था, व संविदाकर्मियों को एक स्थान विशेष के लिये पदस्थ किया गया था, तो किन कारणों से नियम विरूद्ध स्थानांतरण किये गये है एवं इनके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं एवं शासन इन अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 एवं 3 अनुसार है। (ग) युक्तियुक्तकरण म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र. 5122 दिनाँक 25.5.12 के अनुक्रम में प्रशासकीय एवं तकनीकी कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा स्थानांतरण नीति में दिये गये अधिकारों का पालन करते हुये संविदा मनरेगा अमले को युक्तियुक्तकरण कर स्थान परिवर्तन किये गये है, जिसका कार्योत्तर अनुमोदन लिया गया है। (घ) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के दल द्वारा उज्जैन जिले में भ्रमण के दौरान मनरेगा क्रियान्वयन में त्रुटियों एवं अनियमितताएं पाई गई। परिषद मुख्यालय दल द्वारा विस्तृत जाँच में पाई गई त्रुटियों की पृष्टि होने पर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध नियम अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। कार्यालय व्यवस्था में सुधार हेतु प्रशासकीय एवं तकनीकी कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखकर नियमानुसार मनरेगा अमले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर युक्तियुक्तकरण कर स्थानांतरण किये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## उज्जैन जिले में संचालित वाटर शेड परियोजना

90. (क. 2029) श्री सतीश मालवीय: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में इन्टीग्रेटेड वाटर मेनेजमेंट प्रोग्राम एवं डी.पी.ए.पी. योजना के तहत कितने वाटर शेड वर्तमान में कहाँ-कहाँ संचालित है? उक्त संचालित योजनाओं में 01 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी-कितनी राशि का कहाँ-कहाँ, किस-किस कार्य हेतु वाटरशेड कमेटी को कब-कब भुगतान किया गया? (ख) उक्त वाटरशेड में कार्य करने वाले, मूल्यांकनकर्ता, ऑडिटर एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद, मूल्यांकन दिनाँक, ऑडिट दिनाँक सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) डी.पी.ए.पी. योजनांतर्गत संचालित परियोजना पूर्ण होने की अवधि क्या थी? क्या डी.पी.ए.पी. परियोजना के अध्यक्ष/सचिव को बदलने का नियम है? यदि हाँ, तो अध्यक्ष/सचिव बदलने हेतु ग्रामसभा आयोजित करने हेतु किस अधिकारी द्वारा कब अनुमति दी गई एवं ग्रामसभा की बैठक कब आयोजित की गई और उसमें कौन-कौन सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित हुए एवं अध्यक्ष/सचिव को हटाने का प्रस्ताव पारित कर किस संस्था के अध्यक्ष/सचिव बनाया गया? नाम एवं पते सहित सूची उपलब्ध करावें? (घ) क्या बिना कार्य कराये ही मनमाने तरीके से

लाखों रूपयों की राशि का अनियमित रूप से भुगतान किया गया? यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच कराई जाकर दोषियों को दंडित किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? उपरोक्त परियोजनांतर्गत अशासकीय संस्था/आउटसोर्स एजेंसी/फर्म के माध्यम से किये गये कार्यों की जानकारी भी 01.01.2014 उपलब्ध करावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) उज्जैन जिले में संचालित इन्टीग्रेटेड वाटरशेड मेनेजमेंट प्रोग्राम की जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "1" अनुसार है। उक्त संचालित परियोजनाओं में वाटरशेड कमेटियों को कार्यवार प्रदाय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "2" अनुसार है। डीपीएपी योजना उज्जैन जिले में संचालित नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "3" अनुसार है। (ग) डीपीएपी योजना उज्जैन जिले में संचालित नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। प्रश्नाधीन अवधि में संस्थाओं के माध्यम से करायें गयें कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "4" अनुसार है।

### संस्था का कार्यकाल समाप्त होने से संचालक मण्डल भंग करना

91. (क्र. 2046) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर सनावद की अवन्ति मिल वर्क्स क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी एवं नगर खरगोन की जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसायटी लिमिटेड खरगोन का पंजीयन क्रमांक क्रमशः जे.आर./आय.डी.आर./41/दिनाँक 13.01.2004 एवं जे.आर./आय.डी.आर./04/ दिनाँक 23/05/2002 है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त संस्था का कार्यकाल कब समाप्त हुआ है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यकाल समाप्त होने के कारण वर्तमान संचालक मण्डल भंग करने के बारे में कोई प्रस्ताव दिये हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्या वर्तमान संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने से नये संचालक मण्डल का गठन होने तक कोई प्रशासक नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) अवंति मिल वर्कर्स क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सनावद का पंजीयन क्रमांक जे.आर./आइ.डी.आर./41, दिनाँक 13.01.2004 था, म.प्र. स्वायत्व सहकारिता अधिनियम 1999 निरित्त होने से संस्था का संपरिवर्तन म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में किये जाने से वर्तमान में पंजीयन क्रमांक/मुख्यालय/विविध/2015/268, दिनाँक 13.07.2015 है. जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोइ्यूस प्रोसेसिंग सोसायटी लिमिटेड खरगोन का पंजीयन क्रमांक/जे.आर./आय.डी.आर./04, दिनाँक 23.05.2002 है. (ख) अवंति मिल वर्कर्स क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सनावद के संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनाँक 25.06.2014 को तथा जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोइ्यूस प्रोसेसिंग सोसायटी लिमिटेड खरगोन के संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनाँक 28.01.2013 को समास हो गया है. (ग) जी हाँ. अवंति मिल वर्कर्स क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सनावद के संचालक मण्डल का कार्यकाल समास होने से आदेश दिनाँक 15.07.2015 से संचालक मण्डल के स्थान पर प्रशासक की नियुक्ति की गई. जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोइ्यूस प्रोसेसिंग सोसायटी लिमिटेड खरगोन में प्रशासक नियुक्त करने हेत् संयुक्त आयुक्त, सहकारिता संभाग इन्दौर को दिए गए निर्देश दिनाँक प्रशासक नियुक्त करने हेत् संयुक्त आयुक्त, सहकारिता संभाग इन्दौर को दिए गए निर्देश दिनाँक

25.6.2015 पर मान्नीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ, इन्दौर द्वारा डब्ल्यू.पी.नं. 4353/15 में दिनाँक 01.7.2015 को स्थगन आदेश दिया गया है. (घ) उत्तरांश 'ग' अनुसार.

#### ग्राम सचिवालय की अवधारणा का क्रियान्वयन

92. (क्र. 2051) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर एक ही छत के नीचे ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम सचिवालय की अवधारणा विषयक घोषणा माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा की गई थी? यदि हाँ, तो इस संबंध में घोषणानुसार ग्राम सचिवालय से संबंधित सभी विभागों को विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके है तथा क्या इसकी कोई निश्चित अवधि निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो निर्देशों की प्रति सहित बतावें तथा प्रशासन द्वारा इस संबंध में वर्तमान तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें? (ख) यदि नहीं, तो क्या इस अवधारणा को मूर्त रूप देने में शासन द्वारा विलंब के क्या कारण हैं तथा कब तक अवधारणानुरूप ग्राम सचिवालय प्रारंभ करा दिये जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। इस संबंध में अन्य विभाग के पदाधिकारी का प्रश्न है, अतः विचाराधीन है। (ख) प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

### लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत राशन वितरण

93. (क्र. 2070) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राशन द्कानों से प्रतिमाह निर्धारित समय में खाद्यान्न आदि प्राप्त ना होने की शिकायत पर 15 दिवस में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत सामग्री दिलाना अनिवार्य है एवं समय सीमा में सामग्री प्रदाय न होने पर स्वतः की प्रेरणा से अपील होने का प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो बताये कि यह प्रावधान कब से लागू है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जबलप्र संभाग एवं सागर संभाग के जिलों के विकासखण्डों में जनवरी 2014 से मई 2015 तक कौन-कौन पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी किन-किन क्षेत्रों में, कब से कब तक पदस्थ रहे? (ग) जनवरी 2014 से मई 2015 तक प्रश्नांश (ख) के पदाभिहीत अधिकारियों को सी.एम. हेल्पलाईन से, किन-किन राशन, द्कानों से सामग्री प्राप्त न होने की क्या-क्या शिकायतें, कब-कब प्राप्त ह्ई? लेबल - एक के किस अधिकारी ने, आवेदक को कब और क्या सामग्री दिलवायी? राशन द्कानों के किस-किस विक्रेता को क्या शास्ति/दंड दिया गया? लेबल एक के प्राधिकृत अधिकारी के नाम सहित बताये? (घ) प्रश्नांश (ग) के तहत आवेदक को निर्धारित 15 दिवस में सामग्री नहीं मिलने की स्थिति में, किस-किस अपीलीय अधिकारी ने स्व प्रेरणा से शिकायतों को अपील में लिया? किन-किन पदाभिहीत अधिकारियों के विरूद्ध शास्ति की अनुशंसा की गई? (ड.) क्या यह सही है कि अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवा प्राप्त न होने पर भी अपीलीय अधिकारी उदासीन रहे? पात्र परिवारों को उनके अधिकार की वस्तुएं नहीं मिली, शासन इन पदाभिहीत अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेगा?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (इ.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## निर्माण कार्यों का निरीक्षण

94. (क्र. 2071) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व्दारा परफार्मेंस एवं डिफेक्ट लायबिल्टी पीरीयड में

आने वाली सड़को के संबंध में अपने तकनीकी अधिकारियों को क्षेत्रान्तर्गत सतत् भ्रमण एवं दूर डायरी बनाने के निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो विभागीय आदेश की प्रतियां उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बताये कि कटनी जिले में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक विभागीय तकनीकी अधिकारियों व्दारा परफार्मेंस गारंटी के तहत आने वाले, किन-किन कार्यों का निरीक्षण किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बताये कि विभागीय निर्देशों के तहत कटनी जिले में विभागीय तकनीकी अधिकारियों व्दारा वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक अपने क्षेत्राधिकार में किन-किन सड़क कार्यों का निरीक्षण किया गया? (घ) प्रश्नांश (ख) से (ग) के संदर्भ में बताये, कि क्या जिले में तकनीकी अधिकारियों व्दारा म.प्र. शासन एवं विभाग के नियमों/निर्देशों के पालन में निरीक्षण कार्य एवं दौरे किये गये हैं? यदि नहीं, तो इसका संज्ञान लेते हुये, संबंधितों पर क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। आदेशों की प्रतियां जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ख) कटनी जिले में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक विभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा परफार्मेंस गारंटी के तहत आने वाले मार्गों के निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है। (घ) जी हाँ। उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान व गेहूँ की राशि का भुगतान

95. (क्र. 2083) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले की चितरंगी विधानसभा अंतर्गत जिला सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य के धान व गेहूँ खरीदी केन्द्रों में वर्ष 2013-14 से 2014-15 में कितने की खरीदी की गयी है और समितियों को कितनी राशि प्राप्त हुयी तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को भुगतान हुआ? क्या कुछ व्यक्तियों का भुगतान होना शेष है? यदि हाँ, तो कब तक भुगतान किया जाएगा? समितिवार जानकारी उपलब्ध कराऐं? (ख) क्या इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराऐंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

खाय मंत्री ( कुँवर विजय शाह ): (क) सिंगरौली जिले की चितरंगी विधानसभा अंतर्गत जिला सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य के धान व गेहूँ खरीदी केन्द्रों में वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक उपार्जित मात्रा, समितियों को भुगतान की गई राशि तथा किसानों की संख्या जिन्हें भुगतान किया गया की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उपार्जित धान एवं गेहूँ का भुगतान किसानों को किया जाना शेष नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## परिशिष्ट - "चौंतीस"

## ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण

96. (क. 2085) श्री हरदीप सिंह डंग: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि शासन द्वारा खर्च की जाती है एवं इसका खर्च पंचायत द्वारा किया जाता है या सीधे उपभोक्ता से राशि ली जाती है? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में पंचायत विभाग द्वारा कितने शौचालयों का निर्माण किन-किन पंचायतों में

कराया गया है एवं किन-किन ट्यिक्तयों को लाभ पहुँचाया है? गांव एवं ट्यिक्त के नाम बतावें? (ग) मंदसौर जिले में शौचालय निर्माण की यदि शिकायतें हैं तो शिकायत की दिनाँक, जाँच दिनाँक एवं दोषियों पर कार्यवाही की दिनाँक बतावें? (घ) जिन पंचायतों में अभी तक शौचालय के कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, उनके नाम बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु शासन द्वारा प्रति शौचालय राशि रूपये 12000/- प्रोत्साहन राशि के रूप में खर्च की जाती है। क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण कराये जाने की स्थित में जिले द्वारा प्रोत्साहन राशि का भुगतान वेण्डर्स/हितग्राही के खाते में आरटीजीएस से किया जाता है। पात्र हितग्राही द्वारा शौचालय का निर्माण स्वयं कराने पर जिले द्वारा राशि आरटीजीएस के माध्यम से सीधे हितग्राही के खाते में जमा की जाती है। सीधे उपभोक्ता से राशि नहीं ली जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ जानकारी निरंक है।

#### निर्मल भारत अभियान अतंर्गत शौचालयों का निर्माण

97. (क्र. 2105) श्री प्रताप सिंह: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में क्या लक्ष्य नियत किया गया था तथा लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिले को कितना आवंटन प्राप्त हुआ था? प्राप्त आवंटन एवं लक्ष्य जिले के 7 विकासखंडों में कितना-कितना निर्धारित किया गया (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्ष में प्राप्त शौचालय निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति की स्थिति क्या रही है तथा उस पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है, विकासखंडवार बतलावें? निर्मित शौचालयों में जल की व्यवस्था है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो शौचालायों के उपयोग हेत् पानी की पूर्ति कहाँ से की जावेगी? शौचालयों का निर्माण हितगाही द्वारा स्वयं किया जा रहा है अथवा ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है? यदि ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है, तो कहाँ-कहाँ? (ग) क्या दमोह जिले में निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण लक्ष्य के अन्रूप नहीं हो पाया है तथा घोषित निर्मल ग्राम पंचायतों में भी शौचालय नहीं बन पाये हैं, इसका क्या कारण रहा है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं? निर्मित शौचालयों का निरीक्षण किस अधिकारी द्वारा किस-किस दिनाँक को कहाँ-कहाँ किया गया है तथा मौके पर क्या स्थिति (घ) जिले में अभी तक योजनान्तर्गत कितने परिवार लाभांवित हुए हैं तथा उनके द्वारा निर्मित शौचालय का उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं? गुणवत्ताविहीन शौचालय निर्माण के संबंध में कितनी शिकायतें ग्रामवासियों से प्राप्त हुई है, जाँच में क्या निष्कर्ष निकला तथा उनका निराकरण कब-कब किया गया है? निराकरण उपरांत क्या शौचालय गुणवत्तापूर्ण निर्मित किये जा रहे हैं अथवा नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) दमोह जिले में शौचालय निर्माण हेतु वर्ष 2013-14 में 42224 एवं वर्ष 2014-15 में 35574 शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया था तथा लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिले को वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में (प्रारंभिक शेष एवं आवंटन सहित) क्रमशः राशि रूपये 2006.28 लाख एवं 1340.22 लाख आवंटित हुआ। लक्ष्य एवं आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) लक्ष्य पूर्ति एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे

परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। निर्मित शौचालयों में पानी की पूर्ति हेतु ग्राम पंचायत में नलजल योजना/सामुदायिक जल स्त्रोत/हितग्राही द्वारा स्वयं की जा रही है। शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायत/हितग्राही द्वारा कराया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जिले में मनरेगा राशि का समय पर भुगतान नहीं होने के कारण शौचालय निर्माण लक्ष्य अनुरूप नहीं हो पाया है। जबेरा जनपद पंचायत की घोषित निर्मल ग्राम पंचायत भाटखमिरया, सगौडीखुर्द, हरदुआमानगढ़ में भी लगभग 15 प्रतिशत लोगों के घरों में शौचालय का निर्माण एजेन्सी की रूचि ना लेने के कारण नहीं बन पाये थे, जिन्हें शीघ्र बनाया जा रहा है। शेष जनपद पंचायतों की घोषित निर्मल ग्राम पंचायतों में शौचालय का निर्माण पूर्ण हो गया है। शौचालय के निर्माण एवं उपयोग हेतु व्यवहार परिवर्तन की गतिविधियाँ की जा रही हैं। निर्मित शौचालयों का निरीक्षण समय-समय पर ब्लाक समन्वयक/जिला परियोजना अधिकारी (तकनीकी) द्वारा किया गया। शौचालय पूर्ण/प्रगतिरत पाये गये। (घ) अभी तक 118837 परिवार (बीपीएल/एपीएल) लाभान्वित हुये हैं। अधिकांश परिवारों द्वारा शौचालय का उपयोग किया जा रहा है। उपयोग न करने वाले परिवारों को व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रेरित किया जा रहा है। गुणवत्ताविहीन शौचालय निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं उनके निराकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जी हाँ।

# जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा गुन्नौर में आर्थिक अनियमितता की जाँच

98. (क. 2133) श्री विजयपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सह. केन्द्रीय बैंक शाखा गुनौर जिला पन्ना में पदस्थ श्री राम खिलावन गर्ग के विरूद्ध आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुयी हैं? यदि हाँ, तो किस-किस माध्यम से किस दिनाँक को प्राप्त हुयी है और क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित पर कार्यवाही न होने के संबंध में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? दोषियों के विरूद्ध कब तक क्या कर्यावाही की जावेगी? (ग) क्या ओला पाला वितरण राशि के समय दिनाँक 01.04.2014 से 31.03.2015 के बीच श्री राम खिलावन गर्ग के व्यक्तिगत बचत खाते में पच्चास लाख रूपये से अधिक की राशि जमा हुई थी? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शिकायत की जाँच कराई गई? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों? कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? दोषी अधिकारी एवं दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कब तक एफ.आई.आर. दर्ज करायी जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ. शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार 28 शिकायतों में कार्यवाही की गई है. शेष 03 में जाँच जारी है. अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी नहीं बल्कि श्री रामखिलावन गर्ग के व्यक्तिगत खाता क्र. 664005001883 में दिनाँक 01.04.2014 से 31.03.2015 के मध्य वेतन सहित कुल 31,70,600/- रूपये जमा हुए हैं. (घ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई. उत्तरांश "ग" में प्राप्त जानकारी के आधार पर जाँच आदेशित की गयी है. शेष जाँच निष्कर्षाधीन.

# सागर जिले में परिवहन विभाग के चैक पोस्ट/बेरियल/नाका की जानकारी

99. (क्र. 2147) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिले में परिवहन विभाग के कितने चेक पोस्ट/बेरियल/नाका स्थापित हैं? (ख) इन

चेक पोस्टों में विभाग के कितने कर्मचारी कार्यरत है? (ग) इन चेक पोस्टों से विभाग को एक वर्ष में कितनी आय हुई? प्रत्येक माहवार विस्तृत जानकारी देवे?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ): (क) सागर जिले में परिवहन विभाग का 01 स्थाई परिवहन चेक पोस्ट मालथोन एवं 01 अस्थाई चेक पोस्ट बीना खुरई स्थापित होकर कार्यरत है। (ख) उपरोक्तानुसार स्थाई परिवहन चैक पोस्ट मालथोन पर 20 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। अस्थाई चेक पोस्ट बीना खुरई पर मालथौन चैक पोस्ट पर कार्यरत अमले द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। (ग) परिवहन चेक पोस्टों से वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त माहवार राजस्व प्राप्ती का पत्रक संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। आगे की अवधि माह अप्रेल 2015 से जून 2015 (प्रश्न दिनाँक) तक माहवार राजस्व प्राप्ती का पत्रक संलग्न परिशिष्ट 'व' अनुसार है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

## समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान पत्र भण्डारण

100. (क. 2151) श्री अशोक रोहाणी : क्या खाय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मार्या. भोपाल व्दारा जबलपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान की कितनी-कितनी मात्रा में एवं कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई है? वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की वर्षवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में धान खरीदी हेतु कितनी-कितनी मात्रा में बारदानें प्रदाय किये गये? इसमें से कितनी मात्रा में बारदानें का उपयोग किया गया? विपणन संघ की किन-किन गोदामों में ओपन केम्पस में कितनी-कितनी मात्रा में भण्डारण किया गया? धान के परिवहन व भण्डारण पर कितनी राशि व्यय हुई? इस भण्डारित धान की सुरक्षा के क्या उपाय किये गये तथा इसकी सुरक्षा पर कितनी राशि व्यय हुई? वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) में भण्डारित किन-किन गोदामों/ओपन कैम्पस की कितनी-कितनी मात्रा में धान मिलिंग हेतु कब-कब किन-किन राइस मिलों को दी गई? इनमें से किन-किन राइस मिलों ने कितनी-कितनी मात्रा में धान मिलिंग की है? (घ) प्रश्नांश (क) धान किन-किन गोदामों/ओपन केम्पस में रखी कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की धान किस कारण से खराब हुई/सड़ गई है? इसकी जाँच कब-कब किसने की है तथा इसके लिए दोषियों के विरुद्ध शासन ने कब क्या कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो क्यों?

खाय मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल व्दारा जबलपुर जिले में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मात्रा एवं राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जबलपुर जिले में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक वर्षवार प्रदाय एवं उपयोग किए गए बारदाने तथा उपार्जित धान को गोदामों एवं ओपन केप में भंडारण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। उपार्जित धान के परिवहन, भंडारण एवं धान की सुरक्षा पर किए गए व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। उपार्जित धान के सुरक्षा पर किए गए व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। उपार्जित धान के सुरक्षित भंडारण हेतु फ्यूमिगेशन कराया गया एवं सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से चौकीदार लगाए गए। (ग) मिलिंग हेतु राईस मिलर्स मिलर्स को मिलिंग हेतु प्रदाय धान एवं मिलिंग मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। राईस मिलर्स को मिलिंग हेतु दिनाँकवार, गोदामवार एवं केपवार प्रदाय मात्रा एवं मिलिंग की जानकारी काफी विस्तृत स्वरूप की होने के कारण संकलित की जा रही है। (घ) वर्ष 2011-12 में उपार्जित धान में से 1467.04 लाख रू.

की 8,470 मे.टन धान खराब हुई है। गोदाम/केपवार खराब हुई धान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-इ अनुसार है। उपार्जित धान विपणन संघ के गोदाम/केप में लंबी अविध तक भंडारित रहने के कारण धान की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथापि रखरखाव आदि में उपार्जन एजेंसी के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती गई है, इसकी जाँच कराई जा रही है।

### धानी खरीदी के मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

101. (क. 2152) श्री अशोक रोहाणी : क्या खाय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में वर्ष 2013-14 (सितम्बर 2013) में धान के उपार्जन में गड़बड़ी गबन व अमानक धान की खरीदी की शिकायतों के मामलें जिला खाय एवं आपूर्ति नियंत्रक जबलपुर के व्दारा खरीदी केन्द्रों की जाँच में आरोप सही पाये गये हैं? यदि हाँ, तो किन-किन खरीदी केंद्र की कब-कब किसने जाँच की एवं किन-किन केन्द्रों में क्या-क्या अनियमितताएं व शिकायतें सही पाई गई हैं तथा इसके लिए किन-किन दोषियों के विरुद्ध कब क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) में धान खरीदी के दौरान विभिन्न केंद्रों और गोदामों के निरीक्षण में अमानक धान खरीदी के कितने प्रकरण पकड़े गये और कब-कब, किन-किन केंद्रों में गोदामों में कितनी-कितनी मात्रा में अमानक धान जब्त की गई? जब्त की गई धान की सुपुर्दगी कब किसे दी गई? इसे राजसात किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांकित पकड़े गये किन-किन मामलों में किस-किस के विरुद्ध एफ.आई.आर. कब दर्ज कराई गई एवं कितने प्रकरण कार्यवाही हेतु कब से किसके पास लंबित हैं एवं क्यों? सूची दें। (घ) प्रश्नांश एवं किन-किन खरीदी केंद्रों में कितनी-कितनी मात्रा में कितनी राशि की धान की खरीदी की गई एवं किन-किन खरीदी केंद्रों में कितनी-कितनी मात्रा में कितनी राशि की धान की खरीदी की गई एवं किन-किन गोदामों/वेयर हाउस में कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में धान भण्डारण हेतु भेजी गई?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जबलपुर जिले में वर्ष 2013-14 में धान उपार्जन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का विवरण, जाँचकर्ता अधिकारी का नाम, पाई गई अनियमितता एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) धान खरीदी केन्द्रों एवं गोदामों में अमानक धान खरीदी के 17 प्रकरण बनाए गए। प्रकरण में जप्त धान की मात्रा, स्पूर्दगी दिनाँक, स्पूर्दगीदार का नाम एवं मुक्त की गई धान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। धान उपार्जन हेत् जारी निर्देश के अंतर्गत जप्त अमानक धान को राजसात करने का प्रावधान न होने तथा अमानक धान के उपार्जन न करने की दृष्टि से जप्त की गई धान को उपार्जन अवधि के पश्चात् जप्ती से मुक्त किया गया। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित प्रकरणों में से 3 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रकरण में आरोपी का नाम, एफआईआर करने की दिनाँक एवं प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। इनके अतिरिक्त कोई प्रकरण लंबित नहीं है। (घ) जबलप्र जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में 2,03,131.75 मे.टन धान का उपार्जन किया गया जिसकी कुल राशि रू. 29,657.23 लाख होती है। उपार्जन केन्द्रवार उपार्जित धान एवं उसकी राशि की जानकारी प्रस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। उपार्जित धान के भंडारण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। गोदाम/केप में दिनाँकवार भंडारण मात्रा की जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने के कारण संकलित की जा रही है।

## विधानसभा क्षेत्र बीना में स्वीकृत हाट बाजार का निर्माण

102. (क्र. 2175) श्री महेश राय: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के अंतर्गत कितने हाट बाजार कितनी-कितनी लागत के तथा कौन-कौन से ग्रामों में स्वीकृत किये गये है एवं उनके निर्माण कार्य की स्थिति क्या है? (ख) यदि स्वीकृत हुये हैं तो निर्माण कार्य प्रश्न दिनाँक तक प्रारंभ क्यों नहीं हुये? (ग) यदि निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है तो इसके लिये उत्तरदायी कौन है? यदि हाँ, तो उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? अवगत कराने का कष्ट करें? (घ) विधानसभा क्षेत्र बीना में हाट बाजार का निर्माण कार्य कब प्रारंभ होगा एवं कार्य पूर्ण होने का समय बतायें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 6 अनुसार। (ग) स्थल उपलब्ध न होने एवं स्थानीय विवाद के कारण कार्य में विलंब हो रहा है। इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) स्थल उपलब्ध होने एवं विवाद सुलझने के उपरांत कार्य प्रारंभ कराये जायेंगे। हाट बाजार खिमलासा का निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जिसके मार्च, 2016 तक पूर्ण होने की संभावना है।

### परिशिष्ट - "छतीस"

## गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों हेतु भवन निर्माण

103. (क्र. 2187) डॉ. कैलाश जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोटेगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी ग्राम पंचायत में भवन हैं एवं कितनी ग्राम पंचायत भवन विहीन हैं? (ख) क्या इन भवन विहीन पंचायतों हेतु निर्माण की कोई कार्ययोजना प्रस्तावित हैं? यदि हाँ, तो इनके भवन का निर्माण कब तक प्रारंभ हो सकेगा? (ग) विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी पंचायतों में सचिव/सहसचिव नियुक्त हैं एवं कितनों में नहीं? (घ) विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर के कितने निर्माण कार्य विगत 3 वर्षों से वित्तीय स्वीकृति के अभाव में अवरूद्ध हैं? पंचायतवार कार्यवार जानकारी प्रदान करें? कब तक प्रारंभ हो सकेगें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) गोटेगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 95 ग्राम पंचायतों में भवन निर्मित है तथा 33 पंचायतों में नवीन पंचायत भवन एवं ई-पंचायत कक्ष निर्माणाधीन है। 11 ग्राम पंचायतें भवनविहीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) जी हाँ। आवंटन की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार भवन स्वीकृत किये जायेंगे। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (घ) गोटेगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कोई भी कार्य वित्तीय स्वीकृति के अभाव में अवरूद्ध नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

## गोटेगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्य बाबत

104. (क. 2188) डॉ. कैलाश जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोटेगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2013-14 से 2014-15 से वर्तमान तक ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में कितने निर्माण कार्य स्वीकृत हैं एवं कितने कार्य प्रगति पर हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के कितने कार्य वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण प्रारंभ नहीं हुये हैं एवं कितने कार्य वित्तीय स्वीकृति मिलने के पश्चात भी प्रारंभ नहीं हुये हैं? (ग) निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात भी कितने अधूरे हैं एवं कार्य पूरा न होने के बाद भी कितने कार्यों का भुगतान किया गया है? सूची

उपलब्ध करायें? (घ) इन अधूरे निर्माण कार्यों के लिये निर्माण एजेंसी/संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) गोटेगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2013-14 से 2014-15 से वर्तमान तक 18 कार्य स्वीकृत हैं एवं 10 कार्य प्रगतिरत हैं। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत 02 कार्य संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति एवं वितीय आवंटन प्राप्त न होने के कारण प्रारंभ नहीं हुये हैं। 06 कार्यों की वितीय स्वीकृति प्राप्त है जो कि प्रारंभ नहीं हुये हैं। (ग) 13 कार्य निविदा होने के पश्चात अधूरे हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें पूर्ण भुगतान बगैर कार्य पूर्ण हुये किया गया हो। विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) अधूरे निर्माण कार्य में किसी अधिकारी का दोष न होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई। धीमी प्रगति वाले कार्यों की निर्माण एजेंसी को अनुबंधानुसार नोटिस जारी किये गये।

### परिशिष्ट - "सैंतीस"

## जनपद पंचायत लांजी की ग्राम पंचायत बापड़ी में पूर्व सरपंच को राशि का भुगतान

105. (क्र. 2215) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत लांजी के कारण बताओ नोटिस क्रमांक 3294/ज.पं./2007 दिनाँक 29.03.2007 व्दारा तत्कालीन सरपंच को पूर्व सरपंच व्दारा 107121/- (रू. एक लाख सात हजार एक सौ इक्कीस मात्र) का भुगतान करने के संबंध में क्या कार्यवाही हुई है? (ख) क्या उक्त आदेश में जिस राशि को भुगतान करने के लिए कहा गया था वह राशि आज दिनाँक तक उस सरपंच को नहीं दी गयी है जिसके व्दारा आदेश में दर्शित कार्य अपना पैसा लगाकर पूर्ण किये गये थे तथा जिसकी राशि तत्कालीन सरपंच व्दारा आहरित कर ली गयी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) सरपंच सचिव ग्राम पंचायत बापड़ी को श्रीमती अनुसया नगपुरे पूर्व सरपंच बापड़ी के आवेदन पत्र के आधार पर जनपद पंचायत लांजी द्वारा कारण बताओं नोटिस क्रमांक 3294/ज.पं./2007 दिनाँक 29.03.2007 जारी किया गया था। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) जी नहीं। अनुविभागीय अधिकारी (राज.) लॉजी द्वारा पत्र कं./1295/प्र.वा.अवि.अ./2015 दिनाँक 09.06.2015 के द्वारा सरपंच सचिव ग्राम पंचायत बापड़ी को पूर्व सरंपच को राशि 107121/- (एक लाख सात हजार एक सौ एक्कीस मात्र) भुगतान की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार।

### परिशिष्ट - "अड़तीस"

## बालाघाट जिले के लांजी तथा किरनापुर विकास खंड में मनरेगा का बकाया भुगतान

106. (क. 2216) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विषयांकित विकास खंडों में मनरेगा का भुगतान कितना बाकी है? कृपया ग्राम पंचायत अनुसार तथा कार्य अनुसार जानकारी दें? (ख) मनरेगा कानून के तहत मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर किये जाने के प्रावधान है? यदि मजदूरी समय सीमा में नहीं दी गयी है तो इसके लिए कौन दोषी है तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) मनरेगा कानून में समय सीमा के बाद दी जाने वाली मजदूरी पर क्या अतिरिक्त राशि देने के प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो समय सीमा के ऊपर क्या समस्त राशियों का भुगतान अतिरिक्त राशि के साथ किया गया है या किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) लांजी विकास खंड में मनरेगा अन्तर्गत राशि रु. 27.67 लाख का भुगतान सॉफ्टवेयर संबंधी किठनाईयों के कारण लंबित है, जिसे भारत सरकार से समन्वय कर भुगतान कराया जावेगा। राशि रुपये 31.71 लाख का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 का है। जिसे भुगतान कि सतत् प्रक्रिया के तहत माह मई 2015 से लागू नवीन PFMS व्यवस्था के तहत कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत अनुसार तथा कार्य अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विकासखण्ड किरनापुर में मनरेगा का भुगतान लंबित नहीं है। (ख) मनरेगा अधिनियम के तहत मजदूरी का भुगतान 15 दिवस के भीतर किये जाने का प्रावधान है। भुगतान हेतु निर्धारित समयावधि में ग्राम पंचायत द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण विलम्ब हुआ है। दोषियों के विरुद्ध दायित्व निर्धारण हेतु नोटिस जारी किया गया है। (ग) मनरेगा कानून में समय सीमा के बाद दी जाने वाली मजदूरी पर अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। निश्चित समयावधि में भुगतान नहीं हो पाने का प्रमुख कारण विगत वर्ष स्वीकृत लेबर बजट के अनुक्रम में भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होना एवं भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर पर एक ही खाते से भुगतान हेतु लागू PFMS व्यवस्था पूर्ण रुप से सुदृढ़ नहीं होना है। उक्त कारणों से राज्य स्तर से पेनाल्टी दिये जाने का नियम लागू नहीं किया गया है।

# अनुस्चित जाति बाहुल्य पंचायतें चिन्हित करना विषयक

107. (क्र. 2232) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के विभिन्न जिलो में अनुसूचित बाहुल्य ऐसी पंचायतें चिन्हित कर दी गयी है जिन पंचायतों में ही अनुसूचित जाित के लोगों के विकास संबंधित योजनाएं लागू हो सकती हैं? कृपया जिलेवार चिन्हित ग्राम पंचायतों के नाम सहित जानकारी दें? (ख) क्या शासन की इस नीित से प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में रहने वाले अनुसूचित जाित वर्ग के लागों को योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया है? (ग) क्या समस्त अनुसूचित जाित वर्ग के लागों को जो प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर छोटी-छोटी संख्या में निवास करते हैं योजनाओं का लाभ देने के लिए उक्त प्रतिबंधों को तत्काल हटाया जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

## मध्यान्ह भोजन योजना संचालित करने वाले समूहों को खाद्यान्न का प्रदाय

108. (क्र. 2238) श्री प्रहलाद भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के विकासखण्ड पोहरी में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना/आंगनवाड़ी पोषण आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत संबंधित समूहों के लिये माह अक्टूबर 2014 से प्रश्न दिनाँक तक कितना-कितना, कौन-कौन सा खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हुआ व प्राप्त आवंटन के विरूद्ध किस-किस दुकान से किस-किस समूह को कब-कब, कितना-कितना, कौन-कौन सा खाद्यान्न प्रदाय किया गया? दुकानवार, समूहवार, खाद्यान्नवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2014 एवं माह जनवरी, फरवरी व मार्च 2015 के खाद्यान्न के कूपन संबंधित समूहों को प्रदाय कर दिये गये हैं परन्तु उन्हें प्रश्न दिनाँक तक खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया है यदि खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है तो किस-किस समूह को उपलब्ध कराया गया है विकस क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विकासखण्ड पोहरी में आंगनवाड़ी पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत माह अक्टूबर 2014 से प्रश्न दिनाँक तक प्राप्त खाद्यान्न आवंटन एवं प्रदाय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत माह अक्टूबर 2014 से दिसम्बर 2014 तक जारी आवंटन एवं प्रदाय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। उक्त माह की खाद्यान्न का प्रदाय दिनाँक 20.11.2014 से 04.03.2015 के मध्य सेवा सहकारी संस्था भटनावर द्वारा किया गया है माह जनवरी 2015 से मार्च 2015 की आंवटन एवं प्रदाय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। उक्त माह की खाद्यान्न सामग्री भेजी जा रही है। (ख) जी हाँ। पोषण आहार का सभी खाद्यान्न संबंधित समूहों को प्रदाय कर दिया गया है तथा मध्यान्ह भोजन योजना का माह अक्टूबर से दिसम्बर 2014 तक का खाद्यान्न/कूपन सभी समूहों को प्रदाय कर दिये गये हैं। माह जनवरी से मार्च 2015 तक का खाद्यान्न/कूपन 59 दुकानों को प्रदाय कर दिये गये हैं। शेष खाद्यान्न म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन शिवपुरी द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। प्रदाय की गई दुकानों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।

## मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

109. (क्र. 2247) श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत कितनी एवं कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है? सड़कवार उनके कार्य पूर्ण होने की अविध क्या है? (ख) उक्त सड़कों में किन-किन सड़कों का कार्य अब तक पूर्ण हो चुका है? किन-किन सड़कों का कार्य अपूर्ण है? (ग) सड़कों के निर्माण में कितनी सड़कों पर अब कितने ठेकेदारों का कितना भुगतान किया जा चुका है? (घ) सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण कौन-कौन से अधिकारी कर रहे है? सड़कों का शेष निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कुल 79 सड़कों के निर्माण कार्य में 11 ठेकेदारों को राशि रू.2152.489 लाख का भुगतान किया जा चुका है। (घ) सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण विभाग के कार्यपालन यंत्री एवं उनके अधीनस्थ द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। राज्य गुणवता परीक्षक द्वारा भी सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सड़क के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

## हटा कृषि उपज मण्डी में निर्माण कार्य

110. (क्र. 2267) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह में विधान सभा क्षेत्र हटा में कृषि उपज मण्डी हटा में विगत 2012 से कितने दिन डांक लगी व कितने किसान लाभान्वित हुये? (ख) कृषि उपज मण्डी हटा में विगत तीन वर्षों में कौन-कौन से कार्य किस मद से कितनी राशि से स्वीकृत किये गये ठेकेदार के नाम सहित जानकारी प्रदाय करें? (ग) कृषि उपज मण्डी हटा जिला दमोह में न तो डांक लग रही है न ही मण्डी का लाभ किसानों को मिल रहा है? इसकी जाँच कराकर संबंधितों पर कार्यवाही की समय-सीमा बतावें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) कृषि उपज मंडी समिति, हटा जिला दमोह सीजनल मंडी है जहाँ म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 36 (3) के प्रावधान अनुसार खुली नीलामी पद्धित से विक्रय कराया जाता है। वर्ष 2012 से वर्तमान तक मंडी प्रागंण हटा में 324 दिवस खुली नीलामी पद्धित एवं शेष दिवसों में नमूने के आधार पर खुली नीलामी से कृषक द्वारा लाई गई कृषि उपज का क्रय-विक्रय द्वारा कराया गया। मंडी प्रागंण में कुल 2104 कृषक लाभान्वित हुये है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट क्रमश: "अ" एवं "ब" पर है। (ग) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

### परिशिष्ट - "उनतालीस"

#### दमोह जिले में पंच परमेश्वर की प्राप्त राशि

111. (क्र. 2272) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हटा विधान सभा क्षेत्र के हटा व पटेरा जनपद पंचायत अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में पंच परमेश्वर की कितनी राशि पंचायतवार प्राप्त हुई? एक वर्ष में कितनी किश्तों में यह राशि प्राप्त होती है? (ख) प्राप्त पंचायतवार राशि का क्या उपयोग हुआ? कितनी राशि शेष है व कितनी राशि किस मद में व्यय की गई? पंचायतवार जानकारी व म.प्र. शासन के उपयोग संबंधी नियम की छायाप्रति व जिन-जिन पंचायतों में खर्च में लापरवाही की गई, उनकी जाँच टीम बनाकर व दोषियों पर कार्यवाही समयाविध सहित जानकारी उपलब्ध करायें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) हटा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत हटा एवं पटेरा जनपद पंचायत को वितीय वर्ष 2015-16 में राशि प्राप्त नहीं हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में योजनांतर्गत दो किश्तों में राशि प्राप्त होती है। (ख) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। राशि के उपयोग संबंधी नियम पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "अ" अनुसार।

# सागर नगर में आई.टी. पार्क की स्थापना

112. (क्र. 2288) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर प्रवास के दौरान सागर संभागीय मुख्यालय पर आई.टी. पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी? इस संबंध में विभाग द्वारा प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) उक्त प्रश्न (क) के परिप्रेक्ष्य में यह कब तक स्थापित हो सकेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ): (क) जी हाँ। सागर में आईटी पार्क की स्थापना हेतु सिद्धगवाँ, तहसील सागर की 10 एकड़ भूमि आवंटन के लिए आवेदन कर दिया गया है। (ख) समय-सीमा तय किया जाना संभव नहीं है।

# आर.के.वी.वाई. योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि

113. (क्र. 2310) श्री विश्वास सारंग: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08 से -2012-2013 तक प्रदेश को केन्द्र से आर.के.वी.वाई. योजना के तहत कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? वर्षवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या यह सत्य है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने परफॉरमेन्स ऑडिट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन में राशि का उपयोग स्वीकृत प्रोजेक्ट की जगह अन्य में करने को आक्षेपित किया है? यदि हाँ, तो क्या-क्या आक्षेप लगाये गए है? (ग) भोपाल जिले में प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तहत

क्या यह सत्य है कि वर्ष 2007-8 से 2012 -2013 बीच की अविध में प्राप्त राशि अधिकारियों के व्यक्तिगत खातों (पी.डी.एकाउन्ट) में जमा की गई? यदि हाँ, तो किन पदनाम/नाम के अधिकारी के व्यक्तिगत खातों में वर्षवार कितनी राशि जमा की गई है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) व (ग) के तहत कितनी राशि के यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट जारी किये? वर्षवार, राशिवार जानकारी दें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परफारमेंस ऑडिट के आधार पर प्राप्त प्रतिवेदन के संबंधित अंश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) भारत सरकार को भेजे गए उपयोगिता प्रमाण पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।

### शौचालय निर्माण में अनियमितता

114. (क्र. 2311) श्री विश्वास सारंग: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले के किस-किस ब्लाक की ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण में हुई अनियमितताओं की 1 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या और कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? वर्षवार, शिकायतवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत अनियमितताओं वाली पंचायतों में किस पदनाम/नाम के अधिकारी/कर्मचारी के भौतिक सत्यापन/अनुमोदन/हस्ताक्षर के बाद भुगतान किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है? क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अब की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। परिशिष्ट – "चालीस"

# पैकेज क्रमांक 3709 के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता

115. (क्र. 2325) श्री दुर्गालाल विजय: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क्र) श्योपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वयन इकाई श्योपुर के महाप्रबंधक श्री आर.ए.एस. कौशिक ने किस दिनाँक को कार्यभार ग्रहण किया? (ख) महाप्रबंधक द्वारा पैकेज क्रमांक 3709 के पूर्णता प्रमाण पत्र किस दिनाँक को जारी किये गये? (ग) क्या उक्त पैकेज के कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र महाप्रबंधक द्वारा उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से पूर्व की दिनाँक में जारी किये गये? तत्पश्चात महाप्रबंधक द्वारा पूर्व दिनांकों में ही मेन्टीनेंस की राशि का भुगतान भी किया गया? क्या यह कार्यवाही महाप्रबंधक द्वारा नियमानुसार की गई है? (घ) यदि हाँ, तो किस आदेश के तहत की गई? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो क्या शासन वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करवाएगा तथा महाप्रबंधक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) श्योपुर जिले में श्री आर.ए. कौशिक, महाप्रबंधक द्वारा म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, श्योपुर का कार्यभार दिनाँक 06.04.2013 को ग्रहण किया गया है। (ख) महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई श्योपुर द्वारा

पैकेज क्रमांक एमपी 3709 के पूर्णता प्रमाण पत्र पर दिनाँक 10.04.2014 को हस्ताक्षर किये गये। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश "ग" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# ग्राम पंचायतों के अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य

116. (क्र. 2342) श्री दिनेश राय (मुनमुन): क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले की सिवनी वि.स. क्षेत्रान्तर्गत 30 जून, 2015 की स्थिति में ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से कार्य अपूर्ण-अप्रारंभ है तथा क्यों? योजनावार, ग्राम पंचायतवार सूची दें? (ख) उक्त कार्यों को निर्धारित समयाविध में पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास, कार्यवाही की? (ग) पंचपरमेश्वर योजनान्तर्गत विगत 03 वर्षों में उक्त पंचायतों में क्या-क्या कार्य कराये गये ग्राम पंचायतवार सूची दें? (घ) उक्त ग्राम पंचायतों में विगत 03 वर्षों में कराये गये कार्यों में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

#### खवासा चौकी से शासन को प्राप्त राजस्व

117. (क्र. 2343) श्री दिनेश राय (मुनमुन): क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले की खवासा चेक पोस्ट पर 1 जनवरी, 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कितने माल वाहन पास किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार पास किये गये वाहनों से शासन को कितना निर्धारित राजस्व शुल्क प्राप्त ह्आ?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : सिवनी जिले की खवासा चेक पोस्ट पर MPBCDCL कंपनी द्वारा कम्प्यूटराईज एकीकृत परिवहन जाँच चौकी दिनाँक 22.07.2014 से प्रारंभ की गई है, इसके उपरान्त कम्प्यूटराईज संसाधनों के माध्यम से चेक-पोस्ट से गुजरने वाली वाहनों का अभिलेख रखा जाता है। इसके पूर्व चेक-पोस्ट से गुजरने वाली उन्हीं वाहनों का अभिलेख रखा जाता था, जिनके विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जाती थी। दिनाँक 22.07.2014 से 30.06.2015 तक खवासा चेक-पोस्ट से 5,99,072 माल वाहन पास हुए हैं। (ख) प्रश्नांकित अविध दिनाँक 1 जनवरी 2012 से दिनाँक 30.06.2015 तक 258944 माल वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर निम्नानुसार शासकीय राजस्व वसूल किया गया :-

मोटरयान कर	समझौता/ शमन शुल्क	कुल प्राप्त राजस्व
65002382	322000570	387002952

# जिला सहकारी संघ एवं मुद्रणालय में सेवा नियमों के प्रतिकूल सेवा समाप्ति की कार्यवाही

118. (क्र. 2362) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी संघ एवं मुद्रणालय, छतरपुर में रजिस्ट्रार व्दारा अनुमोदित कर्मचारी सेवा नियम लागू हैं, जिनके तहत कर्मचारियों की नियुक्ति/सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाती है? (ख) क्या उक्त दिशा-निर्देशों के तहत दि. 01.04.2013 से प्रश्न दिनाँक तक उक्त संघ में कर्मचारियों की नियमित वेतनमान में नियुक्ति तथा सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई है? हां, तो उक्त अविध में नियुक्त कर्म. का आदेश व नाम/पदनाम एवं सेवा समाप्ति कर्मचारियों के आदेश व नाम/पदनाम के साथ-साथ नियुक्तिकर्ता अधि. व सेवा समाप्त करने वाले अधि. का नाम/पदनाम बताएं? (ग) क्या

उक्त सूची में लेख के सेवा समाप्त कर्मचारी के विरूद्ध लागू सेवा नियम-सह. समितियां अधिनियम, 1960 में लिखित विधि का अक्षरशः पालन किया गया है? यदि उक्त सेवा नियम के तहत यथोचित कार्यवाही नहीं की गई है, तो सेवा समाप्ति की दूषित प्रक्रिया अपनाने के लिए कौन दोषी है? (घ) शासन, दूषित प्रक्रिया के तहत निरस्त किए गए उक्त सेवा समाप्त आदेश को बहाल कर उक्त दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगा? हां, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी हाँ. (ख) जी हाँ. दिनाँक 01.04.2013 से प्रश्न दिनाँक तक जिला संघ में एक कर्मचारी श्री राघवन चौबे पुत्र श्री विजय चौबे, लिपिक की आदेश क्रमांक/स्था./37, दिनाँक 30.08.2014 से नियुक्ति एवं आदेश क्रमांक/स्था/110, दिनाँक 01.05.2015 से सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई है. श्री जे.एस. यादव सहकारी निरीक्षक एवं प्रबंधक जिला संघ द्वारा नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति आदेश जारी किये गये हैं. (ग) सेवा समाप्ति संबंधी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से वर्तमान में कोई निष्कर्ष दिया जाना योग्य नहीं है. (घ) उत्तरांश ''ग" अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन.

# शा. उचित मूल्य की दुकान को नियम विरुद्ध निरस्त किया जाना

119. (क. 2363) श्री मानवेन्द्र सिंह: क्या खाय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुरूदेव प्राथ. उप. सह. भं. मर्या., घुवारा (छतरपुर) व्दारा नगर पंचायत क्षेत्र घुवारा की संचालित शा.उ.मू.दु. वार्ड क्र. 01 से 05 तक के संबंध में मा. उच्च न्याया. जबलपुर में याचिका क्र. 19251/13 लंबित होने के उपरान्त भी उक्त दुकान के संचालक को बिना कारण बताओं नोटिस जारी कर दुकानें निरस्त की गर्यी हैं? हाँ, तो निरस्त करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व उक्त आदेश की सत्य प्रतिलिपि देवें? (ख) क्या उक्त न्यायालय में लंबित याचिका के उपरान्त निर्भयपूर्वक बिना कारण बताओं नोटिस के उक्त दुकानों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाना न्याय सिद्धांतों के अनुकूल है या प्रतिकूल? यदि प्रतिकूल है, तो किन नियम/निर्देशों के तहत स्पष्ट करें तथा इसके लिए कौन दोषी है, दोषियों के नाम/पदनाम उल्लेखित करें? (ग) क्या उक्त शा.उ.मू. की दुकानें अपात्र संस्था को संचालन हेतु सौंपी गर्यों है? यदि हाँ, तो सौंपे गए संलग्नीकरण आदेश की प्रति, संस्था (अपात्र) का नाम, पंजीयन के अनुसार कार्यक्षेत्र विवरण की सूची प्रस्तुत करें? (घ) शासन, दोषपूर्ण प्रक्रिया के तहत निरस्त किए गए आदेश को बहाल करने के आदेश जारी करेगा तथा मा. उच्च न्यायालय के आदेशों को अनदेखा कर मनमाने ढंग से कार्यवाही करने वाले उक्त दोषियों के विरुद्ध सकारात्मक कार्यवाही करेगा? हां, तो कब तक समय-सीमा नियत कर बताएं?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। उक्त दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किए बगैर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बडामलहरा ने दिनाँक 09.06.2015 को उक्त दुकान संचालक का कार्य अन्य सहकारी संस्था को सौंप दिया था। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के उपरांत भी बिना कारण बताओ नोटिस के उक्त दुकान को अन्य संस्था को संचालन हेतु सौंपना न्याय सिद्धांतों के प्रतिकूल है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी यथास्थिति के आदेश एवं प्रशासक के प्रभारी नियुक्त होने की दशा में उक्त दुकान को अन्य संस्था को सौंपने का औचित्य नहीं था। दोषी अधिकारी का नाम एवं पद श्री सी.एल.चनाप तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बडामलहरा एवं सचिन श्रीवास्तव कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बडामलहरा है। (ग) जी नहीं। उक्त उचित मूल्य दुकान का संचालन अपात्र

संस्था को नहीं सौंपा गया है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी 'यथास्थिति' के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश का कोई औचित्य नहीं था। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। संस्था का नाम तथा उसके कार्यक्षेत्र संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) दुकान आवंटन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, बड़ामलहरा द्वारा उक्त भण्डार का कार्य जिस सहकारी संस्था को दिनाँक 09.06.2015 को दिया गया था, उस आदेश को दिनाँक 10.07.2015 को स्थिगत कर दिया गया है। जी हाँ सक्षम अधिकारी को कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।

### परिशिष्ट - "इकतालीस"

### सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से राशि का आहरण

120. (क्र. 2371) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जतारा जनपद पंचायत जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत हृदयनगर के सचिव के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बिल, वाऊचर, फाईलें जनपद जतारा में पेश करके स्कूल भवन, निर्माण, यात्री प्रतीक्षालय, सी.सी.रोड आदि के संबंध में कितने लाख रुपये की राशि अभी तक पूर्ण सरपंच के व्दारा निकाल ली गई है? (ख) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जतारा को सचिव हृदयनगर ग्राम पंचायत की ओर से दिनाँक 13.02.2015 में फर्जी हस्ताक्षर किये जाने का आवेदन पत्र दिया गया था? फिर भी दिनाँक 13.02.2015 के बाद पूर्व सरपंच हृदय नगर व्दारा कितनी राशि आहरित की गई तथा जब सचिव व्दारा फर्जी हस्ताक्षर पूर्व सरपंच के व्दारा बनाये जाने का आवेदन दिया गया था तो इसमें क्या कोई जाँच की गई? यदि हाँ, तो किस प्रकार की जाँच की गई? (ग) क्या पूर्व सरपंच व्दारा जब फर्जी हस्ताक्षर बिल वाऊचरों पर करा कर भ्गतान प्राप्त करने की उच्चस्तरीय विधान सभा से समिति बनाकर जाँच करायेंगे? यदि हाँ, तो समयाविध बतायें? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? (घ) क्या पूर्व सरपंच पंचायत का रिकार्ड आज भी अपने पास रखे ह्ये है जो सचिव के पास नहीं है? उसका भी पत्र 06.04.2015 में दिया गया है? उक्त रिकार्ड सचिव को कब तक उपलब्ध करा देंगे? समय सीमा बताये तथा फर्जी भुगतान लेने वाले पूर्व सरपंच से राशि वसूली की कार्यवाही करेगे क्या यदि हाँ, तो कब तक समयाविध बताये यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा की ग्राम पंचायत हृदय नगर में सचिव के फर्जी हस्ताक्षर करके राशि आहरण नहीं की गई है। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में यात्री प्रतिक्षालय सी.सी.रोड़ एवं स्कूल भवन के कार्य कराये गये, जिसका सत्यापन सहायक यंत्री द्वारा किया गया एवं कार्यों पर पूर्णता प्रमाण-पत्र अनुसार रुपये 3420674.00 की राशि ग्राम पंचायत द्वारा आहरित की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-क अनुसार। (ख) जी नहीं। सचिव, ग्राम पंचायत हृद्वयनगर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जतारा को दिनाँक 13.02.2015 को पत्र दिया गया, जिसमें सचिव द्वारा दबाब में हस्ताक्षर करने का लेख किया गया। दिनाँक 13.02.2015 के बाद ग्राम पंचायत के द्वारा कोई राशि आहरित नहीं की गई, जिससे सचिव द्वारा दिये गये आवेदन की कोई जाँच नहीं कराई गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ख अनुसार। (ग) जी नहीं। आवश्यकता नहीं है। (घ) जी नहीं। ग्राम पंचायत सचिव के पास रिकार्ड संधारित है। सचिव द्वारा जनपद पंचायत कार्यालय को पावती दी गई है। दिनाँक 13.02.2015 के बाद

ग्राम पंचायत द्वारा कोई राशि आहरित नहीं की गई। अतः फर्जी भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ग अनुसार।

## खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छिदारी की सहकारी समिति में ऋण माफी

121. (क्र. 2380) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूरे म.प्र. के कृषकों की ऋण माफी मार्च 2007 तक की गई थी? यदि हाँ, तो प्राथमिक सहकारी साख समिति छिदारी के व्दारा कितने कृषकों के ऋणों को माफ किये जाने की सूची जारी कर ऋण माफ किये जाने की योजना से लाभान्वित किया गया है? नामवार जानकारी देवें? (ख) क्या प्रा. सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं समिति प्रबंधक व्दारा मात्र 10-15 व्यक्तियों को जो अध्यक्ष की पत्नी भाई एवं अन्य सगे संबंधी एवं समिति प्रबंधक के भी सगे संबंधियों को ऋण माफी का लाभ दिलाया गया तथा बाकी हितग्राहियों को ऋण माफी का लाभ नहीं मिला वह अभी तक अपना ऋण चुका रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रकरण की जाँच करायेगे? (ग) यदि हाँ, तो समयाविध बताये यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? साथ ही उक्त समिति प्रबंधक एवं अध्यक्ष व्दारा यदि 10-15 व्यक्तियों को ऋण माफी का लाभ दिलाया गया है और यदि यह उचित है तो क्या सभी हितग्राहियों को ऋण माफी के आदेश करेंगे? (घ) यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो 10-15 व्यक्तियों को दिये गये लाभ ऋण माफी को निरस्त कर उनसे भी वसूली करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ. 336 कृषकों. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी नहीं. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) ऋण राहत/माफी योजना अंतर्गत पात्र सभी 336 किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया गया था. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) उत्तरांश "ग" अनुसार.

# कटनी जिले की दाल मिलों की जाँच

122. (क्र. 2416) कुंवर सौरभ सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क्र) क्या कृषि उपज मंडी समिति कटनी की दाल मिलों द्वारा दिनाँक 11.10.2009 से 25 दिसम्बर 2009 की अविध में प्रदेश के बाहर से आयातित दलहन पर बिना मंडी शुक्ल एवं निराश्रित शुल्क जमा किए प्रसंस्करण की शिकायत की जाँच में उप संचालक मंडी बोर्ड जबलपुर ने मात्र 12 दाल मिलों की जाँच जाकर राशि 8658251 रू. 9 दाल मिलों पर वसूली अधिरोपित की शेष दाल मिलों की जाँच मुख्यालय स्तर से जाँच दल गठित कर कराए जाने हेतु उपसंचालक ने पत्र क्रमांक/मंडी बोर्ड/बी-2/कटनी/182/9026 दिनाँक 04.10.2014 से उपसंचालक (नियमन) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को लिखा था? क्या उक्त जाँच प्रतिवेदन अनुसार मंडी कर्मचारियों को भी दोषी ठहराया गया था? (ख) यदि हाँ, तो शेष दाल मिलों की जाँच हेतु जाँच दल गठित कर जाँच क्यों नहीं कराई गई कारण बताएं? क्या एक निश्चित समय सीमा में जाँच दल गठित कर संपूर्ण दाल मिलों की जाँच कराई जावेगी तथा प्रश्नांश (क्र) के परिप्रेक्ष्य में दोषी पाए गए मंडी कर्मचारियों के विरूद्ध मंडी समिति कटनी/सचिव को निर्देश देने के विरूद्ध कार्यवाही न करने के लिए समिति/सचिव के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये सीधे मुख्यालय से संबंधितों को निलंबित किये जाने के निर्देश दिये जायेंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों कारण बताएं? (ग) मंडी कटनी में 1 जनवरी 14 से

प्रश्न दिनाँक तक जबलपुर मंडी बोर्ड उड़नदस्ता द्वारा जिन फर्मों के प्रकरण तैयार किये थे प्रकरणवार स्थिति बताएं तथा उन पर अधिरोपित मंडी शुल्क की वसूली हो गई या नहीं यदि नहीं, हुई तो उनकी अनुज्ञिस बकाया रहते कैसे निरस्त नहीं की और कब तक निरस्त होगी इसके लिए कौन दोषी है? (घ) वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक मंडी कटनी की कितनी शिकायत की गई तथा दोषी पाए गए कर्मचारी/अधिकारी/व्यापारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जबलपुर के पत्र दिनाँक 04.10.2014 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के संबंध में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल के पत्र दिनाँक 28.10.14 से कृषि उपज मंडी समिति कटनी के व्यापरियों से नियमानुसार मंडी फीस वसूल करने तथा दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेत् उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जबलप्र को निर्देश दिये गये। (ख) मंडी समिति कटनी की शेष अनुज्ञप्तिधारी दाल मिलों की उपसंचालक मंडी बोर्ड जबलप्र के स्तर से यथा शीघ्र जाँच पूर्ण कर नियमान्सार मंडी फीस एवं निराश्रित शुल्क वसूल करने हेत् निर्देश दिये गये है, परंतु दाल मिलों की व्यापक संख्या को देखते ह्ये जाँच पूर्ण होने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड जबलपुर के जाँच प्रतिवेदन दिनाँक 04.10.2014 के आधार पर राज्य मंडी बोर्ड सेवा तथा मंडी समिति सेवा कटनी के दोषी पाये गये कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। अतः शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता है। (ग) मंडी कटनी में 01 जनवरी 2014 से जून 2015 तक कार्यालय उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड जबलप्र के जाँच दल द्वारा कृषि उपज मंडी समिति कटनी के 32 फर्मों के प्रकरण तैयार किये जाकर नियमानुसार कार्यवाही हेत् मंडी कटनी को सौंपे गये, जिसकी प्रकरणवार स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। इनमें से 03 फर्मों द्वारा पाँच गुना मंडी फीस जमा कराई गई है तथा शेष 29 फर्मों से वसूली हेत् कार्यवाही जारी है, उन पर अधिरोपित मंडी फीस जमा न किये जाने पर संबंधित फर्मी के विरूद्ध नियम अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। इसके लिये समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता है। (घ) वर्ष 2013 से जून 2015 तक मंडी कटनी की प्राप्त शिकायतें एवं उनमें की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

# कृषि महोत्सव के आयोजन में खर्च राशि

123. (क्र. 2427) श्री जयवर्द्धन सिंह: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि महोत्सव आयोजन में मध्यप्रदेश सरकार ने गुना जिले में किस-किस मद के लिये कितना-कितना आवंटन किया है? (ख) आवंटित राशि में से कितनी खर्च हुई एवं कितनी शेष बची है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कृषि महोत्सव आयोजन में मध्यप्रदेश सरकार ने गुना जिले में कुल 40.50 लाख राशि आवंटित की है। मदवार आवंटन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) व्यय एवं बचत की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "बयालीस"

124. (क्र. 2430) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 एवं 2015-2016 के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना में राघौगढ़-आरोन विकासखण्ड के लिए कितनी राशि आवंटित हुई? (ख) आगामी योजना में इसमें कौन-कौन सी सड़कें राघौगढ़-आरोंन विकासखण्ड की जोड़ी गई है? सूची उपलब्ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विकासखण्ड राघौगढ़-आरोन अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कार्य स्वीकृत नहीं होने से आवंटन प्राप्त नहीं है। (ख) विकासखण्ड राघौगढ़-आरोन में कुल 88 सड़कें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ने हेतु चिन्हित की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

#### परिशिष्ट - "तैंतालीस"

# शालाओं में मध्यान्ह भोजन मीन् अनुसार उपलब्ध कराया जाना

125. (क्र. 2434) श्री आर.डी. प्रजापित : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में मध्यान्ह भोजन को कितने स्व सहायता समूहों एवं पालक शिक्षक संघों द्वारा संचालित किया जा रहा है? निर्धारित मीनू अनुसार कितनी संस्थाओं द्वारा छात्र-छात्राओं को भोजन दिया जा रहा है और कितनी संस्थाओं द्वारा नहीं? नाम सहित शालावार विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक किन-किन अधिकारी / कर्मचारी द्वारा समूहों का निरीक्षण किया गया? निरीक्षण का दिनाँक एवं संस्था का नाम उपलब्ध करावें। क्या कोई अनियमितता पायी गयी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार किसी समूह द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गयी तो किस मापदण्ड के आधार पर कितने समूहों को प्रतिमाह निरस्त किया? प्रत्येक का विवरण स्पष्ट करें। (घ) यदि हाँ, तो निरस्त किये हुये कितने समूहों को पुन: बहाल किया गया? क्या दोषी समूह को पुन: बहाल किया जाना न्याय संगत है? यदि नहीं, तो इसमें कौन अधिकारी दोषी है? यदि हाँ, तो क्या इनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) छतरपुर जिले में कुल 1098 स्व सहायता समूह एवं 498 शालाओं में पालक शिक्षक संघों द्वारा मध्यान्ह भोजन संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण उपरांत 142 संस्थाओं के द्वारा मीनू के अनुसार मध्यान्ह भोजन नहीं दिया जाना पाया गया। नाम सहित शालावार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक जिले में अनुविभागीय अधिकारियों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों डी.पी.सी., जिला शिक्षा अधिकारी, प्रभारी अधिकारी मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम जिला पंचायत, टास्क मैनेजर एम.डी.एम जि.पं., क्वालिटी मॉनीटर एम.डी.एम., जिला पंचायत, के द्वारा निरीक्षण किये गये है, निरीक्षण में पाई गई अनियमितता के संबंध में कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है। (ग) बिना अनियमितता के किसी भी समूह को निरस्त नहीं किया गया है। (घ) प्रश्नांश (ग) के तारतम्य में उत्तर निरंक है।

# प्रमाणित बीज उत्पादित समितियों द्वारा अमानक बीज का प्रदाय

126. (क्र. 2435) श्री आर.डी. प्रजापित : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कितनी प्रमाणित बीज उत्पादित समितियां हैं? वर्ष 2012 से प्रश्न

दिनाँक तक किसानों को कितना बीज प्रदाय किया गया? वर्षवार, सिमितिवार, बीज की किस्म, बीज की मात्रा एवं किसानों के नाम सिहत विवरण देवें? (ख) यदि कृषकों को उन्नत किस्म का बीज दिया गया है तो कृषकवार उन्नत बीज से कितना उत्पादन हुआ तथा कृषकों से बीज सिमितियों द्वारा कितना बीज वापिस लिया गया? (ग) यदि नहीं, लिया गया तो बीज सिमितियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी अथवा कब तक की जावेगी? (घ) यदि हाँ, तो किसान का नाम, पता, बीज की किस्म मात्रा एवं बोये गये रकवे के बी-1 की नकल की छायाप्रति सिहत उपलब्ध करावें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) छतरपुर जिले में वर्तमान में कुल 25 प्रमाणित बीज उत्पादित समितियां कार्यरत हैं, जिनके नाम एवं पंजीयन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक 4134 किसानों को 16732.57 क्विंटल बीज प्रदाय किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। किसानों के नाम संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ख) कृषकों को उन्नत किस्म का बीज दिया गया है। बीज उत्पादक समितियों द्वारा दिये गये उन्नत बीज से कुल 248298.43 क्विंटल का उत्पादन हुआ जिसमें से प्रमाणित बीज की मात्रा 116891.13 क्विंटल 2148 कृषकों से वापस ली गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'ख' के तारतम्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी एकतित की जा रही है।

### सडक का निर्माण

127. (क्र. 2449) श्री लाखन सिंह यादव: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जून-जुलाई 2014 के प्रश्न क्र. 4 (क्र. 2079) दिनाँक 14 जुलाई 2014 के प्रश्न के उत्तर में कंचन सिंह का पुरा को जड़वाने एवं ग्राम कैकटों का परीक्षण कराने के दिए गए आश्वासन के अनुरूप उक्त सड़कों के निर्माण की क्या स्थिति है? (ख) दिनाँक 8/7/13 के प्रश्न का संदर्भ 14/7/13 के प्र. 2079 में आ चुका है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये आश्वासन अनुसार दोनों रोडों का निर्माण करा लिया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक समय सीमा स्पष्ट करें एवं नहीं तो क्यों कारण सहित स्पष्ट करें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) प्रश्नांश में उल्लेखित मार्ग मनरेगा के अंतर्गत सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किये गये हैं। वर्तमान में कार्य अप्रारंभ हैं। (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित कार्य मनरेगा मद मे शामिल होने से मार्गों की पूर्णता मनरेगा के जाबकाईधारी श्रमिकों की श्रम मांग पर आधारित है अतः कार्य पूर्ण करने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

# कामधेन् संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री मुकेश गोड के विरूद्ध कार्यवाही

128. (क्र. 2458) श्री आरिफ अकील: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कामधेनु गृह निर्माण सहकारी मर्या. संस्था के निर्वाचन दिनाँक 07/05/2012 के सम्पन्न होने के पश्चात आज दिनाँक तक संस्था के पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा संस्था के निर्वाचित पदाधिकारियों को कोई भी रिकार्ड, अभिलेख, दस्तावेज नहीं सौंपे गये है तथा अवैधानिक रूप से अपने कब्जे में रखे हैं इसके लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या संस्था के वर्तमान कमेटी को संस्थागत रिकार्ड उपलब्ध करा दिये जायेंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

कामधेन् गृह निर्माण सहकारी मर्या. संस्था के पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा सदस्यों की जमा मेंटेंस राशि व अन्य राशियों को अनाधिकृत रूप से दिनाँक 7.5.12 के निर्वाचन के उपरांत आहरित कर गबन कर लिया गया था के संबंध में अनेकों शिकायतें की गई थी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें? (ग) क्या सहकारी संस्था के द्वारा आचार संहिता के सदस्यों को प्रभावित करने वाले कोई कार्य किया जा सकता है तथा भूखण्ड की रजिस्ट्री की जा सकती है? यदि नहीं, तो कामधेन गृह निर्माण सहकारी मर्या. संस्था के पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा आचार संहिता दिनाँक 03 मार्च 2012 से 28 अप्रैल 2012 तक लगभग 19 भूखण्डों का विक्रय किये गये है जिसकी शिकायतें विभाग में अनेकों बार की गई है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें? (घ) क्या कामधेन् गृह निर्माण सहकारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री मुकेश गौड़ के द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती गायत्री गोड़ तथा अपने रिश्तेदारों श्री रामेश्वर शर्मा, देवेन्द्र शर्मा, राघवेन्द्र गोस्वामी, सतीष शर्मा को बिना सदस्य बनाये तथा बिना विक्रय राशि प्राप्त किये संस्था के 5 व्यवसायिक भूखण्डों की रजिस्ट्री कराई गई है? यदि हाँ, तो कब-कब तथा यह भी अवगत करावें कि श्री गोड़ द्वारा सहाकारी अधिनियम के विरूद्ध 2 गैर सदस्यों को संस्था के भूखण्ड क्रमांक 179, 180 अवैध रूप से विक्रय की जा कर विक्रय राशि भी संस्था में जमा नहीं की गई है यदि हाँ, तो सहकारिता अधिनियम के अनुसार श्री गोड़ के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर विक्रय भूखण्ड संस्था को वापिस दिलाये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? (इ.) क्या कामधेन् गृह निर्माण सहकारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री मुकेश गोड़ के द्वारा संस्था के अध्यक्ष न होते हुए भी 4.95 एकड़ भूमि स्थित अहमदपुर भोपाल के संबंध में दिनाँक 08/08/2006 को अनुबंध निष्पादित किया गया है यदि हाँ, तो अनुबंध वैधानिक है? यदि नहीं, तो इस धोखाधड़ी के लिए प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ. पूर्व संचालक मंडल द्वारा अभिलेख नहीं सौंपे जाने तथा अवैधानिक रूप से अपने कब्जे में रखे जाने के विरूद्ध सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 57 (1) के अंतर्गत जप्ती अधिकारी की नियुक्ति की गई. जप्ती अधिकारी को अभिलेख प्राप्त नहीं होने के कारण धारा 57-क के अंतर्गत अन्विभागीय अधिकारी एम.पी. नगर, भोपाल द्वारा सर्च वारंट जारी किया गया. जिसके परिपालन में थाना बागसेवनिया द्वारा संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री सुनील गौड़ के कब्जे से संस्था की आम सभा दिनाँक 27.05.1999, 26.03.2010 एवं 30.03.2012 तथा संस्था की सदस्यता सूची की छायाप्रति नस्ती दिनाँक 11.11.2014 को जप्त की गई. संस्था के शेष रिकार्ड हेत् कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. रिकार्ड उपलब्ध हो जाने के उपरांत संस्था को उपलब्ध करा दिये जायेंगे. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं. (ख) जी हाँ. संस्था के वर्तमान अध्यक्ष को संस्था के पूर्व संचालक श्री एम.एल. गौड़, पूर्व अध्यक्ष श्री सुनील गौड़ तथा पूर्व प्रबंधक श्री एस.एन. राजपूत के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश जारी किये गये. (ग) जी नहीं. जी हाँ. संस्था के निर्वाचन हेतु लागू आचार संहिता के दौरान की गई 19 भूखण्डों की रजिस्ट्रियां को शून्य कराने की कार्यवाही करने हेत् संस्था को निर्देशित किया गया. (घ) उत्तरांश "क" अनुसार संस्था के मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात ही जानकारी दी जा सकेगी. भूखण्ड क्रमांक 179 एवं 180 के संबंध में जाँच कराई जा चुकी है. जाँच प्रतिवेदन अनुसार उक्त भूखण्डों का पंजीयन गैर सदस्यों को कराया जाना एवं विक्रय राशि संस्था में जमा नहीं होना पाया गया है. इस संबंध में संस्था अध्यक्ष को उक्त भूखण्डों की रजिस्ट्री शून्य कराने एवं संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाले दोषी पदाधिकारियों के

विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है. (इ.) संस्था की ग्राम अहमदपुर की 4.95 एकड़ अनुबंधित भूमि के संबंध में प्रकरण माननीय न्यायालय म.प्र. राज्य सहकारी अभिकरण, भोपाल में विचाराधीन है, न्यायालयीन निर्णयानुसार कार्यवाही की जा सकेगी.

## बलराम खेत तालाब योजना में व्यय राशि की जाँच

129. (क्र. 2459) श्री आरिफ अकील: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार की लुभावनी बलराम तालाब योजना वर्ष 2007-08 से प्रारंभ की गई है? (ख) यदि हाँ, तो भोपाल जिले में वर्ष 2014-15 से अब तक कितने-कितने किसानों द्वारा बलराम तालाबों की खुदाई की गई और कितनी राशि का अनुदान दिया गया वर्षवार बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि भोपाल जिले में उक्त अवधि में बलराम तालाब से संबंधित कितने तालाबों के निर्माण में अनियमितता की जाँच प्रचलन में है। कितनी राशि के तालाब धरातल पर नहीं मिले?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) जी हाँ। (ख) भोपाल जिलें में वर्ष 2014-15 से अब तक 18 कृषकों द्वारा बलराम तालाब की खुदाई की गई एवं राशि रू. 15.63 लाख का अनुदान दिया गया। वर्ष 2015-16 में प्रश्न दिनाँक तक 10 कृषकों द्वारा बलराम तालाब की खुदाई की गई एवं राशि रू. 8.00 लाख का अनुदान दिया गया। (ग) भोपाल जिले में बलराम तालाब से संबंधित अनियमितता का कोई प्रकरण नहीं है और न ही कोई जाँच प्रचलन में है।

# ब्रांच प्रबंधक की जाँच

130. (क्र. 2470) श्रीमती शीला त्यागी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रीवा के शाखा इभौरा में सेड्रीज खाते में रखी राशि से करीब 24 करोड़ रूपये का घोटाला किये जाने का मामला प्रकाश में आया है? जिस पर अभी तक करीब 19 लोगों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त घोटाले की जाँच हेतु जे.आर. जबलपुर के नेतृत्व में जाँच दल गठित किया जाकर जाँच कराने के आदेश दिये गये थे? यदि हाँ, तो अभी तक जाँच प्रारंभ न करने के क्या कारण है जाँच प्रारंभ न करने में कौन-कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? (ग) यदि प्रश्नांश (क) (ख) हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में तत्कालीन महाप्रबंधक अमरनाथ पाण्डेय एवं तत्कालीन जिलाध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रीवा के साथ-साथ अन्य कई अधिकारियों की मिली भगत से यह करोड़ों रूपये का घोटाला किया गया है जिस कारण उक्त जाँच लंबित कर रखी गई है? क्या अमरनाथ पाण्डेय को जिला मुख्यालय से अन्यत्र पदस्थापना की जायेगी, ताकि निष्पक्ष जाँच हो सके, यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या उक्त समूचे प्रकरण की जाँच लोकायुक्त संगठन रीवा संभाग, रीवा को सौंपी जाकर जाँच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं, वरन् राशि रूपये 16.14 करोड़ का गबन-धोखाधड़ी का प्रकरण प्रकाश में आया है. जी हाँ. (ख) जी हाँ. संयुक्त पंजीयक, जबलपुर श्री श्रीकुमार जोशी के स्थानान्तरण होने तथा जाँच दल के सदस्य उप पंजीयक, सागर श्री संजय नायक की मृत्यु होने से जाँच लंबित है. जाँच हेतु संशोधित आदेश जारी कर संयुक्त पंजीयक जबलपुर के नेतृत्व में जाँच दल का गठन किया गया है. शेष का प्रश्न नहीं उठता. (ग) जी नहीं. श्री अमर नाथ पाण्डेय के घोटाले में शामिल नहीं होने तथा अतिरिक्त प्रबंधक का पद प्रधान कार्यालय में ही होने से श्री पाण्डेय की अन्य पदस्थापना नहीं की जा सकती है. (घ) विभाग स्तर से जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, साथ ही प्रकरण पुलिस विवेचना में है. शेष का प्रश्न नहीं उठता.

# सीईओ की जाँच

131. (क्र. 2471) श्रीमती शीला त्यागी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायतें प्राप्त होने पर कार्यवाही की गई? वर्ष 2010 से जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा ने जनपद पंचायत रीवा, नईगढ़ी, गंगेव, रीवा एवं सिरमोर के कार्यपालन अधिकारियों के विरूद्ध जाँच में कौन सी वित्तीय अनियमितता की गई? इन अधिकारियों द्वारा आवासहीनों के मामले में मुख्यमंत्री आवास योजना में कितने हितग्राहियों को लाभांवित किया गया? पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जनपद पंचायत रीवा -ग्राम पंचायत खज्हा, नैकिन के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की अनियमिमता शिकायत की जाँच आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा कराई जाकर उनसे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री प्रदीप द्बे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीवा एवं श्री मनीष सेन्डे तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीवा को प्रथम दृष्टयाँ दोषी पाए जाने पर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर संबंधितों से जवाब प्राप्त किया गया। श्री प्रदीप द्बे को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनाँक 27.5.2012 द्वारा भविष्य में सतर्क होकर कार्य करने की हिदायत देते हुए प्रकरण समाप्त किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। श्री दुबे वर्तमान में जनपद पंचायत रीवा में पदस्थ है। श्री मनीष सेन्डे का जवाब प्राप्त करने के उपरान्त आयुक्त महोदय रीवा स्तर से श्री सेन्डे की संभाग से बाहर पदस्थापना होने के कारण पत्र क्रमांक 3616, दिनाँक 19.06.2015 द्वारा प्रकरण निर्णय कार्यवाही हेत् विकास आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया गया। श्री सेन्डे के विरूद्ध नियमान्सार कार्यवाही की जा रही है। श्री सेन्डे वर्तमान में जिला बैतूल में पदस्थ है। जनपद पंचायत नईगढ़ी, गंगेव, सिरमौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के विरूद्ध जाँच एवं वित्तीय अनियमितता संबंधी शिकायत संज्ञान में नहीं आई है। जनपद पंचायत नईगढ़ी, गंगेव, सिरमौर, अंतर्गत प्रश्नांश अविध में मुख्यमंत्री आवास योजना में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या निम्नानुसारः -गंगेव- ८८९, सिरमौर-१२९२, नईगढी- ५७२, रीवा-१८०३

# मार्ग निर्माण में गुणवत्ता सुधार

132. (क्र. 2477) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई एक भिण्ड व्दारा ग्वालियर इटावा मार्ग से दीनपुरा खोड, भिण्ड लहार टेहनगुर मार्ग से ईश्वरी, व टेहनगुर मार्ग से हार की जमेह, इटावा, ग्वालियर मार्ग से जाजीपुरा, उमरी टेहनगुर मार्ग से रामगढ़ मार्ग निर्माण के लिए प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) भिण्ड विधानसभा के अंतर्गत सी एम 04 - 016 नुन्हाटा मार्ग से रामनाथ सिंह का पुरा का मार्ग पर प्रश्नांश दिनाँक तक कितना कार्य पूर्ण हुआ है? क्या गुणवत्ता खराब है? कब तक कार्य पूर्ण होगा जानकारी दें? (ग) क्या यह सही है कि सी.एम. 04-005 उमरी टेहनगुर पेवली मार्ग से गढ़ी सीता 0.325 किमी मार्ग स्वीकृत हुआ था? यदि हाँ, तो

प्रश्न दिनाँक तक कार्य अप्रारम्भ/अपूर्ण रहने के क्या कारण है? कब तक कार्य पूर्ण हो जायेगा? (घ) क्या यह सही है कि भिण्ड जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क परियोजना मुख्यमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के मार्ग निर्माण की गुणवत्ता अत्यन्त खराब है? मार्ग ध्वस्त हो रहे हैं? प्रश्न दिनाँक तक कौन से मार्ग ध्वस्त है उन पर कब तक मरम्मत हो जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.1 द्वारा ग्वालियर इटावा मार्ग से दीनपुरा खोड, भिण्ड लहार टेहनपुर मार्ग से ईश्वरी, इटावा ग्वालियर मार्ग से जाजीपुरा एवं टेहनपुर मार्ग से रामगढ़ मार्ग के डी.पी.आर., प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये है तथा हार की जमेह ग्राम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित मुहण्ड धनुकुपुरा मार्ग से 500 मीटर की परिधी में स्थित होने से कोरनेटवर्क में जुडे ग्राम की श्रेणी में दर्शाया गया है। अतः कोई कार्यवाही की जाने की आवश्यकता नहीं है। (ख) भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पैकेज क्रमांक सी.एम. 0416 नुन्हारा मार्ग से रामनाथ सिंह का पुरा मार्ग पर ग्रेवल रोड तथा एक पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण हैं। शेष 300 मीटर लम्बाई मे सी.सी. पेवमेन्ट का कार्य भूमि विवाद के कारण पूर्ण नहीं हुआ हैं। निर्माण कार्य निर्धारित गुणवता के अनुरूप कराया जाता है। कार्य पूर्ण कराये जाने की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं हैं। (ग) जी हाँ। कार्य पूर्ण हैं अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# विभागों द्वारा बजट का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना

133. (क्र. 2478) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के अंतर्गत अप्रैल 2015 से 30 जून 2015 तक किन विभागों में किन उद्देश्यों के लिए किस मद में बजट दिया गया? उसमें से कितना व्यय हुआ? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत प्राप्त बजट पूर्ण रूप से व्यय न होने के कारण 30 जून 2015 को कितना शासन को समर्पण किया गया? समर्पण करने के क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत समय पर पूर्ण बजट का उपयोग न करने के लिए कौन उत्तरदायी है? प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) के अंतर्गत जिन मदों में जिन विभागों ने बजट समर्पित किया है? क्या आगामी माह पुनः बजट दिया जायेगा? यदि हाँ, तो क्यों? समय पर बजट व्यय करने हेतु क्या निर्देश जारी किए जायेगें? बजट का आहरण तिमाही के अन्तिम दिनों में क्यों किया जाता है? तिमाही के मध्य में क्यों नहीं किया जाता है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) भिण्ड जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत अप्रैल 2015 से 30 जून 2015 तक प्राप्त बजट संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशष्ट अनुसार है। (ख) समर्पण की जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश ख के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बजट समर्पित नहीं किया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की उपलब्धता

134. (क्र. 2486) श्री स्वेदार सिंह रजौधा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधान सभा की कितनी ग्राम पंचायत हैं? कितनी पंचायतों में भवन हैं? कितनों में नहीं,

नहीं तो कब तक बनाये जावेंगे? (ख) जौरा विधान सभा में कितने पंचायत भवन जीर्ण-क्षीर्ण हो गये हैं? उनके स्थान पर नये भवनों का निर्माण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों? (ग) जौरा विधान सभा की कितनी पंचायतों में राजीव गाँधी सेवा केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं? कितने बन चुके हैं? कितने निर्माणाधीन हैं ? ग्रामवार सूची प्रदान करें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जौरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 90 ग्राम पंचायत हैं। जिनमें से 47 ग्राम पंचायतों में भवन हैं एवं 43 ग्राम पंचायतें भवन विहीन हैं। भवन विहीन ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। (ख) जौरा विधानसभा में 43 ग्राम पंचायत भवन विहीन थी, उनमें नवीन राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत भवन स्वीकृत किये गये हैं, जिन्हें इसी वितीय वर्षा के अंत तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। वर्तमान में समस्त भवन निर्माणाधीन हैं।

#### परिशिष्ट - "चौवालीस"

# अध्रे सड़क भवन एवं घटिया निर्माण की शिकायतों की जाँच

135. (क्र. 2495) श्री नारायण त्रिपाठी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर तथा रतलाम जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के विगत 02 वर्षों के स्वीकृत कितने सड़क भवन आदि कार्य हैं जो अधूरे हैं या ठेकेदार छोड़कर चले गये वे कब प्रारंभ हुये थे? तिथि बताएँ व कब पूरे होगें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अंतर्गत पिछले 02 वर्ष में ऐसे कौन-कौन से पंचायत ग्रामीण विकास के भवन सड़के आदि के बारे में घटिया निर्माण की शिकायतें मिली यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत प्रत्येक सड़क तथा भवन की स्वीकृति तिथि नाम सिहत यह भी बताएं प्रत्येक सड़क या भवन पर कितनी धनराशि स्वीकृत थी व कितना व्यय होना बाकी है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) अशोकनगर तथा रतलाम जिले के ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत अधूरे भवन एवं सड़क आदि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।

# परिशिष्ट - "पैंतालीस"

# ग्राम पंचायत पचलासी की जाँच

136. (क्र. 2505) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (का) ग्राम पंचायत पचलासी जनपद पंचायत खाचरौद जिला उज्जैन में विगत 5 वर्षों में सरपंच पचलासी को वर्षवार किन-किन मदों में कितनी राशि मिली उस राशि के एवज में मदवार कितना व्यय किया गया? व्यय राशि का संबंधित एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया गया है? यदि किया गया है, तो विवरण देवें? यदि नहीं, किया गया, तो क्यों नहीं किया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) क्षेत्र में वर्ष 2010 से इंदिरा आवास योजना में कितने हितग्राहियों को लाभ दिया गया? जो लाभ दिया गया क्या वह नियमानुसार दिया गया है? (ग) पिछले 5 वर्षों में ग्रामीणों ने जिला पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय खाचरौद में जाँच हेतु पत्र लिखे उन कार्यालयों द्वारा क्या जाँच की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "अ" अनुसार। प्रगतिरत कार्य क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा पूर्ण होने पर मूल्यांकन उपयंत्री द्वारा किया जावेगा। (ख) ग्राम पंचायत पचलासी जनपद पंचायत खाचरोद द्वारा वर्ष 2010-11 में 02 हितग्राहियों को, वर्ष 2011-12 में 04 हितग्राहियों को, वर्ष 2012-13 में 03 हितग्राहियों को, 2013-14 में 04 हितग्राहियों को एवं वर्ष 2014-15 में 02 हितग्राहियों को विगत 05 वर्षों में कुल 15 आवासहीन एवं प्रतीक्षा सूची में दर्ज हितग्राहियों को नियमानुसार लाभ दिया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "ब" अनुसार। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "स" अनुसार।

### नागदा को विकासखण्ड का दर्जा दिया जाना

137. (क्र. 2512) श्री दिलीप सिंह शेखावत: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में खाचरौद विकासखण्ड में 218 ग्राम एवं 130 पंचायते हैं भूगौलिक दृष्टि से यह 110 k.m. वर्ग क्षेत्रफल में फैला है विकासखण्ड से कई पंचायतों की दूरी करीब 60-70 कि.मी. दूर पड़ती है? ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थित खराब होने से जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को विकासखण्ड तक जाने में काफी परेशानियां होती है? (ख) नागदा जिले का सबसे बड़ा शहर एवं विकासखण्ड के मध्य में होने से नागदा को विकासखण्ड का दर्जा देने हेतु शासन द्वारा क्या औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है? (ग) शासन द्वारा नागदा को कब तक विकासखण्ड का दर्जा प्रदान किया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भागव ): (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तर "ख" अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

# संयुक्त संचालक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

138. (क्र. 2518) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल संभाग भोपाल श्री एस.एम. बालपाण्डे, तत्कालीन उप संचालक भोपाल की बैतूल एवं विदिशा जिलों के कार्यकाल में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों को विगत तीन वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतों के विरुद्ध कितनी जांचे पूर्ण हुई व कितनी लंबित हैं? आज दिनाँक तक आर्थिक अनियमितताओं के तहत इन्हें क्या शासकीय दंड दिया गया? (ख) क्या शिकायतों में दोषी पाये जाने के बावजूद इन्हें पदोन्नित दी गई यदि हाँ, तो शिकातयों की जांचों को लंबित कर किस आधार पर इन्हें पदोन्नित दी गई? (ग) क्या शिकायतों की जाँच के आधार पर श्री बालपाण्डे के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी एवं इन्हें गलत संरक्षण देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक एवं नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) श्री एस.एम. बालपाण्डे, वर्तमान संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल संभाग भोपाल तत्कालीन उप संचालक, भोपाल की बैतूल एवं विदिशा जिलों के कार्यकाल में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों भोपाल से प्राप्त जिला विदिशा के कार्यकाल की शिकायत क्रमांक अपराध/भोपाल आर-2277 एवं 2673 (12) /2675ए, दिनाँक 24/1/2013 प्राप्त हुई है शिकायत की जाँच में उक्त शिकायत निराधार एवं तथ्यहीन पाई गई है। (ख) श्री एस.एम.बालपाण्डे, को पदोन्नित सिमिति की बैठक में पदोन्नित के योग्य पाये जाने के कारण

पदोन्नति प्रदान की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

#### घोडाडोंगरी क्षेत्र में व्यवस्था

139. (क्र. 2526) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में सहकारिता की व्यवस्था क्षेत्रफल / ग्रामों के अनुसार कब तक पूर्ण होगी? (ख) सहकारी संस्था में प्रबंधक / सहायक प्रबंधक को स्थानान्तरण / हटाने की कार्यवाही किस अधिकारी को है? (ग) ग्राम बीजादेही शाहपुर समिति के सहायक प्रबंधक की शिकायत / समिति के हटाने के प्रस्ताव बाद भी सहायक प्रबंधक कार्यरत है? (घ) शिकायतकर्त्ता समिति/अध्यक्ष, बीजादेही को क्या नजर अंदाज किया गया है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र के सभी गांव एवं क्षेत्रफल किसी न किसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के कार्य क्षेत्र में पूर्व से सम्मिलित है. (ख) सहकारी संस्था में बैंक का समिति प्रबंधक नियुक्त है, तो उसका स्थानान्तरण/ हटाने का अधिकार बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को है, और यदि संस्था का प्रबंधक/सहायक प्रबंधक, संस्था का कर्मचारी है, तो उसके स्थानान्तरण का प्रावधान संस्था के सेवानियम में नहीं है, परन्तु उसको सेवा से हटाने/दण्ड हेतु सेवानियम अनुसार संस्था का संचालक मंडल सक्षम है. (ग) संस्था के संचालक मंडल द्वारा सहायक प्रबंधक को हटाने हेतु कोई प्रस्ताव/ठहराव पारित नहीं किया गया है. (घ) समिति अध्यक्ष के द्वारा की गई शिकायत की जाँच खाद्य विभाग द्वारा की गई. जाँच प्रतिवेदन पर कार्यवाही हेतु संस्था को लिखा गया है.

# जनपद पंचायत शाहपुर (बैतूल) में अनियमितता

140. (क्र. 2527) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाहपुर जनपद पंचायत बैतूल में कितनी ग्राम पंचायते हैं? कितनी ग्राम पंचायते में वसूली के प्रकरण लंबित है, वसूली कब तक होगी? (ख) क्या जनपद पंचायत शाहपुर ने सामुदायिक भवन का कार्य अन्य पंचायत कारावाड़ी को दिया था? यदि हाँ, तो स्थानीय पंचायत को कार्य नहीं देने के क्या कारण है? यदि नहीं, तो भवन पूर्ण हो गया? (ग) ग्राम पंचायत काटावाड़ी के घटिया/अपूर्ण कार्य की कार्यवाही लंबित है? यदि हाँ, तो सचिव को निलंबित क्यों नहीं किया गया? क्या विभाग सचिव/सरपंच को सहयोग कर रहा है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जनपद पंचायत शाहपुर क्षेत्रान्तर्गत कुल 40 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 14 ग्राम पंचायतों में वसूली के प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाहपुर के कार्यालय में लंबित है। प्रकरणों के निराकरण के पश्चात् निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ख) जनपद पंचायत शाहपुर में सामुदायिक भवन का कार्य अन्य ग्राम पंचायत कांटावाडी को दिया गया था। तत्कालीन जनपद बाडी में स्थानीय ग्राम पंचायत को कार्य देने के संबंध में विरोधाभाष होने के कारण जनपद के प्रस्ताव क्रमांक 2 दिनाँक 07.02.2013 में ग्राम पंचायत कांटावाडी को कार्य दिया गया। कार्य वर्तमान में अपूर्ण है। (ग) ग्राम पंचायत कांटावाडी के घटिया-अपूर्ण कार्य के संबंध में जनपद पंचायत शाहपुर द्वारा दिनाँक 30.09.2014 एवं दिनाँक 09.05.2014 को प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रेषित किया गया। ततसंबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के आदेश क्र. 302 दिनाँक 11.05.2015 धारा 92 (3) के अधीन भू-राजस्व

के तौर पर कुल वसूली राशि 1123252.00 रूपये दोनो अपचारियों (सरपंच-सचिव) से बराबर-बराबर भाग 561626.00 रूपये दोनों से वसूले जाने हेतु तहसीलदार शाहपुर को आदेशित किया गया है। अपचारी कर्मचारी श्री चरण सिंह बकरडे तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत काटावाडी को जिला पंचायत बैतूल के आदेश क्रमांक 27-2-पं.प्रको.-2011-7160 दिनाँक 17.07.2015 से निलंबित किया गया है। यह सही नहीं है कि विभाग सरपंच, सचिव का सहयोग कर रहा है।

### बलराम तालाब योजनांतर्गत कराये गये कार्य

141. (क्र. 2533) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में 01-04-2013 से प्रश्न तिथि तक बलराम तालाब योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि व्यय कर कार्य कराया गया? वर्षवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित योजनांतर्गत तालाब निर्माण की स्वीकृति के शासन द्वारा क्या-क्या नियम/मापदण्ड निर्धारित हैं? क्या उन नियमों / मापदण्डों के अनुरूप प्रश्नांश (क) के कार्य कराये गये? नियमों / मापदण्डों की प्रति दें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में कराये गये कार्यों में शासन द्वारा निर्धारित नियमों / मापदण्डों का पालन नहीं किया गया? किस-किस नाम / पदनाम के अधिकारी / कर्मचारी दोषी है? राज्य शासन उनके विरूद्ध कब व क्या कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रश्नांकित अविध में भिण्ड जिलें में वर्ष 2013-14 में राशि रू. 34.90 लाख वर्ष 2014-15 में राशि रू. 39.00 लाख तथा वर्ष 2015-16 में राशि रू. 12.04 लाख का व्यय किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित योजनांतर्गत तालाब निर्माण की स्वीकृति के शासन द्वारा निर्धारित नियम/मापदण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। योजना के मापदण्ड अनुसार कार्य कराया गया है। (ग) प्रश्नांश (क) में कराये गये कार्यों में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड का पालन किया गया है। अतएव दोषी अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

# प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मी

142. (क्र. 2548) श्री मधु भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में प्रतिनियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा जारी कौन-कौन से परिपत्रों का पालन किया जा रहा है? प्रति बतायें? (ख) जिला पंचायत बालाघाट में कार्यरत में कौन-कौन किस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है? उनके पैतृक विभाग का नाम तथा मूल पद बतायें, तथा वे कौन-कौन शासकीय सेवक है जिनके मूल पदस्थापना किसी अन्य विभाग में है? परंतु अपने विभाग के साथ-साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास का कार्य भी संपादित कर रहे हैं उनका नाम पद बतायें? (ग) क्या यह सही है कि जनपद पंचायत परसवाड़ा में अनुविभागीय अधिकारी के पद का कार्य अन्य विभाग में पदस्थ शासकीय सेवक 4 वर्षों से अधिक समय से अपने मूल विभाग के कार्य के साथ-साथ जनपद का कार्य भी संपादित कर रहे हैं? क्या यह प्रतिनियुक्ति के संबंध में जारी नियमों के अनुरूप है? यदि नहीं, तो कौन से शासनादेश के प्रावधानुसार 4 वर्ष से अधिक समय से कार्य देख रहे हैं? क्या इनकी सेवाएं वापिस/समाप्त की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं ब अनुसार है। (ख) प्रतिनियुक्ति से पदस्थ की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## <u>भवन विहिन ग्राम पंचायतों में भवन की स्वीकृति</u>

143. (क्र. 2550) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाजापुर जिले में सभी पंचायतों में ग्राम पंचायत भवन है यदि नहीं, तो भवन विहिन कितनी पंचायतें हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भवनों के अभाव में ग्राम पंचायत का कार्य कहाँ पर संचालित हो रहा अथवा वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? (ग) कालापीपल व शुजालपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत कौन-कौन सी पंचायतों के भवन स्वीकृत हो गये हैं अथवा प्रक्रिया में है? इनका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) शाजापुर जिले की 326 ग्राम पंचायतों में से 272 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन है। शेष 54 ग्राम पंचायतें भवनविहीन है। भवनविहिन पंचायतों में मनरेगा से अभिसरण (रू. 10.00 लाख) कर भवन निर्माण हेतु अन्य मद से (कलस्टर पंचायत हेतू रू. 4.85 लाख एवं नान कलस्टर हेतु रू. 2.85 लाख) स्वीकृति हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है, किन्तु निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य प्रस्तावित न करनें के कारण जिला स्तर से प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। (ख) जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायतों का कार्य का संचालन शासकीय भवनों, सामुदायिक भवनों एवं ई-पंचायत कक्ष में किया जा रहा है। (ग) जनपद पंचायत शुजालपुर अंतर्गत 05 ग्राम पंचायत भवन क्रमशः निवालिया, आवंतिपुरा, भ्याना, अमलावती एवं अजनई स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है। जनपद पंचायत कालापीपल अंतर्गत कुल 14 भवन क्रमशः गालबी, झुण्डी, कोठडी, रॉसला, कनाडिया, गणेशपुर, सूइल्यापालता, बकायन, ईमलीखेडा, बेहरावल, हडल्याखुर्द, निपानियाखुर्द, पाडलिया एवं खोंकराकलां में भवन स्वीकृत है जिनका निर्माण कार्य आगामी छः माह में पूर्ण हो जायेगा।

# कृषि महोत्सव 2014 में मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट

144. (क्र. 2551) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि महोत्सव 2014 के लिये शाजापुर को कितनी राशि का आवंटन दिया गया था विकासखण्डवार कितनी राशि प्रदाय की गई उसमें से कितनी व्यय की गई है? (ख) कृषि महोत्सव 2014 में शुजालपुर एवं कालापीपल विकासखण्ड में कितने कृषकों से मिट्टी परीक्षण के लिये मिट्टी के नमूने लिये थे? क्या मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट कृषकों को प्रदान कर दी गई है? यदि हाँ, तो उन कृषकों की सूची देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित क्षेत्र के कृषकों को मिट्टी परीक्षण के नमूने की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं दी गई जवाबदारी किसकी है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जिले को कुल राशि रू. 55.60 लाख आवंदित की गई है विकास खण्ड घटकवार प्रदाय राशि एवं व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1,2 अनुसार है। (ख) कृषि महोत्सव- 2014 में विकास खण्ड शुजालपुर के 410 कृषकों के 497 एवं विकासखंड कालापीपल के 755 कृषकों के 764 मिट्टी के नमूने, मिट्टी परीक्षण के लिए लिये गये थे। जी हां। रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा चुकी है। कृषकवार जानकारी पुस्तकालय में

रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3,4 अनुसार है। (ग) मिट्टी परीक्षण नमूनों की रिपोर्ट कृषकों कों उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः जवाबदारी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

# मुख्यमंत्री आवास एवं इंदिरा आवास योजना का ब्यौरा

145. (क्र. 2571) श्री चन्द्रशेखर देशमुख: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जनपद पंचायतों में विगत दो वर्षों में मुख्यमंत्री आवास योजना एवं इंद्रिरा आवास योजना के तहत कुल कितने आवास गृह स्वीकृत किये गये? क्या स्वीकृत आवास गृह शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को स्वीकृत किये गये है? स्वीकृत आवासों में से कितने अप्रारंभ कितने अपूर्ण और कितने पूर्ण हैं? संख्या दी जावें? (ख) योजना के अंतर्गत आवास हेतु स्वीकृत राशि में क्या शौचालयों का निर्माण प्रावधानित है? यदि हाँ, तो पूर्ण कार्यों में शौचालय युक्त भवनों का निर्माण किया गया है? संख्या दी जावें? यदि नहीं, तो संबंधित दोषी कर्मचारी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त योजनान्तर्गत मानिटरिंग कार्य हेतु तैनात सहायक विकास विस्तार अधिकारी द्वारा अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु निर्माण स्थल पर दैनंदनीय अनुसार कब-कब उपस्थित होकर हितग्राहियों को दिशा निर्देश दिये गये एव उपस्थित न होने की दशा में संबंधित अधिकारी की लापरवाही हेत् क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रावधानित की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) म्लताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जनपद पंचायतों में विगत दो वर्षा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अन्तर्गत कुल 2100 आवास स्वीकृत किये गए हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत विगत दो वर्षों में कुल 1020 आवास स्वीकृत किये गए हैं। सभी स्वीकृत आवास शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार पात्र हितग्राहियों को स्वीकृत किये गए हैं। स्वीकृत आवासों में मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत विगत दो वर्षों में कोई आवास अप्रारंभ नहीं है। इंदिरा आवास योजनान्तर्गत कुल 01 आवास अप्रारंभ है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में विगत दो वर्षा में कुल 859 आवास पूर्ण हैं एवं 1241 आवास अपूर्ण हैं। इंदिरा आवास योजना में विगत दो वर्षों में कुल 565 आवास पूर्ण हैं एवं 455 आवास अपूर्ण हैं। (ख) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन अन्तर्गत स्वीकृत आवास में शौचालय निर्माण प्रावधानित है। इंदिरा आवास योजना में शौचालय निर्माण हेत् राशि स्वीकृत का प्रावधान नहीं है। इंदिरा आवास के हितग्राही को स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु राशि प्रदाय की जाती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कुल निर्मित आवासों में 809 आवास शौचालय युक्त हैं तथा शेष 1291 आवासों में शौचालय का कार्य प्रगतिरत है। इंदिरा आवास योजना में कुल 463 आवास शौचालय युक्त हैं, तथा शेष 557 आवासों में शौचालय का कार्य प्रगतिरत है। इस संदर्भ में शौचालय निर्मित नहीं होने की शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ग) समस्त सहायक विकास विस्तार अधिकारी एवं पंचायत समन्वय अधिकारी द्वारा संबधित ग्रामों का भ्रमण किया जाता है। इनके द्वारा ग्रामों में निर्मित/निर्माणाधीन मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास तथा इंदिरा आवास योजना का भौतिक सत्यापन किया जाता है। आवास निर्माण संबंधि गुणवत्ता एवं आवास में शौचालय निर्माण तथा अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश समक्ष में हितग्राही एवं सरपंच/सचिव को दिये जाते हैं। जिसे आवास साफ्ट में प्रविष्ट किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण किया जा रहा है। जिसकी राज्य/जिला स्तर समीक्षा होती है तथा निर्धारित प्रगती न आने पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

## मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का ब्यौरा

146. (क. 2572) श्री चन्द्रशेखर देशमुख: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जनपद पंचायत में विगत दो वर्षों में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कुल कितने जोड़ों को (वर-वधू) लाभाविन्त किया गया? वर्षवार संख्या दी जावे एवं प्रत्येक जोड़े के अनुसार कुल कितना व्यय किया गया? (ख) किये गये व्यय पर वैवाहिक कार्यक्रम हेतु लाईटिंग, टेण्ट, पंडाल एवं भोजन व्यवस्था पर कुल कितना व्यय किया गया है? (ग) वैवाहिक कार्यक्रम में प्रश्नांश (ख) के अनुसार किये जाने वाले व्यय पर कार्यालय प्रमुख द्वारा वित्तीय नियम के तहत निविदा आमंत्रित कर किन समाचार पत्रों में प्रकाशन पश्चात नियमानुसार व्यवस्था की गई है? यदि हाँ, तो ब्यौरा प्रस्तुत किया जावे? यदि नहीं, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी पर वित्तीय नियमों का उल्लंघन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी? (घ) क्या जोड़ों को दिये जाने वाली सामग्री (आई.एस.आई.मार्क.) वित्तीय नियमानुसार क्रय कर गुणवत्ता युक्त प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो क्रय किये जाने वाली फर्म का ब्यौरा दें, यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी / कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के पत्रक "अ" अनुसार है। (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में जनपद पंचायत मुलताई में जनभागीदारी एवं ग्रामवासियों द्वारा संपन्न कराने के कारण समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नहीं किया गया। जनपद पंचायत प्रभातपट्टन द्वारा दैनिक भास्कर भोपाल, दैनिक जागरण मुलताई, दैनिक तासी समन्वयक मुलताई, नई दुनिया भोपाल, दैनिक उदय सागर मुलताई समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रित की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के पत्रक "ब" के अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

### परिशिष्ट - "छियालीस"

# दिलीप ट्रेडिंग कं. महिदपुर के विरूद्ध कार्यवाही

147. (क्र. 2583) श्री बहादुर सिंह चौहान: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिलीप ट्रेडिंग कं. महिदपुर के विरूद्ध फर्जी अनुज्ञा पत्र मामले में बारह लाख रु. की कर चोरी और उस पर पेनाल्टी कब तक वसूल की जावेगी? (ख) इन फर्जी अनुज्ञा पत्रों से जिन फर्मीं/कंपनियों को सप्लाई किया उनके फर्म नाम बतावे? (ग) इस प्रकरण में पुलिस कार्यवाही कब तक की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) फर्म दिलीप ट्रेडिंग कंपनी महिदपुर के संदिग्ध क्रय-विक्रय संटयवहार पर पाँच गुना मंडी फीस राशि रूपयें 6,61,685/- एवं 621958/- के जारी नोटिस के प्रति उत्तर प्राप्त होने पर दोष स्थापित होने पर पाँच गुना मंडी फीस वसूली की कार्यवाही की जावेगी (ख) फर्म दिलीप ट्रेडिंग कंपनी महिदपुर के अनुज्ञा पत्रों से फर्म सावित्री इंटरप्राईजेस उज्जैन, शोभा ट्रे. कंपनी उज्जैन, जैन ब्रदर्स नवरव उज्जैन, कैलाश एंड कंपनी उज्जैन एवं अंकुर सीड्स प्रा.िल. मलकापुर महाराष्ट्र को कृषि उपज विक्रय की गई है। (ग) उत्तरांश "क" अनुसार नियमानुसार मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

# प्रदेश की सोसायटियों में अवैध लेन-देन

148. (क्र. 2587) श्री बाला बच्चन: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दोसी हवाला कांड नाम से चर्चित घोटाले में किन-किन संस्थाओं की जाँच की जा रही है? उनके नाम, प्रबंधक नाम सिहत बतावें? (ख) जय भारत सहकारी साख सहकारी संस्था मर्या. सिक्ख मोहल्ला इंदौर की संयुक्त पंजीयक व्दारा निरीक्षक मोनिका सिंह से जो जाँच कराई थी उसके जाँच प्रतिवेदन एवं इस पर की गई कार्यवाही का विवरण देवे? (ग) यदि (ख) अनुसार कार्यवाही नहीं की गई तो कारण बतावें? जिन 11 कर्मचारियों के खाते में 25 करोड़ रू. के टर्नओवर की पृष्टि हुई उनके खातों का विवरण देवे?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार दिनाँक 26-11-2014 के आधार पर श्री गुरूशरण साख सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर, कान्हा साख सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर, श्री वर्धमान साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन एवं श्री राजेन्द्र सूरी साख सहकारी संस्था राजगढ जिला धार की जाँच करायी जा रही है. उनके नाम तथा प्रबंधक के नाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है. (ख) श्रीमती मोनिका सिंह, सहकारी निरीक्षक इंदौर के जाँच प्रतिवेदन में संस्था के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की जा रही आर्थिक अनियमिताओं का उल्लेख किया गया था. जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संस्था के दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध उपायुक्त सहकारिता इंदौर द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58-बी के तहत वसूली की कार्यवाही एवं धारा 53-बी/ख के तहत अध्यापेक्षा की कार्रवाई की गई है जो प्रक्रियाधीन है. (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही की गई है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है.

## कैटल शेड योजना का क्रियान्वयन

149. (क्र. 2590) श्रीमती शकुन्तला खटीक: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क्र) कैटल शेड योजना क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं? (ख) कैटल शेड योजना प्रारंभ से लेकर 30 जून, 2015 तक जिला शिवपुरी को कितनी राशि आवंदित हुई? जनपद पंचायतवार जानकारी दी जावें? (ग) उपरोक्त आवंदित राशि में से जनपद पंचायत नरवर एवं करैरा, जिला शिवपुरी को कितनी-कितनी राशि आवंदित होकर किन-किन ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी राशि दी गई? (घ) प्रश्नांश (ग) से संबंधित स्वीकृत कैटिल शैडों में से कितने पूर्ण, अप्रारंभ एवं अपूर्ण भी हैं? क्या अपूर्ण अप्रारंभ कार्यों को समयाविध में पूर्ण न होने पर निर्माण एजेंसी से राशि वसूली हेतु कोई कार्यवाही हुई, यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) महात्मा गांधी नरेगा के पशुधन विकास उपयोजना के अंतर्गत कैटल शेड निर्माण कराया जाता है। कार्य के मापदण्डों हेतु शासन निर्देशों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कैटल शेड निर्माण हेतु अलग से राशि आवंटित नहीं की जाती है। मनरेगा योजना अंतर्गत जिला स्तर पर 1 अप्रैल 2013 से संधारित खाते में राशि का आवंटन राज्य स्तर से किया जाता था। माह मई 2015 से राज्य स्तर पर संधारित पब्लिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम से ही मनरेगा के कैटल शेड सिहत सभी कार्यों का भुगतान जनपद पंचायतों द्वारा एफटीओं के माध्यम से किया जाता है। जनपदवार राशि आवंटन का प्रावधान नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ख' अनुसार जनपद पंचायतें व ग्राम पंचायतों की राशि आंवटित किये जाने का प्रावधान नहीं है। (घ) जिला शिवपुरी की जनपद पंचायत नरवर एवं करेरा के कुल

स्वीकृत 276 कैटल शेडों में से 56 पूर्ण, 210 अपूर्ण एवं 10 अप्रारंभ हैं। मनरेगा योजनांतर्गत कार्यों का अपूर्ण अप्रारंभ रहना जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा कार्य की माँग पर निर्भर है। अत: निर्माण एजेंसी से राशि वसूली की कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

#### माननीय वित्त मंत्री के भाषण में उल्लेखित योजना का क्रियान्वयन

150. (क्र. 2591) श्रीमती शकुन्तला खटीक: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय वित्तमंत्री के बजट भाषण 25 फरवरी 2015 को माननीय वित्तमंत्री महोदय व्दारा विधान सभा में प्रस्तुत बजट भाषण के दौरान बिन्दु क्रमांक 10 से 19 तक कृषि एवं सम्बद्ध से संबंधित विषयों को लेकर किसान व खेती हमारे प्रदेश के विकास की धुरी है। फसलें लहलहायेंगी तो किसान समृद्ध होगा। किसान समृद्ध होगा तो व्यापार एवं उद्योग बढ़ेगा, हमारी सरकार ने जैविक खेती के मामले में प्रदेश को देश में अव्वल नम्बर पर लाकर खड़ा किया है। गुणवत्ता नियंत्रण की वर्तमान अधोसंरचना को विस्तारित करते हुए आदान गुण नियंत्रण प्रयोगशाला संचालित है, आदि का उल्लेख अपने भाषणों में किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपरोक्त उल्लेखित योजनाओं में से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु म.प्र. शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई है व आवंटित राशि में से जिला शिवपुरी को कितनी राशि दी गई एवं कितने कार्य स्वीकृत होकर प्रारंभ एवं प्रक्रियाधीन है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजना अंतर्गत राशि रू. 191010.56 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध कराया गया है एवं जिला शिवपुरी को अद्यतन त्रैमासवार व्यवस्था अनुसार योजनावार राशि रू. 467.10 लाख उपलब्ध कराई गई है। तथा वर्ष 2015-16 में प्रथम त्रैमास तक बलराम ताल योजनान्तर्गत 20 बलराम तालाब पूर्ण एवं 07 तालाब के कार्य प्रक्रियाधीन हैं।

# नरसिंहपुर जिले में गरीबी रेखा की सूची में छूटे हुये लोगों के नाम जोड़े जाना

151. (क्र. 2595) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग व्दारा विभिन्न प्रकार की कितनी पेंशन किन किनको दी जाती है? क्या पेंशन हेतु गरीबी रेखा का होना आवश्यक है? यदि हाँ, तो कोई भी पात्र व्यक्ति जिसका गरीबी रेखा की सूची में नाम नहीं है वह पेंशन पाने की पात्रता नहीं रखता है? (ख) क्या नरसिंहपुर जिले में गरीबी रेखा की सूची से छूटे गये लोगों को जोड़ने हेतु पुन: सर्वे करवाकर गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को पेंशन दिलवायेगा? (ग) क्या पेंशन में से गरीबी रेखा का बंधन हटाया जायेगा एवं इसके मापदंड क्या हैं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। जी नहीं। (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा में नाम जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर है। वर्तमान में ग्रामीण नागरिकों द्वारा लोक सेवा केन्द्र अथवा सीधे तहसील कार्यालय में आवेदन करने पर गरीबी रेखा की सूची में नाम जोड़े जाने का प्रावधान है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। पृथक से सर्वे का प्रावधान नहीं है। (ग) गरीबी रेखा का बंधन हटाये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही प्रचलन में नहीं है।

#### <u>परिशिष्ट – "सैंतालीस"</u>

# कृषि उपज मण्डी समिति मुरैना से में नाके की स्थापना

152. (क्र. 2597) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी समिति मुरैना द्वारा ए.बी. रोड मुरैना पर मंडी नाका स्थापित किया हुआ है, उक्त नाके पर कितने मंडी कर्मचारी मंडी शुल्क वस्त्रने हेतु तैनात किये गये हैं तथा उनकी इयूटी कितने बजे से कितने बजे तक लगाई गई है, उनके नाम, पदनाम सहित जानकारी देवें? (ख) कृषि उपज मंडी समिति मुरैना कार्यालय में विगत 03 वर्षों से कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी किस-किस शाखा में कार्यरत होकर पदस्थ किये गये हैं? (ग) क्या कृषि उपज मण्डी समिति, मुरैना को शासन द्वारा मण्डी शुल्क वस्त्रने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो निर्धारित लक्ष्य की जानकारी माह एवं वर्षवार दी जावें? इसके साथ ही कृषि उपज मंडी समिति मुरैना द्वारा मण्डी नाका एवं मण्डी से पृथक-पृथक विगत 03 वर्षों से शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की गई अथवा नहीं? यदि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं की गई, तो क्या कारण रहा? (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं किये जाने पर कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की गई तो विगत 3 वर्षों में शासन को कितना लाभ पहुँचाया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति मुरैना के क्षेत्र अंतर्गत ए.बी. रोड पर अंतर्राज्यीय सीमा जाँच चौकी स्थापित है, जिसके संबंध में वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नागत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) प्रश्नागत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। अंतर्राज्यीय सीमा जाँच चौकी हेतु आय का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है अपितु इसकी स्थापना अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जाती है। कृषि उपज मंडी समिति, मुरैना की वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई जिस के वर्षवार कारण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स के कालम 4 अनुसार है। (घ) प्रश्नागत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स के कालम 4 अनुसार है। (घ) प्रश्नागत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- सके वर्ष 2012-13 में 38492781/- वर्ष 2013-14 में 29401187 /- वर्ष 2014-15 में 29643511/- में मंडी फीस आय प्राप्त हुई है।

# अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच

153. (क्र. 2601) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला अंतर्गत कृषि विकास तथा किसान कल्याण विभाग के प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरूद्ध विगत तीन वर्षों में कितनी शिकायतें भ्रष्टाचार, अनियमितता, कदाचार, गड़बडी आदि को लेकर शासन, विभाग, विभागीय मंत्री आदि को की गई? (ख) प्राप्त शिकायतों की जाँच किन अधिकारियों द्वारा की गई? जाँच परिणाम क्या रहे? लंबित शिकायतों के निराकरण की वर्तमान स्थिति क्या है? शिकायतों के निराकरण में व दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही में विलंब के क्या-क्या कारण है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) सागर जिला अंतर्गत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरूद्ध विगत तीन वर्षों में कुल 13 शिकायतें भ्रष्टाचार अनियमितता कदाचार, गड़बड़ी आदि को लेकर शासन, विभाग, विभागीय

मंत्री आदि को की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

#### जिला सहकारी बैंको में कार्यरत स्टॉफ

154. (क्र. 2606) पं. रमेश दुबे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कुल कितने जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक कहाँ-कहाँ पर संचालित है? जिलेवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में इन बैंको में कुल कितने पद स्वीकृत है? कितने भरे हुए है? कितने रिक्त है? जानकारी जिलेवार, बैंकवार एवं पदवार दें? (ग) रिक्त पदों को भरने के लिए शासन क्या प्रयास कर रहा है? अब तक किये गये प्रयासों से अवगत कराते हुए यह बतावें कि कब तक रिक्त पड़े पदों को भर दिया जावेगा? (घ) पदों के रिक्तता के कारण जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंको को होने वाली क्षति के लिए कौन जिम्मेदार है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मध्यप्रदेश में कुल 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक है. शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है. (ख) 10616 स्वीकृत पद. 5124 भरे पद. 5492 रिक्त पद. जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है. (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के 1345 पदों की सीधी भर्ती आई.बी.पी.एस. (इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन) मुम्बई के माध्यम से कराये जाने हेतु अनुमति जारी की गई है. भर्ती की प्रक्रिया के लिये म.प्र. राज्य सहकारी बैंक स्तर से आई.बी.पी.एस. मुम्बई से संपर्क किया गया है. भर्ती हेतु कतिपय बिन्दुओं पर सेवा नियम के प्रावधानों के संबंध में परीक्षण प्रक्रियाधीन है. पदों को भरने की निश्चित समयाविध बताया जाना संभव नहीं है. (घ) पदों की रिक्तता के कारण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को सीधे कोई आर्थिक क्षति नहीं होती. अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

## परिशिष्ट - "अइतालीस"

# प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों पर जाँच

155. (क्र. 2607) पं. रमेश दुबे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने छिन्दवाड़ा जिले के विकास खण्ड विछुवा में अम्बाड़ी, किसनपुर, कुण्डा रैयत, मोहपानी, मोया, खैरीमाली में गुणवत्ताहीन पुलिया निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर पत्र क्रमांक 1321 दिनाँक 07.07.2014 के माध्यम से जाँच कर कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाड़ा को पत्र प्रस्तुत किया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पुलियों के निर्माण की मॉनिटरिंग करने वाले विभाग से विलग किसी अन्य तकनीकी विभाग के अधिकारियों से जाँच करवायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या जाँच के समय प्रश्नकर्ता को कोई सूचना दी गयी? क्या जाँच में प्रश्नकर्ता को शामिल किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जाँच में प्रश्नकर्ता को शामिल करना नियमों निर्देशों की अवहेलना होती? यदि नहीं, तो शामिल न करने के क्या कारण है? (घ) क्या शासन प्रश्नांश (क) में उल्लेखित गुणवत्ताहीन पुलिया निर्माण की प्रश्नकर्ता अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के उपस्थिती में पुलिया की मॉनिटरिंग करने वाले विभाग से विलग किसी अन्य विभाग के तकनीकी अधिकारियों से जाँच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। पत्र क्रं. 1321 दिनाँक 07.07.2014 प्राप्त हुआ था, जिसकी जाँच मा. विधायक जी के पत्रानुसार तकनीकी एवं अंकेक्षक अधिकारी से कराई

गई। अतः पृथक विभाग से जाँच नहीं कराई गई। (ग) जी नहीं। चूंकि पत्र क्रं. 1321 दिनाँक 07.07.2014 में ऐसा उल्लेखित नहीं था। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) गठित दल के जाँच प्रतिवेदनानुसार सभी कार्य तकनीकी दृष्टि से अच्छा है। मात्र ग्राम पंचायत मोया की पुलिया का निर्माण कार्य अप्रारंभ है, अतः तकनीकी दृष्टि से गुणवत्ता की जाँच करना संभव नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

## मोबाईल टॉवरों से निकलने वाली रेडिएशन का प्रभाव

156. (क्र. 2648) श्री जित् पटवारी: क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में ट्राई द्वारा शहरों में मोबाईल टॉवर लगाने के क्या नियम या मापदण्ड है? मोबाईल टॉवर किन क्षेत्रों में लगाये जाना चाहिये? (ख) प्रदेश के किन-किन शहरों में रिलायंस जियो इंफ्रोकॉम लिमिटेड को 4 जी मोबाईल टॉवर लगाने की अनुमित प्रदान की गई है तथा यह अनुमित किन शर्तों के तहत प्रदान की गई है? (ग) इंदौर जिले में लगे मोबाईल टॉवरों से निकलने वाली रेडिएशन के तीव्रता की जाँच कितने-कितने समय में एवं कौनसी एजेंसी द्वारा की जाती है तथा विगत जाँच कब की गई थी? (घ) भारतीय मानक के अनुसार मनुष्य, जानवरों एवं पशु पिक्षयों हेतु कितने तीव्रता की रेडिएशन निकलना चाहिये तािक उसका विपरित प्रभाव न पड़े एवं इंदौर जिले में रहवासी इलाकों में लगे टॉवरों से कितनी तीव्रता की रेडिएशन निकल रही है? (ड.) इंदौर शहर में ऐसे कितने टॉवर लगे है जिन्हें 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है तथा एक टॉवर पर कितनी कंपनियों को रेडियस फ़िक्वेन्सी एण्टीना लगाने की परमिशन दी गई है? (च) क्या इंदौर शहर के मध्य एवं रिहायशी इलाकों में टॉवर लगाये जाने से निकलने वाली रेडिएशन के कारण पशु पिक्षयों एवं मनुष्यों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? रेडिएशन से पक्षी मर रहे है, मनुष्यों को माइग्रेन एवं केन्सर जैसी बीमारियां हो रही है इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ): (क) भारत शासन की संस्था ट्राई द्वारा निर्धारित गाईड लाईन्स की प्रति विधानसभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अपर है। (ख) जानकारी विधानसभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अपर है। (ख) जानकारी विधानसभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है। यह अनुमतियां म.प्र. में 4जी ब्राडबैण्ड वायरलाईन एवं बायरलेस एक्सेस नीति सर्विसेस प्रदाय करने की विनियामक प्रक्रिया नीति, 2013 के अधीन दी गई है। (ग) मोबाईल टांवरों के रेडियेशन संबंधी नियंत्रण की कार्यवाही, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा की जाती है। जानकारी भारत सरकार के दायरे में होने से, राज्य सरकार स्तर पर संधारित नहीं की जाती है। (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार। (इ.) इन्दौर शहर में 33 टांवर लगे हैं जिन्हे 10 वर्षों से अधिक समय हो चुका है। शेष प्रश्नांश (ग) के अनुसार। (च) प्रश्नांश (ग) के अनुसार।

## कपिल धारा योजना से लाभांवितों की संख्या

157. (क्र. 2655) डॉ. मोहन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कपिल धारा योजना का लाभ किन-किन ग्राम पंचायतों में कितने-कितने हितग्राहियों को मिला? पंचायतवार हितग्राहियों की संख्या बतायें? (ख) उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतों में कपिलधारा उपयोजना के तहत कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा कितनी ग्राम पंचायतों में कार्य अपूर्ण हैं? कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं? (ग) उक्त योजनान्तर्गत कुल पूर्ण हुये कूप निर्माण कार्यों में से कितने कूपों का भुगतान हो चुका हैं? कितने

कूपों का भुगतान शेष हैं? भुगतान नहीं होने का क्या कारण हैं? (घ) क्या उक्त योजनान्तर्गत हितग्राहियों को कूप निर्माण स्वीकृति में अलग-अलग मापदण्ड अपनाए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ७ ग्राम पंचायतों में किपलधारा योजनांतर्गत १५ हितग्राहियों को लाभ मिला। पंचायतवार हितग्राहियों की संख्या संलग्न पिरिशिष्ट अनुसार है। (ख) ५ ग्राम पंचायतों में १२ कार्य पूर्ण होकर २ ग्राम पंचायतों में ३ कार्य अपूर्ण हैं। योजनांतर्गत कार्यों की पूर्णता जॉबकाईधारी परिवारों द्वारा की गई रोजगार की माँग पर निर्भर होती है। (ग) कुल पूर्ण १२ कूप निमार्ण कार्यों का भुगतान हो चुका हैं। पूर्ण कार्यों में कोई भुगतान शेष नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थिात नहीं होता। (घ) जी नहीं। पात्र हितग्राही को कूप निर्माण की स्वीकृति योजना के मापदण्ड अनुसार दी जाती है। शेष प्रश्न उपस्थिात नहीं होता।

### परिशिष्ट - "उन्चास"

## उज्जैन जिलान्तर्गत जॉब काईधारियों की संख्या

158. (क्र. 2657) डॉ. मोहन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में जॉब काईधारियों की संख्या कितनी है? जनपद पंचायतवार विवरण दें? (ख) कितने जॉब काईधारियों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में अब तक निर्धारित 100 दिवस में क्या दिया गया? जनपद पंचायतवार विवरण दें? (ग) कितनी ग्राम पंचायतों में मनरेगा तहत जॉब काईधारियों को मांग आधारित कार्य उपलब्ध करवाया गया? पंचायतवार ब्यौरा दें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ के कॉलम 3 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ के कॉलम 4 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।

# विवेकानन्द सहकारी समिति के विरूद्ध जाँच

159. (क्र. 2685) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया): क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विवेकानन्द सहकारी समिति से संबंधित राशन की दुकान में की जा रही अनियमितताओं की जाँच करने संबंधी पत्र जिलाध्यक्ष नरसिंहपुर को प्रेषित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उस पर आज दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई है, बिन्दुवार जानकारी दें?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिकायत पर की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

# परिशिष्ट - "पचास"

# शुजालपुर तहसील अंतर्गत सड़क का निर्माण कार्य

160. (क्र. 2689) श्री जसवंत सिंह हाड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शुजालपुर, तहसील शुजालपुर अंतर्गत मण्डावर जोड से सलमपुर होते हुए ताजपुर उकाला तक सड़क (मय पुल-पुलिया) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बनाये जाने संबंधी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी यदि हाँ, तो कब? (ख) क्या उक्त सड़क निर्माण स्वीकृति हेतु कार्यपालन यंत्री, शाजापुर द्वारा दि. 19.07.2013 एवं 26.08.2013 को प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी

सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल को पत्र लिखा था? (ग) यदि हाँ, तो आज दिनाँक तक उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है? निर्माण कार्य में स्वीकृति में विलंब के क्या कारण हैं? प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित है? (घ) उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृति कब तक प्रदान कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी हाँ। उक्त मार्ग की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनाँक 19.05.2013 को की गई थी। (ख) जी हाँ। (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत शाजापुर जिले में छूटे हुये ग्रामों को जोड़े जाने के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। इनमें नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां राशि की उपलब्धता पर निर्भर होने से कार्य की स्वीकृति की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

### विकासखण्ड अधिकारी की डी.पी.सी. के संदर्भ में

161. (क्र. 2691) श्री शैलेन्द्र पटेल: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में वर्ष 1996-97 में विकासखण्ड अधिकारी से मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अति सहायक विकास आयुक्त) के पद पर पदोन्नित की गई थी? क्या विभाग वर्ष 1996 एवं 97 की डी.पी.सी. में तय प्रावधानों को बदलकर उक्त डी.पी.सी. को पुनः रिव्यू कर रहा हैं? क्या तत्सम निर्धारित किए गए मापदण्ड बदलने के विभाग को अधिकार हैं, यदि हाँ, तो किस नियम के अंतर्गत? (ख) विभाग में म.प्र. पदोन्नित नियम 2002 कब से प्रभावशाली हैं? क्या इस नियम के लागू होने वाली दिनाँक से पूर्व के प्रकरणों में भी इसके प्रावधान लागू किये जा सकते हैं? (ग) 1997 की बी.डी.ओ. से सी.ई.ओ. की डी.पी.सी. को रिव्यू करने के विरोध में कितने अधिकारियों ने विभाग को आवेदन दिये थे? उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? अनुमोदन देने वालो की आपित पर अंतिम निर्णय क्या लिया गया?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। सेवाविध गणना के कारण डीपीसी को पुनः रिट्यू के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) दिनाँक 11 जून 2002 से प्रभावशील। जी नहीं। (ग) कुल 10 अधिकारियों ने आवेदन दिये थे। नियमानुसार कार्यवाही प्रचलन में है, किन्तु मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र.13637/2014 (एस) में पारित निर्णय दि.27.10.14 के अनुसरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

# इंद्रिरा आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वितों की संख्या

162. (क्र. 2712) श्री संजय शाह मकड़ाई: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में इंद्रिरा आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2013-14, 14-15 में कितने हितग्राहियों को लाभ दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त योजना अंतर्गत हितग्राहियों को आवास हेतु राशि कितनी किश्तों में प्रदाय की जाती है? (ग) वर्तमान में स्वीकृत हितग्राहियों की कितनी राशि भुगतान हेतु शेष है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) हरदा जिले में इंदिरा आवास योजना वर्ष 2013-14 में 1105 हितग्राहियों को एवं वर्ष 2014-15 में 1100 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। हरदा जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना वर्ष 2013-14 मे 1901 हितग्राहियों को एवं वर्ष 2014-15 मे 2099 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि दो किश्तों में प्रदाय की जाती है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को तीन किश्तो में प्रदाय की जाती है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है (ग) 1. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 467 हितग्राहियों को 163.45 लाख रूपये द्वितीय किश्त के रूप में प्रदाय किया जाना शेष है एवं वर्ष 2014-15 में 1100 हितग्राहियों में 936 हितग्राहियों को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है, 163 हितग्राहियों को 57.05 लाख को प्रथम किश्त की राशि हितग्राहियों के खाते भेजने हेतु प्रस्ताव बैंक भेजा गया है। एवं 1100 हितग्राहियों में 82 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त दी जा चुकी है। शेष 1018 हितग्राहियों को राशि आवास निर्माण हेतु प्रगति अनुसार दी जावेगी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। 2. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 66 हितग्राहियों को प्रथम किश्त रू. 26.40 लाख, 875 हितग्राहियों को रू. द्वितीय किश्त 437.50 लाख एवं तृतीय किश्त 1020 हितग्राहियों को राशि रू. 102.00 लाख तृतीय किश्त के रूप में प्रदाय किया जाना शेष है। 3. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 242 हितग्राहियों को प्रथम किश्त रू. 96.80 लाख, 1444 हितग्राहियों को रू. द्वितीय किश्त 722.00 लाख एवं तृतीय किश्त 1783 हितग्राहियों को राशि रू. 178.30 लाख तृतीय किश्त के रूप में प्रदाय किया जाना शेष है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

### परिशिष्ट - "डक्यावन"

# गांवों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ा जाना

163. (क्र. 2732) श्री अरूण भीमावद : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो उक्त योजना का शासन स्तर पर क्रियान्वयन किया गया है? (ख) शाजापुर की निम्न सड़कें (I) काँजाखेड़ा मार्ग से बंजारों का डेरा (II) लोंदि मुख्य सड़क से पाण्डखोरा (III) गोपीपुर से साफ्टी मार्ग (IV) अभयपुर से ए.बी. रोड (V) बमोरी से पिंदोनिया रोड आदि? (ग) क्या उक्त मार्ग मुख्यमंत्री सड़क योजना में सम्मिलित है? (घ) यदि हाँ, तो कब तक योजना के अंतर्गत मार्गों का निर्माण किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी हाँ, शासन स्तर से मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत योजना के मापदण्ड में आने वाले गांवों को ग्रेवल मार्ग द्वारा एकल संपर्कता मुख्य मार्ग से दिये जाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। (ख) प्रश्नांश "ख" में उल्लेखित सड़के मुख्यमंत्री सड़क योजना में सिम्मिलित नहीं है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अनूपपुर जिले में धान का क्रय

164. (क्र. 2837) श्री मनोज कुमार अग्रवाल: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा कृषि उपज धान का क्रय किया जाता है, यदि हाँ, तो वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की अनूपपुर जिले की खरीदी बतायें? (ख) म.प्र. शासन द्वारा क्रय किया गया धान का मिलिंग प्रसंस्करण कार्य कराने का जिले की मिलों से प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति दें? क्या मिलिंग/प्रसंस्करण कराने का मिलिंग चार्ज एवं परिवहन व्यय (धान एवं चावल) की दर निर्धारित है? यदि हाँ, तो कितनी, पृथक-पृथक बतायें? (ग) म.प्र. शासन द्वारा जिले के बाहर के मिलों से मिलिंग/प्रसंस्करण का कार्य कराये जाने का भी प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियम एवं प्राथमिकता

बतायें? परिवहन का भुगतान किसके द्वारा और कितना किया जाता है? नियम एवं दर बतायें? म.प्र. शासन द्वारा उपरोक्त वर्षों में प्रदेश के बाहर से भी मिलिंग/प्रसंस्करण का कार्य कराया गया है? (घ) प्रश्नांश (ग) में जिला अधिकारी नागरिक आपूर्ति निगम एवं मार्कफेड द्वारा स्वयं की स्वार्थपूर्ति हेतु प्रदेश के बाहर के मिलर्स से अनुबंध के पूर्व एन.ओ.सी. प्राप्त किये बगैर मिलिंग हेतु अनुबंध करना एवं उसका मिलिंग चार्ज एवं परिवहन का भुगतान किया जाना प्रमाणित है? यदि नहीं, तो ऐसे अधिकारियों जिन्होंने शासन के आदेशों की अवहेलना की है, शासन उनके खिलाफ कब तक क्या कार्यवाही करेगा?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। ई-उपार्जन परियोजनांतर्गत पंजीकृत किसानों द्वारा धान के बोए गए रकबे के सत्यापन उपरांत समर्थन मूल्य पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू गुणवत्ता का धान क्रय किया जाता है। अनूपप्र जिले में वर्ष 2013-14 में 23,864.763 मे.टन एवं वर्ष 2014-15 में 18,761.91 मे.टन धान क्रय की गई है। (ख) भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलिंग उपार्जन एजेंसियों को निर्धारित समय-सीमा में कराए जाने के कारण जिले में उपार्जित धान की मात्रा एवं मिलिंग क्षमता अनुसार राईस मिलों से मिलिंग कराई जाती है। स्थानीय मिलों से ही मिलिंग कराना बंधन नहीं है। धान मिलिंग कर अरबा चावल बनाने हेत् राईस मिलर्स को केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित रू. 15 प्रति क्विंटल (8 किलोमीटर तक धान एवं चावल के परिवहन व्यय सहित) तथा राज्य शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि रू. 25 प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाता है। भारत शासन द्वारा निर्धारित आर्थिक लागत कास्टशीट अनुसार परिवहन व्यय का निर्धारण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की तुलना में मिलिंग क्षमता कम होने से प्रदेश के राईस मिलर्स द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रदेश के मिलर्स द्वारा मिलिंग न किए जाने के कारण वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रदेश के बाहर के राईस मिलर्स से मिलिंग कराए जाने का प्रावधान किया गया है। प्राथमिकता का क्रम **प्रत्वकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। परिवहन दर का निर्धारण हेतु खुली निविदा के माध्यम से दर आमंत्रित कर निर्धारित किया जाता है। राईस मिलर्स द्वारा धान एवं चावल का परिवहन करने पर राज्यस्तरीय स्टेण्डिंग कमेटी द्वारा दरों का निर्धारण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) प्रदेश के बाहर के राईस मिलर्स से मिलिंग अनुबंध करने हेत् एन.ओ.सी. प्राप्त करने संबंधी बाध्यता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# जनपद पंचायत विरसा के ग्राम पंचायत दमोह के सरपंच के विरूद्ध कार्यवाही

165. (क्र. 3022) श्री संजय उड़के : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले को जनपद पंचायत विरसा के ग्राम पंचायत दमोह के सरपंच/सचिव के विरूद्ध दमोह के बस स्टैण्ड से खैरमाता मंदिर से P.W.D. रोड तक सी.सी. सड़क निर्माण में राशि गबन करने के कारण म.प्र. पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत अनुविभागीय अधिकारी बैहर के यहां दिनाँक 02.07.2011 को प्रकरण प्राप्त किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो आज दिनाँक तक प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर, जिला बालाघाट द्वारा प्रकरण क्रमांक 13-3,89 दिनाँक 02.07.2011 को पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में दिनाँक 27.02.2012 को आदेश पारित किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## अनु.जाति/जनजाति परिवारों को चिन्हित कर, जाति प्रमाण पत्र जारी करना

166. (क्र. 3167) श्री संदीप श्रीपसाद जायसवाल: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश व्दारा समस्त संभाग आयुक्त म.प. शासन को जारी पत्र क्रमांक/2014/109/120, भोपाल दिनाँक 07.05.2014 के अनुसार, प्रमाण समग्र पोर्टल के माध्यम से, नवीन जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने एवं सत्यापन के निर्देश दिये गये है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के तहत जनपद पंचायत/नगरीय निकाय, चिन्हित व्यक्ति/परिवारों की जानकारी प्रमाण पोर्टल पर उपलब्ध करायेगे एवं अनुविभागीय अधिकारी जाति प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करेंगे? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में बताये कि कटनी जिले की समस्त जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों व्दारा प्रश्न दिनाँक तक कितने-कितने आवेदन, कब-कब प्राप्त कर, चिन्हित परिवारों को प्रमाण पोर्टल पर कब-कब दर्ज किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के संदर्भ में बताये कि प्रश्न दिनाँक तक जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों व्दारा प्रमाण पोर्टल के माध्यम से किन-किन के जाति प्रमाण पत्र कब-कब जारी एवं सत्यापित किये गये, कार्यालय वार बताये? (इ.) प्रश्नांश (क) से (घ) तक संचालनालय सामाजिक न्याय/शासन के निर्देशों के परिपालन में लापरवाही का कौन-कौन कार्यालय एवं शासकीय सेवक जिम्मेदार हैं, क्या इसका संज्ञान लेते हुये, समुचित कार्यवाही की जायेगी, यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों? बताये?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (इ.) पात्र व्यक्तियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बावन"

# दोषी पर कार्यवाही

167. (क्र. 3171) श्रीमती शीला त्यागी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिला विधानसभा क्षेत्र मनगवां के अंतर्गत बाँस से गोदरी मार्ग पर प्रधान मंत्री सड़क योजना से कार्य किया जा रहा है? जबिक उक्त मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन है? उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग से हटाकर प्रधान मंत्री सड़क में परिवर्तन करने का आदेश किस के व्दारा दिया गया है? आदेश एवं अनापित प्रमाण पत्र के साथ जानकारी देवें? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां तो क्या प्रधान मंत्री सड़क को पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के बिना अनुमित के कार्य करने का नियम है यदि हाँ, तो नियम की प्रति देवे? क्या उक्त मार्ग के कार्य को पी.डब्ल्यू.डी. के पूर्व के कार्य को घटाया गया है? यदि नहीं, तो प्रधान मंत्री सड़क योजना के जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेगें? (ग) भटवा से पनगड़ी मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. रोड का निर्माण लोक निर्माण विभाग व्दारा बनाई गई थी यदि हाँ, तो उक्त रोड के ऊपर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत अधिकारियों एवं ठेकेदार की मिली भगत से कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो पूर्व में पी.डब्ल्यू.डी. व्दारा बनाई गई सड़क पर प्रधान मंत्री एवं नियम से उक्त कार्य कराया जा रहा है? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख), (ग) हां तो उक्त नियम विरुद्ध रोड निर्माण के कार्य में कौन-कौन दोषी है? उक्त के विरुद्ध कब क्या कार्यवाही करेगें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मनगंवा में बॉस से गोदरी तक 9.00 किमी लंबाई के मार्ग में केवल हीरूडीह से गोदरी तक 3.50 किमी लंबाई का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कराया जा रहा है। शेष कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। 2001 की जनसंख्या के आधार पर जिले का कोरनेटवर्क तैयार किया गया था जिसका अनुमोदन जिला पंचायत द्वारा किया गया था उसी के अन्रूप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर भारत सरकार की राशि से निर्माण कराया जा रहा है। जिससे मध्यप्रदेश शासन की राशि की बचत हो रही है। (ख) 2001 की जनसंख्या के आधार पर जिले का कोरनेटवर्क तैयार किया गया था जिसका अनुमोदन जिला पंचायत द्वारा किया गया जिसमें लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी सदस्य हैं। उसी के अनुरूप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर भारत सरकार की राशि से निर्माण कराया जा रहा है। जिससे मध्यप्रदेश शासन की राशि की बचत हो रही है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यस्थल पर पूर्व में किये गये कार्य के माप (ओ.जी.एल.) लेकर उसकी मात्राओं को, भूगतान की जाने वाली मात्राओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) भटवा से पनगड़ी मार्ग लोक निर्माण विभाग का था जिसको अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रावधान एवं मापदण्डो अनुसार बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यस्थल पर पूर्व में किये गये कार्य के माप (ओ.जी.एल.) लेकर उसकी मात्राओं को, भ्रगतान की जाने वाली मात्राओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्य के ऊपर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत अधिकारियों एवं ठेकेदार की मिलीभगत से कार्य कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता? शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'क' 'ख' एवं 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

#### भाग - 3

### अतारांकित प्रश्नोत्तर

### भोपाल की भूमि की नीलामी

1. (क. 82) श्री महेन्द्र सिंह काल्खेडा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम 1966 किस दिनाँक तक प्रभावशील था? (ख) क्या इस अधिनियम की धारा-21 के प्रावधानों के संबंध में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया था? परामर्श प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों हुई तथा विधि विभाग का परामर्श क्या है? (ग) क्या भूमि विकास बैंक नियम 1967 में अधिकतम बोलीदार को जमीन विक्रय का प्रावधान है तथा पंजीयक सहकारी संस्थाओं के पत्र दिनाँक 03.06.2000 में भी अधिकतम बोलीदार के पक्ष में भूमि नीलाम करने का निर्देश है? क्या अधिनियम एवं नियम में कलेक्टर गाईड लाईन पर भूमि नीलाम करने का प्रावधान है? (घ) भूमि विकास बैंक भोपाल की भूमि नीलामी के संबंध में गठित जाँच दल के द्वारा उक्त अधिनियम प्रभावशील होने की दिनाँक तक भूमि नीलामी के प्रकरणों में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है? यदि नहीं, किया है तो ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के लिये दोषी जाँच दल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों? कब एवं क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) दिनाँक 02 अक्टूबर 2000 तक. (ख) जी हाँ. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" एवं "दो" अनुसार है. (ग) नियम की प्रति तथा पंजीयक सहकारी संस्थायें का पत्र क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "तीन" एवं "चार" अनुसार है. कलेक्टर गाईड लाईन पर भूमि नीलाम करने का उल्लेख नहीं है तथापि भूमि की आफसेट मूल्य निर्धारित किया जाना अपेक्षित होता है जो कि कलेक्टर गाईड लाईन के आधार पर ही संभव है. (घ) जाँच दल द्वारा अपने प्रतिवेदन में विभिन्न अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है जिसमें कलेक्टर दर पर आफसेट प्राईज निर्धारित न किए जाने का भी उल्लेख है. पंजीयक का पत्र दिनाँक 03-06-2000 जिला बैंक छतरपुर को संबोधित है जिसे किसी अन्य जिलेको पृष्ठांकित नहीं किया गया है. अतएव जाँच दल के प्रतिवेदन को त्रृटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते.

# नि:शक्तजनों के कल्याण संबंधी योजनाओं

2. (क. 119) श्री सचिन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में निःशक्तजनों के कल्याण संबंधी केन्द्र पोषित एवं प्रदेश शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? रोजगारोन्मुखी एवं प्रशिक्षण संबंधी योजनाएं कौन सी है? (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत जिला खरगोन को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी राशि व्यय हुई? कितनी राशि का उपयोग समय रहते नहीं किया गया एवं क्यों? वर्ष 2009 से प्रश्न दिनाँक तक वर्षवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांकित किन-किन योजनाओं में खरगोन जिले के कितने निःशक्तजनों को लाभान्वित किया गया एवं कितने निःशक्तजनों को अनुदान की कितनी राशि दी गई तथा कितने व्यक्तियों को रोजगार/स्वरोजगार व शासकीय सेवा में नियुक्ति दी गई? (घ) प्रश्नांकित किनकिन योजनान्तर्गत किन-किन स्वयंसेवी संगठनों संस्थाओं व एन.जी.ओ. को कितनी-कितनी राशि अनुदान में दी गई एवं किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई और क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है हाँ तो बतायें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"ब" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"ब" अनुसार है। निःशक्तजनों को अनुदान देने का कोई प्रावधान नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार है। उक्त संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

#### ग्रामों एवं खेतों को सड़कों से जोड़ा जाना

3. (क्र. 121) श्री सचिन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग खरगौन जिले में वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत कितने ग्रामों, मजरा टोलों को सड़कों से जोड़ा गया है अलग-अलग जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार इंदौर संभाग के खरगौन में सड़कों के निर्माण कार्यों में कुल कितनी राशि खर्च की गई विधानसभावार बताये कार्य में केन्द्र सरकार से कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? जानकारी दें? पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) इंदौर संभाग के खरगौन जिले में वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 94 ग्रामों को जोड़ा गया है। इस योजना के दिशा निर्देशों में पात्र ग्रामों को उल्लेख नहीं होने से मजरे-टोलों को नहीं जोड़ा गया है। वर्ष 2001 की जनगणना में मजरे-टोलों का उल्लेख नहीं होने से मजरे-टोलों को नहीं जोड़ा गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) इंदौर संभाग के खरगौन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों पर व्यय राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। केन्द्र सरकार द्वारा विधानसभावार राशि प्रदान नहीं की जाती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

### परिशिष्ट - "तिरेपन"

# विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3339, दिनाँक 11.03.2015

4. (क. 181) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नोत्तरी दिनाँक 11.03.2015 में मुद्रित अता. प्रश्न क्रमांक 3339 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में बताया है कि फर्म के विरूद्ध मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 6, 19, 31, 36, 37 के उल्लंघन पर फर्म के विरूद्ध न्यायालय पवई में परिवार प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में न्यायालय पवई में विचाराधीन है, किन्तु उक्त धाराओं का उल्लंघन आज भी जारी होने पर उक्त दाल मिल के स्टॉक को जप्त क्यों नहीं किया गया? और विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने हेतु क्यों नहीं लिखा गया? उक्त कार्यवाही कब तक की जावेगी और अब तक न करने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? (ख) दिनाँक 19.04.2006 से प्रश्न दिनाँक तक फर्म शारदा दाल मिल पवई द्वारा कौन-कौन सी कृषि उपज का क्रय-विक्रय एवं प्रसंस्करण कितनी-कितनी मात्रा में किया गया है विवरण दें? तथा पवई मंडी को प्रश्न दिनाँक तक कितना मंडी शुल्क का भुगतान किया गया है विवरण दें? (ग) कृषि उपज मण्डी समिति कटनी में उक्त दाल मिल ने थोक व्यापारी का भी लायसेंस जारी किया है मंडी कटनी एवं मंडी पवई दोनों के साथ फर्म द्वारा धोखाधड़ी की जाकर मंडी को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई इसके लिये मिल मालिक एवं फर्म को लाभ पहुँचाने वाले अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों? (घ) फर्म शारदा दाल मिल कटनी/पुरैना पवई के प्रकरण में किन-किन के द्वारा कब-कब शिकायतें की है? शिकायतवार,

कार्यवाहीवार विवरण दें? तथा कटनी मंडी के दोषी पाये मंडी कर्मचारियों के विरूद्ध प्रश्न दिनाँक तक कार्यवाही न करने के लिये मंडी सचिव/मंडी समिति के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। मंडी समिति पवई द्वारा दिनाँक 24.03.2015 एवं दिनाँक 06.05.2015 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान फर्म शारदा दाल मिल बंद पाई गई तथा कृषि उपज भण्डारित नहीं होना पाई गई, जिससे जब्ती की कार्यवाही नहीं की गई। विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही मंडी समिति पवई से संबंधित नहीं है। अतः शेष कार्यवाही का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ख) फर्म शारदा दाल मिल प्रैना द्वारा कृषि उपज मंडी समिति पवई से अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की गई है और ना ही मंडी प्रागंण से कृषि उपज का क्रय-विक्रय किया गया। फर्म शारदा दाल मिल प्रैना मंडी समिति, कटनी की थोक व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी फर्म होने से फर्म द्वारा कृषि उपज बटरी 15153 क्विंटल एवं चना 7637 क्विंटल का किये गये प्रसंस्करण पर मंडी फीस रूपयें 63,44,570/- एवं निराश्रित शुल्क रूपयें 104636/- वसूली योग्य राशि जमा करने हेत् माननीय न्यायालय दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई में परिवाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त फर्म द्वारा कृषि उपज मंडी समिति पवई को प्रश्न दिनांक तक कोई मंडी फीस का भ्गतान नहीं किया गया है। (ग) कृषि उपज मंडी समिति कटनी द्वारा आदेश दिनांक 13.09.2014 से संबंधित फर्म का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया गया था, जिसके विरूद्ध फर्म द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलप्र में याचिका क्रमांक 18588/2014 दायर कर स्थगन प्राप्त किया गया है। उक्त फर्म का वर्ष 2015 से 2020 तक के लिये अनुज्ञिस नवीनीकरण हेत् आवेदन प्राप्त होने पर मंडी समिति कटनी द्वारा दिनांक 25.03.2015 से फर्म पर बकाया राशि जमा कराने हेत् सूचना पत्र जारी किया गया, फर्म द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.12.2014 के उल्लंघन के संबंध में अवमानना प्रकरण क्रमांक 533/15 दायर किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है कृषि उपज मंडी पवई द्वारा संबंधित फर्म के विरूद्ध माननीय न्यायालय दण्डधिकारी प्रथम श्रेणी पवई में परिवाद प्रस्तुत किया गया है जो कि विचाराधीन है। इस संबंध में प्रारंभिक जाँच में प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये तत्कालीन सचिव पवई/कटनी को निलंबित किया जाकर शेष तत्कालीन 06 मंडी सचिव कटनी एवं 03 मंडी सचिव पवई की विभागीय जाँच अंतर्गत आरोप पत्रादि जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मंडी समिति कटनी सेवा के 02 सहायक ग्रेड-3 को निलंबित किया गया है तथा 01 दैनिक वेतन भोगी को सेवा से पृथक किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नागत **जानकारी** पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# मंडी समिति के उपयंत्रियों का संविलियन एवं वरिष्ठता सूची प्रकाशन

5. (क्र. 182) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. की कृषि उपज मंडी समितियों में वर्ष 1988 की स्थिति में कुल कितने उपयंत्री कार्यरत थे? मंडीवार जानकारी दें। उक्त में से कौन-कौन नियमित थे और कौन-कौन दैनिक वेतन पर कार्यरत थे? (ख) प्रश्नांश (क) के उपयंत्रियों में से जो दैनिक वेतन पर थे उन्हें कब-कब नियमित किया जाकर राज्य विपणन सेवा से संविलियन किया गया तथा कितने उपयंत्रियों को नहीं किया गया? कारण बताएं। कब तक किया जावेगा, यह भी बताएं? (ग) प्रश्नांश (ख) के शेष बचे हुए उपयंत्रियों को मंडी बोर्ड सेवा में संविलियन न करने के संबंध में किन-किन के द्वारा कार्यवाही किए जाने की मांग

कब-कब की गई है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार बताएं। यदि नहीं, तो क्यों कब तक की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) म.प्र. की कृषि उपज मंडी समितियों में वर्ष 1988 की स्थिति में कुल 69 उपयंत्री कार्यरत थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, ब अनुसार है। (ख) प्रश्तांश (क) के दैनिक वेतन भोगी उपयंत्रियों के नियमितीकरण की दिनाँक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ,ब अनुसार है, तथा म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा - 26 के अंतर्गत परिशिष्ट-अ में उल्लेखित राज्य विपणन सेवा के उपयंत्रियों को राज्य मंडी बोर्ड सेवा में आमेलन किया गया है, शेष मंडी समिति सेवा के उपयंत्रियों को मंडी बोर्ड सेवा में संविलियन किया जाना विचाराधीन नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में मंडी समिति सेवा के उपयंत्रियों को मंडी बोर्ड में प्राप्त नहीं हुए है शेष का प्रश्न उद्भत नहीं होता है।

# फसलों के नुकसान का मुआवजा वितरण के संबंध में

6. (क्र. 186) कुंवर सौरभ सिंह: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में रबी फसल माह मार्च एवं अप्रैल 2015 में कितने प्रतिशत अतिवृष्टि से खराब हुई है? गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत जिन्सवार उत्पादन हुआ? विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि गेहूँ का उत्पादन कम हुआ है तो समर्थन मूल्य में गेहूँ खरीदी की मात्रा बताएँ? (ग) क्या यह सत्य है कि बी.पी.एल. कार्डधारियों को जो गेहूँ प्रदाय किया जाता है वह हितग्राहियों को न देकर कोटेदारों द्वारा सीधे बाजार में विक्रय होने से ऑकड़ों में बढ़ोत्तरी हुई? (घ) क्या शासन प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में बी.पी.एल कार्डधारियों को खाद्यान्न न मिलने और कृषकों की क्षतिपूर्ति न मिलने की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कटनी जिले में माह मार्च एवं अप्रैल 2015 में हुई ओला वृष्टि एवं अतिवृष्टि से रबी मौसम में बोई गई फसलों में 15 से 20 प्रतिशत तक क्षति हुई। जिले में वर्षा मौसम में वर्षा कम होने से तथा माह मार्च/अप्रैल 2015 में हुई ओला वृष्टि/अतिवृष्टि के कारण गेहूँ में (-1) प्रतिशत, चना में (-25) प्रतिशत, अलसी में (-41) प्रतिशत, राई सरसों में (-57) प्रतिशत, जौ में (-48) प्रतिशत, मसूर में (-55) प्रतिशत एवं मटर में 37 प्रतिशत गत वर्ष की अपेक्षा उत्पादन कम होना पाया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2015-16 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी मात्रा 91148.67 मे.टन है। (ग) यह सत्य नहीं है कि बी.पी.एल. काईधारियों को जो गेहूँ प्रदाय किया जाता है वह कोटेदारों द्वारा हितग्राहियों को वितरित किया जाता है तथा इसकी वजह से आंकड़ों में वृद्धि नहीं हुई है। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न, उपस्थित नहीं होता।

## पेंशन प्रकरणों का निराकरण

7. (क्र. 210) श्री संजय पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नांश (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी को पत्र क्रमांक 126, दिनाँक 25.09.2014 को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो कितने हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत कर लाभ पहुँचाया गया है? संख्या बतायें? (ख) प्रश्नांश (ख) प्रश्नाधीन प्रेषित पत्र में उल्लेखित लाभान्वित तथा अपात्र हितग्राहियों संख्या बतायें? (ग) प्रश्नांश (ग) यदि अपात्र हितग्राही थे तो अपात्रों को इनकी सूचना दी गई? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ। 03 पात्र हितग्राहियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कर लाभ पहुंचाया गया। (ख) 03 पात्र तथा 06 अपात्र। (ग) जी हाँ। दिनाँक 05.07.2015 को कारीतलाई में आयोजित शिविर में पात्र/अपात्र हितग्राहियों की उद्घोषणा की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

### विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थायें

8. (क्र. 272) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन इंदौर संभाग में विज्ञान एवं प्रोयोगिकी परिषद द्वारा 01 अगस्त, 2014 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन सी स्वयं सेवी संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? (ख) उक्त अविध में जिन स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया उन संस्थाओं के नाम और प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करने के कारण बताएं? वर्तमान में मध्यप्रदेश विज्ञान प्रोयोगिकी परिषद के समक्ष जिन स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रस्ताव उक्त संभागों में एक अगस्त 2014 से लंबित है। यह लंबित प्रस्ताव कब तक स्वीकृत/अस्वीकृत किये जायेंगे? (ग) मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रोयोगिकी परिषद द्वारा विगत 5 वर्षों में उक्त संभागों में कौन-कौन सी स्वयं सेवी संस्थाओं को ब्लेक लिस्टेड किया गया। ऐसी कितनी स्वयं सेवी संस्थाएं है, जिनके द्वारा अनुदान में अनियमितता करने की जानकारी सामने आई। उनकी वर्षवार जानकारी संस्था के नाम, पते सहित उपलब्ध करावें?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (ग) जानकारी 'निरंक' है।

परिशिष्ट - "चउवन"

# सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त मोटराईज्ड ट्राईसायकल

9. (क्र. 273) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन-इंदौर संभाग में 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् कितने विशेष योग्यजनों द्वारा मोटराईज्ड ट्राईसायकल हेतु आवेदन किया गया, जिलेवार विवरण दें। (ख) उक्त में से कितने आवेदनकर्ता को उक्त मोटराईज्ड ट्रायसायकल उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई। (ग) उज्जैन-इंदौर संभाग में निराश्रित संबंध योजना या अन्य योजना अंतर्गत कितने व्यक्तियों को चिन्हित करके इन्हें सहारा देने हेतु क्या प्रबंध/व्यवस्था की गई है, जिलेवार विवरण देवें? (घ) क्या उक्त योजनांतर्गत जिला स्तर पर समितियां गठित किया जाना प्रस्तावित था? यदि हाँ, तो उक्त समिति सदस्यों की जिलेवार सूची उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

### पंचायत सचिवों का अंशदान पेंशन योजना का लाभ

10. (क्र. 306) श्री जतन उईके: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत के सचिवों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिया जावेगा? (ख) वर्तमान में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत सचिवों से अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत उनके वेतन से 10 प्रतिशत की जो राशि काटी जा रही है उसका हिसाब एवं फण्ड मेनेजमेन्ट की क्या व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की गई है? यदि नहीं, तो उक्त राशि कहाँ जमा की जा रही है? (ग) क्या प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों को भारत सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि योजना से नहीं जोड़ा जा सकता जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र के सेवा द्वारा न्यूनतम पेंशन का लाभ दिया जाता है? इस योजना में इन कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन लाभ देने पर सरकार विचार करेंगी? यदि हाँ, तो कब तक? या फिर अंशदायी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन प्रदान करने हेतु प्रावधान करेंगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत हिसाब एवं फंड मेनेजमेंट की व्यवस्था हेतु एन.एस.डी.एल. को अधिकृत किया गया है। किंतु एन.एस.डी.एल.द्वारा पंचायतराज संचालनालय तथा जिला/जनपद पंचायतों को योजनांतर्गत पंजीयन की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण कर्मचारियों के अंशदान से कटोत्रा की गई राशि संबंधी संस्था को अंतरित नहीं की जा सकी है। वर्तमान में राशि इस प्रयोजन हेतु जिला पंचायतों द्वारा खोले गये खाते में जमा की जा रही है। एन.एस.डी.एल. द्वारा पंचायतराज संचालनालय का पंजीयन क्रमांक दिनाँक 25.06.2015 को किया जाकर जिला/जनपद पंचायतों के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी चाही गई है, जिसकी कार्यवाही प्रचलन में है। पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने पर एन.एस.डी.एल. को राशि अंतरण की कार्यवाही की जावेगी। (ग) वर्तमान में शासन की ऐसी कोई योजना नहीं है। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने पर अभिदाता द्वारा कुल जमा अंशदान के 40 प्रतिशत राशि से एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर से एन्यूटी क्रय किया जावेगा, जिससे अभिदाता को एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रतिमाह पेंशन दी जावेगी। इस पेंशन सिस्टम का संचालन पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है।

## मनरेगा के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

11. (क्र. 309) श्री जतन उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है या नहीं? यदि की जा रही है तो कब तक इन्हें नियमित किया जावेगा? (ख) क्या संविदा शिक्षक द्वारा 3 वर्ष की अवधि पूर्ण किये जाने पर उन्हें नियमित किया गया है? वैसे ही मनरेगा के संविदा कर्मचारियों को भी नियमित किया जावेगा? यदि हाँ, तो इन्हें अब तक नियमित किये जाने का आदेश क्यों नहीं जारी किया गया? (ग) क्या संविदा कर्मचारियों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नियमित किये जाने की नीति बनाई गयी है? यदि हाँ, तो अभी तक संविदा कर्मचारियों को

नियमित क्यों नहीं किया गया? (घ) यदि मनरेगा के कर्मचारियों को नियमित किया जाता है तो शासन इसका बजट किस मद से करेंगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मनरेगा कर्मचारियों के लिये शासन द्वारा नियमित किये जाने की अलग से नीति नहीं बनाई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ख एवं ग के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

#### बी.पी.एल./ए.पी.एल. राश्न कार्ड बनाया जाना

12. (क. 422) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के अन्तर्गत ए.पी.एल. और बी.पी.एल. किन राशन कार्डधारियों के राशन कार्ड जनवरी 13 से जून 15 तक बनाये गये हैं? किस पंजी पर दर्ज किए गए? क्या राशन कार्ड ऑन लाईन किए गए हैं? यदि हाँ, तो जानकारी दें? (ख) 1 जनवरी 2013 से 30 जून 2015 तक भिण्ड नगर पालिका सीमा के अंतर्गत किस वार्ड में कितने प्रतिशत ए.पी.एल. और बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी किए गए हैं? उन पर किन अधिकारियों के हस्ताक्षर किए गए हैं? किन पंजी पर दर्ज है? वार्ड क्रमांक 26 व 27 में कितने राशन कार्ड जारी किए गए, कितने जारी नहीं किए गए? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) में जारी किए गए राशन कार्डों का सत्यापन किस स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा सत्यापन किया गया? 30 जून 2015 तक कितने लोगों के राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में विचाराधीन है? कब तक जारी किये जायेंगे? इनको क्या सुविधा शासन से मिलेगी?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

### भोपाल जिले में केरोसिन वितरण की व्यवस्था

13. (क्र. 468) श्री रामेश्वर शर्मा: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में केरोसिन वितरण हेतु किन डीलरों या सोसायटियों को अधिकृत किया गया है, नाम, पता एवं केरोसिन की स्वीकृत मात्रा सहित बताएं? (ख) डीलरों एवं सोसायटियों द्वारा स्वीकृत मात्रा के विरूद्ध उपभोक्ताओं को केरोसिन का सही मात्रा में वितरण किया जा रहा है अथवा नहीं, इसके सत्यापन की क्या व्यवस्था है? (ग) भोपाल जिले में पिछले 3 वर्षों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कितने मामले पंजीकृत किए गए और इनमें कार्यवाही की वर्तमान स्थित क्या है?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित आवंटितियों (डीलरों एवं सहकारी संस्थाओं) द्वारा किये जाने वाले केरोसीन वितरण की निगरानी राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अमले द्वारा उनके प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत किये जाने का प्रावधान है, जिस अनुसार निरीक्षण के दौरान सत्यापन सुनिश्वित किया जाता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है।

# उचित मूल्य दुकानों का संचालन

14. (क्र. 469) श्री रामेश्वर शर्मा: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर उचित मूल्य की दुकानें खोलने की योजना लंबित है, यदि हाँ, तो बताएं कि कब तक दुकानें खोली जाएगी? (ख) ह्जूर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कहाँ-कहाँ उचित

मूल्य की दुकानें संचालित हैं, दुकानों का पता, सेल्समेन का नाम सिहत बताएं? (ग) हुजूर विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ नई दुकानें खोलने के प्रस्ताव लंबित हैं और कब तक दुकानें खोल दी जाएंगी बताएं?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उचित मूल्य दुकान खोलने संबंधी प्रावधान किये गए हैं। यथासंभव सितम्बर माह तक उचित मूल्य दुकानें खोली जा सकेंगी। (ख) प्रश्नांकित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -'क' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -'क' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -'क' अनुसार है। प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्रांतर्गत उचित मूल्य दुकान आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

### परिशिष्ट - "पचपन"

#### पत्र का उत्तर नहीं दिया जाना

15. (क्र. 556) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनवरी 2014 से जून 2015 में प्रश्नकर्ता विधायिका द्वारा प्रस्तुत पत्र केन्द्रीय सहकारी बैंक शिवपुरी शाखा नरवर से समितिवार खाद एवं बीज वितरण की जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति भी उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये पत्र के संदर्भ में जानकारी प्रश्न प्रस्तुत दिनाँक तक नहीं भेजी गई है, यदि हाँ, तो कारण से अवगत करावें? (ग) क्या मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के बार-बार निर्देश आदेशों द्वारा माननीय सांसद व विधायकों के पत्रों का समय-सीमा में उत्तर देना व उनके पत्रों की अलग से पंजीयन रजिस्टर में दर्ज करने का प्रावधान है? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में पत्र की जानकारी कब तक भेज दी जायेगी समय-सीमा बताइये? व पत्र पर कार्यवाही न करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी हाँ. पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी हाँ, जानकारी अत्यधिक विस्तृत होने के कारण. (ग) जी हाँ. (घ) चाही गई जानकारी माननीय विधायिका को शाखा प्रबंधक, शाखा नरवर द्वारा दिनाँक 13.07.2015 को प्रेषित की जा चुकी है. जानकारी उपलब्ध करा दिये जाने के कारण भविष्य हेतु सचेत किया गया है.

### परिशिष्ट - "छप्पन"

# विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने बाबत्

16. (क. 608) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत आदर्श ग्राम सण्डावता में किसानों की संख्या कितनी है? कितने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाये गये है? बैंकवार विवरण देवे? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ग्राम सण्डावता में शेष किसानों को कब तक किसान किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) किसान क्रेडिट कार्ड बैंकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत किसान क्रेडिट धारक जो अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल का बैंक से ऋण लेते है ऐसे कृषकों को

योजनान्तर्गत कवर किया जाता है। वास्तविक उपज के आंकडे आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर द्वारा एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी को दिनाँक 31.07.2015 तक उपलब्ध होने के तत्पश्चात ही क्षतिपूर्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी। रबी 2014-15 मौसम हेतु अधिसूचना के अनुसार ग्राम सण्डावता का पटवारी हल्का नं. 6 तहसील सारंगपुर में है। पटवारी हल्का नं. 6 में उपज में कमी पाई जायेगी तो क्षतिपूर्ति देय होगी अन्यथा नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

# गुना विपणन सहकारी संस्था मर्यादित गुना के निर्वाचित संचालक को पद से मुक्त किया जाना

17. (क्र. 659) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 19 (सी/ग) के अंतर्गत समान व्यवसाय करने वाली संस्थाएं एक समान व्यवसाय करने वाले संस्था के सदस्य संचालक निर्धारित होने से अपात्र हो जाते है? (ख) यदि हाँ, तो क्या गुना जिले की विपणन सहकारी संस्था मर्यादित गुना एवं सार्वजनिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार गुना के बायलाँज (उपनियम) में समान व्यवसाय करती है यदि हाँ, तो क्या उक्त भण्डार, विपणन संस्था गुना की सदस्यता ग्रहण कर सकता है यदि नहीं, तो कब तक हटायेंगे? (ग) क्या विपणन सहकारी संस्था मर्यादित गुना के संचालक मण्डल में श्री अनिल शर्मा निर्वाचित संचालक है सार्वजनिक सहमति उपभोक्ता भण्डार गुना से प्रतिनिधि है जब दोनों संस्थाएं समान व्यवसाय करती है तो क्या श्री अनिल शर्मा अयोग्य हो गये है यदि हाँ, तो कब तक पद से पृथक होगे कारण सहित विवरण दें? (घ) विपणन सहकारी संस्था मर्यादित गुना के वर्ष 2013 में निर्वाचित ऐसे कितने संचालक है जो प्रश्न दिनाँक तक वह या उनके प्रतिनिधित्व वाली संस्थाएं किसी भी रूप में कालान्तरित हो गयी है या अपात्र हो गई हो या समान व्यवसाय करती हो वह संचालक कब और किस रीति से हटेगे कारण सहित विवरण दें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी नहीं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 19 (सी/ग) का प्रावधान सदस्यों के निष्कासन के संबंध में है, संचालक की अपात्रता के लिए नहीं है. (ख) जी नहीं. उपभोक्ता भण्डार द्वारा विपणन सहकारी संस्था की सदस्यता ग्रहण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी हाँ, दोनों संस्थाओं के सामान व्यवसाय करने पर प्रतिनिधि अपात्र नहीं होता, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) 03 संचालक क्रमशः श्रीमती सीमा सिंह श्री कैलाश नारायण शर्मा, श्री लल्लीराम. स्वयं अथवा उनकी संस्थाएं जिनसे वे प्रतिनिधि है 12 माह से अधिक की कालातीत होने से संचालक पद से अपात्र है, तीनों संचालकों को संचालक पद से पृथक करने हेतु दिनाँक 14.07.2015 को विपणन सहकारी संस्था मर्यादित गुना को निर्देशित किया गया है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48-कक एवं धारा 50-क में वर्णित रीति से हटेंगे. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

# जनपद पंचायत व जिला गुना की ग्राम पंचायत में अवैध निर्वाचन

18. (क्र. 669) श्री महेन्द्र सिंह सिसौंदिया: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2014 में ग्राम पंचायतों का परमीशन किया है यदि नहीं, तो गुना जिले की जनपद गुना की ग्राम पंचायतों में जिला प्रशासन ने कोई परमीशन करके एक पंचायत से गांव हटाकर दूसरी पंचायत में जोड़कर परमीशन किया है? (ख) क्या गुना ब्लाक के ग्राम सिंघाडी चक में वर्ष 2009-10 के पंचायत निर्वाचन के ग्राम पंचायत हरिपुर में शामिल होकर वार्ड क्र. 20 में उसके मतदाता शामिल थे वर्ष 2014 में ग्राम पंचायत हरिपुर के वार्ड न. 20 में उनको प्रथम

प्रकाशित सूची में शामिल किया था? क्या ग्राम चक सिंघाडी के मतदाताओं को गुना ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिंघाडी में नवीन वार्ड न. 19 बनाकर अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में सरल क्र. 1395 से 1435 तक जोड़कर निर्वाचन कराया है यदि हाँ, तो बतायें क्या जिला प्रशासन को परमीशन करने का आदेश था या नहीं जानकारी दें? (ग) क्या वर्ष 2009 के निर्वाचन में ग्राम पंचायत हरिपुर के ग्राम चक सिंघाडी वार्ड न. 20 से सईद खाँ निर्वाचित पंच था? यदि हाँ, तो उक्त पंचायत हरिपुर की मतदाता सूची के सरल क्र. 1633 से 1706 तक के मतदाताओं को ग्राम पंचायत सिंघाडी के नवीन वार्ड 19 में किस आदेश से जोड़कर सईद खां का नाम निर्देशन पत्र वार्ड 19 सिंघाडी में रसीद क्र. 695 (19/140) से राशि 100 जमाकर दिनाँक 29.12.14 को फार्म जमा कराया तो पंच को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? (घ) क्या जिला प्रशासन द्वारा परमीशन आदेश के बिना ग्राम पंचायत हरिपुर का एक वार्ड कम करके ग्राम पंचायत सिंघाडी में नवीन वार्ड बढ़ाकर मतदाताओं को जोड़कर पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन दोनों पंचायतों में अवैधानिक रूप से कराया है? कौन-कौन अधिकारी दोषी है क्या दोनों पंचायतों का निर्वाचन निरस्त करायेगें? क्या दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे कब तक विवरण दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। ग्राम पंचायत हरीप्र के चकसिंघाड़ी वार्ड क्रमांक 20 के अनुक्रमांक 1368 से 1435 तक के मतदाताओं के दावे आपत्ति प्राप्त होने पर मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत हरीपुर से निरसन कर ग्राम पंचायत सिघाड़ी के वार्ड क्रमांक 08 में शामिल किये गये तथा इसी सूची के आधार पर वार्ड क्रमांक 08 का निर्वाचन कराया गया। जी हाँ। (ग) जी हाँ। ग्राम पंचायत हरीपुर की मतदाता सूची वर्ष 2014 अनुक्रमांक 1633 से 1706 दावे आपत्ति उपरांत निरसन किये जाकर ग्राम पंचायत सिंघाड़ी वार्ड क्रमांक 08 में सम्मिलित किये गये। नवीन वार्ड 19 नहीं बनाया गया। कम्प्यूटर टंकण में ग्राम पंचायत सिंघाड़ी को मतदाता सूची के हेडर-फ्टर में वार्ड क्रमांक 19 अंकित हो गया था। ग्राम पंचायत सिंघाड़ी में कुल वार्ड संख्या 18 है। श्री सईद खां द्वारा वार्ड क्रमांक 19 के लिए नाम निर्देश पत्र दाखिल किया गया था। जबकि वार्ड नं 19 न होने से नाम निर्देशन निरस्त किया गया। इस कारण पंच का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। (घ) जी नहीं। पंच एवं सरपंच का निर्वाचन नियमानुसार कराया गया है। ग्राम पंचायत सिंघाड़ी की अंतिम मतदाता सूची के हेडर-फुटर में कम्प्यूटर टंकण में त्रुटि होने से वार्ड क्रमांक 08 की जगह 19 अंकित होने से यह स्थिति निर्मित हुई। टंकण त्रुटि होने से अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। दोनो ग्राम पंचायतों का निर्वाचन नियमान्सार होने से निर्वाचन निरस्त करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# कृषि महोत्सव पर व्यय

19. (क्र. 699) श्री गिरीश भंडारी: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में 25 मई 2015 से 15 जून 2015 तक कृषि महोत्सव मनाया गया? (ख) यदि हाँ, तो राजगढ़ जिले में कृषि महोत्सव में कुल कितना व्यय किया गया? एवं किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय किस-किस संस्था/विभाग को किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में संस्था का नाम/स्थान का नाम सहित पूर्ण जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "सत्तावन"

## ओला/अतिवृष्टि की राहत राशि में से ऋण की राशि का समायोजन

20. (क. 700) श्री गिरीश भंडारी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन प्रदेश के किसानों को ओला/अतिवृष्टि की जो राहत राशि दे रहा है उसमें किसानों के सोसायटी/सहकारी बैंको के ऋणों को समायोजन करने का नियम है? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार राहत राशि में से ऋण के समायोजन का नियम नहीं है तो क्या नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कृषि साख सहकारी समिति हिनोत्या के सचिव द्वारा किसानों की राहत राशि में से ऋण का समायोजन किया गया है? (ग) प्रश्न की कंडिका (ख) की उपलब्ध जानकारी के अनुसार कृषि साख सहकारी समिति के सचिव ने अगर नियमों का उल्लंघन किया है तो क्या सचिव के खिलाफ कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जी नहीं. (ग) उत्तरांश 'ख' के परीप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता.

# विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

21. (क्र. 729) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने कृषि महाविद्यालय वर्तमान में संचालित है? इनमें से कितने शासकीय एवं कितने अशासकीय महाविद्यालय हैं? (ख) नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने हेतु शासन के मापदण्ड क्या हैं? (ग) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में कृषि विषय के अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु शासन कोई पहल करने जा रहा है? यदि हाँ, तो विवरण देवें? यदि नहीं, तो क्या इस ओर पहल की जावेगी? (घ) सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव या मांग प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो इस ओर क्या कार्यवाही की जा रही है एवं कब तक पूर्ण होगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) विभाग के अधीन प्रदेश में 9 कृषि महाविद्यालय, 1 कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा 1 कृषि उद्यानिकी महाविद्यालय संचालित है। सभी शासकीय श्रेणी में आते हैं। कोई भी अशासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है। (ख) नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की चतुर्थ डीन्स कमेटी की सिफारिशों के तहत मापदण्ड निर्धारित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। सुसनेर विधानसभा क्षेत्र कृषि विषय के अध्ययन की पूर्ति सीहोर एवं इन्दौर कृषि महाविद्यालयों से हो रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं।

# पंचपरमेश्वर योजनान्तर्गत किए गए कार्य

22. (क्र. 730) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचपरमेश्वर योजनांतर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति एवं भुगतान हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित है एवं इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? (ख) सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत 03 वर्षों में पंचपरमेश्वर योजनान्तर्गत नियम/मापदण्ड विरूद्ध कार्य की स्वीकृति एवं भुगतान के कितने प्रकरण शिकायत या स्वप्रेरणा से संज्ञान में आए है एवं इन पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) सुसनेर

विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत 03 वर्षों में पंचपरमेश्वर योजना से क्या-क्या कार्य स्वीकृत किए गए एवं कार्य एजेंसियों ने निर्धारित समय में कार्य पूर्ण किया या नहीं? (घ) क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत देहरिया सोयत के बागरी मोहल्ले में क्या सी.सी. रोड स्वीकृत हुआ था? क्या उक्त कार्य की शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण देवें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार। (ख) सुसनेर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विगत 3 वर्षों में पंच-परमेश्वर योजनातंर्गत 03 (तीन) शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनकी जाँच प्रचलन में है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब"अनुसार। अधिकांश कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराये गये है,िकंतु मनरेगा योजना मांग आधारित योजना होने से समय पर मजदूर उपलब्ध नहीं होने से कार्यों में विलंब हुआ है। (घ) जी हाँ। शिकायत की जाँच प्रचलन में है।

# ग्वालियर आयोजित कृषक प्रशिक्षण/संगोष्ठी

23. (क्र. 759) श्रीमती इमरती देवी: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में किसान कल्याण तथा कृषि विकास ग्वालियर को विभिन्न मदों में कृषक प्रशिक्षण/संगोष्ठी हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई, जिसे विकासखण्डवार कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई? (ख) जिला ग्वालियर में वर्ष 2014-15 में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा विभिन्न मदों से किस ग्राम में किस दिनाँक से किस दिनाँक तक आयोजित संगोष्ठि/कृषक प्रशिक्षण में प्रतिदिन कितने-कितने कृषकों ने भाग लिया? कृषकों की संख्या बतावें एवं प्रत्येक संगोष्ठि/प्रशिक्षण में कुल कितनी राशि व्यय की गई। विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार विकासखण्ड डबरा एवं भितरवार में वर्ष 2014-15 में (विभिन्न मदों से) आयोजित संगोष्ठि/कृषक प्रशिक्षण में प्रतिदिन किस ग्राम के कितने कृषक उपस्थित हुए तथा प्रत्येक कार्यक्रम में प्रति कृषक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

# परिवहन विभाग द्वारा वाहनों में स्पीड गर्वनर लगाया जाना

24. (क्र. 782) श्री राजेश सोनकर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परिवहन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में जो वाहनों का पंजीयन किया जाता है उनमें स्पीड गर्वनर (वाहनों की गित को नियंत्रित संतुलित करने का यंत्र) लगाये जाने का कोई नियम अथवा प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो वाहनों में उक्त स्पीड गर्वनर यंत्र को लगाने के लिये कब से लागू किया जायेगा व यह यंत्र किस गुणवत्ता एवं मापदण्डों के होगें? (ग) क्या शासन अथवा परिवहन विभाग इस संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक समय बतायें? (घ) इन यंत्रों को किस-किस श्रेणी के वाहनों में लगाया जायेगा? क्या इन्हें हल्के एवं भारी वाहनों में भी लगाया जायेगा? व इनकी मॉनीटरिंग व गुणवत्ता को जांचेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) जी हाँ, परिवहन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में जो वाहनों का पंजीयन किया जाता है उनमें स्पीड गर्वनर के लिए केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 118

एवं भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 290 (अ) दिनाँक 15-04-2015 में प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख), (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (क) में दर्शायी अधिसूचना के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है।

# जिला पंचायत सतना द्वारा बकाया बिलों का भुगतान न किया जाना

25. (क. 796) श्रीमती ऊषा चौधरी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2013 में बसंत उत्सव एवं वर्ष 2011 से रामायणम चित्रकूट आयोजन करने हेतु जिला पंचायत सतना को निर्देश/आदेश दिये गये थे, यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें? (ख) क्या यह सही है कि रामायणम चित्रकूट वर्ष 2011 के शुभम कार्डस सतना के देयक क्रमांक 120/14-11-12 एवं 122/16-11-12 कुल रूपये 32000/- तथा बसंत उत्सव वर्ष 2013, 4241/20-3-2013 कुल रू. 26800/- के भुगतान हेतु लंबित है क्यों कारण सहित बताएं? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित देयकों के अलावा भी शारदा प्रिटंस एण्ड स्टेशनर्स सतना के देयक क्रं. 176/14.11.12, 177/16.11.12 कुल रू. 32000/- तथा डी.डी. इण्टरप्राइजेज सतना के देयक क्रं. 108/14.11.12, 109/16.11.12, 178/16.11.12 कुल रू. 44100/- के भुगतान हेतु लंबित है? यदि हाँ, तो लंबित रहने के क्या कारण है? (घ) क्या उक्त आयोजनों हेतु शासन स्तर से आवंटन प्राप्त हुआ था, यदि हाँ, तो कितना, यदि नहीं, तो किस मद से भुगतान कराया जावेगा तथा उपरोक्त देयकों के अलावा इन आयोजनों में कितने लोगों के भुगतान लंबित है पूर्ण विवरण देते हुए बताएं कि लंबित देयकों का भुगतान किस मद से कब तक करा दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम/सांस्कृतिक विभाग के निर्देश अनुसार जिला पंचायत सतना द्वारा आयोजन किया गया था। (ख) जी हाँ। मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम/मध्यप्रदेश सांस्कृतिक विभाग से आवंटन प्राप्त न होने से भुगतान लंबित है। (ग) जी हाँ। मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम/मध्यप्रदेश सांस्कृतिक विभाग से आवंटन प्राप्त न होने से भुगतान लंबित है। (घ) जी हाँ। वर्षवार निम्नानुसार आवंटन प्राप्त हुआ था। वर्ष 2009-10 में रू. 9.13 लाख, 2010-11 में निरंक, 2011-12 में 10.00 लाख एवं 2012-13 में 15.00 लाख। इन आयोजनों में लंबित देयकों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम/मध्यप्रदेश सांस्कृतिक विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान किया जावेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

### <u>फसल बीमा योजना</u>

26. (क्र. 811) श्री मुकेश नायक: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में फसल बीमा की कौन-कौन सी योजनाएं चल रही है? (ख) वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को जिलेवार कितनी बीमा राशि, का भुगतान जनवरी 2015 से मई 2015 तक किया गया, जिलेवार विवरण दीजिए? (ग) वर्ष 2014-2015 में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य में कुल कितने किसानों का फसल बीमा किया गया और कितनी बीमा धनराशि प्राप्त की गई तथा कितनी धनराशि का वितरण किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। (ख) रबी 2013-14 मौसम का क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान उन पात्र कृषकों को नोडल बैंकों के माध्यम से जिनकी अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पाई गई थी का भुगतान एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा नोडल बैंकों को दिनाँक 27.03.2015 से 27.05.2015 को किया गया। रबी 2013-14 की जिलेवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2014 मौसम में कुल बीमित कृषक एवं बीमित राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो, तीन अनुसार है। खरीफ 2014 मौसम हेतु प्रक्रियाधीन है। रबी 2014-15 हेतु वास्तविक उपज के आंकड़े आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर द्वारा एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी को दिनाँक 31.07.2015 तक उपलब्ध होने के तत्पश्चात् ही क्षतिपूर्ति प्रक्रिया आरंभ की जावेगी।

### परिशिष्ट - "उनसठ"

### आधार कार्ड का पंजीयन

27. (क्र. 832) श्री संजय शर्मा: क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में आधार कार्ड पंजीकरण का कार्य किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? क्या इस हेतु कहाँ-कहाँ केन्द्र बनाये गये है? (ख) ग्रामीण क्षेत्र में आधार कार्ड बनाये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या व्यवस्था की गई है तथा इस हेतु क्या शुल्क निर्धारित है? (ग) रायसेन एवं नरसिंहपुर जिलों में आधार कार्ड पंजीयन का कार्य अत्यन्त धीमी गति से क्यों हो रहा है? कारण बतायें? (घ) सभी नागरिकों का आधार कार्ड पंजीयन शीघ्र हो इस हेतु विभाग क्या-क्या कार्यवाही/प्रयास करेगा? पूर्ण विवरण दें?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ): (क) रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में एम.पी.ऑनलाईन, नेट्लिंक सॉफ्टवेयर, सरादा सिस्टम, आईसेक्ट एवं श्री इंन्फ्रास्ट्रक्चर (Srei Infrastructure) द्वारा किया जा रहा है। आधार कार्ड पंजीकरण का कार्य हेतु केन्द्रों की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ख) ग्रामीण क्षेत्र में आधार कार्ड बनाये जाने हेतु एम.पी.ऑनलाईन, नेट्लिंक सॉफ्टवेयर, सरादा सिस्टम, आईसेक्ट एवं श्री इंन्फ्रास्ट्रक्चर (Srei Infras tructure) को कार्य सौंपा गया है, तथा आधार कार्ड पंजीयन का नागरिकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आधार पंजीयन को गित प्रदान करने हेतु प्रदेश में पंजीकृत एवं कार्यरत सभी एजेंसियों को कार्य करने के लिये अधिकृत किया गया है तथा मशीनों की संख्या बढाई जा रही है। (ग) रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में आधार कार्ड का कार्य 74% हो चुका है। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"व" अनुसार है। (घ) आधार पंजीयन को गित प्रदान करने हेतु प्रदेश में पंजीकृत एवं कार्यरत सभी एजेंसियों को कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा मशीनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। आधार पंजीयन की समीक्षा निरंतर की जा रही है। आंकड़ों के आधार पर 18 वर्ष से कम आयु के आधार पर पंजीयन का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है जिसे गित प्रदान करने के लिये स्कूलों एवं आंगनवाडियों, कैम्प मोड में आधार पंजीयन किया जा रहा है।

## परिशिष्ट - "साठ"

### मध्यान्ह भोजन योजना में अनियमितता

28. (क्र. 918) कुँवर विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजनगर जनपद क्षेत्र अंतर्गत मां ज्वाला तथा मां शारदा स्व सहायता समूह बम्हौरी बहादुर जू की शिकायत जनपद शिक्षा केन्द्र द्वारा की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर द्वारा राशि के रिकवरी के आदेश किये गये? बच्चों को अच्छा भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसकी कई शिकायतें समूहों को की गईं? (ग) क्या स्वसहायता समूह को कार्य दिये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र दिया गया। यदि हाँ, तो कब तक आदेश किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जनपद शिक्षा केन्द्र राजनगर द्वारा पी.जी.शिकायत क्रमांक 312476/2014/99 की जाँच की गई। जाँच प्रतिवेदन जनपद पंचायत राजनगर को एवं जिला पंचायत छतरपुर को प्राप्त हुआ है। (ख) जी हाँ। बिन्दु क्रमांक (क) में उल्लेखित प्रतिवेदन के अनुक्रम में माँ शारदा स्व सहायता समूह द्वारा 54 दिवस मध्यान्ह भोजन का वितरण नहीं किये जाने पर उनके विरूद्ध कुल 24396.00 (चैबीस हजार तीन सौ छियान्वे) रूपये की रिकवरी निकली थी एवं इसके विरूद्ध राशि रूपये 24396.00 (चैबीस हजार तीन सौ छियान्वे) की वसूली की जा चुकी है। बच्चों को अच्छा भोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जाँच उपरांत उपरोक्तानुसार राशि रिकवरी की कार्यवाही की गई है। (ग) जी हाँ। माननीय विधायक राजनगर द्वारा अपने पत्र में महालक्ष्मी तेजस्वनी स्व सहायता समूह को उक्त समूह के स्थान पर कार्य दिये जाने हेतु लिखा गया है जिसके संबंध में नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

# बस मालिकों द्वारा किराया वसूली

29. (क्र. 964) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना): क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संपूर्ण मध्यप्रदेश के साथ-साथ रीवा जिले में भी बस एवं टैक्सी के टिकट पर बस टैक्सी का नाम, नंबर दिनाँक, किराया तथा निर्धारित यात्रा का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखने तथा परिचालक के स्पष्ट हस्ताक्षर का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, तो क्या इसका पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों कारण बताएं? यदि हाँ, तो स्पष्ट लिखने पर तथा अस्पष्ट लिखने पर अधिक किराया वसूल करने पर क्या दण्डित किये जाने का प्रावधान है? (ग) क्या रीवा जिले में भी उपरोक्त पालन कराने के लिए प्रयास किस तरह होगें? किसके माध्यम से होंगे तथा किसे-किसे उपरोक्त पालन करने से कार्यवाही का अधिकार है?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ): (क) परिमिटों पर अधिरोपित शर्तों के अनुसार टिकट पर बस का नंबर, दिनाँक, किराया तथा परिचालक के स्पष्ट हस्ताक्षर आदि लिखा जाना अपेक्षित होता है। टैक्सी की स्थित में किराया प्राप्त रसीद पर उक्त विवरण दर्ज होगें व रसीद पर चालक द्वारा हस्ताक्षर करने का प्रावधान है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रावधानों का पालन विभाग द्वारा की जाने वाली चैकिंग के दौरान सुनिश्चित किया जाता है। स्पष्ट लिखने पर दंड का प्रश्न ही नहीं उठता। जी हाँ, अस्पष्ट लिखने तथा अधिक किराया वसूल करने पर मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत दंडित करने का प्रावधान है। (ग) परिवहन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.41-2011-आठ भोपाल दिनाँक 21 जनवरी 2013 के अनुसार परिवहन विभाग के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों को मोटर यान अधिनियम 1988 धारा 200 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रशमन के अधिकार दिए गए हैं। जिनका विवरण

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उक्त अधिकारियों के माध्यम से ही नियमों का पालन कराया जाता है।

#### जिले में समग्र स्वच्छता अभियान पर व्यय

30. (क्र. 992) श्री जितेन्द्र गेहलोत: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में समग्र स्वच्छता अभियान के योजना प्रारंभ दिनाँक से अब दिनाँक तक पंचायतवार व्यय का विवरण क्या है? उपरोक्तानुसार किस-किस कार्य हेतु किस-किस एजेंसी का चयन, किस-किस प्रक्रिया के तहत किया गया एवं उक्त एजेंसियों को कितना-कितना भुगतान किया गया? (ख) जिले में कितने परिवार अब भी शौचालय विहीन है? पंचायतवार ब्यौरा क्या है? (ग) उक्त शौचालयों के निर्माण हेतु शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड क्या है? क्या इनका पालन उपरोक्त अभियान में किया जा रहा है? (घ) संपूर्ण रतलाम जिले में सभी परिवारों को स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय युक्त करने के लक्ष्य की अविध क्या है? इसके विरूद्ध वर्तमान लक्ष्य प्राप्ति क्या है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। एजेंसियों का चयन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया गया। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। जी हाँ। (घ) संपूर्ण रतलाम जिले में सभी परिवारों को स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय युक्त करने के लक्ष्य की अविधि वर्ष 2019 है। लक्ष्य के विरूद्ध जिले द्वारा 86971 शौचालय का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

#### लोक सेवा केन्द्रों पर लंबित जाति प्रमाण पत्रों के संबंधित

31. (क्र. 994) श्री जितेन्द्र गेहलोत: क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में कितने लोक सेवा केन्द्र प्रारम्भ किये गये? तहसीलवार ब्यौरा दे। (ख) उक्त केन्द्रों पर जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित सेवा दिनाँक से कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त आवेदनों पर कितने आवेदकों के जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं? शेष कितने लंबित होकर समय-सीमा में प्रदाय नहीं किये गये हैं? (ग) समय-सीमा में आवेदक को जाति प्रमाण पत्र जारी न करने के संबंध में तहसीलवार कारण सहित ब्यौरा दे? शेष लंबित जाति प्रमाण पत्र कब तक जारी कर वितरित कर दिये जावेंगे?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ): (क) रतलाम जिले में कुल 06 लोक सेवा केन्द्र प्रारंभ किये गये है, तहसीलवार ब्यौरा निम्नानुसार है:- (01) तहसील रतलाम (02) तहसील जावरा (03) तहसील पिपलौदा (04) तहसील आलोट, तहसील ताल, (05) तहसील बाजना, तहसील रावटी (06) तहसील सैलाना। (ख) उक्त केन्द्रों पर जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित सेवा दिनाँक से 2,27,670 आवेदन प्राप्त हुए है। उक्त आवेदनों पर 1,94,342 आवेदकों के जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये। शेष 33,328 समय-सीमा में लंबित है, जिन पर कार्यवाही की जा रही है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# संजय गांधी प्रशिक्षण संस्थान पंचमढ़ी में संचालक की पदस्थापना

32. (क्र. 1022) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायतराज संचालनालय के पचमढ़ी स्थित संजय गांधी ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान में स्थायी संचालक का पद कब से रिक्त है एवं उक्त पद की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की

गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या संजय गांधी प्रशिक्षण संस्थान पचमढ़ी में वर्तमान प्रभारी संचालक का मूल पद उपसंचालक स्तर का है एवं उनका वेतन संचालनालय से आहरित होकर शासकीय आवास भोपाल में है? (ग) क्या वर्ष 2014-15 में प्रभारी संचालक द्वारा प्रशिक्षण के वार्षिक लक्ष्य पूरे नहीं किये एवं आर.जी.पी.एस.ए. योजना के प्रशिक्षण की कितनी राशि वापस की गई? लक्ष्य पूर्ति नहीं करने के लिये संबंधित के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या कलेक्टर होशंगाबाद जो संस्थान के शासकीय निकाय के सदस्य है, के द्वारा वर्तमान प्रभारी संचालक को हटाने एवं एस.डी.ओ. पिपरिया को संचालक का प्रभार देने का प्रस्ताव दिया था? यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया? यदि नहीं, तो कब तक लिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर संचालक के पद पर जिन अधिकारियों की पदस्थापना की गई उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में संचालक का प्रभार राज्य शासन के आदेश के द्वारा ही दिया गया है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी नहीं। मात्र आरजीपीएसए में निर्धारित लक्ष्य लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पूर्ण नहीं हुये। संचालनालय के आदेश क्रमांक परां./आरजीपीएस/14/6532 दिनाँक 16.06.2014 द्वारा राशि रुपये 23950000/- संचालनालय द्वारा वापस की गई। जी हाँ। (घ) चूंकि संस्थान म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन एक स्वशासी संस्था है, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्रीजी जी है तथा कलेक्टर मात्र एक सदस्य है। संस्थान के संचालक की नियुक्ति/पदस्थापना/प्रभार मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासकीय निर्णय के आधार पर की जाती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# मनरेगा में जल संसाधन विभाग से पदस्थ यंत्री की प्रतिनियुक्ति समाप्त करना

33. (क्र. 1024) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला पंचायत श्योप्र की मनरेगा योजना में जल संसाधन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ सहायक यंत्री किस दिनाँक से पदस्थ है प्रतिनिय्क्ति की अविध 4 वर्ष खत्म होने की साथ ही इनके विरूद्ध कितनी शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई एवं कब-कब इन्हें दण्डित किया गया है? क्या मनरेगा परिषद के पत्र क्रमांक 5808 दिनाँक 01.06.15 से सहायक यंत्री के विरूद्ध शिकायत एवं जाँच की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर श्योप्र से क्रमांक 3420 दिनाँक 05.06.15 में कोई शिकायत नहीं का गलत प्रमाणीकरण प्रेषित किया गया है? (ग) क्या सहायक यंत्री के विरूद्ध आयुक्त चम्बल संभाग के आदेश दिनाँक 16 सितम्बर 2014 से दो वेतन वृद्धी रोके जाने का दंड दिया गया था एवं तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत श्योप्र के पत्र क्रमांक 4613 दिनाँक 14.05.2005 के प्रस्ताव पर श्री रघ्वंशी सहायक यंत्री को आयुक्त चम्बल संभाग के आदेश दिनाँक 10 फरवरी 2011 से निलंबन किया गया था? (घ) क्या विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 9408 टीएससी दिनाँक 14.07.2010 एवं मनरेगा परिषद के पत्र क्रमांक 11663 दिनाँक 18.11.2010 से संबंधित सहायक यंत्री के विरूद्ध जाँच के निर्देश दिये गये थे? उपरोक्त शिकायतों के बाद भी जिला पंचायत में जल संसाधन से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ सहायक यंत्री की जानकारी गलत भेजना एवं उनकी सेवाएं पैतृक विभाग जल संसाधन को क्यों वापस नहीं की गई एवं इसके लिए दोषी कौन है एवं दोषी की सेवाएं पैतृक विभाग को कब तक वापस की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जिला पंचायत श्योपुर में मनरेगा योजनांतर्गत जल संसाधन विभाग से दो सहायक यंत्री 1. श्री हरिसिंह रघ्वंशी दिनाँक 16.10.2006 से एवं 2. श्री पी.के.ग्प्ता दिनाँक 3.8.2013 से पदस्थ है। इनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। मनरेगा परिषद के पत्र क्र. 5808 दिनाँक 1.6.15 से सहायक यंत्री के विरूद्ध शिकायत एवं जाँच की जानकारी चाही गई थी। कार्यालय कलेक्टर जिला श्योप्र की स्थापना शाखा से क्र. 3420 दिनाँक 5.6.15 द्वारा श्री हिरिसिंह रघ्वंशी सहायक यंत्री मनरेगा जनपद पंचायत श्योप्र के विरूद्ध कोई जाँच/शिकायत कलेक्टर कार्यालय की स्थापना शाखा में प्रचलित नहीं होने से सही प्रमाणीकरण जारी किया गया। (ग) जी हाँ। आयुक्त चंबल संभाग म्रैना के आदेश क्र.5300 दिनाँक 17.9.14 द्वारा श्री हरिसिंह रघ्वंशी सहायक यंत्री की दो वेतनवृद्धियां रोकी गई थी। आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेश क्र. वि/23-4/37/2009/1391-92 दिनाँक 10.2.11 से श्री हरिसिंह रघ्वंशी को निलंबित किया गया था एवं आदेश क्र. 1871 दिनाँक 10.2.11 द्वारा विभागीय जाँच संस्थित की गई। तत्पश्चात् आयुक्त के आदेश क्र. 3791-92 दिनाँक 30.4.12 द्वारा विभागीय जाँच आरोप प्रमाणित नहीं होने से बिना किसी दण्ड के समाप्त की गई। (घ) मनरेगा परिषद के पत्र क्र. 11663 दिनाँक 18.11.10 से संबंधित सहायक यंत्री के विरूद्ध शिकायतकर्ता को सूचित कर यथासंभव उसकी उपस्थिति में जाँच कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजने का लेख किया गया था। तत्संबंध में कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र./स्था/2013/3805 दिनाँक 22.3.14 द्वारा लेख किया गया था कि प्रकरण की जाँच शिकायतकर्ता के समक्ष संयुक्त दल से हो चुकी है पून: जाँच का औचित्य शेष नहीं है। श्री हरिसिंह रघ्वंशी सहायक यंत्री मनरेगा के विरूद्ध दोष सिद्ध होना नहीं पाया गया है। इस प्रकार कोई गलत जानकारी प्रेषित नहीं की गई। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

# परिशिष्ट - "इकसठ"

# कृषि उपज मंडी समिति द्वारा साफ सफाई

34. (क्र. 1027) श्री पन्नालाल शाक्य: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा प्रतिवर्ष साफ सफाई का ठेका दिया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो सचिव, कृषि उपज मंडी समिति गुना द्वारा गुना मंडी एवं उपमंडियों में विगत वर्ष 2009 से वर्ष 2015 तक किस व्यक्ति को कितनी राशि में सफाई का ठेका दिया गया है? (ग) मंडी की सुरक्षा हेतु विगत तीन वर्षों में कितने सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गयी तथा कितनों को पद से पृथक किया गया? पृथक करने का कारण क्या था?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के प्रागंण/परिसर/भवन की साफ सफाई हेतु ठेकेदार/एजेंसी को नियुक्त करने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मंडी/8/प्रां/ संपदा/1483-1484 दिनाँक 30.12.1999 एवं पत्र क्रमांक बोर्ड/स्वी/7-1/820 दिनाँक 11.01.2012 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिसके अनुसार मंडी समितियों अपनी आवश्यकतानुसार साफ-सफाई कार्य हेतु नियमानुसार कार्य करती है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है।

## परिशिष्ट - "बासठ"

# कृषि उपज मंडी समिति के डायरेक्टर का चुनाव

35. (क्र. 1031) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मंडी समिति के डायरेक्टर का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकते है जिनके नाम पर कोई जमीन हो या वह व्यापारी अथवा हम्माल हो? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या वह व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है जो किसी संस्था में सचिव/अध्यक्ष के पद पर हो तथा जमीन संस्था के नाम पर हो? (ग) यदि नहीं, तो गुना मंडी में एक डायरेक्टर ने संस्था की जमीन को अपनी जमीन बताकर किस प्रकार चुनाव लड़ा है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम,1972 की धारा-11 में विहित प्रावधान अनुसार कृषि भूमि वाले व्यक्ति कृषक प्रतिनिधि, अनुज्ञिसधारी व्यापारी, व्यापारी प्रतिनिधि, अनुज्ञिसधारी तुलैया/हम्माल-तुलैया/हम्माल प्रतिनिधि हेतु चुनाव लड़ सकते है। (ख) जी नहीं। ऐसा व्यक्ति कृषक सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता, जिसके स्वयं के नाम कृषि भूमि ना हो। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

# कृषकों से समर्थन मूल्य पर गेहुँ की खरीदी में अनियमितता

36. (क्र. 1033) श्री पन्नालाल शाक्य: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी सेन्टर स्थापित कर पंजीकृत कृषकों से गेहूँ की खरीदी की गयी है? (ख) प्रश्न (क) यदि हाँ, तो ग्राम बरखेडा ढेकनी, पुरैनी निवासी अर्जुन सिंह जिनके नाम पर कृषि भूमि नहीं है पर फर्जी तरीके से 590 क्विंटल गेहूँ राशि रुपये 855500.00 के किस प्रकार क्रय किये गये है?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ): (क) जी हाँ। (ख) रबी विपणन वर्ष 2015-16 में ग्राम बरखेड़ा ढेकनी, पुरैनी जिला गुना से संबंधित उपार्जन केन्द्रों विपणन सहकारी संस्था, गुना एवं सेवा सहकारी संस्था, नानाखेड़ा पर श्री अर्जुन सिंह के नाम से किसी भी कृषक द्वारा कोई पंजीयन नहीं कराया गया है और न ही इस नाम के कृषक द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूँ का विक्रय कर भ्गतान प्राप्त किया है।

## गरीबी रेखा वाले राशन कार्डी का वितरण

37. (क्र. 1043) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या खाय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के जौरा विकास खण्डों की विभिन्न पंचायतों में वर्ष 2014 जून 2015 तक कितने सामान्य, गरीबी रेखा, अंत्योदय के राशन कार्ड बनाये गये? पंचायतवार, वर्षवार, कार्ड की श्रेणी सहित जानकारी दी जावे। (ख) उपरोक्त पंचायतों में वर्णित समय के पूर्व राशन कार्डों की संख्या की तुलना में वर्तमान राशन कार्डों की बढ़ोत्तरी के क्या कारण रहे? (ग) क्या एक ही परिवार के अनेक व्यक्तियों द्वारा गरीबी रेखा वाले कार्ड बनाये जाने से संख्या में बढ़ोत्तरी हुई? यदि हाँ, तो किस-किस अधिकारियों द्वारा कार्ड बनाये गये है?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप पात्र परिवारों की केवल दो श्रेणियां हैं- अन्त्योदय परिवार एवं प्राथमिकता परिवार। प्रश्नांकित अवधि में जौरा विकास खण्ड की विभिन्न पंचायतों में बनाये गए राशनकार्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'क' अनुसार है। वर्तमान राशनकार्डों में वृद्धि का कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

अधिनियम के अंतर्गत नवीन प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को चयनित व लाभान्वित करना है। (ग) जी नहीं, ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# सुमावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुढाचंबल (प्रतापपुरा) के पंचायत भवन का पुर्ननिर्माण

38. (क्र. 1044) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सुमावली विधानसभा क्षेत्र मुरैना के ग्राम- गुढाचंबल (प्रतापपुरा) के पंचायत भवन की हालात जर्जर होकर भवन नष्ट के कगार पर है भवन की स्थिति की पूर्ण जानकारी दी जावें? (ख) क्या उक्त भवन में ग्राम सभा या पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक होना संभव नहीं है पिछले आठ वर्षों में उक्त भवन में कब बैठक की गई तिथि सहित जानकारी दी जावें? (ग) क्या उक्त भवन की स्थिति को देखकर शासन नया पंचायत भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा दी जावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) सुमावली विधानसभा के ग्राम पंचायत गुढा चम्बल के मजरा प्रतापपुरा के पंचायत भवन की स्थिति जर्जर अवस्था में भवन की पिटया दूटी हुई है। उसकी मरम्मत ग्राम पंचायत द्वारा नहीं कराई गई है। (ख) उक्त भवन में पंचायत समिति की 2008 से 2015 तक कोई मीटिंग नहीं की गई है। क्योंकि भवन की पिटया दूटी है। (ग) ग्राम पंचायत गुढा चम्बल में नवीन राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पंचायत भवन निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्र.-जि.पं./एनआरईजीएस-एमपी -13-14-10833,मुरैना दिनाँक 20.08.2014 को जारी की जा चुकी है।

### रबी फसलों की कम पैदावार

39. (क्र. 1052) श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में इस वर्ष रबी फसलों की पैदावार गत वर्षों से कम हुई है? यदि कम हुई है तो उपज की कमी का प्रतिशत गत वर्षों की तुलना में क्या है? (ख) क्या रबी फसल की उपज की कमी का पूर्वानुमान सरकार द्वारा लगाया गया था? यदि हाँ, तो पूर्वानुमान के अनुसार कृषकों के फसल की कमी का क्या कारण था?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। गत वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत उपज की कमी है। (ख) प्रतिकूल मौसम होने से एवं लगातार बादल छाया रहना तेज आंधी एवं असामयिक वर्षा तथा ओला वृष्टि के कारण रबी फसलों की पैदावार में कमी आई।

# विद्यालय में हाथ धोने की इकाई का निर्माण

40. (क्र. 1060) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायतराज संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र की शालाओं में हाथ धोने की इकाईयों के निर्माण के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये हैं, यदि हाँ, तो निर्देशों की प्रति देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की समस्त शासकीय शालाओं में इकाई का निर्माण कब-कब किया गया एवं वर्तमान शिक्षा सत्र 2015-16 में इन इकाईयों की क्या स्थिति है? इनका भौतिक सत्यापन किन-किन द्वारा, कब-कब किया गया, विकास खंडवार, विद्यालय वार बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में इन इकाईयों को निर्मित ना करने, सुधार कार्य ना करने का कौन-कौन जिम्मेदार है? क्या इसका संज्ञान लेते ह्ये, इन इकाईयों को

सुव्यवस्थित, निर्मित/सुधार हेतु समुचित आदेश प्रदान किये जायेंगे, यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। शा.उ.म्. की दुकानों को अन्य वार्डों में स्थानांतरित करने की जाँच

41. (क्र. 1087) श्री तरूण भनोत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर शहर में ऐसी कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिन्हें एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतिरत किया गया है? जानकारी 1 जनवरी 2013 से 30 मई 2015 तक दुकानों के नामवार स्थानांतिरत किये गये, वार्डवार बताई जावे। (ख) उक्त शा.उ.मू. दुकानों को अन्य वार्ड में स्थानांतिरत करने की क्या आवश्यकता थी? जबिक उस वार्ड में पूर्व से ही अन्य राशन दुकानों मौजूद थी। (ग) उक्त दुकानों को वार्ड में स्थानांतिरत होने के पश्चात गरीबी रेखा के कार्ड दुकानों में किन तरीकों से आये, पात्रता परिवार संख्या कहाँ से आई एवं समग्र पात्रता पर्ची में जो नाम दर्शाये गये हैं, वो कैसे दर्ज किये गये हैं? (घ) वर्णित (ख) (ग) की जाँच करवाई जाकर संबंधित दोषियों पर शासन क्या दण्डात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रश्नांकित अविध में जबलपुर शहर में कुल 4 दुकानों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतिरत किया गया है। नामवार, वार्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासकीय उचित मूल्य दुकानों को स्थानान्तिरत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी परन्तु यह कार्यवाही उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं एवं खाद्य विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों की अनुशंसा पर तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक, जबलपुर द्वारा की गई है। (ग) स्थानान्तिरत नई दुकानों में अन्य दुकानों से कार्ड कम कर संलग्न किये गए हैं, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मार्च, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रदेश में क्रियान्वयन होने से इन दुकानों में स्थानीय निकाय के अधिकारियों द्वारा पात्र परिवारों का चिन्हांकन किया गया। पुनः सत्यापन उपरांत पात्र परिवारों का इन दुकानों पर संलग्नीकरण किया गया। (घ) जी हाँ। जाँच उपरांत तीन माह में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

# परिशिष्ट - "तिरेसठ"

# जबलपुर शहर के गरीब नि:शक्तजनों को कृत्रिम उपकरण का प्रदाय

42. (क्र. 1088) श्री तरूण भनोत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर स्थित समाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1 अप्रैल 2012 से 30 मई 2015 तक कितने नि:शक्तजनों को कृत्रिम उपकरण उपलब्ध करवायें गये, वितरण किये गये उपकरणों के नाम सिहत जानकारी दी जावें? (ख) क्या वर्णित (क) के विभाग द्वारा एलिमकों के माध्यम से जबलपुर शहर के विभिन्न वार्डों में शिविर लगाने हेतु कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो उक्त शिविर का आयोजन किन-किन दिनाँकों को किन-किन वार्डों में लगवाया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जबलपुर में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रश्नांश अविध में 2562 निःशक्तजनों को केलीपर्स, ट्रायसाईकिल, सर्जिकल शूज, कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर, टी.एल.एम. रोलेटर वाकर, वैशाखी, छडी, ब्लाइंड स्टिक, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, लेपटाप, मोटराईज्ड, ट्रायसाईकिल, ट्रायपोड, हेन्डपेड, गॉगल, ब्रेलिकट, डी.व्ही.डी. प्लेयर एवं एलिम्को संस्थान द्वारा 1225 निःशक्तजनों को

ट्रायसाईकिल, वैशाखी, व्हीलचेयर वाकिंग स्टिक, ब्लाइंड स्टिक, श्रवण यंत्र, सोलर बैटरी, बैलेस्लेट, रोलेटर, कृत्रिम अंग एवं केलीपर्स सहायक उपकरण वितरित किये गये। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौंसठ"

# इंदौर शहर में पदस्थ रा.प्र.से. के अधिकारियों द्वारा अवैध शुल्क की वसूली

43. (क्र. 1161) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर नगर, निगम क्षेत्र से लगी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विगत दो वर्षों में इंदौर शहर में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के किस-किस अधिकारी द्वारा कितनी राशि वर्षवार आश्रय शुल्क के रूप में वस्ल की गई? (ख) ग्राम पंचायत क्षेत्रों में तत्समय आश्रय शुल्क वस्ल करने का प्रावधान नहीं होने से इस अनियमितता की क्या कोई जाँच की गई है? यदि हाँ, तो उसका प्रतिवेदन दिया जाए? (ग) अनियमित रूप से वस्ल की गई आश्रय शुल्क की कितनी राशि है तथा इसके उपयोग की क्या व्यवस्था है? (घ) आश्रय शुल्क अनियमित रूप से वस्ल किये जाने के कारण दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों को मामला सौंपा जाएगा? यदि नहीं, तो कारण बतावें, संबंधित ग्राम पंचायतों के आवासहीनों को आश्रय शुल्क के कारण आवास नहीं मिलने के लिए क्या जाँच की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

# मनरेगा के तहत हितग्राहियों की राशि का भुगतान

44. (क्र. 1240) श्री रजनीश हरवंश सिंह: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र केवलारी के अतंर्गत मनरेगा के तहत वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक कितने मेंढ बंधान, नंदन फलोचान, सी.सी. रोड, ग्रेवल रोडों आदि का निर्माण हुआ है? (ख) उक्त अविध में कितने हितग्राही लाभांवित हुये हैं? (ग) क्या ऐसे भी हितग्राही हैं जिनको अभी तक पूरी किश्तें नहीं दी गई हैं? तो उनको कब तक शेष किश्तें जारी कर दी जावेगी? (घ) यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विधानसभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत मनरेगा के तहत वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक 3956 मेंढ़ बंधान, 19 नन्दनफलोचान, 203 सी.सी. रोड, 1004 ग्रेवल रोडों का निर्माण हुआ है। (ख) उत्तरांश □क□ की अविध में 3977 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं। (ग) मनरेगा योजनांतर्गत हितग्राहियों को किश्त जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत द्वारा हितग्राहीमूलक कार्य कराया जाता है, जिसका भुगतान पीएफएमएस पद्धति से मजदूरों व वेन्डर्स से बैंक/पोस्ट ऑफिस स्थानों में किया जाता है। (घ) उत्तरांश □ग□ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# केवलारी विधान सभा क्षेत्र में पंजीकृत गोदाम/वेयर हाउस

45. (क्र. 1241) श्री रजनीश हरवंश सिंह: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में केवलारी पलारी में कितने गोदाम पंजीकृत है? उनकी भण्डारण क्षमता क्या है? (ख) उक्त क्षेत्र में सेवा सहकारी समिति एवं अन्य खरीदी केंद्र कितने हैं एवं कितनी मात्रा में गेहूँ, धान,

मक्का खरीदा गया? (ग) उक्त खरीदा गया अनाज किस-किस गोदाम में भंडारित किया गया एवं खरीदी केंद्रों से कितनी बार भंडारित किया गया? (घ) अधिक दूरी पर भंडारण करने के कारण शासन को होने वाली वित्तीय हानि की वसूली की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

खाय मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सिवनी जिले में केवलारी पलारी में 15 गोदाम मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की वेबसाईट पर पंजीकृत हैं, जिनकी भण्डारण क्षमता 68,574 मे.टन है। (ख) सिवनी जिले के केवलारी पलारी तहसील में विपणन वर्ष 2015-16 में गेहूँ उपार्जन के 14 केन्द्र सेवा सहकारी संस्थाओं एवं 3 केन्द्र विपणन सहकारी संस्थाओं के तथा वर्ष 2014-15 के धान के 9 केन्द्र सेवा सहकारी संस्थाओं के एवं 1 केन्द्र विपणन सहकारी संस्थाओं के एवं मक्का उपार्जन के लिए 1 केन्द्र विपणन सहकारी संस्थाओं के एवं मक्का उपार्जन के लिए 1 केन्द्र विपणन सहकारी संस्था का बनाया गया था। समर्थन मूल्य पर 66,241.04 मे.टन गेहूँ; 27,198.73 मे.टन धान; एवं 1279.78 मे.टन मक्का का उपार्जन किया गया है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में उल्लेखित उपार्जित धान, मक्का एवं गेहूँ के भंडारण की गोदामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उपार्जित खाद्यान्न समिति से उपार्जन सीजन में एक बार भंडारित किया गया है। (घ) समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ एवं मक्का का भंडारण प्राथिमकता क्रमानुसार नजदीक के गोदामों में कराया गया है। धान के भंडारण के संबंध में जाँच कर वित्तीय हानि के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

# म.प्र. में चलने वाले वाहनों द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन

46. (क्र. 1261) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल: क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में चलने वाले यात्री वाहनों में सुरक्षा मानकों के परिपालन में क्या-क्या कमियां पाई गई एवं सुरक्षा मानकों की प्रति भी उपलब्ध करावे? (ख) सुरक्षा मानकों में कमी के चलते कितने वाहनों पर कार्यवाही की गई व क्या कार्यवाही की गई? (ग) जिन वाहनों पर कार्यवाही की गई उन्होंने पाई गई कमियों को दूर किया या नहीं? क्या इसकी बाद में मॉनिटरिंग की गई या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो दुबारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) जिन यात्री वाहनों पर कार्यवाही की गई उनके मालिकों की सूची उपलब्ध करावें?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) विभाग द्वारा समय समय पर की जाने वाली नियमित जाँच के दौरान वाहनों में सभी प्रकार की अनियमितताओं की जाँच की जाती है। जाँच के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन किए जाने संबंधी भी जाँच की जाती है तथा अनियमितता व पालन न पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर समझौता शुल्क वस्ति की कार्यवाही की जाती है। दिनाँक 01.04.2015 से प्रश्न दिनाँक तक चेकिंग के दौरान सुरक्षा मानकों के परिपालन में मुख्यतः निम्नलिखित कमियां पाई गई। 1. फर्स्ट एड बाक्स न होना। 2. अग्निशमन यंत्र न होना। 3. आपातकालीन खिड़की न होना। 4. वाहनों के पीछे जाली लगी होना। 5.स्पीड गर्वनर न होना, आदि। सुरक्षा मानकों से संबंधित प्रावधानों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) प्रदेश में प्रश्नांश "क" के उत्तर में उल्लेखित अवधि में चैकिंग के दौरान 11,312 बसों पर कार्यवाही की गई। चेकिंग में की गई कार्यवाही से संबंधित जानकारी का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग) जी हाँ, की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। जी हाँ, विभाग द्वारा की जाने वाली नियमित आकस्मिक जाँच के दौरान मॉनीटरिंग की जाकर अनियमितता न होना सुनिश्वित किया जाता है। दिनांक 01.04.2015 से प्रश्न दिनांक तक

समय समय पर आकस्मिक जाँच की जाती रही है, की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (घ) उक्त कार्यवाही के दौरान उपलब्ध बस मालिकों के नाम की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है।

#### बसों के संचालन में फिटनेस की स्थिति

47. (क्र. 1268) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल: क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अंतरप्रांतीय बसों के संचालन में स्लीपर कोच एसी एवं नॉन ऐसी बसों के परमिट एवं उनके फिटनेस भारतीय मोटर व्हिकल एक्ट के मापदण्डों के अनुरूप है यदि नहीं, है तो उन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रदेश में अंतरप्रांतीय बसों के संचालन में स्लीपर कोच एसी एवं नॉन एसी बसों पर की जा रही माल ढुलाई क्या परिवहन नियमों के तहत की जा रही है? बसों पर माल ढुलाई से संबंधित क्या प्रावधान है? (ग) उपरोक्त यात्री बसों द्वारा माल ढुलाई करना उचित है यदि नहीं, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? क्या यह यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित नहीं है? (घ) क्या यात्री बसों द्वारा की जा रही माल ढुलाई से राज्य शासन को किन-किन मदों में राजस्व की हानि हो रही है? राजस्व की हानि को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) स्लीपर कोच तथा ए.सी. बसों को अंतरप्रांतीय (एक से दूसरे प्रदेश में जाने हेतु) परिमट नहीं दिए गए हैं। नॉन ए.सी. बसों को अंतरप्रांतीय परिमट जारी करते समय मोटरयान अधिनियम 1988 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार फिटनेस होना सुनिश्चित किया जाता है। विभाग द्वारा समय समय पर की जाने वाले निरीक्षण के दौरान परिमट एवं फिटनेस नियमानुसार वैध नहीं पाए जाने की दशा में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56,66,192 तथा 192 (क) के अंतर्गत दिये प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है। (ख) अंतरप्रांतीय बसों में व्यवसायिक माल ढुलाई हेतु कोई अनुमित नहीं है। बसों में माल ढुलाई के संबंध में मध्य प्रदेश मोटर यान नियम 1994 में नियम 78 से 80 तक यात्रियों के व्यक्तिगत सामान ले जाने हेतु नियम निर्धारित है। जिनकी प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा समय-समय पर की जाने वाली चेकिंग के दौरान यात्री बसों से नियम विरुद्ध माल ढुलाई किए जाने की जाँच की जाती है। नियम विरुद्ध माल ढुलाई ही से उक्त कार्यवाही की जाती है। (घ) प्रश्नांश ग में उल्लेखानुसार कार्यवाही की जाने से राजस्व हानि का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।

# परिशिष्ट - "पैंसठ"

# कुषकों को कृषि यंत्र वितरित किये जाना

48. (क्र. 1289) श्री दिव्यराज सिंह: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरमौर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2014-15 विकासखण्ड जवा, सिरमौर एवं गंगेव में क्या कृषि यंत्र वितरण किया गया? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कृषि यंत्रों का वितरण किया गया? (ख) प्रश्न (क) के ही संदर्भ में उक्त विकासखण्डों में किन-किन पंचायतों में कितने हितग्राहियों को क्या-क्या कृषि उपकरण वितरित किये गये लाभान्वित हितग्राहियों की सूची से अवगत करावें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। सिरमौर विधान सभा क्षेत्र के विकासखंड जवा, सिरमौर एवं गंगेव में वर्ष 2014-15 में कृषि यंत्र-1.सीड-कम-फर्टिलाइज़र ड्रिल, 2.सीड ड्रिल, 3.मल्टीक्रॉप थ्रेशर, 4.रोटावेटर का वितरण किया गया है। (ख) सिरमौर विधान सभा क्षेत्र के विकाखंड जवा, सिरमौर एवं गंगेव में ग्राम पंचायतवार वितरित कृषि यंत्रों के हितग्राहियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

#### परिशिष्ट - "छियासठ"

## पी.सी.ओ. एवं ए.डी.ई.ओ. को जनपद पंचायत बुलाने के नियम

49. (क्र. 1318) श्रीमती नंदनी मरावी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अंतर्गत पी.सी.ओ. एवं ए.डी.र्इ.ओ. को मुख्यालय से जनपद पंचायत माह में कितने बार बुलाये जाने के नियम हैं, आदेश की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) जिला जबलपुर के विकासखण्ड कुण्डम, पाटन में 01.04.2015 से प्रश्नांश दिनाँक तक कब-कब पी.सी.ओ. एवं ए.डी.ई.ओ. जनपद पंचायत बुलाया गया? उपस्थिति पंजी की प्रति उपलब्ध करायें? क्या यह शासन के नियमों एवं कार्यपालिक कर्मचारी के विरूद्ध नहीं है? (ग) प्रश्नांश (ख) उपस्थित अनुसार इन्हें यात्रा भत्ता दिया गया या नहीं? अनावश्यक बुलाने पर यात्रा देयक के रूप में शासन को होने वाली वित्तीय हानि के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है तथा इन्हें बार-बार जनपद न बुलाये जाने के निर्देश कब तक जारी किये जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार। जी नहीं। (ग) जी नहीं। पी.सी.ओ. एवं ए.डी.ओ.को प्रतिमाह अपने क्षेत्र में भ्रमण हेतु शासन द्वारा निर्धारित निश्चित यात्रा भत्ता भुगतान किया जाता है। उक्त कर्मचारियों को शासन की महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति में उनकी आवश्यकता को देखते हुये जनपद मुख्यालय पर आहूत किया जाता है। इस पर शासन को कोई हानि नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स"अनुसार।

## प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण

50. (क्र. 1319) श्रीमती नंदनी मरावी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत सिहोरा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में 01/04/2013 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गई? सूची उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) सड़कों का कार्य किन-किन एजेन्सी के द्वारा कब तक पूर्ण हो जाना चाहिये था? वर्तमान में कार्य की क्या स्थिति है? विलंब के लिये कौन जिम्मेदार है? कब तक कार्य पूर्ण हो जायेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। पूर्णता की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। परिशिष्ट - "सडसठ"

# पंयायत सचिवों की पदोन्नति

**51.** (क्र. 1320) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा पी.सी.ओ. के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों से कितने अधिक पी.सी.ओ.

प्रदेश में कार्यरत है? जनपदवार/जिलेवार सूची उपलब्ध करायें? (ख) पी.सी.ओ. के पद कब तक रिक्त होंगे? इन पदों पर पंचायत सचिवों को पदोन्नित के क्या नियम है? इनकी आयु सीमा एवं योग्यता क्या निर्धारित की गई है तथा इन्हें कब तक पदोन्नित का लाभ प्राप्त हो सकेगा तथा लगभग कितने पंचायत सचिव लाभांवित होंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार। (ख) पंचायत समन्वय अधिकारी स्नातक (नान डाइंग केडर) के 2000 पद स्वीकृत होकर स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1726 पंचायत समन्वय अधिकारी (स्नातक) कार्यरत है, पदों को रिक्तता सेवानिवृत्ति के आधार पर होती है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "स" के अनुसूची-2 (नियम-6) के अनुसार एवं अनुसूची-3 (नियम-8) के अनुसार।

### ग्राम पंचायत बेली, जिला-उमरिया के सचिव के विरुद्ध शिकायत

52. (क्र. 1337) श्री राम लल्लू वैश्य: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा प्रश्न क्र. 3146, दिनाँक 11 मार्च, 2015 में बताया गया है कि गरीबी रेखा की सूची से सुखेन्द्र चतुर्वेदी, प्रेमाबाई का नाम हटा दिया गया है? वसूली की कार्यवाही प्रचलित है, तो क्या यह राशि वसूल की गई या नहीं यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है? कब तक वसूली हो पायेगी? (ख) क्या गरीबी रेखा के नाम से बनवाये गये बी.पी.एल. कार्ड निरस्त कर इनके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी है? नहीं तो क्यों कारण बताएं? (ग) पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत बेली जिला-उमिरया के द्वारा अवैधानिक कृत्य करने पर निलम्बन किया गया? तथा शिकायत के बिन्दु निरस्त कर उन्हें बहाल कर दिया गया? ऐसा करने का कारण क्या है? क्या पुन: जाँच कराकर पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। श्री ओंकार चतुर्वेदी के नाम वसूली की कार्यवाही न्यायालय नायब तहसीलदार पाली में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ख) जी नहीं। ग्राम पंचायत बेली सचिव श्री पुरषोत्तम चतुर्वेदी द्वारा कार्य में लापरवाही किया जाना पाया गया था,जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही कर कलेक्टर जिला उमिरया के आदेश क्रमांक 5201 दिनाँक 17.09.2009 द्वारा शिकायत की जाँच होने तक डी-नोटीफाई (वितीय अधिकार वापस) किया गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"अनुसार। (ग) जी नहीं। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के प्रकरण क्रमांक 436/अ-74/2011-12 पारित आदेश दिनाँक 22.02.2013 द्वारा न्यायालय से शिकायतकर्ता का शिकायती पत्र तथ्यहीन होने के कारण सव्यय निरस्त किये जाने के कारण कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1996 दिनाँक 11.07.2013 पुनः मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 691 के तहत सचिवीय अधिकार बहाल किये गये, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" एवं "स" अनुसार। शिकायतकर्ता द्वारा इस प्रकरण में न्यायालय किमश्नर शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में पुनरीक्षण अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण न्यायालय में प्रचलित होने से जाँच की आवश्यकता नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द"अनुसार।

# प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मार्गों का निर्माण

53. (क्र. 1339) श्री मुकेश नायक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शिव शिक कन्स्ट्रक्शन कंपनी में एस.एन. पाण्डे देव कन्स्ट्रक्शन कंपनी, मां वैष्णों देवी कन्स्ट्रक्शन कंपनी इन कंपनियों द्वारा पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन से मार्गों का निर्माण कराया गया है? मार्गों की लागत क्या थी कार्य करने की समयसीमा क्या थी? (ख) इन मार्गों में घटिया निर्माण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? किस अधिकारी द्वारा इन मार्गों का निरीक्षण किया गया? अधिकारी का नाम एवं शिकायतकर्ता का नाम बतावें? (ग) इनके द्वारा किये जा रहे/किये गये घटिया मार्गों/रोडों के निर्माण की जाँच क्या शासन द्वारा टीम गठित कर करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें? (घ) इनके द्वारा किये जा रहे/किये गये घटिया मार्गों/रोडों के निर्माण की जाँच क्या शासन स्तर पर टीम गठित कर कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? बताते एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कब कार्यवाही करेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) इन मार्गों में घटिया निर्माण की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था है। जिसमें जिला स्तर, पर एस.क्यू.सी., राज्य स्तर पर एस. क्यू. एम. तथा राष्ट्रीय स्तर से एन.क्यू.एम. द्वारा सतत् रूप से गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है अतः वर्तमान में अन्य किसी जाँच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## परिशिष्ट - "अइसठ"

# समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयों की जानकारी बाबत

54. (क्र. 1369) श्री हरवंश राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्ड बंडा में वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक समग्र स्वच्छता अभियान के तहत किन-किन ग्रामों में शौचालय/सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ है? (ख) उक्त योजना में कितने हितग्राहियों/ग्रामों को लाभ हुआ एवं कितने ग्राम किस कारण से वंचित हैं? (ग) उक्त योजनान्तर्गत वंचित ग्रामों में शौचालय निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ एवं पूर्ण करा लिए जाएंगे? (घ) विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 2013-14 में प्रश्नकर्ता द्वारा जिला पंचायत सागर को 20 प्रस्तावित सार्वजनिक शौचालय के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है एवं विलंब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक 70 ग्रामों में 6077 हितग्राहियों को लाभ हुआ। वर्तमान में संपूर्ण ग्रामों (शेष 94 ग्राम सहित) में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने का कार्य प्रचलन में है। (ग) शौचालय निर्माण कार्य वर्ष 2019 तक पूर्ण करा लिये जायेंगे। (घ) सार्वजनिक शौचालय निर्माण समुदाय की मांग तथा ग्राम पंचायत द्वारा संधारण की सहमित के आधार पर स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। जनपद पंचायत बण्डा से 06 ग्राम पंचायत क्रमशः कंदवा, छापरी, उल्दन, बरा, धामौनी एवं मगरधा के प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये हैं जिनके परीक्षण का कार्य प्रचलन में है।

# इंद्रा आवास योजना 2014-15 के हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि का प्रदाय

55. (क्र. 1370) श्री हरवंश राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में विधानसभावार इंदिरा आवास योजना एवं 3% जिला स्तर आवास योजना वर्ष 2014-15 का जो भौतिक लक्ष्य रखा गया था, उसमें सभी हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि प्रदाय की जा चुकी है? (ख) यदि नहीं, तो कब तक प्रथम किश्त की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की जाएगी? (ग) वर्ष 2014-15 में जिला स्तर से स्वीकृत 3% हितग्राहियों को प्रथम किश्त राशि की सूची स्वीकृत संख्या एवं खातों में अंतरित की गई राशि की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाये?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) सागर जिले में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में कुल 2508 आवास का लक्ष्य दिया गया है। जिसमें से 2183 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि जारी की जा चुकी है। शेष बचे 325 हितग्राहियों के खाते त्रुटिपूर्ण होने के कारण राशि जारी नहीं की जा सकी है। जिला स्तर पर 3 प्रतिशत अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 67 के विरूद्ध 43 हितग्राहियों के खातें में राशि जारी की जा चुकी है। (ख) शेष के खाते त्रुटिपूर्ण होने से राशि जारी नहीं जा सकी है। शेष बचे हितग्राहियों के खाते सुधार कर शीघ्र राशि उनके खातों में अन्तरित की जायेगी। (ग) जिला स्तर पर 3 प्रतिशत अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 67 के विरूद्ध 43 हितग्राहियों के खाते में राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

#### परिशिष्ट - "उनहत्तर"

#### विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पंच परमेश्वर राशि के खातों में अंतरण

56. (क्र. 1372) श्री हरवंश राठौर: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बण्डा/शाहगढ़ के वर्ष 2015-16 में सभी ग्राम पंचायतों के खातों में पंच परमेश्वर की राशि अंतरित की गई है? (ख) यदि नहीं, तो शेष ग्राम पंचायतों में राशि कब तक प्रदाय की जावेगी? (ग) प्रदाय की गई पंचायतवार पंच परमेश्वर की राशि की सूची उपलब्ध कराई जाए?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संविदाकर्मियों की सेवा वृद्धि के बिना ही मानदेय का भुगतान

57. (क्र. 1414) श्री निशंक कुमार जैन: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में बैतूल एवं विदिशा जिला पंचायत के द्वारा किस संविदाकर्मियों की किस दिनाँक से किस दिनाँक तक सेवावृद्धि का आदेश किस दिनाँक को जारी किया? (ख) माह अप्रैल 2014 से सेवावृद्धि का आदेश जारी किए जाने के दिनाँक तक किस संविदाकर्मी को किस माह में कितने मानदेय का भुगतान किसके आदेश से किया गया? (ग) अप्रैल 2014 से सेवावृद्धि का आदेश जारी किए जाने तक संविदाकर्मी से अनुबन्ध करवाए बिना ही मानदेय का भुगतान किस नियम की किस कंडिका में दिए गए किन प्रावधानों के अनुसार किया गया? (घ) अप्रैल 2014 के पूर्व सेवावृद्धि का आदेश जारी का क्या कारण रहा हैं अप्रैल 2014 से सेवावृद्धि का आदेश जारी किए जाने का क्या कारण रहा हैं अप्रैल 2014 से सेवावृद्धि का आदेश जारी किए जाने का क्या कारण रहा हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 3 एवं 4 अनुसार है। (ग) कार्यवाही प्रचलित स्वीकृति

की प्रत्याशा में तथा संबंधित की कार्यप्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए मानदेय का भुगतान किया गया। (घ) उत्तर "क" अनुसार परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी।

#### पंचायती राज व्यवस्था का अधिकार

58. (क्र. 1415) श्री निशंक कुमार जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राकृतिक संसाधनों पर पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूचि, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 में क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं? मध्य प्रदेश शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल ने 25 जनवरी 2001 को जारी आदेश में कौन-कौन से अधिकार ग्रामसभा को प्रत्यायोजित किए हैं? (ख) क्या बैतूल एवं विदिशा जिला पंचायत के द्वारा 25 जनवरी 2001 के आदेशानुसार ग्रामसभाओं को प्रत्यायोजित अधिकारों की जानकारी जनवरी 2015 तक भी ग्रामसभाओं एवं ग्राम पंचायतों को उपलब्ध नहीं करवाई गई? यदि उसका उत्तर हाँ में है, तो उसका कारण बतावें। यदि उत्तर न में है, तो जारी पत्र की प्रति उपलब्ध करवाएं? (ग) माननीय सर्वोच्च अदालत के द्वारा सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनाँक 28 जनवरी 2011 को दिए गए आदेश की कंडिका 3 में किन-किन प्रयोजन के लिए दर्ज जमीनों के संबंध में कंडिका 22 में क्या निर्देश दिए हैं? इसका पालन किए जाने के संबंध में बैतूल एवं विदिशा जिले में प्रश्नांकित दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो उसका कारण बतावें? (घ) संविधान, कानून, शासनादेश एवं न्यायालयीन आदेश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार सौंपे जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा? समय-सीमा सहित बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

# मंडला जिले में प्राप्त शिकायतों की जाँच

59. (क्र. 1426) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिकायत निवारण शाखा मंडला को पिछले दो वर्षों 2014-15 से 2015-16 प्रश्न दिनाँक तक कितने विभागों/अधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई? (ख) क्या सभी प्राप्त शिकायतों का पंजीयन किया जाता है? विभागवार प्रकरणों की संख्या दें? (ग) प्राप्त शिकायतों की जाँच अधिकारियों के नाम तथा जाँच उपरांत की गई कार्यवाही की जानकारी देंगे। (घ) अगर जाँच प्रारंभ नहीं की गई है, तो क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) मण्डला जिले के जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में वर्ष 2014-15 से 2015-16 प्रश्न दिनाँक तक कुल 5 विभागों/अधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई। (ख) प्राप्त शिकायतों का पंजीयन किया जाता है जानकारी निम्नानुसार है:- (1) परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा मवई के विरूद्ध शिकायत क्रमांक 307/2014 (2) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नैनपुर के विरूद्ध शिकायत क्रमांक 8/2015 (3) परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा घुघरी के विरूद्ध शिकायत क्रमांक 17/2015 (4) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नैनपुर के विरूद्ध शिकायत क्रमांक 104/2015 (5) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मण्डला के विरूद्ध शिकायत क्रमांक 106/2015 (ग) प्राप्त शिकायतों की जाँच अधिकारियों के पदनाम तथा जाँच उपरांत की गई कार्यवाही की जानकारी परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सत्तर"

# शासन की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन

60. (क्र. 1440) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2013-14 व 2014-15 में सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ में मनरेगा अंतर्गत कितने कार्यों की स्वीकृति हुई है तथा कितने-कितने कार्य पूर्ण हो चुके है तथा कितने कार्य अपूर्ण है? (ख) क्या स्वीकृत कार्यों का भौतिक सत्यापन हुआ है या नहीं, नहीं तो क्यों नहीं? (ग) जिन स्वीकृत कार्यों को आज दिनाँक तक पूर्ण नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ में मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 3661 एवं वर्ष 2014-15 में 2258 कार्यों की स्वीकृति हुई है। वर्ष 2013-14 में 3194 व 2014-15 में 2197 कार्य पूर्ण हुये। वर्तमान में वर्ष 2013-14 के 467 तथा 2014-15 के 61 कार्य अपूर्ण हैं। (ख) जी हाँ। स्वीकृत कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया। (ग) मनरेगा योजनांतर्गत कार्यों की पूर्णता, जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा की गई रोजगार की मांग पर निर्भर होकर कोई दोषी न होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# सहकारी संस्था/बैंकों में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण

61. (क्र. 1441) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सहकारी संस्था में कार्यरत किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान है? यदि है, तो पुत्र को किस पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान है? (ख) यदि प्रावधान है, तो अनुकम्पा के आवेदन करने के कितने समय में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान है? (ग) क्या हायर सेकण्डरी पास को अनुकम्पा नियुक्ति में सहायक ग्रेड 3 का पद मिल सकता है? यदि हाँ, तो किस आदेश के तहत आदेश संलग्न करें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान सहकारी संस्था के कर्मचारी सेवा नियमों पर निर्भर करते हैं, जो विभिन्न सहकारी संस्थाओं के पृथक-पृथक हैं. कर्मचारी सेवानियमों में वर्णित प्रावधान के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है. (ख) सहकारी संस्था के कर्मचारी सेवा नियमों के प्रावधानानुसार. (ग) सहकारी संस्था के कर्मचारी सेवा नियमों के प्रावधानानुसार.

# भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा

62. (क्र. 1468) श्री संजय शर्मा: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आम आदमी बीमा, जन श्री बीमा योजना में भूमिहीन व्यक्तियों की परिभाषा क्या निर्धारित की है? (ख) मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा विभाग ने किस आधार पर क्या निर्धारित की है? (ग) विभाग द्वारा उक्त योजनाओं में भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा अलग-अलग क्यों निर्धारित की है इस संबंध में विभाग को किन-किन विधायकों के पत्र अप्रैल,15 से प्रश्न दिनाँक तक प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) उक्त योजनाओं में भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा में एक रूपता लाने के संबंध में विभाग क्या-क्या कार्यवाही करेगा पूर्ण विवरण दें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" के प्रपत्र "1" एवं "2" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" के प्रपत्र "3" एवं "4" अनुसार है।

(ग) आम आदमी एवं जनश्री बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है तथा मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना मध्यप्रदेश शासन द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। शेष जानकारी निरंक है। (घ) उत्तरांश-"ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराना

63. (क्र. 1473) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के विकासखण्ड कन्नोद की ग्राम पंचायत लेहकी, मालगांव, कनाड, हिरापुर (बागली), गोदना, बघावा, निमनपुर 01.04.12 से 31 मार्च 15 तक किन-किन योजनाओं में कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) उक्त राशि से क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के कहाँ-कहाँ करवाये गये? कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है तथा क्यों? कार्यवार कारण बतायें? (ग) उक्त पूर्ण तथा अपूर्ण कार्यों का मूल्यांकन कब-कब, किस-किस ने किया तथा क्या-क्या किमयां पाई? क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) उक्त पूर्ण कार्यों में से किन-किन कार्यों का अंतिम मूल्यांकन कब-कब, किसने किया? क्या कार्य स्थल पर सूचना बोर्ड लगे है यदि नहीं, तो क्यों? किन-किन कार्यों की सी.सी. कब जारी की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" के कालम 3, 4, 10 एवं 13 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" के कालम 11, 12 एवं 13 अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" के कालम 11, 12, 14 एवं 15 अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "ब" के कालम 04 एवं 15 अनुसार।

# अपूर्ण निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना

64. (क्र. 1474) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले के विकासखण्ड बेगमगंज एवं सिलवानी में 1 जुलाई 15 की स्थिति में मनरेगा योजनान्तगर्त स्वीकृत कौन-कौन से कार्य अपूर्ण ग्राम पंचायतवार सूची दें तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (ख) उक्त विकास खण्ड़ों में मनरेगा के तहत कराये गये किन-किन कार्यों की मजदूरी तथा सामग्री का भुगतान लंबित है तथा क्यों कब तक भुगतान होगा? (ग) उक्त विकासखण्डों में इंदिरा आवास योजना में स्वीकृत कितने कुटीर अपूर्ण हैं तथा क्यों कारण बतावें? (घ) क्या द्वितीय तथा अंतिम किश्त का भुगतान न होने से अधिकांश कार्य अपूर्ण है यदि हाँ, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) रायसेन जिले के विकासखंड बेगमगंज एवं सिलवानी में 1 जुलाई 15 की स्थिति में मनरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से विकासखण्ड बेगमगंज के 849 कार्य एवं विकासखण्ड सिलवानी के 707 कार्य अपूर्ण है। अपूर्ण कार्यों की ग्राम पंचायतवार सूची भारत सरकार की वेबसाईट www.nrega.nic.in पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। मनरेगा योजना जॉबकाईधारी श्रमिकों की मांग पर निर्भर होने के कारण कार्य पूर्ण होने की निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) उत्तरांश "क" के कार्यों में मूल्यांकन व सत्यापन के उपरांत कोई मजदूरी एवं सामग्री भुगतान लंबित नहीं होना जिले द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विकासखण्ड बेगमगंज में 729 तथा सिलवानी में 763 कुल 1492 इंदिरा आवास अपूर्ण है। इंदिरा आवास होमस्टेट एवं इंदिरा आवास (FRA) में भारत शासन से द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण अपूर्ण है तथा इंदिरा आवास वर्ष 2014-15 में आवास का

निर्माण अभी प्रारंभ हुआ है, इस कारण से अपूर्ण है तथा कुछ आवासों में हितग्राहियों की उदासीनता भी अपूर्णता का कारण रही है। (घ) जी हाँ, इंदिरा आवास होमस्टेट एवं इंदिरा आवास (FRA) में भारत शासन से द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण इंदिरा आवास के कार्य अपूर्ण हैं।

# कृषि उपज मण्डी समिति गुना जिलों के प्राक्कलन की स्वीकृति

65. (क. 1481) श्रीमती ममता मीना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मण्डी समिति, गुना की प्रथम बैठक सम्मेलन दिनाँक 18.02.13 दिनाँक 27.07.14 तक की मण्डी समिति की बैठकों में मण्डी समिति, गुना के निर्माण कार्यों में प्राक्कलन स्वीकृत नहीं हुए? प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं हुई, फिर करोड़ों रूपये के भुगतान किस नियम से कर दिये गये, क्या जाँच करायेंगे? (ख) क्या बिना प्राक्कलन के, प्रशासकीय स्वीकृति के बगैर कार्यपालन यंत्री द्वारा किस आधार पर निविदा दरों की स्वीकृति की अनुशंसा की गई, किस आधार पर निर्माण कार्यों के देयकों को कार्यपालन यंत्री द्वारा पारित एवं स्वीकृत किया गया जाँच कराई जावेगी? (ग) क्या कार्यपालन यंत्री द्वारा कृषि विपणन बोई, भोपाल की निर्माण निर्देशिका का कंडिकाओं का पालन क्यों नहीं किया गया? क्या निर्माण कार्यों की स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति के बाद ही निर्माण कार्य का मूल्यांकन एवं भुगतान होता है? क्या मण्डी समिति, गुना में स्वीकृति के बिना भुगतान होता है? क्या मण्डी समिति, गुना में विना स्वीकृति के बिना भुगतान होता है? क्या मण्डी समिति, गुना में बिना स्वीकृति के विना भुगतान कैसे किये गये? वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक के भुगतानों की जाँच कब तक करायेंगे? (घ) कृषि मण्डी समिति, गुना में बिना स्वीकृति के निर्माण कार्यों के भुगतान कौन से अधिकारियों ने कौन-कौन सी निर्माण एजेसियों को नियम विरुद्ध किये है? कौन-कौन दोषी है? क्या जाँच कराकर कार्यवाही करेंगे एवं कब तक?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति गुना की साधारण सम्मेलन दिनांक 18.02.13 के प्रस्ताव क्रमांक 04 के माध्यम से 21 निर्माण कार्यों की कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्य योजना के अनुसार विषयांकित कार्यों के प्राक्कलन के आधार पर तकनीकी स्वीकृति के अधिकार सक्षम तकनीकी अधिकारी को निहित है। जिसके परिप्रेक्ष्य में मंडी सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी। कार्यों के भ्गतान की कार्यवाही कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा पर मंडी समिति द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा देयक पारित करने के उपरांत प्रावधान अनुसार किया गया है, शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) कार्यों के प्राक्कलन के अनुसार तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरांत मंडी समिति द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी, जिसमें प्राप्त निविदाओं के प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री, ग्वालियर को प्रस्तुत किये गये, जिसके आधार पर कार्यपालन यंत्री द्वारा न्यूनतम निविदा दरों की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी। कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्तुत देयकों पर प्रावधानानुसार भुगतान करने की अनुशंसा की गयी, शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) कार्यपालन यंत्री द्वारा निर्माण निर्देशिका के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यो की तकनीकी/ प्रशासकीय/निविदा स्वीकृति/कार्यादेश उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाकर उनके मापों के सत्यापन के आधार पर देयकों का भुगतान की अनुशंसा की गयी है, शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) सचिव, मंडी समिति गुना द्वारा कार्यों के तकनीकी/प्रशासकीय/निविदा प्रक्रिया उपरांत कार्यो का

मापांकन/देयकों के भुगतान की अनुशंसा के आधार पर स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा पारित देयकों का भुगतान किया गया है। अतएव शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

## गुना जिले में योजनाओं के वितरण में अनियमितता

66. (क्र. 1482) श्रीमती ममता मीना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिले में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में आवंटित बजट से गैर कृषकों को भी अनुदान दिया है? यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच कराई जावेगी? (ख) गुना जिले में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक विकासखण्डवार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में राज्य शासन द्वारा किसानों को दिये गये अनुदान में अपात्र हितग्राहियों के चयन करने में की गई अनियमितताओं की जाँच कब तक की जावेगी? (ग) गुना जिले में कृषि विभाग में उक्त योजनान्तर्गत आवंटित बजट के अनुरूप विकासखण्डवार वितरण करने में क्या अनियमितताएं की गई? (घ) उक्त योजनान्तर्गत क्या राज्य शासन द्वारा गुना जिले में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक अनुदान वितरण करने में की गई अनियमितता के दोषी शासकीय सेवकों की जाँच कराकर उनके विरूद्ध कार्यवाही करेंगे यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रश्नांकित अविध में कृषकों को योजना प्रावधान अनुसार ही अनुदान दिया गया है। गैर कृषकों को अनुदान दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है। (ख) हितग्राहियों के चयन करने में कोई अनियमितता नहीं की गई अतः जाँच का प्रश्न ही नहीं उठता। (ग) कोई अनियमितता नहीं की गई। (घ) कोई अनियमितता नहीं की गई अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## कटनी की दालमिलों की जाँच

67. (क्र. 1604) श्री मोती कश्यप: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपजमण्डी कटनी की दालमिलों द्वारा बिना मण्डी शुल्क एवं निराश्रित शुल्क जमा किये दालों के प्रसंस्करण करने की शिकायत पर उपसंचालक मण्डी बोर्ड जबलपुर ने जाँचकर किन्हीं मिलों पर कोई राशि वसूली हेतु अधिरोपित की है और उसमें क्या किन्हीं अधिकारी व कर्मचारियों को दोषी पाया है? (ख) यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) उपसंचालक ने अपने पत्र दिनाँक 04-10-2014 द्वारा उपसंचालक (नियमन) राज्य कृषि विपणन बोर्ड को किन्हीं की शिकायत पर किन्हीं के विरुद्ध किसी स्तरीय जाँच हेतु लेख किये जाने पर क्या कोई जाँच की गई है और उसमें क्या पाया गया है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) की जाँच में किन दाल मिलों और मण्डी के अधिकारियों व कर्मचारियों को किस प्रकार से दोषी पाया गया है और उन पर अभी तक किस प्रकार की कार्यवाहियां की गई हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ, प्रश्नागत दाल मिलों की वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं कर्मचारियों संबंधित वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड जबलपुर के पत्र दिनाँक 04.10.2014 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के संबंध में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल के पत्र दिनाँक 28.10.2014 से कृषि उपज मंडी समिति कटनी के व्यापारियों से नियमानुसार मंडी फीस वसूल करने तथा दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जबलपुर को निर्देश दिये गये। प्रश्नाधीन जाँच में पाई गई स्थिति तथा की

गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) के संलग्न परिशिष्ट -"अ" में वर्णित दाल मिलों के अनियमितता का स्वरूप कालम 3 में उल्लेखित है। कृषि उपज मंडी समिति कटनी द्वारा प्रश्नाधीन 12 दाल मिलों में से 09 दालमिलों को पांच गुना मंडी फीस जमा करने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये है। संबंधित फर्मों द्वारा मंडी फीस जमा न करते हुये म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 61 के अंतर्गत माननीय न्यायालय अपर संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को अपील प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त किया गया है और वर्तमान में प्रकरण अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस प्रकरण में दोषी पाये गये कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

## परिशिष्ट - "इकहत्तर"

# ग्रामीण विकास योजना हेतु एक बैंक एकाउंटिंग व्यवस्था

68. (क्र. 1640) श्री कमल मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक बैंक एकाउंटिंग व्यवस्था लागू की है? क्या यह व्यवस्था जिला पंचायत सिवनी में भी प्रभावशील है? (ख) जिला पंचायत सिवनी में ग्रामीण विकास हेतु लागू समस्त योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था संधारण के लिए किस-किस योजना के एकाउन्ट किन-किन बैंकों में खोले गए हैं? (ग) आज की स्थिति में जिला पंचायत सिवनी अंतर्गत योजनाओं के किस-किस बैंक के खाते में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। एक बैंक एकाउन्ट व्यवस्था प्रदेश की ग्राम पंचायतों के लिये लागू है। जिला पंचायत/जनपद पंचायत के लिये यह लागू नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नम्बर 02 एवं 03 अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नम्बर 03 एवं 04 अनुसार।

# परिशिष्ट - "बहत्तर"

# स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचालय निर्माण

69. (क्र. 1641) श्री कमल मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वर्ष 2014-15 में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है? इसके लिये कितने व्यक्तिगत शौचालयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा इस वर्ष में कितना व्यय किया गया है? (ख) स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वर्ष 2014-15 में सिवनी जिला अंतर्गत प्रावधानित लक्ष्य व व्यय के अनुसार कितने शौचालय का निर्माण कराया गया है? यदि लक्ष्य पूर्ण नहीं किया गया है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वर्ष 2014-15 में आई.ई.सी. मद में जिला स्तर पर कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? इस राशि में कितनी राशि आउट डोर मीडिया तथा मास मीडिया में व्यय की गई है? (घ) क्या स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वर्ष 2014-15 में आउट डोर मीडिया तथा महिया में निर्धारित प्रावधान से अधिक व्यय हुआ है? यदि हाँ, तो क्या शासन ने अतिरिक्त खर्च की अनुमित प्रदान की है? यदि बिना शासन की अनुमित के अतिरिक्त व्यय किया गया है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 23093 लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा वर्ष में रूपये 698.22 लाख व्यय किये गये है। (ख) स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 23093 लक्ष्य के विरूद्ध 8799 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। वर्ष में रूपये 698.22 लाख व्यय किये गये है। मिशन का लक्ष्य मानव व्यवहार में परिवर्तन लाकर शौचालय का उपयोग सुनिश्चित कराना है। शौचालय निर्माण व निर्मित शौचालय के उपयोग हेतु प्रेरित करने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। (ग) स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वर्ष 2014-15 में आई.ई.सी. मद में जिला स्तर पर कुल राशि रूपये 46.45 लाख का प्रावधान था। आउट डोर मीडिया तथा मास मीडिया में राशि व्यय नहीं की गई। (घ) प्रश्नांश ग के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

### मनरेगा के अंतर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्य

70. (क्र. 1681) श्री गोविन्द सिंह पटेल: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत मनरेगा के निर्माण कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात क्या है? (ख) मनरेगा के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य कराये जाते हैं, स्पष्ट जानकारी दें? (ग) निर्माण कार्यों, मूल्यांकन के क्या मापदण्ड हैं? इसके अंतर्गत कौन-कौन से कार्य कराये जा सकते हैं? इसकी प्रक्रिया क्या है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा के निर्माण कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 कायम रखे जाने का प्रावधान है। (ख) मनरेगा अंतर्गत कराये जाने वाले अनुमत कार्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) निर्माण कार्यों का टास्क आधारित मूल्यांकन, ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा के कार्यों हेतु जिले में लागू दर अनुसूची के अनुसार किया जाता है। इसके अंतर्गत उत्तरांश "ख" के सभी निर्माण कार्य कराये जा सकते हैं।

## परिशिष्ट - "तिहत्तर"

# पंचायत भिण्ड के अंतर्गत कार्यरत अध्यापिका से नियम विरूद्ध गैर शैक्षणिक कार्य लिया जाना

71. (क्र. 1684) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय कलेक्टर जिला भिण्ड के आदेश क्रमांक क्यू/स्टेनो/अप.कले./2015/1828 दिनांक 27.02.2015 द्वारा संविदा शिक्षक वर्ग 1,2 एवं 3 की भर्ती 2006,2009 एवं 2011 में नियुक्ति से संबंधित जनपदों से प्राप्त अभिलेखों की कम्प्यूटर में फीडिंग हेतु श्रीमती अंजना सीरोठिया, अध्यापक एवं श्रीमती रंजनी वर्मा कम्प्यूटर ऑपरेटर जिला पंचायत भिंड की इ्यूटी लगाई गई थी? (ख) यदि हाँ, तो इन कर्मचारियों को जिला पंचायत भिण्ड द्वारा किस आदेश एवं शर्तों के साथ भारमुक्त किया गया? (ग) क्या कार्यालय जिला पंचायत भिण्ड के पत्र दिनांक 22.04.2015 को उक्त कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था? यदि हाँ, तो किन कारणों से और क्या उनके प्राप्त प्रति उत्तर संतोषजनक पाए गए हैं? यदि नहीं, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य न लिए जाने के शासनादेश हैं? यदि हाँ, तो शासनादेश का उल्लंघन कर उक्त शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य किस आधार पर लिया जा रहा है और इसके लिए कौन दोषी है? (इ.) उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त दोनों अध्यापिकाओं द्वारा कब और किस

संस्था से कम्प्यूटर डिप्लोमा प्राप्त किया है? डिप्लोमा की प्रति उपलब्ध कराएं? यदि डिप्लोमा नहीं है तो फिर किस आधार पर उनसे कम्प्यूटर का कार्य लिया जा रहा है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। प्रश्नांश "क" अनुसार श्रीमती अंजना सीरोठिया, सहायक अध्यापिका द्वारा जिला पंचायत के साथ-साथ कलेक्टर कार्यालय में भी कार्य किया जा रहा है। श्रीमती रजनी वर्मा, कम्प्यूटर ऑपरेटर जिला पंचायत भिण्ड के द्वारा जिला पंचायत भिण्ड में ही कार्य किया जा रहा है। (ग) जी हाँ। कार्यालयीन पत्र क्रमांक क्यू/स्था./जि.पं./ 2015-16/2513 भिण्ड, दिनाँक 22.04.2015 द्वारा श्रीमती अंजना सीरोठिया, सहायक अध्यापिका को कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किया गया था। उक्त कारण बताओं सूचना पत्र का प्रति उत्तर संतोषजनक पाये जाने से कार्यवाही नहीं की गई। (घ) जिला पंचायत भिण्ड में रिक्त पद होने के कारण श्री विभेष सिंह तोमर, सहायक शिक्षक एवं श्रीमती अंजना सीरोठिया, सहायक अध्यापिका को शिक्षा संबंधी कार्य करने हेतु लगाया गया था, जैसे ही रिक्त पदों की पूर्ति होगी, उक्त दोनों शिक्षकों से प्रभार ले लिया जायेगा। अतः कोई दोषी नहीं है। (इ.) श्रीमती रंजनी वर्मा, कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा कम्प्यूटर डिप्लोमा वर्ष 2003-04 में म.प्र.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल से प्राप्त किया है। डिप्लोमा की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। श्रीमती अंजना सीरोठिया, सहायक अध्यापिका के पास कम्प्यूटर डिप्लोमा नहीं है, और न ही इनमें कम्प्यूटर का कार्य कराया जा रहा है, इनमें कार्यालयीन कार्य लिया जा रहा है।

# उपज मंडी समिति लहार एवं आलमपुर जिला भिंड के प्रांगण को पक्का किया जाना

72. (क्र. 1685) डॉ. गोविन्द सिंह: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क्र) वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियों से कितनी आय प्राप्त हुई? वर्षवार बताएं? (ख) उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में भिण्ड जिले के अन्तर्गत कृषि उपज मंडी समिति लहार एवं आलमपुर में कितनी-कितनी आय हुई तथा किसान सड़क विकास निधि, बोर्ड शुल्क एवं निराश्रित शुल्क के रूप में कितने-कितने प्रतिशत राशि प्राप्त हुई? (ग) क्या कृषि उपज मंडी समिति लहार एवं आलमपुर एवं उप मंडियों के प्रांगण कच्चे एवं जीर्ण-शीर्ण हालत में होने से किसानों को कीचड़ में खड़े होकर अपनी कृषि उपज की खरीद-फरोख्त करने को मजबूर होने के बावजूद भी मंडी प्रांगण को पक्का करने हेतु विगत 10 वर्षों से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई? यदि हाँ, तो क्यों? तथा कब तक राशि स्वीकृत कर मंडी प्रांगणों को पक्का किया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों से वर्ष 2013-14 में 1030.38 करोड़, 2014-15 में 999.22 करोड़ एवं 2015-16 (माह जून 15 तक) 397.83 करोड़ रूपये मंडी फीस से आय प्राप्त हुई। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कृषि उपज मंडी समिति लहार एवं उपमंडी प्रागंण मिहौना के प्रांगण कच्चे है जहां कृषि उपज का क्रय-विक्रय होता है। प्रांगण पक्का कराने हेतु मंडी समिति लहार द्वारा ऋण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर पात्रता अनुसार कार्यवाही की जावेगी। कृषि उपज मंडी समिति आलमपुर का मंडी प्रांगण पक्का है परंतु उपमंडी प्रांगण दबोह के प्रांगण पक्का करने हेतु मंडी से

कोई ऋण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर पात्रता अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

### परिशिष्ट - "चौहत्तर"

### आत्मा परियोजना का गठन

73. (क्र. 1696) श्री रामलाल रौतेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में आत्मा परियोजना का गठन किस वित्तीय वर्ष में किया गया है? गठन के समय सदस्यों का नाम, पता का विवरण भी देवें? गठन से लेकर अब तक कौन-कौन से सदस्य रहे है? वर्षवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित वर्ष से लेकर अनूपपुर जिले को कुल कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है? वर्षवार जानकारी का उल्लेख करें। (ग) क्या आत्मा परियोजना में जिले के विधायकगण भी सदस्य होते है? यदि हाँ, तो कब-कब की बैठक में विधायकगण उपस्थित रहे है? गठन से लेकर अब तक किस एन.जी.ओ. को सदस्य बनाया गया है? पदाधिकारी सहित जानकारी देवें। (घ) नामांकित सदस्यों के नाम से कुल कितनी-कितनी कृषि भूमि है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) अनूपपुर जिले में आत्मा परियोजना का गठन वित्तीय वर्ष 2007-08 में किया गया है। सदस्यों के नाम, पते की वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वर्णित वर्ष से लेकर अनूपपुर जिले को वर्षवार आवंटित राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) आदेश क्र./बी-6/14/2014/14-2, भोपाल दिनांक 18.07.2014 द्वारा आत्मा गवर्निंग बोर्ड के उल्लेखित सदस्यों के अतिरिक्त माननीय विधायकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक दिनांक 29.08.2014 को माननीय विधायक गणों को बुलाया गया, जिसमें माननीय विधायक अनूपपुर एवं कोतमा उपस्थित रहे। प्रत्येक बैठक में माननीय विधायकों को आमंत्रित किया जाता है।गठन से लेकर अब तक श्री सुनील शुक्ला, स्वयं सेवी संस्था, सृष्टि स्पोर्ट फॉर एज्युकेशन एण्ड इनोवेशन, रीवा एवं अनूपपुर को एन.जी.ओ. प्रतिनिधि सदस्य बनाया गया है। (घ) आत्मा गवर्निंग बोर्ड के नामांकित सदस्यों के भूमि स्वामित्व का अभिलेख रखे जाने का कोई प्रावधान आत्मा के मागदर्शी निर्देशों में नहीं है।

# सुरक्षाकर्मी रखने के प्रावधान

74. (क्र. 1720) श्री पन्नालाल शाक्य: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में कृषि उपज मंडी समिति की सुरक्षा हेतु सुरक्षाकर्मी रखने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो गुना मंडी में वर्ष 2012, 2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 में कितने सुरक्षाकर्मी पदस्थ किये गये, यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के प्रागंण/परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु मंडी बोर्ड मुख्यालय स्तर पर निविदा आमंत्रित की जाकर सुरक्षा एजेन्सियों का चयन करने के उपरांत प्रदेश की मंडी समितियों को अपनी आवश्यकतानुसार चयनित सुरक्षा एजेंसी से सुरक्षागार्ड लगाने के संबंध में अनुबंध निष्पादित करने के निर्देश जारी

किये गये है। (ख) कृषि उपज मंडी समिति गुना में वर्ष 2012-13 में 15 सुरक्षाकर्मी, वर्ष 2013-14 में 30 सुरक्षाकर्मी एवं वर्ष 2014-15 में 30 सुरक्षाकर्मी पदस्थ किये गये थे। अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

# मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत प्रकरण

75. (क्र. 1743) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए आवास प्रदाय करने हेतु क्या विकासखण्ड स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं? (ख) यदि हाँ, तो मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत छतरपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कितने प्रकरण स्वीकृत हुए विकासखण्ड के अनुसार संख्या बताए? (ग) छतरपुर जिले की ऐसी कितनी पंचायते है जिनमें वित्तीय वर्ष 2014-15 में 20 या 20 से अधिक प्रकरण स्वीकृत किए गए उन पंचायतों के नाम एवं स्वीकृत प्रकरणों की संख्या बताए?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी हाँ। (ख) मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजनान्तर्गत छतरपुर जिले में वितीय वर्ष 2014-15 में जनपद पंचायतवार स्वीकृति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) छतरपुर जिले में ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहाँ वितीय वर्ष 2014-15 मे 20 या 20 से अधिक प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

#### परिशिष्ट - "पचहत्तर"

# मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत ईसागढ़ विकासखण्ड में निर्मित सड़क

76. (क्र. 1763) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13 में मुख्यमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत ईसागढ़ विकासखण्ड में कितनी, कौन-कौन सी सड़कें बनाई गई क्रमवार कहाँ से कहाँ तक दूरी सिहत बतायें? (ख) क्या उक्त योजना अन्तर्गत जो सड़कें बनाई गई हैं वह योजना के तहत निर्धारित शर्तों के अनुरूप बनाई गई है? यिद नहीं, तो ऐसी कितनी सड़कें हैं जो निर्धारित नियमों के तहत नहीं बनाई गई है? (ग) (1) क्या कमलावदा से 1.5 कि.मी. कदवाया इंदौर रोड तक जो सड़क निर्माण हुई है, (2) क्या कदवाया से जमुनया चाटौली तक, (3) बघनरी गांव से मुख्य सड़क कदवाया मामोन रोड तक सभी तीनों सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? क्या सभी तीनों सड़कों पर पुलिया का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है तथा साइड में सड़क बनाने हेतु जो गड़ढे किये गये थे वह भी भरे नहीं गये हैं, क्यों? यदि नहीं, तो इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी एवं अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कब तक कर लिया जावेगा? (घ) उक्त कार्य का पूर्णत: प्रमाण पत्र किस तिथि को जारी किया गया?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मार्ग कमलायदा से कदवाया इन्दौर तक एवं बघनरी गांव से मुख्य सड़क कदवाया मामोन रोड पुलिया सिहत पूर्ण हैं। मार्ग कदवाया से जमुनिया चाटौली पूर्ण नहीं हुआ है। सड़क बनाने में साइड में गढ़डे नहीं किये गये अतः उन्हे भरने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता एवं इसमें किसी अधिकारी का उत्तरदायित्व नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। एक

अपूर्ण सड़क के कार्य को दिसम्बर 2015 तक पूर्ण किया जावेगा। (घ) उक्त कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र तिथि संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

#### परिशिष्ट - "छिहतर"

# डाटा ऑपरेटर की मानदेय राशि का भुगतान

77. (क्र. 1764) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि विभाग में ठेके पर प्रदेश के सभी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिला कृषि कार्यालयों में डाटा ऑपरेटर नियुक्त किये गये? यदि हाँ, तो नियुक्त किये गये सभी डाटा ऑपरेटरों की जिलेवार संख्या उपलब्ध करायें? (ख) क्या उक्त सभी नियुक्त डाटा ऑपरेटरों को नियुक्ति दिनाँक से पद से पृथक किये गये दिनाँक तक कोई निर्धारित मानदेय नहीं दिया गया? कारण सहित बतायें? (ग) अशोकनगर एवं दितया जिलों में ऐसे कितने डाटा ऑपरेटर हैं जिन्हें अभी तक मानदेय नहीं मिला? उक्त पदस्थ ऑपरेटरों को कब तक मानदेय मिलेगा? समय-सीमा बतावें एवं इसके लिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) जी नहीं। प्रदेश के सभी विरष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिला कृषि कार्यालयों में 378 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स से आउट सोर्स के माध्यम से कार्य कराया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) जी नहीं। डाटा एन्ट्री का कार्य आउट सोर्स के माध्यम से कराया गया, जिसका भुगतान संबंधित संस्था को किया गया है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। शेष भुगतान भारत सरकार से एन.ई.जी.पी.ए. योजनान्तर्गत रिवेलिडेशन प्राप्त होते ही कर दिया जावेगा। (ग) अशोक नगर के 4 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर में से 3 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को सितम्बर 2014 तक एवं 1 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को अगस्त 2014 तक तथा दितया के 2 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर में से 1 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को मई 2014 तक तथा 1 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को 15 जुलाई 2014 तक का भुगतान मेसर्स प्रसाद कान्ट्रेक्टर्स एवं फेब्रीकेटर्स भोपाल को किया जा चुका है। शेष भुगतान भारत सरकार से इन.ई.जी.पी.ए. योजनान्तर्गत रिवेलिडेशन प्राप्त होते ही कर दिया जावेगा। अतः दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

# मुख्यमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना एवं आवास मिशन का क्रियान्वयन

78. (क्र. 1783) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा प्रदेश में गरीब वर्ग के आवासहीन/कच्चे मकानधारियों को उन्नत आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत लोन उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री आवास मिशन के माध्यम से किया जाना निर्धारित है? (ख) क्या यह सही है कि बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुसार कागजों पर प्रकरणों की स्वीकृति बता दी जाती है तथा संबंधित हितग्राहियों को राशि का वितरण नहीं किया जाता है? (ग) क्या शासन इस और ध्यान देकर गरीब आवासहीनों को उन्नत आवास उपलब्ध कराने की योजना के उचित पर्यवेक्षण द्वारा राशि का वितरण सुनिधित करेगा? (घ) क्या शासन द्वारा गरीब शिक्षित एवं अल्प शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वयं का रोजगार स्थापित किये जाने हेतु निम्न दरों पर लोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत निर्धारित दर से अनुदान स्वीकृत किया जाना निर्धारित है, (च) क्या यह सही

है कि प्रायः बैंकों द्वारा कागजों पर लक्ष्यपूर्ति बता दी जाती है, क्या शासन इस और ध्यान देकर योजना के उचित पर्यवेक्षण द्वारा राशि का वितरण सुनिश्चित करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में आवासहीन या कच्चे/अर्धपक्के आवासों में निवासरत गरीब ग्रामीणों को पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराया जाना निर्धारित है। (ख) जी नहीं। इस मिशन में, बैंकों द्वारा समग्र रूप से, राज्य स्तरीय लक्ष्य से अधिक प्रकरणों में, हितग्राहियों को राशि का वितरण किया गया है। (ग) इस मिशन में लक्ष्य अनुसार, हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने में, हितग्राहियों को राशियों के वितरण एवं मिशन के पर्यवेक्षण के संबंध में, राज्य शासन पूर्ण सजग है। (घ) जी नहीं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना दिनाँक 01/08/2014 से समाप्त की जा चुकी है। (च) जी नहीं। शासन द्वारा योजना संचालन के समय नियमानुसार तथा बैंकों के मापदण्डों के आधार पर, राशि का वितरण कराया जाता था। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

# शास. उचित मूल्य दुकानों से सामग्री वितरण में अनियमितता

79. (क्र. 1788) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से शासन द्वारा विभिन्न चिन्हांकित श्रेणियों के परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न एवं प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम शक्कर एवं 5 लीटर केरोसिन दिया जाना निर्धारित है? (ख) यदि हाँ, तो फिर धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित धामनोद इहीवर स्थित शास. 5.मु. दुकान से प्रति राशन कार्ड 750 ग्राम शक्कर एवं 4 लीटर केरोसिन किस नियम के तहत वितरण किया जा रहा है? (ग) यदि संबंधित सेल्समेन द्वारा गलत वितरण किया जा रहा है तो अब तक की शेष सामग्री कहाँ गई तथा सेल्समेन के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

खाद मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) लिक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्रता पर्चीधारी पात्र परिवारों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम तथा प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम प्रित सदस्य प्रित परिवार प्रतिमाह खाद्यान्त तथा 1 किलोग्राम शक्कर एवं अन्त्योदय परिवारों एवं 22 आदिवासी बाहुल्य जिलों के प्राथमिकता परिवारों को प्रति 3 माह में 2 माह 5 लीटर तथा 1 माह 4 लीटर केरोसीन तथा शेष जिलों के प्राथमिकता परिवारों को 4 लीटर केरोसीन प्रतिमाह प्रदाय किया जाना निर्धारित है। (ख) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित धामनोद डहीवर स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान से पात्र परिवारों को आवंटन अनुसार 1 किलोग्राम शक्कर एवं प्राथमिकता परिवारों को माह अप्रेल एवं जून, 2015 में 5 लीटर तथा माह मई, 2015 में अन्त्योदय परिवारों को 5 लीटर एवं प्राथमिकता परिवारों को 4 लीटर केरोसीन प्रति परिवार प्रतिमाह वितरण किया गया है। (ग) उचित मूल्य दुकान से पात्रतानुसार सामग्री का वितरण किया जाना पाया गया है। प्रतिमाह खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसीन की अवितरित मात्रा की प्रविष्टि पोर्टल पर कर आगामी माह के आवंटन में समायोजन किया जाकर शेष खाद्यान्न प्रदाय किया जाता है। उचित मूल्य दुकान को माह अप्रेल, 2015 से जून, 2015 तक शक्कर एवं केरोसीन की माहवार प्रदाय, वितरण एवं शेष सामग्री की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रथन उपस्थित नहीं होता।

#### परिशिष्ट - "सतहत्तर"

## सामग्री पर अनुदान

80. (क्र. 1808) श्रीमती पारूल साहू केशरी: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में वर्ष 2014-15 में गेहूँ कलस्टर फसल प्रदर्शन में कृषि विभाग ने किसानों को कौन-कौन सी सामग्री प्रदाय की थी? सामग्री पर कितना अनुदान था? (ख) प्रश्नांश कंडिका (क) के परिप्रेक्ष्य में किसानों को वितरित सामग्री में फफ्ंदी नाशक (दवा) कौन-कौन सी थी? सल्फर 80 प्रतिशत रासायनिक खाद में सम्मिलित है या कीटनाशक में? (ग) क्या राष्ट्रीय खाय सुरक्षा मिशन/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में फसल प्रदर्शन हेतु सूक्ष्म तत्व वेनटोनाईट सल्फर पर अनुदान देय है? न कि सल्फर 80 प्रतिशत फफ्ंदनाशी पर? यदि हाँ, तो वेनटोनाईट सल्फर 90 प्रतिशत क्यों नहीं प्रदाय किया गया? कारण बतावें? (घ) सागर जिले में सल्फर 80 प्रतिशत कुल कितनी राशि का प्राप्त किया गया? कृषक अंश कुल कितने रूपये का था? अनुदान कितना था? क्या शासन इसकी वसूली सहित दोषियों पर कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) सागर जिले में वर्ष 2014-15 में गेहूँ कलस्टर फसल प्रदर्शन में प्रति हेक्टेयर/प्रति कृषक प्रदाय की गई प्रदर्शन सामग्री एवं उस पर देय अनुदान राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) किसानों को वितरित सामग्री में फफ्ंदीनाशक (दवा) कार्बन्डाजिम थी। सल्फर 80 प्रतिशत रासायनिक खाद सूक्ष्म पोषक तत्व पूर्ति कारक है, साथ ही फफ्ंदीनाशी का कार्य भी करता है। कीटनाशक नहीं है। (ग) जी हाँ। सल्फर 80 प्रतिशत फफ्ंदीनाशी पर भी अनुदान देय है। वेनटोनाइट सल्फर 90 प्रतिशत, सामग्री आपूर्तिकर्ता संस्थाओं (विपणन संघ/एम.पी. एग्रो) के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रदाय नहीं किया गया। (घ) सागर जिले में सल्फर 80 प्रतिशत राशि रू 13,22,688 का प्राप्त किया गया। कृषक अंश की राशि नहीं ली गई क्योंकि शत-प्रतिशत अनुदान पर सल्फर 80 प्रतिशत कृषकों को प्रदाय किया गया। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

#### परिशिष्ट - "अठहत्तर"

# मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

81. (क. 1809) श्रीमती पारूल साहू केशरी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नांश (क) सागर जिले अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनाँक तक कितने जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया गया? (ख) प्रश्नांश (ख) क्या शासन की इस योजना का संपूर्ण लाभ प्रत्येक हितग्राही जोड़े को मिल चुका है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो सागर जिले के कितने पात्र हितग्राही जोड़ों को कन्यादान योजना के तहत संपूर्ण लाभ नहीं दिया गया है, संख्या बतायें? कब तक दे दिया जावेगा? (ग) क्या सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र सुरखी के अंतर्गत जनपद पंचायत जैसीनगर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत वर्ष 2014 में सामूहिक विवाह के पात्र हितग्राहियों को कम शासकीय राशि की सामग्री का वितरण कराये जाने की जाँच कलेक्टर सागर द्वारा करायी गयी तथा जांचोपरांत प्रकरण में संबंधित दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध निलंबन की तथा नोटिस दिये जाने की कार्यवाही की गयी थी? इन दोषी अधिकारियों को किस दंड से दंडित किया गया है? (घ) क्या प्रश्नांश कंडिका (ग) में वर्णित एक दोषी अधिकारी के विरूद्ध पूर्व से ही चल रही जाँच के बाबजूद उसे पदोन्नत किया गया था? यदि हाँ, तो क्यों और इसके लिये कौन उत्तरदायी है? क्या जाँच के चलते पदोन्नति दिये जाने की कार्यवाही प्रचलित नियमों में है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (घ) की जानकारी संकलित की जा रही है।

# जिला सहकारी बैंक मुरैना पर बकाया ऋण

82. (क्र. 1820) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी बैंक मुरैना पर अपेक्स बैंक (नाबार्ड), विपणन संघ का कितना-कितना ऋण बकाया है? 31.03.2014 व 31.03.2015 तक की अलग-अलग जानकारी दी जावें? (ख) जिला सहकारी बैंक मुरैना का सोसायटियों पर कितना ऋण बकाया है? सोसायटीवाइज प्रश्न दिनाँक तक की जानकारी दी जावें? (ग) जिला सहकारी बैंक मुरैना के अधीनस्थ संपूर्ण जिले की सोसायटियों का कितना ऋण किसानों पर बकाया है? प्रश्न दिनाँक तक की जानकारी, सोसाइटी वाईज प्रदान की जावें? पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भागेव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 03 अनुसार है.

#### विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

83. (क्र. 1824) श्रीमती संगीता चारेल: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की किसानों को विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं के माध्यम से क्या-क्या लाभ दिये जाने का प्रावधान है? (ख) क्या समय पर इन योजनाओं का लाभ आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को दिया जा रहा है तथा इसकी पर्यवेक्षण की क्या व्यवस्था है? (ग) सेलाना विकासखंड अंतर्गत वर्ष 2013-14 से आज दिनाँक तक किन-किन योजना में लाभान्वित किया गया? योजनावार जानकारी प्रदान करें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) आदिवासी बाहूल्य क्षेत्रों की किसानों को लाभान्वित करने हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं दिये जाने वाले लाभ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। योजनाओं के पर्यवेक्षण की व्यवस्था इस प्रकार है। (1) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा 100 प्रतिशत। (2) कृषि विकास अधिकारी द्वारा 100 प्रतिशत। (3) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा 50 प्रतिशत। (4) अनुविभागीय कृषि अधिकारी द्वारा 25 प्रतिशत। (5) उपसंचालक कृषि द्वारा 5 प्रतिशत। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है।

# जनसुनवाई एवं सी.एम.हेल्पलाईन में रतलाम जिले से प्राप्त शिकायत का निराकरण

84. (क. 1826) श्रीमती संगीता चारेल: क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा अंतर्गत 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनाँक तक जनसुनवाई एवं सी.एम. हेल्पलाईन में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई कितनी शिकायतों का निराकरण हो चुका है तथा कितनी लंबित है? (ख) उक्तानुसार शिकायतें लंबित क्यों है? लंबित शिकायतों की जानकारी प्रदान करें?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा क्षेत्र में जनसुनवाई के अंतर्गत 01 जनवरी, 2015 से प्रश्न दिनाँक तक कुल प्राप्त शिकायत 496 कुल निराकृत 357 एवं 102 समयाविध में होकर प्रकियाधीन है, तथा 37 लंबित है एवं सी.एम. हेल्पलाईन (181) में उपलब्ध

विकासखण्डवार जानकारी अनुसार दिनाँक 01 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनाँक तक सैलाना एवं बाजना विकासखण्ड में कुल शिकायत 367 दर्ज की गयी है, जिसमें से 250 शिकायतें निराकृत हो चुकी हैं तथा 117 शिकायतें लंबित हैं। (ख) शिकायतें निराकरण हेतु प्रचलित होने के कारण लंबित है। लंबित शिकायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

### श्रीकांता विकलांग ट्रस्ट झाकर जिला बडवानी में कार्यरत अमला

85. (क्र. 1832) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में संचालित श्रीकांता विकलांग सेवा ट्रस्ट झाकर जिला बड़वानी में कुल कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है तथा इनकी नियुक्ति कब हुई थी? (ख) वर्तमान में इन्हें कितना वेतन प्रदाय किया जा रहा है? (ग) क्या उक्त ट्रस्ट में ये कर्मचारी लगभग 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे है? फिर भी इन्हें कलेक्टर रेट पर ही वेतन दिया जा रहा है? क्या इन्हें शासन नियमित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हाँ, तो कब तक नियमित कर दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) की जानकारी संकलित की जा रही है।

# सहकारी संस्थाओं को शासन के आदेश अनुसार मंहगाई भत्ते का प्रदाय

86. (क्र. 1844) श्री प्रदीप अग्रवाल: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क्र) क्या शासन द्वारा प्रदेश एवं जिले की समस्त सहकारी संस्थाओं के सेवायुक्तों को मंहगाई भत्ता प्रदाय किये जाने के आदेश किये हैं? (ख) क्या शासन द्वारा समय-समय पर जारी मंहगाई भत्ता संबंधी आदेशों के पालन में दितया जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संचालक मण्डल ने दिनाँक 17.07.14 को मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया था? यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत दिया जाना प्रस्तावित था? (ग) उक्तानुसार शासनादेश एवं बोर्ड की स्वीकृति के उपरांत सेवायुक्तों को मंहगाई भत्ते का अभी तक भुगतान नहीं किया गया क्यों? (घ) क्या सेवायुक्तों को अभी तक शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता की किश्तों का भुगतान किया जायेगा या फिर इन संस्थाओं के लिये शासन पृथक से आदेश जारी करेगा, यदि भुगतान किया जायेगा तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) राज्य शासन द्वारा सहकारी संस्थाओं के सेवायुक्तों को मंहगाई भत्ता प्रदाय किये जाने के आदेश नहीं दिये जाते. सहकारी संस्थाओं के सेवायुक्तों को मंहगाई भत्ता पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. द्वारा संस्था के सेवा नियमों में किये गये प्रावधानों/ जारी निर्देशों के अनुसार प्रदाय किया जाता है. (ख) बैंक सेवा नियमों में किये गये प्रावधानों के अनुक्रम में बैंक संचालक मंडल द्वारा दिनाँक 17-7-2014 को मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया था. 20 प्रतिशत. (ग) बैंक संचालक मंडल का संकल्प सेवा नियमों में मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने के कारण मंहगाई भत्ता का भुगतान नहीं किया गया. (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते.

#### विभाग द्वारा हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ

87. (क्र. 1866) श्रीमती लिलता यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में विभाग द्वारा बुंदेलखण्ड पैकेज के तहत वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 एवं 2015-16 में कितने हितग्राहियों को सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टी साइड्स, इन्सेक्टी साइड्स दी गई? विकासखण्डवार बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में हितग्राहियों को यह

सामग्री कब-कब दी गई और किसके द्वारा दी गई? (ग) हितग्राही को सामग्री न देने की क्या शिकायतें प्राप्त हुई? अगर हां, तो कौन-कौन और उन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) हितग्राहियों को दिये जाने वाले सामान का ब्रांड निर्माता का नाम, वितरक का नाम, स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी का नाम, ग्राम सेवक का नाम, एस.ए.ओ. का नाम और एस.डी.ओ. का नाम, बतायें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) बुन्देलखंड पैकेज के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रमाणित बीज वितरण, बीज उत्पादन, संकर बीज एवं प्रजनक बीज खरीदी के घटक शामिल थे, आई.सी.डी.पी. (मोटा अनाज) योजना में भी प्रमाणित बीज वितरण अनुदान, बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत बीज वितरण तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में बीज वितरण अनुदान संकर बीज वितरण तथा प्रजनक बीज खरीदी के शामिल घटक से वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक 393352 हितग्राहियों को विभाग में संचालित उपरोक्त योजनाओं के प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों से लाभान्वित किया गया। उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइडस एवं इंसेक्टीसाइड्स घटक प्रावधान नहीं था। योजनावार एवं विकासखंडवार बीज घटक से लाभान्वित हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** उक्त बीज का वितरण कृषकों को खरीफ एवं रबी मौसम में विकास खण्डों के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों के माध्यम से संबंधित क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं सेवा सहकारी समितियों के द्वारा किया गया। (ग) जी हाँ। हितग्राहियों को सामग्री न देने की शिकायत प्राप्त हुई है। जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) हितग्राहियों को दिया गया बीज, बीज उत्पादक संस्थायें जैसे- एन.एस.सी., भारतीय राज्य फार्म विकास निगम, म.प्र. राज्य फार्म विकास निगम, नाफेड, प्रोड्यूसर कंपनी डी.पी.आई .पी. एवं बीज उत्पादक समितियों का है, जो म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणीकरण के पश्चात वितरण किया गया। जानकारी प्रस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है, स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी का नाम, एस.डी.ओ., एस.ए.डी.ओ. एवं ग्रामसेवक के नाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। जिलें में पदस्थ उप संचालक कृषि द्वारा स्वीकृति प्रदान कर विकासखण्डों में पदस्थ एस.ए.डी.ओ. एवं आर.ए.ई.ओ. के द्वारा वितरण किया गया।

# स्प्रिंकलर सेट में गडबड़ी की जाँच

88. (क्र. 1867) श्रीमती लिलता यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में विगत पांच वर्षों में स्प्रिंकलर सेट में गड़बड़ी की जाँच क्या विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा कराई गई है? (ख) जाँच दल में कौन-कौन अधिकारी थे और जाँच में किस-किस को दोषी पाया गया? उन पर अब तक किस प्रकार की कार्यवाही की गई? (ग) गड़बड़ी करने वाले अधिकारी वर्तमान में कहाँ-कहाँ तैनात है? (घ) जाँच दल की रिपोर्ट और विभाग द्वारा की गई कार्यवाही रिपोर्ट सहित प्रति बतायें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) जी नहीं। (ख), (ग) (घ) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

89. (क. 1880) श्रीमती झूमा सोलंकी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण यांत्रिकी संभाग द्वारा वर्ष 2012 के पश्चात कितनी पुलियाओं का निर्माण किया गया है वर्तमान में उन पुलियाओं की भौतिक स्थित क्या है? प्रति पुलिया वार भौतिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण यांत्रिकी संभाग द्वारा निर्मित जो पुलियायें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं जिससे ग्रामीण जनता को आवागमन में किठनाई या मार्ग अवरूद्ध हो चुका है? उनकी मरम्मत कार्य किया जावेगा हाँ, तो उसकी समयाविध क्या होगी? (ग) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण यांत्रिकी संभाग द्वारा वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक निर्मित मिट्टी मुरूम मार्ग निर्माण जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त है उनकी संख्या कितनी है? (घ) क्या शासन द्वारा उपरोक्त मिट्टी मुरूम मार्गों के मरम्मत के लिए कोई कार्य योजना बनाई जाना प्रस्तावित है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण यांत्रिकी संभाग द्वारा वर्ष 2012 के पश्चात् 07 पुलियाओं का निर्माण किया गया। विस्तृत जानकारी संलग्न पिरिशिष्ट अनुसार है। (ख) ग्रामीण यांत्रिकी संभाग द्वारा निर्मित कोई भी पुलिया क्षतिग्रस्त नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक किसी भी मिट्टी मुरम मार्ग का निर्माण नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

#### परिशिष्ट - "उन्यासी"

# कामधेनु गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष द्वारा की गई अनियमितताओं के विरूद्ध कार्यवाही

90. (क्र. 1881) श्री मध् भगत: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा सत्र जुलाई 2012 को माननीय विधायक लोकेन्द्र सिंह तोमर द्वारा कामधेन् गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल पंजीयक क्रमांक डी.आर.बी. 296 के बारे में पूछे गये अतारांकित प्रश्न क्र. 1792 (ग) दिनाँक 20/07/12 के उत्तर में सहकारिता विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन अधिकारी को अंतिम मतदाता सूची में गैर सदस्यों के नाम जोड़ने का अधिकार नहीं है? क्या यह सही है कि उसके बावजूद भी उक्त संस्था की अंतिम मतदाता सूची में निर्वाचन अधिकारी आर.के पाटील द्वारा 13 गैर सदस्यों के नाम जोड़े गये थे? जिसे बी.एस. शुक्ल संयुक्त पंजीयक मुख्यालय ने भी अपनी जाँच रिपोर्ट में अवैध माना था? (ख) क्या यह सही है उपरोक्त 13 गैर सदस्यों में से 7 गैर सदस्य वर्तमान में उक्त संस्था के संचालक हैं तथा 1 संचालक अतुल सरीन जो कि भोपाल सैंट्रल को.-आ.बैंक का कर्मचारी है? क्या सहकारी बैंक सेवा नियम अनुसार वह अन्य किसी संस्था के निर्वाचन में भाग ले सकता था? यदि हाँ, तो किस नियम के आधार पर? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा अतुल सरीन एवं संस्था के विरूद्ध प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) क्या तारांकित प्रश्न क्रमांक 2825 (ग) दिनाँक 27/07/12 में उप आयुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा अपने उत्तर में सदस्यों को आवंटित भूखंडों की रजिस्ट्री करना बताया गया है जबकि उक्त 15 व्यक्ति संस्था के सदस्य ही नहीं थे। संस्था द्वारा उनकी प्राथमिक सदस्यता दिनाँक 10/10/08, 21/05/09 एवं 03/08/11 को समाप्त कर दी गयी थी, जिस संबंध में उनके प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन थे? (घ) क्या न्यायालय में प्रकरणों के विचाराधीन रहते भूखंडों की रजिस्ट्री कराई जा सकती है? यदि हाँ, तो संबंधित नियम की जानकारी दें? यदि नहीं, तो क्या विभाग द्वारा दोषी संचालकों एवं लार्भाथियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रश्न दिनाँक तक की गयी? यदि हाँ, तो की गयी कार्यवाही की जानकारी दें? यदि नहीं, तो दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी नहीं, अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1792 के उत्तरांश "ग" में "संबंधित प्रकरण न्यायालय संयुक्त पंजीयक भोपाल तथा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से प्रश्नांश का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है" उल्लेख किया गया था. शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है. (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

### ग्राम पंचायत इन्दराना विकासखण्ड मझौली के संदर्भ में

91. (क. 1885) श्री नीलेश अवस्थी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा बैठक दिनाँक 26/02/2015 अतारांकित प्रश्न क्र.943 के उत्तर में तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच उप सरपंच एवं सचिव से ग्राम पंचायत इन्द्रराना के निर्माण कार्यों में मूल्यांकन से अधिक व्यय राशि वसूली का कथन आया था? (ख) प्रश्नांक (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो यह बतलावें कि किस-किस से कितनी-कितनी राशि वसूल होनी थी? एवं प्रश्न दिनाँक तक किस-किस से किस दिनाँक को कितनी राशि वसूली गई? क्या शासन राशि न जमा करने वालों पर कठोर कार्यवाही कर तत्कालीन सचिव को निलंबित कर उसके वेतन से कटौती कर राशि की वसूली की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक किस प्रकार से? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) वर्तमान समय में प्रश्नांकित पंचायत में सचिव पद पर कौन पदस्थ है? एवं यह भी बतलावें की उनके विरूद्ध ग्रामवासियों द्वारा कब-कब कौन-कौन सी शिकायतें शासन को की गई एवं उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार सूची देवें? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित सचिव संतोष जैन के विरूद्ध ग्राम पंचायत कापा वि.ख मझौली में पदस्थी के समय कदाचार एवं शासकीय राशि के दुरूपयोग के तहत धारा 92 की कार्यवाही प्रचलित है? उत्तर में यदि हाँ, तो क्या शासन उन्हें निलंबित कर उनके द्वारा ग्राम पंचायत कापा में पदस्थी के समय किये गये? भ्रष्टाचार की जाँच करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

# संजय गांधी प्रशिक्षण संस्थान में नियम विरुद्ध संचालक के पद का प्रभार

92. (क. 1893) श्री ठाकुरदास नागवंशी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत विभाग के पचमढ़ी, जिला होशंगाबाद स्थित संजय गांधी प्रशिक्षण संस्थान में संचालक का पद किस संवर्ग का स्वीकृत है? वर्तमान में उप संचालक स्तर के पदाधिकारी को प्रभारी संचालक किस दिनाँक से बनाया गया है? क्या वह पात्र है यदि नहीं, तो प्रभार क्यों दिया गया? (ख) क्या वर्तमान प्रभारी संचालक के पास शासकीय आवास भोपाल में भी है एवं संस्थान में भी निःशुल्क शासकीय आवास मय सुविधाओं के संचालक द्वारा उपयोग किया जा रहा है जिसका कोई किराया एवं विद्युत का भुगतान संबंधित के द्वारा नहीं किया जा रहा है? (ग) क्या प्रभारी संचालक जिनका मुख्यालय पचमढ़ी है सप्ताह में केवल तीन दिन पचमढ़ी रहते हैं एवं संस्थान के वाहन से भोपाल आते-जाते हैं? इनकी पदस्थापना से आज तक कितनी बार संस्थान का वाहन भोपाल गया एवं उस पर कितना पीओएल एवं मरम्मत की राशि खर्च हुई? (घ) क्या कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा वर्तमान संचालक के कार्यवाही करने एवं मुख्यालय पर नहीं रहने के कारण इनका प्रभार हटाने का प्रस्ताव

भेजा गया था? इस उक्त प्रस्ताव पर कब तक कार्यवाही की जावेगी एवं स्थायी संचालक की नियुक्ति की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) संजय गांधी प्रशिक्षण संस्थान एक स्वशासी निकाय है। संचालक के पद पर नियुक्ति, पदस्थापना, प्रभार, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा की जाती है। दिनाँक 01.05.2013। जी हाँ। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। चूंकि पदस्थापना पंचायत राज संचालनालय भोपाल में है। जी नहीं। संचालक के द्वारा संस्थान के संचालक रेस्ट हाउस निवास शुल्क एवं वियुत शुल्क प्रभार प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट'अ'एवं'ब'। (ग) जी नहीं। पूर्ण कालिक प्रभार है। कार्य दिवसों में शासकीय एवं संस्थान के कार्य संपादित करते हैं। जी हाँ। शासकीय एवं संस्थान के कार्यों से आते जाते हैं। कुल 65 वार। पी.ओ.एल. 2360.91 लीटर एवं मरम्मत 61281/- रूपये खर्च। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स (घ) चूंकि संस्थान म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अधीन एक स्वशासी संस्थान है। संचालक की नियुक्ति, पदस्थापना, प्रभार इत्यादि म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रा.वि.विभाग के प्रशासकीय निर्णय के आधार पर की जाती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

#### नियम विरुद्ध जाँच स्थापित करना

93. (क्र. 1897) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी समिति पिपरिया जिला होशंगाबाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत अपराध प्रश्न दिनाँक तक दर्ज किये गये हैं, इसमें किसे अभियुक्त एवं सहअभियुक्त बनाया गया बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) में जिन पर अपराध पंजीबद्ध हुआ उनमें से किन-किन के विरूद्ध विभागीय जाँच के आदेश दिये गये तथा जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकार बनाया गया, पदनाम सित जानकारी देवें तथा क्या जो अभियुक्त/सहअभियुक्त है, उन्हें ही प्रस्तुतकार बनाया गया? यदि हाँ, तो किस प्रावधान के तहत? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित कर्मचारियों विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने पर भी समानांतर विभागीय जाँच करायी जा रही है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? विभागीय जाँच अधिकतम म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 अनुसार कितनी अवधि में पूर्ण हो जाना चाहिये? (घ) क्या श्री अशोक भार्गव सहायक ग्रेड-2 कृषि उपज मंडी समिति पिपरिया पर विगत 17 वर्षों से जाँच प्रचलित है? क्या इसमें असाधारण विलंब हुआ है? यदि हाँ, तो क्या? ऐसी विलंबित जाँच एवं आरोप पत्र स्वमेव निरस्त हो जावेंगे अथवा अपास्त करने योग्य है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। कृषि उपज मंडी समिति पिपरिया जिला होशंगाबाद में वर्ष 1998 में रासायनिक उर्वरक स्कंध की हेराफेरी के संबंध में मंडी समिति द्वारा दिनाँक 17.03.1998 को पुलिस थाना पिपरिया में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस प्रतिवेदन क्रमांक 16 अनुसार भारतीय दण्ड विधान धारा 409 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्राथमिकी में श्री दीपक भार्गव, सहायक उप निरीक्षक एवं श्री अशोक भार्गव सहायक ग्रेड-2 को अभियुक्त बनाया गया था किंतु किसी को भी सहअभियुक्त नहीं बनाया गया था। (ख) प्रश्लांश (क) में अभियुक्त श्री दीपक भार्गव सहायक उपनिरीक्षक एवं श्री अशोक भार्गव सहायक ग्रेड-2 के अतिरिक्त श्री चंद्रभान सिंह राजपूत तत्कालीन मंडी सचिव पिपरिया, श्री के.के. दीनकर मंडी निरीक्षक एवं श्री हिरशचंद्र अहिरवार, चौकीदार मंडी समिति पिपरिया के विरूद्ध विभागीय जाँच के आदेश दिये गये थे।

उपरोक्त संस्थित विभागीय जाँच में श्री चंद्रभान सिंह राजपूत तत्कालीन मंडी सचिव पिपरिया, श्री के.के. दीनकर मंडी निरीक्षक राज्य विपणन सेवा के अधिकारी होने से जाँचकर्ता अधिकारी उपसंचालक आंचलिक कार्यालय भोपाल को नियुक्त किया गया था जिसमें प्रस्तुतकर्ता अधिकारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति पिपरिया को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1564 दिनाँक 09.11.98 एवं श्री राजपूत की विभागीय जाँच हेत् आदेश क्रमांक 715 दिनाँक 04.04.2000 द्वारा सचिव कृषि उपज मंडी समिति पिपरिया को नियुक्त किया गया जिसमें प्रस्तुतकर्ता अधिकारी न तो अभियुक्त थे न ही सहअभियुक्त। श्री दीपक भार्गव सहायक उप निरीक्षक एवं श्री अशोक भार्गव सहायक ग्रेड-2 मंडी समिति सेवा के कर्मचारी होने के कारण मुख्यालय के आदेश क्रमांक/मंडी/ब/ स्था./6/1/737 दिनाँक 13.04.98 द्वारा निलंबित कर विभागीय जाँच करने हेत् सचिव मंडी समिति को निर्देश दिये गये थे जिसके पालन में सचिव मंडी समिति पिपरिया द्वारा आदेश क्र06/1/737 दिनाँक 13.04.98 द्वारा निलंबित कर विभागीय जाँच करने हेत् सचिव मंडी समिति को निर्देश दिये गये थे जिसके पालन में सचिव मंडी समिति पिपरिया द्वारा आदेश क्रमांक मंडी/स्था/98-99/4543 दिनाँक 18.09.98, 1873 पिपरिया दिनाँक 17.07.2000 एवं आदेश क्रमांक 3739 दिनाँक 31.03.15 द्वारा भार्गव की विभागीय जाँच में सर्व श्री रामचरण पटेल मंडी निरीक्षक, श्री टी.आर. चौधरी सहायक सचिव मंडी समिति पिपरिया एवं श्री संजय कहार सहायक ग्रेड-1 को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी निय्क्त किया गया। श्री दीपक कुमार भार्गव स्टोर कीपर की विभागीय जाँच हेतु प्रस्तुतकर्ता अधिकारी आदेश क्रमांक मंडी/स्था/98-99/4557 दिनांक 18.09.98, 3163 पिपरिया दिनांक 31.07.1999 एवं आदेश क्रमांक 1863 दिनाँक 17.07.2000 एवं आदेश क्रमांक 3741 दिनाँक 31.03.15 द्वारा भार्गव की विभागीय जाँच में सर्व श्री रामचरण पटेल मंडी निरीक्षक,श्री टी.आर. चौधरी सहायक सचिव मंडी समिति पिपरिया श्री संजय कहार सहायक ग्रेड-1 को प्रस्त्तकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। उपरोक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी प्रकरण में अभियुक्त/सहअभियुक्त नहीं थे। (क) में वर्णित कर्मचारियों के विरूद्ध माननीय व्यवहार न्यायालय पिपरिया में प्रकरण क्रमांक 673/2004 के तहत प्रकरण वर्तमान तक विचाराधीन है साथ ही संबंधितों के विरूद्ध विभागीय जाँच की कार्यवाही की जा रही है किंतु प्रकरण माननीय व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन होने से समानांतर विभागीय जाँच की प्रक्रिया पूर्ण करने में मंडी समिति को पुलिस द्वारा जब्त रिकार्ड उपलब्ध न होने पर विलंब हुआ है। जो म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 273 एवं 279 के तहत विभागीय जाँच की जा रही है। म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 287 एवं 288 अनुसार विभागीय जाँच एक वर्ष की समयाविध सुनिश्चित की गई। (घ) जी हाँ। श्री अशोक भार्गव सहायक ग्रेड-२ के विरूद्ध वर्ष 1998 से विभागीय जाँच प्रचलित है किंत् माननीय व्यवहार न्यायालय पिपरिया में प्रकरण विचाराधीन होने से निर्णय प्राप्त होने तक मंडी समिति पिपरिया द्वारा लंबित रखी गई है।

#### अपीली अधिकारी का उत्तरदायित्व का निर्धारण

94. (क्र. 1898) श्री ठाकुरदास नागवंशी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सूचना अधिकारी, उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी नहीं देने की कितनी अपीलें दिनाँक 01.04.2014 से दिनाँक 31.05.2015 तक प्रस्तुत है? उनमें अपीलीय अधिकारी द्वारा क्या आदेश पारित किये गये प्रकरणवार जानकारी दें? (ख) क्या अपीलीय अधिकारी ने अधिकांश प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी उपायुक्त

सहकारिता जिला भोपाल की लापरवाही का लेख करते हुए जानकारियां संबंधित आवेदकों को समय-सीमा में देने के आदेश पारित किय हैं? (ग) कितने प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन कर आवेदकों को लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी दी है? यदि नहीं, दी है तो क्यों? (घ) क्या प्रकरण में केन्द्रीय अधिनियम के पालन में लोक सूचना अधिकारी की लापरवाही प्रतीत होती है? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध विभागीय जाँच कब प्रारंभ की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) लोक सूचना अधिकारी उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी नहीं देने संबंधी 51 अपील दिनाँक 01.04.2014 से 31.05.2015 तक प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुई. प्रकरणवार आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार है. (ख) जी नहीं, अपितु अपीलीय अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के 11 प्रकरणों में लापरवाही का लेख करते हुए जानकारी देने हेतु आदेशित किया है. (ग) 43 प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी के आदेश के पालन में आवेदकों को जानकारी दी गई एवं 08 प्रकरणों में कार्यालय स्तर पर जानकारी संधारित न होने के कारण प्रदाय नहीं की गई है. (घ) लोक सूचना अधिकारी की लापरवाही के संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी को समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

# कृषि अधिकारियों द्वारा दवाईयों के गुण नियंत्रण की कार्यवाही

95. (क्र. 1933) श्रीमती झूमा सोलंकी: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि विभाग के विरष्ठ अधिकारियों द्वारा वर्ष में दो बार खाद बीज, कीटनाशन दवाईयों की गुण नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत सैम्पल जाँच क्षेत्रान्तर्गत की जाती है? (ख) यदि हाँ, तो भीकनगांव विकासखण्ड अन्तर्गत कितनी उर्वरक बीज की दुकानें संचालित हैं तथा कितनी दुकानों के विगत तीन वर्षों में सैम्पल जाँच किये गये है? कृपया दुकान का नाम, सैम्पल लेने का दिनाँक मानक/अमानक की जानकारी विगत तीन वर्ष की देवे? (ग) क्या जाँच के द्वारा शत् प्रतिशत सैम्पल मानक पाये गये है? यदि नहीं, तो अमानक सैम्पल किस दुकान से प्राप्त हुए? कृपया दुकान से प्राप्त हुये कृपाया दुकान का नाम की सूची उपलब्ध करावे? (घ) क्या अमानक पाये जाने पर दुकानदार पर दुकान का लाईसेन्स निरस्त करने या अन्य कोई कार्यवाही की गई? अगर शत्-प्रतिशत सैम्पल जाँच की कार्यवाही न की गई हो तो दोषी कौन है तथा इस पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही होगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) भीकनगांव विकासखण्ड अन्तर्गत ठर्वरक की 40 एवं बीज की 81 कुल 121 दुकाने संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

# कपीलधारा योजनांतर्गत क्प निर्माण

96. (क्र. 1942) श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में किपल धारा योजनान्तर्गत कितने कूप स्वीकृत किए गए? इनमें से कितने पूर्ण हो चुके कितने अपूर्ण है? (ख) अपूर्ण कूप कब तक पूर्ण किए जायेंगे? (ग) क्या पूर्ण एवं अपूर्ण

कूपों का भुगतान शेष हैं? यदि हाँ, तो शेष रहने का कारण बतावें? (घ) शेष भुगतान कब तक पूर्ण किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) बैत्ल जिले में मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना अंतर्गत 25594 कूप स्वीकृत किये गये हैं, इनमें से 21239 कूप पूर्ण तथा 3779 कूप अपूर्ण हैं। (ख) योजनांतर्गत कार्यों की पूर्णता जॉबकाईधारी परिवारों द्वारा की गई रोजगार की मांग पर निर्भर होने से पूर्णता की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (ग) पूर्ण कूपों का भुगतान शेष नहीं है एवं अपूर्ण कार्यों पर कार्य की प्रगति अनुसार सतत भुगतान किया जा रहा है। (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# मुख्यमंत्री मजद्र सुरक्षा योजना में पंजीकृत मजद्र

97. (क्र. 1948) श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग के पत्र क्र. एफ-02-75/2010/26-2/2013 भोपाल दिनाँक 27 अगस्त 2013 के माध्यम से मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का संशोधित आदेश जारी किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो मुख्यमंत्री मजदूर योजना के तहत जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान एवं जनपद पंचायत रीवा, जिला रीवा (म.प्र.) में कितने मजदूरों का पंजीयन वर्ष 2013 से आज दिनाँक तक उपरोक्त जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा किया गया? साथ ही निर्धारित शुल्क का विवरण व कुल प्राप्त शुल्क का भी उल्लेख करें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में अगर मुख्य कार्यपालन अधिकारिगणों द्वारा मुख्यमंत्री मजदूर योजना के पात्र मजदूरों का पंजीकरण न कर कार्ड जारी नहीं किया गया एवं पात्र मजदूर शासन की योजना के लाभ से वंचित रह गये हैं तो इसके लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? अगर करेंगे तो किस स्वरूप की एवं कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी हाँ। (ख) जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान में 12 एवं जनपद पंचायत रीवा में 46 इस प्रकार कुल 58 हितग्राहियों का पंजीयन वर्ष 2013 से अब तक किया गया। पंजीयन शुल्क राशि रु.580/- जनपद पंचायतों द्वारा जमा कराई गई। (ग) उत्तरांश-"ख" के परिप्रेक्ष्य में सभी पात्र हितग्राहियों का पंजीयन कर लिया गया। अतःदोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

### तिलह्न संघ के कर्मचारियों का संविलयन

98. (क्र. 1952) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन संघ के कर्मचारियों का शासकीय विभागों में ही संविलियन के लिये केबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया था और उक्त निर्णय सहकारी संस्थाओं तथा निगम मंडलों के लिये नहीं था? (ख) क्या उक्त कर्मचारियों के संविलियन के संबंध में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट दिये जाने का कोई प्रावधान था और निर्णय के आधार पर शासन के अतिरिक्त अन्य निगमों, मंडलों, सहकारी संस्थाओं में तिलहन संघ के कर्मचारियों की सेवायें संविलियन की गई हैं? यदि हाँ, तो कर्मचारी का नाम तिलहन संघ से जहां मर्ज हुए उस संस्था में पद बतायें। (ग) क्या अपेक्स बैंक के सेवानियमों में किसी सहकारी संस्था निगम मंडल या शासकीय कर्मचारी को बैंक में प्रतिनियुक्ति पर लेने का कोई प्रावधान है? यदि नहीं, तो बैंक में

01.01.2005 से 31.05.2015 तक की अविध में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों के नाम, मूल विभाग में पद और अपेक्स बैंक द्वारा उनके वेतन भत्ते वाहन सुविधा भृत्य दूरभाष आदि पर किये गये व्यय की कर्मचारीवार जानकारी दी जावे और इस अपव्यय के लिये कौन दोषी है? (घ) क्या अपेक्स बैंक के सेवा नियमों में किसी बाहरी कर्मचारी को बैंक की सेवा में मर्ज करने का कोई प्रावधान है और क्या सेवा नियम के विपरीत जाकर मर्ज करने की अनुमित और शैक्षणिक योग्यता में छूट की अनुमित मांगने तथा पंजीयक को शैक्षणिक योग्यता में छूट देकर किसी बाहरी कर्मचारी को अपेक्स बैंक में मर्ज करने की अनुमित देने का कोई अधिकार है? इस संबंध में वैधानिक प्रावधान का स्पष्ट विवरण देते हुए जानकारी दी जावें।

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनाँक 11.11.2014 को इस योजना में संशोधन कर इसे सहकारी संस्थाओं के लिये भी लागू किया गया. (ख) जी नहीं, सहकारी संस्थाओं के मामलों में छूट दिये जाने का प्रावधान है जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है. (ग) म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार बैंक सेवा नियमों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंध संचालक की सेवाएं म.प्र. शासन या अन्य संस्थाओं से प्रतिनिय्क्ति पर लिये जाने का प्रावधान है. म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 55 में पंजीयक सहकारी संस्थाएं को किसी भी सहकारी संस्था में कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने अथवा प्रेषित करने के संबंध में निर्देशित करने और नियमों में प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है. दिनाँक 01.01.2005 से 31.05.2015 तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/ कर्मचारी का विवरण एवं उन पर किये गये व्ययों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है. अधिकारियों को आंवटित वाहन कई बार अन्य अनुषांगिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आते हैं जिनमें पृथक से व्ययों का रिकार्ड नहीं है. अधिकारियों को बैंकिंग कार्य हेत् भृत्य उपलब्ध कराये गये हैं, जिन पर पृथक से व्ययों का रिकार्ड नहीं रखा गया है. अपेक्स बैंक द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं यथा कृषि आदान, कृषकों को अल्पावधि ऋण वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं समर्थन मूल्य पर खाद्यान उपार्जन आदि का क्रियान्वयन कराया जाता है जिनके पर्यवेक्षण के लिये प्रतिनिय्क्ति पर शासकीय कर्मचारियों को पदस्थ किया जाता है. अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्य सम्पादन किये जाने के कारण इन अधिकारियों/कर्मचारियों पर ह्ये व्ययों के लिये कोई दोषी नहीं. (घ) जी नहीं. बैंक सेवा नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत श्री जी.के. अग्रवाल की शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करने एवं संविलियन करने की अनुमति आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं से प्राप्त की गई. म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 55 में सोसायटियों के नियोजन की शर्तें अवधारित करने का अधिकार पंजीयक सहकारी संस्थाएं को है. इस अधिकार के अन्तर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं नियोजन के अनुबन्धों की शर्तें बना सकता है और उनमें छूट भी प्रदान कर सकता है.

#### परिशिष्ट - "अस्सी"

# कपिल धारा योजना के तहत कूप निर्माण

99. (क. 1964) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले के विकास खण्ड कराहल में वित्तीय वर्ष 2012-13,2013-14,2015 में कपिलधारा

उपयोजनान्तर्गत कुल कितने कार्यों में तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है? वर्षवार विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण है तथा कितने अपूर्ण है? इन कार्यों में से कितने कार्यों के भुगतान किया जाना शेष हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कुंओं में हितग्राही की बिना सहमति के प्रशासकीय स्वीकृति से कम राशि पर ही पूर्ण बताकर सी.सी.जारी कर दी हैं? यदि हाँ,तो ग्राम पंचायतवार संख्या बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) श्योपुर जिले के विकासखण्ड कराहल में वितीय वर्ष 2012-13 में मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना अंतर्गत कुल 26 कूपों के कार्यों की तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। वितीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कोई भी स्वीकृति जारी नहीं की गई है। (ख) उत्तरांश "क" अनुसार स्वीकृत 26 कार्यों में से 09 कार्य पूर्ण तथा 17 कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत हैं। जनपद स्तर पर मूल्यांकन/सत्यापन उपरांत किसी भी कार्य का भुगतान लंबित नहीं है। (ग) जी नहीं। कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के पहले उपयंत्री द्वारा किये गये मूल्यांकन का सत्यापन सहायक यंत्री, नरेगा/अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किये जाने के उपरांत ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सी.सी. जारी की जाती है, मनरेगा में हितग्राही मूलक कार्यों में सी.सी. जारी करने के पूर्व हितग्राही की सहमित लेने का कोई प्रावधान नहीं है। कार्यवार सूची संलग्न परिशिष्ट पर है।

#### परिशिष्ट - "इक्यासी"

# जिला श्योपुर में स्वीकृत सड़क निर्माण

100. (क्र. 1965) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) योजना प्रांरभ होने के दिनाँक में श्योपुर जिले में विधानसभा क्षेत्र विजयपुर में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क योजना तहत कितने सड़क मार्ग कितनी-कितनी राशि के कब-कब स्वीकृत किए जाकर किसे निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया? इनमें से कितने पूर्ण कितने अपूर्ण हैं एवं कितने प्रारंभ हैं? अभी तक कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका हैं? कृपया कार्यवार विकासखण्डवार निर्माण कार्यों की जानकारी वर्तमान भौतिक स्थिति सहित दें। (ख) प्रश्नांश (क) की योजनाओं के तहत मार्ग निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु किस-किस जन प्रतिनिधि के माध्यम से कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए? इनमें से कौन-कौन से स्वीकृत किए गए? कौन-कौन से नहीं एवं क्यों? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा विभिन्न ग्राम सम्पर्क मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण हेतु भेजे गए प्रस्तावों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है।

### ग्वालियर में सार्वजनिक पार्क से अतिक्रमण हटाया जाना

101. (क्र. 1971) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के अता. प्रश्न क्रमांक 734 दिनाँक 19 फरवरी 2015 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में जवाब दिया गया है कि कालोनी के ले-लाउट में दर्शाए गए सार्वजनिक पार्क की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार सार्वजनिक पार्क की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के नाम बतावें? तथा किस-किस व्यक्ति का कितनी भूमि पर

कब्जा है? उक्तानुसार कब्ज हटाने के लिए प्रशासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो कब तक सार्वजनिक पार्क की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी हाँ. (ख) कालोनी के 'ए' ब्लॉक के सामने सार्वजनिक पार्क की भूमि पर श्रीमती ज्योति गुर्जर व अन्य के द्वारा 803.44 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है. कब्जा हटाने के लिये संस्था एवं उप आयुक्त, सहकारिता, जिला ग्वालियर द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर को अनुरोध किया गया है, साथ ही संस्था को अन्य वैकल्पिक वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है. अतिक्रमण से मुक्त करा लिये जाने के लिये समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

# कृषि बीज उत्पादन, गुणवत्ता एवं निरीक्षण

102. (क्र. 2001) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिला अंतर्गत शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में शासन/विभाग द्वारा तथा निजी फर्मों, संस्थाओं एवं सहकारी समितियों के साथ ही व्यक्तियों इत्यादि द्वारा बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार का कितना-कितना बीज का उत्पादन किया जाता है? (ग) क्या उपरोक्त समस्त माध्यमों से उन्नत किये गये उत्पादित बीज की मानक स्थिति के बारे में एवं बीज की गुणवत्ता के संबंध में योग्य जाँच की जाती है? (घ) यदि हाँ, तो रतलाम जिले में वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के प्रश्न दिनाँक तक उपरोक्तानुसार किन-किन स्थानों पर कब-कब, किस-किस प्रकार की कार्यवाहियां की जाकर सुधार, हेतु क्या कदम उठाये गये? भौतिक सत्यापन सहित तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराएं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) जी हां। (ख) जिले में विभिन्न स्थानों पर आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है।वर्ष 2013-14 में 187493.24 क्विंटल तथा 2014-15 में 143383.50 क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जी हां। (घ) विभाग द्वारा समय-समय पर बीज के नमूने लेकर परीक्षण हेतु बीज परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जाते हैं।अमानक नमूनों पर कार्यवाही की जाती है, की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

# रतलाम जिला अंतर्गत विभिन्न योजनाओं अंतर्गत स्वीकृत कार्य

103. (क्र. 2002) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिला अन्तर्गत मनरेगा में जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से शासन द्वारा प्रदत्त केन्द्र/राज्य बजट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न कार्य किये जाते हैं? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2013-14, 2014-15 के प्रश्न दिनाँक तक केन्द्र/राज्य प्रवर्तित मनरेगा योजना कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कितनी-कितनी बजट राशि प्राप्त होकर कितने कार्य स्वीकृत किये गये? (ग) साथ ही उपरोक्त वर्षों में मनरेगा के माध्यमों से स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए? कितने अपूर्ण रहे? कितने अप्रारंभ होकर लंबित हैं? (घ) उपरोक्त वर्षों में समयाविध के कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की दशा में शासन/विभाग तथा विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं द्वारा संबंधितों के विरूद्ध उपरोक्त स्थितियों में क्या-क्या कार्यवाहियाँ की गई एवं लंबित अपूर्ण कार्य कब किये जाएगे?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 प्राप्त बजट व स्वीकृत कार्य विवरण - वर्ष 2013-14 जिले को प्राप्त बजट राशि 4727.65 लाख, स्वीकृत कार्य 4354 एवं 2014-15 जिले को प्राप्त बजट राशि 4968.43 लाख स्वीकृत कार्य 1117 (ग) उपरोक्त वर्षों में मनरेगा के माध्यमों से रतलाम जिले में स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य, अपूर्ण कार्य एवं अप्रारंभ होकर लंबित कार्यों की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है - वर्ष 2013-14 स्वीकृत कार्य 4354 पूर्ण कार्य 2668 अपूर्ण कार्य 1686 अप्रारंभ कार्य 0 एवं 2014-15 स्वीकृत कार्य 1117 पूर्ण कार्य 576 अपूर्ण कार्य 541 अप्रारंभ कार्य 0 (घ) मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यों को पूर्ण रुपेण जाबकाईधारियों द्वारा कार्य की मांग पर निर्भर होने से लंबित अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने की निश्वित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।

# राशन दुकानों से लाभांवित हितग्रहियों की जानकारी

104. (क. 2021) श्री विजय सिंह सोलंकी: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में पिछले 3 वर्षों में राशन दुकानों की कितनी मांग एवं शासन द्वारा सामग्री की पूर्ति की गई वर्षवार, सामग्रीवार, ब्लॉकवार मात्रा बतायें? इन ब्लॉक स्तर पर कितने हितग्राही लाभांवित हो रहे है तथा कितने हितग्राही लाभ से वंचित हैं? (ख) वर्ष 2014-15 में भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित समस्त राशन दुकानों में दर्ज हितग्राहियों की संख्या श्रेणीवार तथा सामग्री की मात्रा देवें? (ग) वर्ष 2014-15 में भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित समस्त राशन दुकानों में हितग्राहियों को वितरित सामग्री की मात्रा देवें? (घ) राशन दुकान संचालन, सामग्री वितरण संबंधी नियमावली देवें?

खाय मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) खरगौन जिले में विगत 3 वर्षों में पात्रता अनुसार शासन द्वारा राशन सामग्री का आवंटन जारी किया गया। जिले को जारी आवंटन का वर्षवार, सामग्रीवार एवं ब्लॉकवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। वर्तमान में ब्लॉक स्तर पर लाभान्वित पात्र परिवारों की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। जिले में कोई पात्र परिवार लाभ से वंचित नहीं है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित समस्त उचित मूल्य दुकानों में दर्ज अन्त्योदय परिवारों की संख्या 43,993 एवं प्राथमिकता परिवारों की संख्या 2,79,717 है। इन परिवारों को प्रदायित सामग्री की मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। (ग) प्रश्नांकित अवधि में भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित समस्त उचित मूल्य दुकानों में पात्र परिवारों को वितरित सामग्री की मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। (घ) म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की अधिसूचना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ई' अनुसार है।

### एन.आर.एल.एम. योजना की जानकारी

105. (क्र. 2025) श्री विजय सिंह सोलंकी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में एन.आर.एल.एम. योजना कब प्रारंभ हुई? प्रारंभ के 2 वर्षों में इस योजना अंतर्गत कितनी राशि जिले को प्रदान की गई मदवार विवरण देवें? योजना में खर्च की राशि का मदवार विवरण देवें? (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण आजिवीका मिशन योजना में बेरोज़गारों को दिये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी देवें? इस प्रशिक्षण का स्थान, दिनाँक, समयाविध, प्रशिक्षण देने वालों के नाम, प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की सूची उनके बी.पी.एल. क्रमांक एवं पते सहित देवें? (ग) उक्त

योजना अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य के फोटों एवं वीडियोग्राफी करायी गयी है? खरगोन जिले में उक्त फोटो एवं वीडियो अवलोकन हेतु किन अधिकारी/कर्मचारी से संपर्क किया जावे उनका नाम एवं संपर्क नंबर देवें? (घ) कौशल उन्नयन एवं नियोजन-मार्गदर्शिका-3, संलग्नक-2, राज्य आजीविका फोरम, संस्था द्वारा चयनित अभ्यार्थियों की सूचीवाला पूर्ण भरा हुआ प्रारूप खरगोन जिले में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं द्वारा देय प्रपत्र की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें? (इ.) 13वां वित्त अंतर्गत 10-10 लाख के भवन जनपद पंचायत भगवानपुरा एवं सेगांव में कहाँ-कहाँ स्वीकृत होकर निर्माणाधीन/अप्रारंभ हैं? इनके स्थान चयन संबंधी प्रस्ताव ढहराव बैठक की एक प्रति देवें? क्या इन भवनों के स्थान चयन हेतु स्थानीय विधायक की सहमति आवश्यक थी? क्या उक्त सभी स्थानों के लिये विधायक की सहमति प्राप्त हैं? क्या इस संबंध में जिला पंचायत कार्यालय में विधायक द्वारा शिकायत की गई थी। उस शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) वर्ष 2012-13 से। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रभारी अधिकारी एनआरएलएम, जिला पंचायत खरगौन से दूरभाष क्र.07282-232880 पर संपर्क किया जा सकता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (इ.) जनपद पंचायत भगवानपुरा के ग्राम पंचायत सरवरदेवला, पिपलझोपा तथा जनपद पंचायत सेगांव के ग्राम पंचायत केली एवं पनाली में भवन स्वीकृत होकर प्रगतिरत है। जनपद पंचायत भगवानपुरा के ग्राम लाहोरपानी में अप्रारंभ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। जी हाँ। ग्राम पंचायत केली को छोडकर शेष भवनो के स्थान चयन हेतु विधायक की सहमति नहीं है। जी हाँ। मुख्य कार्यलपालन अधिकारी, जिला पंचायत खरगौन द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।

# उज्जैन जिले की कृषि उपज मंडी/उपमंडी प्रांगण स्थित भुखण्ड/दुकान/गोदाम का आवंटन

106. (क्र. 2038) श्री सतीश मालवीय: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क्र) उज्जैन जिले की कृषि उपज मंडी/उपमंडी में कार्यरत व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता की संख्या कितनी है? वर्तमान में मंडी/उपमंडी में कितने भूखण्ड/दुकान/गोदाम की क्षमता एवं किस फर्म को कब आवंटन किया गया है? संबंधित फर्म की सूची उपलब्ध करावें? संबंधित फर्मों ने जिनके नाम से भूखण्ड/दुकान/गोदाम का आवंटन है, उन्होंने आवंटित अवधि में वर्षवार कितना-किना मण्डी शुल्क अदा किया है? (ख) वर्तमान में मंडी/उपमंडी प्रांगण में ऐसे कितने व्यापारी हैं जिन्हें भूखण्ड/दुकान/गोदान आवंटित किये गये हैं किन्तु उनके द्वारा व्यापार/व्यवसाय नहीं किया जा रहा है और आवंटित भूखण्ड/दुकान/गोदाम किसी अन्य को किराये पर दिये गये हैं तथा व्यापारी द्वारा उसे आय का स्रोत बनाया जा रहा है? (ग) यदि संबंधित द्वारा व्यवसाय नहीं किया गया और न ही मंडी शुल्क दिया गया तो ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध भूखण्ड/दुकान/गोदाम का आवंटन रह करने की कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध करावें यदि नहीं, तो क्यों? एवं संबंधित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व पद की सूची उपलब्ध करावें व जाँच कर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, ब अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

(ग) उज्जैन जिला अंतर्गत मंडी नागदा के 04 व्यापारियों को कारणदर्शी सूचना पत्र जारी किया गया है एवं मंडी उज्जैन में 82 भूखण्डधारियों पर आवंटन निरस्त कर तालाबंदी करने की कार्यवाही मंडी स्तर पर प्रचलित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

# निर्मल भारत अभियान के आई.ई.सी. मद एवं अन्य मद से किए गये भुगतान

107. (क. 2039) श्री सतीश मालवीय: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत उज्जैन में निर्मल भारत अभियान, समग्र स्वच्छता अभियान एवं मर्यादा अभियान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक आई.ई.सी. मद एवं अन्य मद में कौन-कौन से कार्य, िकन-िकन एजेन्सियों के माध्यम से कराए गए? एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत देयक, उन्हें भुगतान की गई राशि का कार्यवार संपूर्ण विवरण उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में एजेंसियों के निर्धारण के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई? कार्यवाही विवरण दे? (ग) जिला पंचायत उज्जैन के द्वारा भण्डार क्रय नियमों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा एजेंसियों के चयन एवं भुगतान प्रक्रिया के संबंध में शासन द्वारा जारी नियम/निर्देश क्या है? जिला पंचायत उज्जैन में उक्त नियमों का पालन करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम संबंधी विवरण दें? (घ) क्या यह सही है कि प्रश्न (ग) के क्रम में जिला पंचायत उज्जैन द्वारा शासन नियमों के विरुद्ध मनचाही एजेन्सियों को कार्य देकर लाभ पहुंचाया गया है? इस प्रक्रिया में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी है, क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासन नियमानुसार एजेन्सियों का निर्धारण किया गया है। (ग) शासन के भण्डार तथा सेवा उपापन निर्देशिका का पालन किया जाता है। जिला पंचायत में उक्त नियमों का पालन कराने हेतु उत्तरदायी अधिकारी, लेखाधिकारी एवं कार्यालय प्रमुख हैं। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# खाद्यान्न एवं खाद्य वितरण में कालाबाजारी की रोकथाम

108. (क्र. 2042) श्री कल सिंह भाबर : क्या खाय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत झाबुआ जिले की सभी सहकारी संस्थाओं को खायान्न हितग्राहियों को वितरण करने हेतु उपलब्ध कराया जाता है किन्तु हितग्राहियों को समय पर पूर्ण खायान्न वितरित नहीं किया जाता है एवं उनके हिस्से का खायान्न खुलेआम मार्केट में बेचा जाता है? खायान्न की कालाबाजारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) क्या प्रत्येक वर्ष शासन द्वारा किसानों हेतु खाद सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाया जाता है, उक्त खाद पात्र किसानों को समय पर नहीं मिल पाता है जिसके कारण किसानों को बाजार से ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ता है? किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाने एवं खाद की कालाबाजारी रोकने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रही है। अगर वितरण किया जाता है तो किसानों की सूची गांववार उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ): (क) झाबुआ जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाली सहकारी संस्थाओं को उनसे संलग्न पात्र परिवारों को वितरण के लिए खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। पात्र परिवारों को समय पर सामग्री वितरण हेतु उचित मूल्य दुकानों को अग्रिम रूप से सामग्री प्रदाय की व्यवस्था की गई है। पात्र

परिवारों को पूर्ण सामग्री प्राप्त सुनिश्चित करने हेतु जिले के राजस्व, खाय एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाता है। वितरण में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। जिले में विगत एक वर्ष में सामग्री वितरण न करने वाले उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रत्येक वर्ष शासन द्वारा किसानों को खाद प्रदाय हेतु सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाया जाता है। पात्र किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके इस हेतु सहकारी संस्थाओं में खाद का अग्रिम भंडारण किया जाता है। सहकारी संस्थाओं से खाद के वितरण पर जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय दल द्वारा निगरानी रखी जाती है तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। विपणन सहकारी संस्था, मेघनगर द्वारा खाद के वितरण में अनियमितता के कारण संबंधितों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रबी सीजन में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरण कराए गए खाद की किसानवार एवं ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार तथा खरीफ सीजन में किसानों को वितरित किए गए खाद की ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। विपणन सहकारी संस्था, मेघनगर द्वारा किसानों को वितरित खाद संबंधी रिकार्ड थाने में जप्त होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सका है।

# सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों को पेंशन भुगतान

109. (क्र. 2047) श्री तरूण भनोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आंचलिक कार्यालय म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड जबलपुर के अन्तर्गत विगत 02 वर्षों में कितने राज्य मण्डी बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये है? जानकारी उनके नाम, पद एवं कार्यस्थल सहित देवें? (ख) क्या प्रबंधक संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के आदेश क्र./बोर्ड/ लेखा/पे. 03/1094 भोपाल दिनाँक 17.10.2007 द्वारा प्रदेश के समस्त उप संचालक आंचलिक मंडी बोर्ड को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्त रोने वाले राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्त (क) की संस्था के अन्तर्गत विगत 02 वर्षों में भुगतान किया गया? जानकारी अधिकारी/कर्मचारियों के नामवार, पदवार एवं भुगतान की गई राशिवार बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में यदि सेवानिवृत्त/अधिकारी/कर्मचारियों को पेशन उपादान का भुगतान नहीं किया गया है तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? व शासन उन पर क्या दण्डात्मक कार्यवाही करेगा? (घ) अब कब तक वर्णित (क) के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को लंबित पेंशन/उपादान राशि का भुगतान कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। मंडी समिति पवई द्वारा दिनाँक 24.03.2015 एवं दिनाँक 06.05.2015 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान फर्म शारदा दाल मिल बंद पाई गई तथा कृषि उपज भण्डारित नहीं होना पाई गई, जिससे जब्ती की कार्यवाही नहीं की गई। विघुत कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही मंडी समिति पवई से संबंधित नहीं है। अतः शेष कार्यवाही का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ख) फर्म शारदा दाल मिल पुरैना द्वारा कृषि उपज मंडी समिति पवई से अनुज्ञित प्राप्त नहीं की गई है,और ना ही मंडी प्रागंण से कृषि उपज का क्रय-विक्रय किया गया। फर्म शारदा दाल मिल पुरैना मंडी समिति, कटनी की थोक व्यापारी अनुज्ञितिधारी फर्म

होने से फर्म द्वारा कृषि उपज बटरी 15153 क्विंटल एवं चना 7637 क्विंटल का किये गये प्रसंस्करण पर मंडी फीस रूपयें 63,44,570/- एवं निराश्रित शुल्क रूपयें 104636/- वसूली योग्य राशि जमा करने हेतु माननीय न्यायालय दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई में परिवाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त फर्म द्वारा कृषि उपज मंडी समिति पवई को प्रश्न दिनाँक तक कोई मंडी फीस का भ्गतान नहीं किया गया है। (ग) कृषि उपज मंडी समिति कटनी द्वारा आदेश दिनाँक 13.09.2014 से संबंधित फर्म का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया गया था,जिसके विरूद्ध फर्म द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलप्र में याचिका क्रमांक 18588/2014 दायर कर स्थगन प्राप्त किया गया है। उक्त फर्म का वर्ष 2015 से 2020 तक के लिये अनुज्ञिस नवीनीकरण हेत् आवेदन प्राप्त होने पर मंडी समिति कटनी द्वारा दिनाँक 25.03.2015 से फर्म पर बकाया राशि जमा कराने हेत् सूचना पत्र जारी किया गया,फर्म द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 04.12.2014 के उल्लंघन के संबंध में अवमानना प्रकरण क्रमांक 533/15 दायर किया गया है,जो वर्तमान में विचाराधीन है कृषि उपज मंडी पवई द्वारा संबंधित फर्म के विरूद्ध माननीय न्यायालय दण्डधिकारी प्रथम श्रेणी पवई में परिवाद प्रस्तुत किया गया है जो कि विचाराधीन है। इस संबंध में प्रारंभिक जाँच में प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये तत्कालीन सचिव पवई/कटनी को निलंबित किया जाकर शेष तत्कालीन 06 मंडी सचिव कटनी एवं 03 मंडी सचिव पवई की विभागीय जाँच अंतर्गत आरोप पत्रादि जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मंडी समिति कटनी सेवा के 02 सहायक ग्रेड-3 को निलंबित किया गया है तथा 01 दैनिक वेतन भोगी को सेवा से पृथक किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नागत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# परिशिष्ट - "बयासी"

# आंचलिक कार्यालय मण्डी बोर्ड में विभागीय संयुक्त संचालक की नियुक्ति

110. (क्र. 2048) श्री तरूण भनोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा म.प्र. के आंचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड में संयुक्त संचालक का पद स्वीकृत कर आंचलिक कार्यालय मण्डी बोर्ड को संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय मण्डी बोर्ड घोषित किया गया है? (ख) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत वर्तमान में क्या 12 विभागीय संयुक्त संचालक कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो उनमें से कितने संयुक्त संचालक प्रदेश के आंचलिक कार्यालय मण्डी बोर्ड में कार्यरत है और कितने आंचलिक मण्डी बोर्ड कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग के संयुक्त संचालक से निम्न पद के अधिकारी कार्यरत है? (ग) क्या आंचलिक कार्यालय मण्डी बोर्ड में विभागीय संयुक्त संचालक के कार्यरत न रहने पर अन्य विभाग के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहने से उनके अनुभव की कमी के कारण कार्यालय एवं मण्डियों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है? (घ) क्या शासन मण्डियों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों को पृथक कर विभागीय अधिकारियों को पदस्थ करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालयों में बोर्ड सेवा के 04 संयुक्त संचालक पदस्थ है और संयुक्त संचालक स्तर से निम्न पद के एक डिप्टी कलेक्टर आंचलिक कार्यालय में कार्यरत है। (ग) जी नहीं, आंचलिक कार्यालय में कार्य सुविधा की दृष्टि से संयुक्त संचालक से निम्न श्रेणी के अधिकारियों की प्रशासकीय क्षमता एवं अनुभव के आधार पर पदस्थापना की जाती है, जिससे मंडी समितियों के कार्यों पर

प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। (घ) मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालय में कार्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिकारी की पदस्थापना संबंधी निर्णय लिया जावेगा। अतः शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है।

#### ग्रामीण परिवहन नीति

111. (क. 2060) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिवहन हेतु कोई नीति निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो क्या तथा उसका लाभ ग्रामीणजनों को प्राप्त हो रहा है? क्या जिलों में परिवहन कार्यालय ग्रामीण मार्गों पर परिवहन हेतु वांछित एवं आवश्यकतानुसार अनुमित पत्र जारी कर रहे है? (ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रश्न दिनाँक तक मिनी वाहन जैसे जीप, पिकअप वाहन एवं ऐसे ही अन्य छोटे-छोटे वाहनों द्वारा अवैध तरीके से ओव्हर लोडिंग कर सवारियों को ढोया जा रहा है तथा आए दिन भीषण दुर्घटनाएं होती हैं? (ग) राजगढ़ जिले में उपरोक्तानुसार ग्रामीण मार्गों पर (बड़े वाहन छोड़कर) वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक ऐसे कितने अनुमित पत्र (परिमट) कितनी-कितनी दूरी के किस-किस वाहन को जिला परिवहन कार्यालय राजगढ़ से जारी किये गये हैं? वाहन मालिक सिहत मार्गों के नाम समयाविध व संचालन संबंधी नीति स्पष्ट करें?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिवहन की सुरक्षित एवं सुविधाजनक सेवाप्रदाय करने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना लागू की गई है जिसकी प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जिसका लाभ ग्रामीणजनों को मिल रहा है। ग्रामीण परिमट सेवा के अंतर्गत परिवहन कार्यालयों द्वारा 473 अनुज्ञाएं जारी की गई हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होनें पर परीक्षण उपरांत अनुज्ञाएं जारी की जाती हैं। (ख) जी नहीं। विभाग द्वारा समय-समय पर आकिस्मिक जाँच कर अवैध संचालन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में ओवरलोडिंग वाहनों की जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शमन शुल्क वसूल किया जाता है। (ग) राजगढ़ जिले में ग्रामीण मार्गों पर वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक किसी भी वाहन स्वामी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत न करने से ग्रामीण मार्गों पर परिमट जारी नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थिता नहीं होता है।

#### परिशिष्ट - "तेरासी"

### <u>आश्रय भवन निर्माण</u>

112. (क्र. 2061) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा निराश्रित निःशक्तजनों के आश्रय हेतु आश्रय गृह/भवन बनाये जाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो बतावें? (ख) क्या ब्यावरा नगर राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा नगर है जिसकी आबादी 50 हजार से अधिक है, लेकिन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा उपरोक्त निराश्रित निःशक्तजनों हेतु कोई आश्रय भवन बनाने की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक आश्रय भवन का निर्माण करा दिया जावेगा? (ग) क्या ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे निःशक्तजनों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु व्यापक सर्वे कराया गया है एवं क्या पात्र हितग्राहियों को कृत्रिम अंग एवं जीवन यापन हेतु पेंशन इत्यादि दी गई है? यदि हाँ, तो वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक कितने हितग्राहियों का शारीरिक विकलांगता परीक्षण कराया गया तथा कितने हितग्राहियों को कब-कब, कौन-कौन से उपकरण प्रदान किये गये? वंचित हितग्राहियों को कब तक आवश्यक उपकरण प्रदान कर दिये जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) निराश्रित तथा निःशक्त व्यक्तियों के लिए आश्रम, रैन बसेरा, डे केयर सेन्टर, विशेष स्कूल आदि संचालन का प्रावधान है। (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।

परिशिष्ट - "चौरासी"

# तेल दूत योजना

113. (क. 2080) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग एवं जबलपुर संभाग के नगरीय निकायों (नगरों) की वर्ष 1991 में कितनी-कितनी जनसंख्या थी एवं किन वर्षों में इन नगरों की जनसंख्या, एक लाख या अधिक हुई बताये? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित कौन-कौन नगरों में तेलदूत योजना कब-कब चालू की गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य के नगरों में फुटकर कैरोसिन दर का निर्धारण एवं राशन दुकान तक, सेमी होल-सेल डीलर या फुटकर विक्रेता के लिये कब-कब, कितना-कितना परिवहन व्यय निर्धारित किया गया? (घ) संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 13595 दिनाँक 26.12.1998 में क्या-क्या प्रावधान है, जबलपुर एवं सागर संभागों के कौन-कौन जिलों में इनमें से कौन-कौन प्रावधान लागू नहीं किये गये है? (इ.) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) के संदर्भ में संभागद्वय के नगरों में कैरोसिन दर निर्धारण में क्या संचालनालय खाद्य के निर्देश दिनाँक 26.12.1998 का, एवं तेल दूत योजना के नियमों, निर्देशों का पालन किया गया था, यदि हाँ, तो कैसे, यदि नहीं, तो नियमों के उल्लंघन एवं अनियमितता पर विभाग/संचालनालय द्वारा प्रश्न दिनाँक तक की गई समस्त कार्यवाहियों का विवरण देवें?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

# बीज उत्पादन समितियों से बीजों का क्रय

114. (क. 2081) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी द्वारा वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक किन-किन बीज उत्पादन समितियों से कितना-कितना बीज कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस योजना के अंतर्गत कृषकों को वितरण हेतु मंगाया गया, समितिवार, वर्षवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मंगाये गये बीज किन-किन कृषकों को कब-कब वितरित किये गये? इन बीजों के लिये गये नमूने वितरण के पूर्व परीक्षण रिपोर्ट में कितने नमूने अमानक पाये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में बताये कि बिना परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुये, कृषकों को बीजों का वितरण कैसे किया गया एवं बीज उत्पादन समितियों को कितनी-कितनी राशि के चैक/ड्राफ्ट/नगद भुगतान किया गया? एवं कृषक अनुदान की राशि कब-कब, किन-किन को भुगतान की गई, भुगतान संबंधी शासन के निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराये? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में की गई अनियमितताओं की क्या शासन जाँच करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में मंगाये गये बीज संचालित विभागीय योजनाओं में पात्रतानुसार अ.ज.जा., अ.जा., तथा सामान्य श्रेणी के लघु सीमान्त एवं अन्य कृषकों को खरीफ एवं

रबी सीजन में वितरित किये गये है।विभाग द्वारा लिये गये बीज नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

#### ग्रामीण क्षेत्र में संचालित आवासीय योजनाएं

115. (क्र. 2094) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकार द्वारा गरीबों हेत् ग्रामीण क्षेत्र में आवास हेत् कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? (ख) निर्माण हेत् वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की राशि की दूसरी किश्त हितग्राहियों को जारी की गई है या नहीं? (ग) यदि कर दी गई है तो क्या वह राशि निर्माण हेत् संबंधित व्यक्तियों को पहुँची है या नहीं? यदि नहीं, पहुँची है तो कब तक पहुँच जाएगी? मंदसौर जिले में जिन व्यक्तियों को द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं हुई है उनकी सूची उपलब्ध करावें? (घ) विगत 2-3 वर्षों से जिन व्यक्तियों ने प्रथम किश्त से काम करवाया या वह भी निर्माण अधूरा होने से नुकसान हो चुका है, उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी? पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा में रह रहे आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेत् इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना संचालित है। (ख) निर्माण हेत् वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त की राशि जारी की गई है। जानकारी प्रस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) इंदिरा आवास योजना वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमश: 620 एवं 816 हितग्राहियों को छोड़कर सभी को द्वितीय किश्त की राशि जारी की गई है। जारी सभी राशियाँ हितग्राहियों के बैंक खातें में भेजी जा चुकी हैं। भारत सरकार से इंदिरा आवास (होमस्टेड 2012-13) एवं इंदिरा आवास 2013-14 द्वितीय किश्त की कुछ राशि प्राप्त होना शेष है। द्वितीय किश्त प्राप्त होते ही हितग्राहियों के खाते में राशि भेजी जावेगी। जिन हितग्राहियों को द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं है उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र O2 अनुसार है। (घ) इंदिरा आवास योजना वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमश: 620 एवं 816 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त जारी होना है। जिन हितग्राहियों का निर्माण कार्य अधूरा है, उन्हें इंदिरा आवास योजना की द्वितीय किश्त जारी करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

# सरपंचों के अधिकारों में परिवर्तन

116. (क्र. 2095) श्री हरदीप सिंह डंग: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) त्रिस्तरीय पंचायती राज में सरपंचों को जो अधिकार दिये गये हैं, उस में क्या-क्या परिवर्तन किया गया है? (ख) पंचायतों में एक वर्ष में केन्द्र एवं राज्य की किन-किन योजनाओं का कितना-कितना धन विकास हेतु प्राप्त होता है? (ग) प्राप्त राशि में से कितना प्रतिशत पंचायत मेंटेनेन्स हेतु सरपंच एवं सचिव खर्च कर सकते हैं? (घ) सरपंचों से कूपन बनाने का अधिकार क्यों छीना गया है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उपसरपंच जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कृत्य) नियम 1994 में प्रावधानित ग्राम पंचायत निधि से चैक जारी करने के अधिकार को आर.टी.जी.एस. (खाते से खाते में ट्रांसफर) के माध्यम से किया गया है। शेष अधिकार यथावत्। (ख) जानकारी

परिशिष्ट - "पिच्चासी"

संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) संबंधित योजना में प्रावधान अनुसार। (घ) पंचायत राज व्यवस्था में सरपंचों को कूपन बनाने का अधिकार नहीं है। जिससे छीनने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना की गाइड लाईन

117. (क्र. 2113) श्री प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना की गाइड लाइन में यह प्रावधान है कि डब्ल्यू.डी.टी. टीम में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है? फिर क्या कारण है कि अधिकांश टीमों में ज्यादातर पुरूष वर्ग कार्यरत है? टीम सदस्यों का चयन करते समय महिला सदस्य की नियुक्ति को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? (ख) क्या आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना में वर्ष 2012 में टीम लीडर/टीम सदस्यों की नियुक्तियां बिना चयन प्रक्रिया अपनाये कैम्पस सिलेक्शन के माध्यम से हुई हैं? (ग) यदि हाँ, तो चयन प्रक्रिया न अपनाकर व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की प्रक्रिया में संलग्न तत्कालीन सभी मंत्री/अधिकारियों के नाम बतलायें जायें तथा संविधान के प्रावधान के विरूद्ध की गई नियुक्तियों को कब तक निरस्त किया जावेगा? क्या सरकार उल्लेखित प्रकरण को संज्ञान में लेकर संबंधित दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगी, यदि हाँ, तो समय-सीमा बतलावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) प्रश्नाधीन गाइड लाईन में यह प्रावधान है कि प्रत्येक डब्ल्यू.डी.टी. दल में मुख्यतः कृषि, मृदा विज्ञान, जल प्रबंधन, सामाजिक संगठन तथा संस्थागत निर्माण के कम से कम चार सदस्य शामिल होना चाहिये। डब्ल्यू.डी.टी. में कम से कम 1 सदस्य महिला होनी चाहिये। तदनुसार टीम लीडर/टीम सदस्य का चयन कर वाटरशेड डेव्हलपमेंट टीमों का गठन किया गया है। चयन प्रक्रिया में पात्र पायी गई सभी महिलाओं को मेरिट अनुसार टीम लीडर/सदस्य का दायित्व सौपा गया है। (ख) जी नहीं। विधिवत साक्षात्कार आधारित चयन प्रक्रिया अपनाकर कैम्पस सिलेक्शन से टीम सदस्य का चयन किया गया था। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# जनसमस्या निवारण शिविर

118. (क. 2114) श्री प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में दमोह जिले के सातों विकासखंडो में किस-किस दिनाँक को जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किये गये, शिविर में कितने आवेदन समस्या निवारण हेतु प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने आवेदन पूर्णरूपेण निराकृत किये गये, कितने आवेदन निराकरण हेतु शेष हैं, उनका निराकरण न होने का क्या कारण रहा है? (ख) क्या दमोह जिले के तहसील/विकासखंड स्तर पर बीपीएल सूची में नाम जोड़े जाने, निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि के कितने आवेदन निराकरण हेतु काफी समय से लंबित पड़े हुए हैं, उनका निराकरण कब तक किया जावेगा, विलंब के लिए कौन उत्तरदायी है? (ग) दमोह जिले के सातों विकासखंड से कितने विकलांगों के कुटीर प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रश्न दिनाँक तक प्राप्त हुए, उनमें से कितने निराकृत हो चुके हैं, कितने निराकरण हेतु शेष हैं, तथा उनके लंबित रहने का क्या कारण रहा है, हितग्राहीवार बतलावें? तेंदूखेड़ा विकासखंड के ग्राम पौड़ी जैतगढ़ निवासी प्यारेलाल उपाध्याय विकलांग को कुटीर अथवा कुटीर उन्नयन हेतु प्रकरण विगत 5 वर्षों से जिला पंचायत में लंबित रहने का क्या कारण हैं? कुटीर संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा कोई समय-सीमा नियत की गई है, यदि हाँ, तो बतलावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) वर्ष 14-15 में दमोह जिले के 07 विकासखण्डों में से हटा, पटेरा, दमोह, तेन्दुखेड़ा विकास खण्ड में ही जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) दमोह जिले के तहसील/विकासखंड स्तर पर बीपीएल सूची में नाम जोड़े जाने, निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) दमोह जिले के सातों विकास खण्डों से 846 विकलांगों के कुटीर प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रश्न दिनाँक तक प्राप्त हुये हैं, जिनमें से वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक 310 आवेदन निराकृत हो चुके हैं, 352 हितग्राहियों के अपात्र होने के कारण उनके आवेदन निरस्त किये गये हैं। 184 आवेदन पत्रों का निराकरण शेष है, हितग्राहीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। विकासखण्ड तेंदुखेड़ा के ग्राम पंचायत पाँड़ी ग्राम जैतगढ़ के श्री प्यारेलाल/परम उपाध्याय का विकलांग मद हेतु आवेदन 2010-11 में प्राप्त हुआ था। हितग्राही का नाम वर्ष 2002-03 के बीपीएल सूची में नहीं होने से उन्हें कुटीर स्वीकृत नहीं किया जा सका। कुटीर संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा समय-सीमा नियत नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

#### सडक का निर्माण

119. (क्र. 2118) श्री प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दमोह जिले की जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी बाह्ल्य ग्रामों की बह्प्रतीक्षित सड़क ग्राम इमितया से रमप्रा तक 3.10 किमी. ग्रामीण सड़क विकास निगम के माध्यम से निर्मित की गई थी, ठेकेदार की मनमानी के चलते नहर पर पुलिया डाले बिना मिट्टी, मुरम भरने के कारण 26 जुलाई 2014 की हल्की बारिश में सड़क का आधे से अधिक हिस्सा पानी के प्रेशर में बह जाने से एक बड़े गढ़ढे के रूप में तब्दील हो गयी है, फलस्वरूप वाहनों का आवागमन बंद हो गया था? (ख) क्या निर्मित की गई सड़क का निर्माण नहरों की मेढ़ पर से किया गया है तथा सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित पुलियों के ऊपर से मिट्टी, मुरम डालकर सड़का का सम लेबिल कर दिये जाने से पानी निकासी अवरूद्ध होने के फलस्वरूप पूर्व निर्मित नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (ग) क्या ग्राम रमप्रा से इमलिया तक बन रही सड़क का निरीक्षण संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा न किये जाने के फलस्वरूप ही ठेकेदार से मिलीभगत का घटिया निर्माण कार्य किया गया है? क्या घटिया निर्माण संबंधी खबर अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी तथा स्थानीय ग्रामीणजनों द्वारा शिकायतें की गई थी? यदि हाँ, तो क्या स्थल की जाँच की गई है तो मौके पर क्या स्थिति पायी तथा अनियमितता के फलस्वरूप ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं, दमोह जिले की जबेरा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा इमलिया से रमपुरा तक लंबाई 3.10 किमी सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से ना कराया जाकर जल संसाधन विभाग से प्राप्त अनुमति के अनुसार कराया जा रहा है। आरडी 900 मीटर पर निर्मित ड्रेनेज सायफन प्रतिवर्ष नहर के चलने के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाता था। उक्त स्थान पर जल संसाधन विभाग द्वारा दिनाँक 27.02.2015 को प्रदत्त अनुमति के अनुसार नवीन स्ट्रक्चर का निर्माण करा दिया गया है। वर्तमान में मार्ग में कोई अवरोध न होकर आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है। (ख) जी हाँ, सड़क का निर्माण नहर की सर्विस रोड पर जल संसाधन विभाग की अनुमित के अनुसार कराया जा रहा है। निर्माण कार्य कराने से, पूर्व निर्मित नहर क्षितिग्रस्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उक्त सड़क का निरीक्षण संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा निरन्तर किया जा रहा है अतः घटिया निर्माण एवं ठेकेदार से मिलीभगत का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ, घटिया निर्माण संबंधी समाचार प्रकाशित होने के उपरान्त दिनाँक 26.10.2014 को स्टेट क्वालिटी मंांनीटर द्वारा रूटीन निरीक्षण कर उक्त सड़क को संतोषप्रद श्रेणी में वर्गीकृत किया है। ग्रामीणजनों से मार्ग निर्माण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सड़क निर्माण कार्य मापदण्डानुसार कराया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

#### फर्जी तरीके से राशि आहरित करने की शिकायत पर कार्यवाही

120. (क्र. 2134) श्री विजयपाल सिंह: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारिता केन्द्रीय बैंक गुनौर के शाखा प्रबंधक श्री राम खिलावन गर्ग के विरूद्ध वेवा पारवती पित श्री स्व. श्री मइया लाल ढीमर के द्वारा सी.एम. हेल्प लाइन के माध्यम से रूपये 60,000/- की फर्जी तरीके से राशि आहरित करने की शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो क्यों? कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) क्या बरशोमा समिति के बचत बैंक की राशि की दस लाख रू. की लूट हुई थी जो अवैध रूप से बैंक से आहरण होना बताया गया था? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है? यदि हाँ, तो क्या गिरफ्तारियां हुई हैं? यदि नहीं, तो क्यों? दोषी शाखा प्रबंधक एवं लिपिक तथा अन्य दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों कब तक में की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं. सी.एम. हेल्पलाईन के माध्यम से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई अपितु समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आधार पर परीक्षण कराया गया तथा बेवा पार्वती बाई का कथन भी लिया गया जिसके अनुसार उन्हें बैंक से राशि प्राप्त हो गई है तथा शिकायत निराधार पायी गयी. (ख) जी हाँ. बैंक से आहरण चेक के माध्यम से केवल समिति अध्यक्ष के हस्ताक्षर से भुगतान हुआ था, जबिक चेक पर समिति प्रबंधक एवं अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर होने चाहिए थे. अतः आहरण अवैध हुआ है. (ग) उत्तरांश "क" अनुसार एफ.आई.आर. कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी. लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी की गई. दोषी लिपिक को निलंबित किया गया तथा लिपिक एवं शाखा प्रबंधक के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

# गरीबी रेखा में दर्ज हितग्राही

121. (क्र. 2143) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गरीबी रेखा/अति गरीबी रेखा में दर्ज हितग्राहियों के निवास स्थल पर शासन द्वारा नाम पिट्टका लगायी जाने हेतु निर्देश/प्रावधान हैं? (ख) यदि हाँ, तो म.प्र. के किन-किन जिलों में गरीबी रेखा/ अति गरीबी रेखा परिवार के मुखिया की नाम पिट्टका उनके निवास स्थल पर अंकित की गई है? (ग) क्या सागर जिले में भी गरीबी रेखा/अति गरीबी रेखा परिवार के मुखिया की नाम पिट्टका उनके निवास स्थल पर अंकित की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। शासन द्वारा गरीबी रेखा/अति गरीबी रेखा में दर्ज हितग्राहियों के निवास स्थल पर नाम पट्टिका लगायी जाने हेतु निर्देश/प्रावधान नहीं है।

(ख) उपरोक्त प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) उपरोक्त प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

#### जरूआखेडा एवं मेहर हाट बाजार का निर्माण

122. (क्र. 2148) इन्जी. प्रदीप लारिया: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जरूआखेड़ा एवं मेहर हाट बाजार का निर्माण कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त दोनों हाट बाजार की लागत, समयाविध, शर्ते एवं कार्य एजेंसी की विस्तृत जानकारी देवे? (ख) क्या दोनों हाट बाजारों का निर्माण कार्य एक ही कार्य एजेंसी से किया जा रहा है? (ग) उक्त दोनों हाट बाजार की गुणवत्ता की जाँच विभाग द्वारा कब-कब कराई गई?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार। जी नहीं। (ग) जी नहीं। पी.सी.ओ. एवं ए.डी.ओ. को प्रतिमाह अपने क्षेत्र में भ्रमण हेतु शासन द्वारा निर्धारित निश्चित यात्रा भत्ता भुगतान किया जाता है। उक्त कर्मचारियों को शासन की महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति में उनकी आवश्यकता को देखते हुये जनपद मुख्यालय पर आहूत किया जाता है। इस पर शासन को कोई हानि नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स"अनुसार।

# प्रधानमंत्री सड़क मार्ग बड़तुआ-साईखेड़ा के संबंध में

123. (क्र. 2149) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क मार्ग बड़तुआ-साईखेड़ा मार्ग का निर्माण कार्य कब हुआ था? क्या उक्त मार्ग आज वर्तमान में आवागमन के लिये उपयुक्त है या नहीं? (ख) यदि नहीं, तो उक्त मार्ग के निर्माण के लिये विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार किया गया है? (ग) यदि प्रस्ताव/प्राक्कलन विभाग में विचाराधीन है तो उक्त सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कब तक किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत बडतुआ से सांईखेडा सड़क निर्माण कार्य दिनाँक 31-05-2007 को पूर्ण हुआ था। वर्तमान में उक्त मार्ग से आवागमन हो रहा है। (ख) जी नहीं, मार्ग बडतुआ से सांईखेडा के लक्ष्य ग्राम सांईखेडा में बेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्सि कॉपोरेशन के 60000 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम के निर्माण होने के फलस्वरूप अत्याधिक भारी वाहनों का लगातार आवागमन होने के कारण कुछ स्थानों पर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। अपर मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र.ग्रा.सडक विकास प्राधिकरण भोपाल को संबोधित पत्र क्रमांक एफ-11-22/2013/29-2 भोपाल दिनाँक 17.04.2013 के द्वारा एन.एच. 26 से सांईखेड़ा मार्ग को वर्तमान सिंगल रोड बी.टी. रोड से परिवर्तित कर टू लेन सी.सी. रोड में परिवर्तित करने हेतु लेख किया गया। मार्ग को टू लेन सी.सी. रोड में परिवर्तित करने हेतु नख कारी वाहनों से क्षतिग्रस्त मार्गों के उन्नयन के परीक्षण हेतु गठित समिति में विचार किया गया। समिति द्वारा मार्ग को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण करने का निर्णय किया गया। दिनाँक 20.05.2013 को आयोजित बैठक में कलेक्टर सागर द्वारा उक्त मार्ग को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण करने हेतु निर्देशित किया गया। महाप्रबंधक परियोजना क्रियान्वयन इकाई-सागर के

पत्र क्रं. 1163 दिनाँक 14.06.2013 के द्वारा लोक निर्माण विभाग को अपने अधिपत्य में लेने हेतु लेख किया गया है। (ग) जी नहीं। निश्वित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

# विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कार्य

124. (क्र. 2166) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले वर्ष 2014-15 में बी.आर.जी.एफ., आई.ए.पी. एवं परफारमेंस ग्रान्ट योजना से कौन-कौन से कार्य कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत किये गये? तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति के क्रमांक, दिनाँक तथा जनपद पंचायत या कार्य एजेंसी द्वारा कार्यादेश जारी होने का दिनाँक सहित विकासखण्डवार बतायें? (ख) क्या तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति के बाद कार्य आदेश देने की समय-सीमा शासन से निर्धारित है? यदि हाँ, तो कितने दिनों में? समय पर कार्य आदेश न देने पर संबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्न (क) से संबंधित योजनाओं में स्वीकृत कार्यों के पूर्ण अपूर्ण की स्थिति बतायें तथा अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" के कॉलम 2, 4, 5 एवं 10 अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" के कॉलम 6 से 11 अनुसार। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" के कॉलम 5, 9 एवं 10 अनुसार।

# मनरेगा की लंबित मजद्री का भुगतान

125. (क्र. 2167) प्रो. संजीव छोटेलाल उड़के : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्र शासन से वर्ष 2015-16 में महात्मा गांधी रोजगार गांरटी योजना से मध्यप्रदेश शासन को कितना आवंटन प्राप्त हुआ? प्राप्त आवंटन से मण्डला जिले को कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) क्या मनरेगा योजना नहीं अधिनियम है और इसमें मजदूरी भुगतान की समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो मजदूरी भुगतान की अवधि बतायें? क्या मजदूरों को निश्चित अवधि में भुगतान न करने की स्थित में पेनाल्टी या रोजगार भत्ता की पात्रता है? यदि हाँ, तो मण्डला जिले में दिया जा रहा है या नहीं? (ग) क्या कारण है कि केन्द्र शासन से आवंटन प्राप्त होने के बाद भी जिले में मजदूरी भुगतान लंबित है कब तक मजदूरी भुगतान कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) केन्द्र शासन से वर्ष 2015-16 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से मध्यप्रदेश शासन को राशि रुपये 1360.84 करोड प्राप्त हुआ। मण्डला जिले को वर्ष 2015-16 में राशि रु. 8.30 करोड़ जारी किये गये हैं। मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिनाँक 06-05-2015 के पश्चात योजनान्तर्गत भुगतान राज्य स्तरीय खाते से PFMS व्यवस्था के तहत किये जा रहे है। (ख) जी हाँ। मजदूरी भुगतान साप्ताहिक मस्टररोल बंद होने के दिनाँक से 15 दिवस की समयावधि में भुगतान किये जाने का प्रावधान है। निश्चित समयावधि में भुगतान नहीं हो पाने का प्रमुख कारण विगत वर्ष स्वीकृत लेबर बजट के अनुक्रम में भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होना एवं भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर पर एक ही खाते से भुगतान हेतु लागू PFMS व्यवस्था पूर्ण रुप से सुदृढ़ नहीं होना है। उक्त कारणों से राज्य स्तर से पेनाल्टी दिये जाने का नियम लागू नहीं किया गया है। (ग) आवंटन प्राप्त होने के बाद समय-सीमा में एफटीओं के माध्यम से मजदूरी

भुगतान कर दिया गया है। मजदूरी भुगतान बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में तकनीकी कारणों से लंबित है। तकनीकी समस्या का निराकरण होने के उपरान्त बैंक एवं पोस्ट ऑफिस द्वारा मजदूरी भुगतान कर दिया जायेगा।

# मुख्य मार्ग से ग्राम पहुँच मार्ग में शामिल सड़के

126. (क्र. 2189) डॉ. कैलाश जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोटेगॉव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी सड़के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल हैं? एवं कितनों में निर्माण कार्य चल रहा हैं? (ख) क्या पूर्व में उक्त योजनान्तर्गत निर्मित अनेक सड़कों की स्थित अत्यंत जर्जर हैं? इनके पुन: निर्माण एवं रखरखाव हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) इन सड़कों की गुणवत्ता किन मानकों के आधार पर एवं किन अधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती है? (घ) इन गुणवत्ताविहीन कितनी सड़कों की जांचे की गई हैं एवं निर्माण एजेंसी/अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 76 सड़कें शामिल है एवं सभी सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। (ख) जी नहीं। सड़कों की स्थिति जर्जर न होने से, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मार्ग गांगईखुर्द करेलीकलां रेत के भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त हो रही थी, जिसका संधारण ठेकेदार द्वारा गारंटी अवधि में किया जा रहा है। (ग) इन सड़कों की गुणवत्ता, आई.आर.सी. एस.पी. 77-2008, आई.आर.सी. एस.पी. 20-2002 एवं स्पेशिफिकेशन फॉर रूरल रोड अगस्त 2004 (एम.ओ.आर.डी.) के मापदण्डों पर आधारित है। गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य विभागीय अधिकारियों एवं कसंल्टेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। (घ) निर्मित सड़कों का कार्य गुणवत्ता के साथ कराया गया है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# समग्र स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय निर्माण

127. (क्र. 2190) डॉ. कैलाश जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समग्र स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय निर्माण की योजना से बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. के कितने हितग्राहियों को इसका लाभ मिला है? (ख) इस योजना अंतर्गत वर्तमान में कितने कार्य अपूर्ण हैं जिनका पंचायतों द्वारा राशि का आहरण किया जा चुका है? (ग) इन कार्यों की कितनी शिकायतें विभाग में लंबित हैं एवं इन पर की गई कार्यवाही की सूची प्रदान करें? (घ) प्रश्नांक (क) के अनुसार समयाविध में कार्य न होने की दशा में किन-किन निर्माण एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई एवं कितनी-कितनी राशि कब-कब वसूल की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) शौचालय निर्माण की योजना से बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. के क्रमशः 9784 एवं 974 हितग्राहीयों को लाभ मिला है। (ख) योजना अंतर्गत 140 कार्य अपूर्ण है, जिनकी राशि का आहरण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा चुका है। (ग) विभाग में उक्त कार्यों की कोई शिकायत लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) समयावधि में कार्य पूर्ण न होने की दशा में 72 ग्राम पंचायतों से राशि रूपये 10320526/- वसूल की गई है। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

# खंडवा जिले में मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत कार्य

128. (क्र. 2198) श्री देवेन्द्र वर्मा: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क्र) खंडवा जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में महात्मा गांधी रोजगार गांरटी योजना के तहत खंडवा विधानसभा क्षेत्र में कितने कार्य किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? (ख) उक्त निर्माण कार्यों के गुणवत्ता संबंधी कितनी शिकायतें जाँच में सही पाई गई है? उसमें दोषियों के विरूद्ध कितने प्रकरणों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई एवं कितनी राशि वसूल की गई है? (ग) क्या मनरेगा में हुए कार्यों का भुगतान होना शेष है? यदि हाँ, तो किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि का भुगतान शेष है? (घ) उक्त राशि का भुगतान संबंधितों को कब तक किया जायेगा? क्या भुगतान नहीं होने से निर्माण कार्य प्रभावित हुए है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नाम एवं पदनाम सहित बतायें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) खण्डवा जिले में वितीय वर्ष 2014-15 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत खण्डवा विधानसभा क्षेत्र में 37 ग्राम पंचायतों में 217 निर्माण कार्य कुल राशि रू.2,48,76,200/- एवं वर्ष 2015-16 में 03 ग्राम पंचायतों में 04 निर्माण कार्य कुल राशि रू.10,89,000/- के स्वीकृत किये गये हैं। ग्राम पंचायतवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में निर्माण कार्यों की गुणवता संबंधी जिला स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। भुगतान शेष रहने वाली संस्थाओं की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) संस्थाओं/वेण्डरों की एम.आई.एस. प्रविष्टि पूर्ण होते ही संबंधितों को भुगतान कराया जा सकेगा। भुगतान न होने से निर्माण कार्यों की प्रगति प्रभावित नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

### लोक सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण

129. (क्र. 2201) श्री देवेन्द्र वर्मा: क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा कितने लोकसेवा केन्द्रों का निर्माण कराया गया है? यह कार्य संबंधित एजेंसी द्वारा कब पूर्ण किया गया तथा उनमें केन्द्र कब से संचालित हुए? जनपदवार बतायें? (ख) क्या कई जिलों में लोक सेवा केन्द्रों के निर्माण पूर्ण होने के लंबे समय बाद भी प्रदेश सरकार की मंशानुरूप इन भवनों में केन्द्रों को संचालित नहीं किया जा रहा है? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? (ग) संभाग में कितने लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य अपूर्ण है तथा वे कब तक पूर्ण तैयार होकर उनमें केन्द्र संचालित होने लगेंगे? इन भवनों के समय-समय पर निरीक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? संबंधित अधिकारियों द्वारा इनका कितनी बार निरीक्षण किया गया है?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ): (क) इंदौर संभाग में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा 56 लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण कराया गया है। संभाग के 28 लोक सेवा केन्द्रों का संबंधित एजेंसी द्वारा पूर्ण कर लिया गया है तथा संभाग के तैयार 19 केन्द्रों का संचालन शुरू हो गया है। जनपदवार सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी, नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) संभाग में 28 लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य अपूर्ण है। पूर्ण होने की समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है। भवनों का निरीक्षण की जिम्मेदारी संबंधित जिलास्तरीय अधिकारियों की है। संबंधित अधिकारियों द्वारा भवनों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है।

परिशिष्ट - "छियासी"

#### खंडवा जिले में पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं

130. (क्र. 2202) श्री देवेन्द्र वर्मा: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क्र) खंडवा जिले में पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा कब-कब एवं कहाँ-कहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांगों के लिए साईकिल/कृत्रिम अंगों के वितरण का शिविर आयोजित किए गए? (ख) क्या जिले में लंबे समय से पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी का पद रिक्त होने एवं अन्य अधिकारियों के पास अतिरिक्त प्रभार के रूप में होने से विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है? (ग) आगामी वर्ष में विभाग की शिविरों के आयोजन की क्या योजनाएं है? इनके लिए शासन से प्राप्त होने वाले आवंटन की वर्तमान स्थिति क्या है? मदवार जानकारी दीजिये?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) शिविरों का आयोजन सतत प्रक्रिया है। जिले में संग्रहीत निराश्रित निधि की ब्याज राशि से कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। जिसमें पर्याप्त राशि उपलब्ध है।

#### परिशिष्ट - "सतासी"

#### सहकारी समिति द्वारा अनाज, शक्कर तथा मिट्टी के तेल का वितरण

131. (क्र. 2214) सुश्री हिना लिखीराम कावरे: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभिन्न श्रेणी अनुसार परिवारों को कितना अनाज, शक्कर तथा मिट्टी का तेल देने के प्रावधान है तथा उनकी दरें कितनी है? (ख) क्या विभाग के पास ऐसा कोई सिस्टम तैयार है जिसके द्वारा किसी विशेष सहकारी समिति में बटनें वाला चावल किस मिलर्स के द्वारा उपलब्ध कराया गया है उसका पता लगाकर उस पर कार्यवाही कर उसको सरकारी चावल बनाने के काम से रोक लगायी जा सके? (ग) क्या ए.पी.एल. श्रेणी के लोगों को मिट्टी का तेल देने के प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो किस श्रेणी के लोगों को देने के प्रावधान हैं? इन श्रेणियों को परिभाषित करते हुए जानकारी दें?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) लिक्षित सार्वजिनक वितरण प्रणाली के अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम एवं प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह प्रित सदस्य 1.00 रू. प्रित किलोग्राम की दर से तथा पात्र परिवारों को 1 किलोग्राम शिक्कर रू.13.50 प्रित किलोग्राम की दर से एवं अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों एवं 22 आदिवासी जिलों के प्राथमिकता परिवारों को 5 लीटर केरोसीन एवं शेष जिलों के प्राथमिकता परिवारों को 4 लीटर केरोसीन प्रतिमाह प्रति परिवार रू. 15.37 से 19.10 प्रित लीटर की दर से वितरण का प्रावधान है। (ख) जी हाँ। कस्टम मिल चावल (सीएमआर) के प्रत्येक बोरे पर संबंधित मिलर्स के नाम की स्टेंसिल लगाई जाती है तथा बोरे के साथ टेग संलग्न रहता है, जिस पर मिलर का नाम, कोड नंबर, ऐजेंसी, चावल की श्रेणी, उपार्जन वर्ष, लॉट नंबर आदि का उल्लेख रहता है। इन अंकित विवरणों के आधार पर आवश्यक होने पर मिलर का पता लगाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दी गई 23 श्रेणियों में से क्रमांक 2 से 23 पर अंकित श्रेणियों के ए.पी.एल. परिवारों को केरोसिन देने का प्रावधान किया गया है।

#### परिशिष्ट - "अठासी"

# जनपद पंचायत लांजी जिला बालाघाट द्वारा आवंटित दुकानें

132. (क्र. 2217) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत लांजी में जनपद पंचायत के स्वामित्व वाली दुकानें किस-किस को तथा कब आवंटित की गयी? (ख) दुकानें आवंटित जिन शर्तों पर की गयी थी उन शर्तों की एक प्रति कृपया उपलब्ध कराएं? (ग) क्या दुकानों के आवंटित शर्तों को ताक पर रख कर अन्य लोगों को दुकानें बेच दी गयी तथा वर्तमान में वे लोग दुकानों का संचालन कर रहे हैं जिन्हें दुकानें नहीं दी गयी थी? (घ) क्या पूरे प्रकरण की जाँच कर नियम विरूद्ध बेची गयी दुकानें खाली करवाकर उनका नियमानुसार आवंटन दोबारा कराया जाएगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भागव ): (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# ग्राम पंचायत देवरीखुर्द जनपद पोहरी में कराये गये कार्य

133. (क्र. 2241) श्री प्रहलाद भारती: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत पोहरी की ग्राम पंचायत देवरीखुर्द में वर्ष जनवरी 2010 से प्रश्न दिनाँक तक किस-किस मद से कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये व उन कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण व कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त कार्यों में से किन-किन कार्यों की सीसी जारी की जा चुकी है? पूर्ण-अपूर्ण कार्यों का भौतिक सत्यापन किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ के कालम नं. 09 अनुसार। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन सहायक यंत्री के द्वारा किया गया।

# कृषि उपज मण्डी समिति बदरवास में कराये गये कार्य

134. (क्र. 2243) श्री प्रहलाद भारती: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मण्डी समिति बदरवास जिला शिवपुरी में वर्ष जनवरी 2012 से प्रश्न दिनाँक तक किस-किस मद से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये व उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण व अपूर्ण हैं? कार्य पूर्ण किये जाने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी थी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया? किस-किस फर्म, संस्था, व्यक्ति को किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना भुगतान किस आधार पर किया गया? (ग) क्या वर्तमान में कृषि उपज मण्डी समिति बदरवास जिला शिवपुरी में पदस्थ मण्डी सचिव की प्रतिनियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार समाप्त कर दी गयी थी? यदि हाँ, तो किस आधार पर इन्हें पुन: मण्डी बदरवास में पदस्थ किया गया है इसके लिये कौन-कौन दोषी है व उस पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति बदरवास में जनवरी-2012 से प्रश्न दिनाँक तक मदवार स्वीकृत किये गये 15 कार्यों की जानकारी एवं उपरोक्त सभी 15 कार्य पूर्ण तथा कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित समय-सीमा की जानकारी संलग्न

परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश-क में कराये गये कार्यों की भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों का पद दिनाँक फर्म, संस्था, व्यक्ति को किये गये भुगतान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। कार्यों का भुगतान तकनीकी अधिकारी की अनुशंसा पर किया गया है। (ग) जी हाँ। मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में पारित आदेश दिनाँक 14.02.14 की मंशा के अनुरूप श्री मनोज शर्मा (प्रतिनियुक्तिा) तत्कालीन सचिव मंडी समिति बदरवास की सेवाएं प्रतिनियुक्तिा से पैतृक संस्था को वापिस की गयी थी। इसके पश्चात् मंडी बोर्ड में कार्य की आवश्यकता के आधार पर सचिव-स के रिक्त पद की पूर्ति हेतु विभिन्न विभाग/संस्थाओं से प्राप्त नवीन प्रस्ताव पर विचारोपरांत मंडी बोर्ड सेवा विनियम-1998 में निर्धारित प्रतिनियुक्तिा पर लेक के मापदण्डों की पूर्ति करने के फलस्वरूप श्री मनोज शर्मा को प्रतिनियुक्तिा पर लेकर मंडी समिति शढौरा में पदस्थ किया गया तदोपरांत प्रशासकीय आधार पर मंडी समिति बदरवास में पदस्थ किया गया है। अतः किसी पर कार्यवाही का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

#### <u>परिशिष्ट - "नवासी"</u>

#### हायर सेकेण्डरी स्कूल चरगंवा के भवन निर्माण में अनियमितता की जाँच

135. (क्र. 2261) श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रा.यां.सेवा विभाग द्वारा हायर सेकण्डरी स्कूल चरगंवा के भवन का निर्माण कब एवं कितनी राशि से कराया गया? उक्त निर्माण कार्य का मूल्यांकन मापन एवं सत्यापन किन-किन अधिकारी द्वारा किया गया? (ख) क्या उपरोक्त हायर सेकण्डरी स्कूल चरगंवा का भवन दो वर्षों में ही जर्जर हो गया है? इस भवन की स्लेब एवं दीवारों से वर्षा जल रिस रहा है। क्या शासन उक्त भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जाँच करा कर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) बरगी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा हायर सेकण्डरी स्कूल चरगंवा भवन निर्माण कार्य रू. 39.38 लाख की लागत से दिनाँक 11.09.2014 को पूर्ण कराया गया। उक्त निर्माण कार्य का मूल्यांकन एवं सत्यापन श्री आर.पी.काल्पी, सहायक परियोजना प्रबंधक, श्री पी.के. श्रीवास्तव, सहायक यंत्री, श्री आर.के.गुसा, उपयंत्री एवं श्री ए.के.आहूजा उपयंत्री द्वारा किया गया। (ख) जी नहीं। भवन में स्लेब एवं दीवारों से पानी रिसाव की स्थिति नहीं है। भवन निर्माण में अनियमितता जैसी स्थिति नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# निर्धारित अविध से अधिक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उपयंत्रियों की वापसी

136. (क्र. 2262) श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति की नियमानुसार अविध कितनी है? (ख) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्र.1 एवं 2 जबलपुर में अन्य विभागों के कितने एवं कौन-कौन से उपयंत्री कब से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है? (ग) तीन वर्ष से अधिक से कार्यरत उपयंत्रियों की शासन उनके मूल विभाग में वापस कब तक भेजेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लेने की अविध 4 वर्ष है एवं यदि आवश्यक है तो सेवाएँ देने एवं सेवाएँ लेने वाले विभागों की आपसी सहमित से अविध बढ़ाई जा सकती है। (ख) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्र.-1 एवं 2 जबलपुर में अन्य विभागों के 06 उपयंत्री प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं। विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में वर्ष 1995 में निर्मित पदों पर जल संसाधन एवं लोक निर्माण विभाग के अमले से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने का प्रावधान किया गया था। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति से 06 माह पूर्व सेवा वापिस किए जाने के निर्देश प्रसारित हैं। मूल विभाग से मांग (डिमाण्ड) प्राप्त होने पर या अन्य विशेष कारणों से ही इन कर्मचारियों की सेवाएं मूल विभाग को वापिस की जाती है।

#### परिशिष्ट - "नब्बे"

# सागर में परिवहन विभाग के भवन निर्माण की स्वीकृति

137. (क्र. 2279) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा सागर नगर में परिवहन विभाग का भवन निर्माण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में उक्त कार्य की प्रगति क्या है? (ग) क्या उपरोक्त प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य के साथ में ड्राइविंग ट्रेक निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्या शासन वर्तमान की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग ट्रेक बनाये जाने पर विचार करेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यालय भवन के प्लिंथ लेवल तक का कार्य पूर्ण हो गया है। निर्माण कार्य निरंतर जारी है। (ग) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

# सागर विधान सभा क्षेत्र में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानें

138. (क्र. 2280) श्री शैलेन्द्र जैन: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.शासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालन हेतु कोई नई नीति बनाई गई है? क्या जनसंख्या के मान के आधार पर भी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निर्धारण कर दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो सागर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित है तथा नवीन नीति के अंतर्गत कितनी दुकानें खोला जाना प्रस्तावित है? (ग) क्या इन दुकानों के लिए महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित किए जाने हेतु प्राथमिकता के साथ दुकानें आवंटित करने की कोई नीति बनाई गई है? यदि हाँ, तो महिला स्व-सहायता समूहों हेतु सागर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी नवीन दुकानें खोली जायेगी?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ): (क) जी हाँ। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर न होकर नगरीय क्षेत्र में पात्र परिवारों की संख्या के मान से एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत इकाई के मान से करने संबंधी नियम राज्य सरकार द्वारा प्रावधानित किये गये हैं। (ख) वर्तमान में सागर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 57 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। अभी नये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सागर विधानसभा क्षेत्र में खोली जाने वाली दुकानों की संख्या का अंतिम निर्धारण नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ। सागर विधानसभा क्षेत्र में यथासंभव 33 प्रतिशत उचित मूल्य की दुकानें महिला संस्थाओं (महिला स्वसहायता समूह सहित) को दी जायेंगी।

#### आमलान औबाद पंचायत में मनरेगा अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों की स्थिति

139. (क. 2295) श्री सचिन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इछावर विधान सभा क्र.158 की आमलानऔबाद पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2008-2009 से 2013-2014 तक कितनी राशि के क्या-क्या कार्य पंचायत द्वारा पूरे किये गये? कार्यवार ब्यौरा दें? क्या पंचायत द्वारा ग्राम कुशलपुरा में खेल मैदान का निर्माण किया गया और कितनी राशि खर्च कर कितने खेल मैदान बनाए गए? उक्त खेल मैदान की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) क्या कपिलधारा योजना अन्तर्गत दिरयाव/हरिकिशन का कुआं निर्माण किया गया अगर हाँ, तो इस कुएं की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या कार्यों की सूची में पांच कुओं के निर्माण का उल्लेख बिना हितग्राहियों के नाम दिए किया गया है? (ग) क्या आमलानऔबाद से कुशलपुरा, कुशलपुरा गांव से कैकई वाले कुएं तक एवं आमलानओबाद से रावनाट तक मार्गों का निर्माण किया गया? अगर हाँ, तो उक्त निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई एवं उक्त मार्गों की वर्तमान स्थिति क्या है? (घ) क्या उक्त वर्णित सभी कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत तत्कालीन कलेक्टर, जिला पंचायत, CEO एवं लोकायुक्त भोपाल को ग्रामवासियों द्वारा की गई? अगर हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई एवं दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) इछावर विधानसभा क्रं. 158 की आमलानोआबाद पंचायत में कपिलधारा कूप 22 कार्य राशि रू. 40.50 लाख, खेल मैदान 03 कार्य राशि रू. 05.90 लाख, ग्रेवल मार्ग 04 कार्य राशि रू. 26.31 लाख, सी.सी. रोड 03 कार्य राशि रू. 01.50 लाख, निर्मल नीर 01 कार्य राशि रू. 01.42 लाख, शांतिधाम 02 कार्य राशि रू. 04.06 लाख, इस प्रकार कुल 35 कार्य राशि रू. 79.69 लाख के कराये गये हैं। ग्राम कुशलपुरा में राशि रू. 4.90 लाख खर्च कर 2 खेल मैदान बनाये गये जो वर्तमान में पूर्ण हैं। (ख) जी हाँ, कार्यों की सूची में उल्लेखित 05 कुओं में 01 साम्दायिक निर्मलनीर कूप है एवं 04 हितग्राही मूलक कपिलधारा कूप हैं। इन सभी कूपों की प्रविष्टि मनरेगा पोर्टल पर सामुदायिक कार्यों की "जल संरक्षण एवं जल संवर्धन" श्रेणी में की गई है। इस श्रेणी में हितग्राहियों के नाम अंकित किये जाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन 05 कार्यों की नस्ती विधिवत प्रक्रिया के तहत संधारित की गई हैं, जिनमें से 04 कपिलधारा कूपों की नस्तियों में हितग्राहियों के नाम सहित पूर्ण विवरण अंकित है। (ग) आमलानोआबाद से कुशलपुरा में मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया है, न ही कोई राशि व्यय की गई। कुशलपुरा गांव से कैकई वाली बाखल तक ग्रेवल मार्ग का निर्माण किया गया, जिसके विरूद्ध राशि रू. 7.02 लाख है। ग्रेवल मार्ग आमलानोआबाद से रावनाट का निर्माण किया गया जिसके विरूद्ध राशि रू.5.91 लाख है। दोनों कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। (घ) जी हाँ। कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जाँच कराई जा रही थी, लेकिन लोकायुक्त में शिकायत होने के पश्चात जिला स्तर से जाँच रोक दी गई है। लोकायुक्त भोपाल द्वारा जाँच की जा रही है। जाँच पूरी होने के पश्चात ही कार्यवाही की जावेगी।

#### जिला पंचायत के कर्मचारियों को नियमित वेतन

140. (क्र. 2297) श्रीमती प्रमिला सिंह: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला पंचायत शहडोल तथा अन्य जिलों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन दिये जाने का प्रावधान है? (ख) जिला पंचायत शहडोल के (डी.आर.डी.ए.) के अधिकारियों कर्मचारियों

को माह अक्टूबर 2014 से अब तक वेतन न मिलने के क्या कारण है? (ग) उक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जिला पंचायत शहडोल के डी.आर.डी.ए. के अधिकारी/कर्मचारियों हेतु भारत शासन से पर्याप्त आवंटन प्राप्त न होने के कारण अक्टूबर,2014 से वेतन भुगतान नहीं किया गया था। वर्तमान में बी.आर.जी.एफ. योजना में बैंक ब्याज से प्राप्त राशि से उधार लेकर माह जून, 2015 तक समस्त कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर दिया गया है। (ग) डी.आर.डी.ए.योजनांतर्गत भारत शासन द्वारा राशि जारी करने पर राज्य शासन द्वारा राज्यांश जारी किया जाता है। भारत शासन से आवंटन की स्वीकृति जारी होने पर राज्यांश की राशि सहित आवंटन अधिकारी/कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु जारी किया जावेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

#### रीवा जिलान्तर्गत सडक निर्माण

141. (क्र. 2299) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या P.I.V. मऊगंज जिला रीवा की सडकें नैया नाला (मिसिरगवां) से पांती गोपला तथा मिसिरगवां से गोपला - शिवगढ़ से बन्ना मार्ग - प्रतापगंज से मुरमा सड़कों का टर्मिनेट कर निविदा की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक पूर्ण की जावेगी? समय-सीमा बतावें? यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें? (ख) क्या P.I.V. मऊगंज जिला रीवा की सड़कें क्रमशः देवरा से दामोदागढ़ - बिम्मौली कैनाल से पिडरिया, रमनगरी से गढ़वा, ढाबा से ढावा गौतमान, खटखटी (घोघम) से उकसा कोठार, मिझगवां से अल्हवा, दामोदर गढ़ से बेलहाखेड्डा हर्रई मुददान से उमरी श्रीपति, पहाड़ी से भैंसहार्प, कन्हैया से बेलहा पहुँच मार्गों का निर्माण काफी दिनों से हो रहा है परंतु प्रगति धीमी है क्यों बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा समय-सीमा बतावें? आज तक पूर्ण न होने के लिए कौन-कौन दोषी है? क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) P.I.V. मऊगंज जिला रीवा में विधान सभा क्षेत्र मऊगंज की पूर्ण किंतु 5 साल के अंदर मेन्टीनेंस सड़क का नाम एवं सड़क की स्थिति का विवरण दें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। कार्य विलम्ब से करने हेतु ठेकेदार उत्तरदायी है। अनुबंधानुसार कार्यवाही की जा रही है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।

# परिशिष्ट - "इक्यानवे"

# म.प्र. सड़क परिवहन निगम की संपत्तियों की जानकारी

142. (क्र. 2319) श्री विश्वास सारंग: क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम की किस के पास किस-किस जिले में कहाँ-कहाँ कितने मूल्य की संपत्ति है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत उक्त संपत्ति से कितना-कितना किराया प्राप्त हो रहा है? जिलावार, किराया राशिवार, संपत्ति के प्रकारवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत किस-किस स्थान पर संपत्ति पर किस-किस ने अवैध कब्जा या अतिक्रमण कर रखा है? अवैध कब्जा/अतिक्रमण

हटाने के प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या प्रयास किए गए हैं? (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत किराये में कब से वृद्धि नहीं की गयी है? क्या अब की जायेगी? यदि हाँ, तो कितनी?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) प्रश्नांश 'क' की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'ख' की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) निगम की किराए पर दी गई संपत्तियों की अनुबंध अवधि पृथक-पृथक है। अनुबंध के नवीनीकरण के समय किराए में वृद्धि की जाती है। अनुबंध नवीनीकरण हेतु नीति बनाने हेतु प्रस्ताव संचालक मंडल के समक्ष विचाराधीन है। तत्पश्चात् ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

# श्योपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

143. (क्र. 2340) श्री दुर्गालाल विजय: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर को जिला बने 16 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और ये जिला कृषि प्रधान जिला भी हैं, इसके बावजूद वर्तमान तक यहाँ कृषि महाविद्यालय स्वीकृत कर प्रारंभ नहीं किया जा सका हैं? (ख) क्या उक्त कारण से श्योपुर जिले के छात्रों को इण्टरमीडिएट की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् कृषि स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा हेतु अन्यत्र जिलों में जाना पड़ता हैं तथा जो छात्र पारिवारिक एवं अन्य कारणों से नहीं जा पाते वे इससे वंचित रह जाते हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन श्योपुर जिले में उक्त महाविद्यालय की स्वीकृत हेतु विभाग से प्रस्ताव तैयार करवाएगा, तत्पश्चात् इसे चालू वित्त वर्ष के अनुपूरक/आगामी वर्ष के वार्षिक बजट में शामिल करके प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) श्योपुर जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु अत्याधिक वित्तीय संसाधन तथा 50 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। वर्तमान में वित्तीय संसाधनों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल प्रदेश में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने पर विचार नहीं किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। श्योपुर जिले के छात्रों को स्नातक/स्नातकोत्तर की शिक्षा हेतु नजदीकी जिला ग्वालियर जाना पडता है, जिससे इन छात्रों की शिक्षा की पूर्ति हो रही है। (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण

144. (क्र. 2341) श्री दुर्गालाल विजय: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं उनमें से कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्वीकृति व निर्माण वर्तमान तक नहीं हो पाया हैं?इसके क्या कारण हैं, इन भवन विहीन ग्राम पंचायतों में कब तक पंचायत भवनों को स्वीकृत करके भवनों का निर्माण करा दिया जावेगा? (ख) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सौंईकलां में स्थित पुराने/जीर्णशीर्ण तथा छोटे भवन के स्थान पर क्या विभाग नवीन भवन स्वीकृत कर निर्माण कार्य शीघ्र कराएगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या क्षेत्र की भवन विहीन ग्राम पंचायतों में भवनों के अभाव में ग्राम पंचायत से संबंधित शासकीय कार्य निपटाने, अभिलेखों को सुरक्षित रखने व ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने में कठिनाईयां आती हैं? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन/विभाग उक्त कठिनाईयों के मद्देनजर वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/मद में उपलब्ध राशि से श्योपुर

विधानसभा क्षेत्र की समस्त भवन विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र स्वीकृत कर प्रारंभ कराएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में जनपद श्योपुर की 95 एवं जनपद कराहल की 06 कुल 101 ग्राम पंचायतें है, जिनमें से जनपद श्योपुर की 38 ग्राम पंचायतों व जनपद कराहल की 03 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन स्वीकृत/निर्माणाधीन है। अन्य कोई ग्राम पंचायत भवनविहीन नहीं है। जानकारी परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सांईकलां में स्थित पुराना पंचायत भवन अपर्याप्त है। चूँिक ग्राम पंचायत सांईकलां में ई-फेब्रिकेटेड कक्ष का निर्माण विगत वर्ष कराया गया है, जिससे पंचायत भवन स्वीकृत नहीं किया गया है। (ग) कोई ग्राम पंचायत भवनविहीन नहीं है। (ग) भवनविहीन पंचायतों में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

#### <u>परिशिष्ट - ''बानवे''</u>

#### सिवनी जिले में पात्रता पर्ची का वितरण

145. (क्र. 2352) श्री दिनेश राय (मुनमुन): क्या खाय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय खाय सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सिवनी जिले में पात्रता श्रेणी में सम्मिलित किन-किन पात्र व्यक्तियों को पात्रता पर्ची का वितरण नहीं किया गया? विधानसभावार जानकारी देवें? (ख) इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं, तथा पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची कब तक वितरित कर दी जायेगी? (ग) पात्र श्रेणी के परिवारों को पात्रता पर्ची न मिलने के संबंध में सी.एम. हेल्पलाईन 18 कलेक्टर जनसुनवाई, मान.मंत्रीजी तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई हैं, सिवनी जिले के संबंध में विधानसभावार जानकारी देवें? (घ) उक्त शिकायतों पर आज दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें तथा कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों, कारण बतायें?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सिवनी जिले में 2,56,870 परिवारों को सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची जारी की गई है। विधानसभावार जारी पात्रता पर्ची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। पात्र परिवार के रूप में सिम्मिलित परिवार में से यदि सत्यापन से शेष रह गया है तो वह परिवार स्थानीय निकाय में आवेदन देकर पात्र परिवार के रूप में सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची के आधार पर लिक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त कर सकता है। पात्र परिवारों के सत्यापन उपरांत उन्हें पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सिवनी जिले में पात्रता पर्ची न मिलने के संबंध में जनसुनवाई में 12 एवं सीएम हेल्पलाईन में 73 शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतकर्ता का नाम, शिकायत का दिनाँक एवं की गई कार्यवाही की विधानसभावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) प्राप्त शिकायतों के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है एवं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# सिवनी जिला में कृषि महोत्सव यात्रा का आयोजन

146. (क्र. 2353) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सिवनी के विधानसभा क्षेत्र सिवनी व लखनादौन व केवलारी में माह

जून, 2015 में कृषि महोत्सव यात्रा आयोजित की गई? यदि हाँ, तो यात्रा के दौरान जिन ग्रामों में कृषि रथ का भ्रमण हुआ उन ग्रामों में मिट्टी की जाँच हेतु कितने के नमून लिये गये, इन नमूनों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं, नहीं तो कब तक जाँच पूर्ण होगी, समयाविध बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विधानसभा क्षेत्र सिवनी, लखनादौन एवं केवलारी के जिन ग्रामों में कृषि रथ का रात्रि विश्राम था, क्या वहां पर टीम के सदस्यों द्वारा रात्रि विश्राम किया एवं कृषि संगोष्ठी तथा कल्चर प्रोग्राम का आयोजन किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार सिवनी, लखनादौन एवं केवलारी विधानसभा क्षेत्र में माह जून, 2015 में कृषि क्रांति रथ भ्रमण के दौरान कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी रथप्रभारी थे, रथ प्रभारियों द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) जी हाँ। ग्रामों में विधानसभावार लिये गये मिट्टी जाँच के नमूने विधानसभा सिवनी-1220, विधानसभा लखनादौन-1556, विधानसभा केवलारी-1808 है। नमूनों की जाँच प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। कृषि क्रांति रथ की टीम का ग्रामवार रात्रि विश्राम एवं कृषि संगोष्ठि तथा कल्चरल प्रोग्राम के आयोजन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक, दो अनुसार है।

# छतरपुर के सहकारिता उप-पंजीयक के कार्यों की जाँच

147. (क्र. 2365) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दैनिक समाचार नई दुनिया, ग्वालियर दि. 12 जून, 2015 के अंक में शीर्षक हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा सहकारी संस्थाओं का ऑडिट-छतरपुर के सहकारी उपपंजीयक के कारनामों की जाँच शुरू नाम से समाचार प्रकाशित किया गया है? (ख) क्या उक्त समाचार में प्रकाशित समाचार के अनुसार छतरपुर के जिले के मामले भी जाँच हेतु उजागर किए गए हैं? यदि हाँ, तो लिम्बत जाँच मामलों की सूची, मामलेवार प्रश्न दिनाँक तक की गई कार्यवाही, मामले जाँच हेतु किस स्तर पर किस अधिकारी के पास लंबित हैं, जाँच पूर्ण/अपूर्ण, यदि अपूर्ण है, तो कारण स्पष्ट करें? (ग) क्या उक्त गंभीर मामलों में लिप्त अधिकारी को अपने कार्य के साथ-साथ अन्य पदों के अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं? यदि हाँ, तो उपपंजीयक का नाम, अतिरिक्त प्रभार के पदनाम, पदभार ग्रहण करने की तिथि सहित सूची अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें? (घ) शासन, उक्त गंभीर अनियमितताओं के मामलों में लिप्त उक्त अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर विभागीय जाँच संस्थापित करने के आदेश/निर्देश जारी कर पारदर्शी जाँच कराने की कार्यवही करेगा तथा जाँच परिणाम आने पर उक्त दोषी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगा? हां, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी हाँ, जिला जनसम्पर्क कार्यालय छतरपुर से प्राप्त दैनिक समाचार नई दुनिया, ग्वालियर दिनाँक 12.06.2015 में उक्त शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया था, लेकिन जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा लेख किया गया है कि उनके कार्यालय से यह समाचार प्रकाशित नहीं कराया गया है. (ख) जी हाँ. शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है. (ग) श्री अखिलेश निगम, उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छतरपुर को सौंपे गए अतिरिक्त प्रभार निम्न है- (1) महाप्रबंधक, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, छतरपुर, पदभार ग्रहण दिनाँक 12.03.2015 (2) उपायुक्त एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, टीकमगढ़, पदग्रहण दिनाँक 01.06.2015 (घ)

कार्यवाही उत्तरांश ''ख'' में उल्लेखित जानकारी प्राप्त होने, उसके परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार जाँच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

#### टीकमगढ जिले की जतारा कृषि उपज मंडी की भूमि पर अतिक्रमण

148. (क्र. 2381) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मंडी जतारा की उपमंडी लिधौरा में नं.पं. लिधौरा द्वारा एवं ग्रामीणों द्वारा तथा उपमण्डी, दिगौड़ा, एवं मोहनगढ़ में ग्रामीण लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है जिसकी नाप तौल सीमांकन तहसीलदार द्वारा करा दिया गया परन्तु अतिक्रमणकर्ता नहीं मान रहे हैं और मंडी की भूमि पर जबरन कब्जा जमा लिया है? (ख) क्या उक्त अतिक्रमण करने वाले से मण्डी की भूमि बेदखल करायेगें? यदि हाँ, तो कब तक समयाविध बतायें यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? (ग) क्या अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करेगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों कारण बतायें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) मंडी समिति जतारा के हाट बाजार लिधौंरा की भूमि खसरा क्रमांक 2206/2 रकवा 0.607 हेक्टेयर में से लगभग 102 आर.ए. पर नगर पंचायत लिधौंरा द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है। अवैध निर्माण के संबंध में मंडी समिति द्वारा पत्राचार किया गया। अवैध निर्माण के संबंध में माननीय न्यायालय तहसीलदार लिधौंरा से कार्य बंद कराने हेतु लिखा जाकर भूमि का सीमांकन कराया गया। दिगौंडा हाटबाजार की भूमि खसरा क्रमांक 1936/1 में 53 आर.ए. पर श्री नारायण सिंह बुंदेला द्वारा प्रकरण क्रमांक एस.ए. नंबर 606/2006 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर वारा दिनाँक 25.04.2012 को स्थगन दिया गया है। मोहनगढ़ में ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है। (ख) अतिक्रमण करने वाले से मंडी की भूमि बेदखल करने की कार्यवाही मंडी समिति द्वारा की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है। निर्णय अनुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

### टीकमगढ़ जिले की प्राथमिक वन समिति लिधौरा के नाम फर्जी तरीके से खाद्यान्ह का उठाव

149. (क. 2385) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या खाच मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्राथमिक वन समिति लिधौरा द्वारा संचालित खाचान्नों की दुकानों का उठाव करके ग्राम, मुहारा, बल्देवपुरा, कंदवा, में संचालित किया जा रहा है? (ख) क्या प्राथमिक वन समिति लिधौरा के अध्यक्ष द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा को पत्र के माध्यम से लिखकर दिया गया है कि मेरी वन समिति लिधौरा द्वारा कोई भी राशन की दुकानें संचालित नहीं की जा रही है? फिर भी बल्देवपुरा, कंदवा, दोनों ग्रामों में राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा है एवं उक्त राशन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है? जबिक कंदवा, एवं बल्देवपुरा, करमौरा, ग्राम सेवा सहकारी समिति रामगढ़ के परिक्षेत्र में आता है तथा वन समिति क्षेत्र करमौरा में कंदवा, एवं बल्देवपुरा आते हैं और किसान खाद बीज का उठाव रामगढ़ सहकारी समिति से करते हैं? (ग) क्या सेवा सहकारी समिति रामगढ़ द्वारा कंदवा एवं बल्देवपुरा के राशन उठाव करने की सहमित भी प्रदाय नहीं की गई? फिर उक्त दोनों ग्रामों का राशन का उठाव किसके द्वारा किस नियम के तहत किया जा रहा है? क्या इस कालाबाजारी करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करेगे? (घ) क्या इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच करायेगे? यदि हाँ, तो कब वाले के विरूद्ध कार्यवाही करेगे? (घ) क्या इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच करायेगे? यदि हाँ, तो कब

तक समयाविध बताये? दोषी पाये जाने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्राथमिक वन समिति लिधौरा द्वारा प्रश्नाधीन गावों के हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है। (ख) जी नहीं। अपित् प्राथमिक वनोपज समिति लिधौरा के अध्यक्ष द्वारा जतारा के अनुविभागीय अधिकारी को पत्र के माध्यम से यह लिखकर दिया गया था कि वह प्राथमिक वनोपज समिति लिधौरा की कोई भी द्कान चलाना नहीं चाहते हैं। उक्त पत्र के आधार पर बलदेवपुरा एवं कंदवा सहित 14 गांव को वन समिति से पृथक करके सेवा सहकारी समितियों को आवंटित कर दिया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर अध्यक्ष एवं विक्रेता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र. 686/2013 दायर की गई, जिसमें स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने पारित किया। एक अन्य प्रकरण क्र. 879/2013 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में वनोपज समिति लिधौरा द्वारा बलदेवपुरा एवं कंदवा ग्रामों के राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा है। ग्रामीणों की ओर से राशन नहीं मिलने की कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आई है। ग्राम कंदवा एवं बलदेवपुरा सेवा सहकारी समिति रामगढ के परिक्षेत्र में आते हैं और किसान खाद-बीज का उठाव भी यहां से करते हैं किन्तु सहायक पंजीयक टीकमगढ की अंकेक्षण टीप मार्च 2014 के अनुसार प्राथमिक वनोपज समिति मर्यादित कर्मोरा के कार्यक्षेत्र में उक्त ग्राम नहीं आते हैं। (ग) माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के परिपालन में दोनों ग्रामों का राशन प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति लिधौरा द्वारा वितरित किया जा रहा है। कालाबाजारी प्रकाश में न आने के कारण कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

## जावरा मण्डी अनियमितता

150. (क्र. 2403) श्री महेन्द्र सिंह काल्खेडा: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा जिला रतलाम के तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कृषि उपज मण्डी को अरिनयापीथा नवीन मण्डी प्रागंण में स्थानांतरण की सभी संबंधित संस्था से चर्चा कर तिथि 08.06.15 तय की थी व किराना एवं दलहन जिन्सों की नीलामी की सार्वजनिक घोषणा भी कर दी थी? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित ऐसे क्या कारण रहे कि ए.डी.एम. रतलाम ने दिनाँक 07.06.15 को शेष मण्डी की शिफ्टिंग 15.10.15 तक बढ़ा दी गई जबिक बरसात का समय है व इस समय मण्डी में आवक भी कम होती है व पुरानी मण्डी में कई जगह पानी भी भर जाता है कारणों का विवरण देवे? (ग) क्या मण्डी शिफ्टिंग करने से पूर्व ही अनुविभागीय अधिकारी जावरा का स्थानांतरण कर दिया? क्या मण्डी शिफ्ट नहीं होने से शासन को करोड़ों रूपयों के मण्डी टेक्स की हानि होगी व पुरानी मण्डी में स्थान कम होने से किसानों को अपनी उपज के साथ दो-दो, तीन-तीन दिन रूकना पड़ेगा? क्या उक्त निर्णय व्यापारियों के हित में करते हुए किसानों के साथ अन्याय नहीं है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) जी हाँ। जावरा जिला रतलाम के तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा कृषि उपज मंडी समिति जावरा के पुराने प्रांगण में विक्रय हो रही किराना एवं दलहन कृषि जिन्सों का विक्रय दिनाँक 08.06.2015 से नवीन मंडी प्रागंण अरिनयापीथा में प्रारंभ करने की तिथि की घोषणा दिनाँक 25.05.15 की बैठक में की गई थी। (ख) दिनाँक 07.06.2015 को अपर कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा डॉ. काटजू क्रेता व्यापारी संघ जावरा

के पदाधिकरियों से चर्चा उपरांत व्यापारियों को नवीन मंडी प्रांगण में बिना भूखंड आवंटित किये व्यवसाय में किठनाई आने के परिप्रेक्ष्य में शेष मंडी शिफ्टिंग दिनाँक 15.10.15 तक बढ़ा दी गई। पुराने मंडी प्रांगण में वर्षा के जल की निकासी हेतु नाले की सफाई आदि का कार्य करवाया जाता है। (ग) मंडी समिति को मंडी प्रांगण में विक्रय हो रही उपज पर मंडी शुल्क प्राप्त हो रहा है। मंडी शुल्क की हानि नहीं हो रही है। वर्तमान में दलहन व किराना उपजों की आवक कम होने से कृषक की उपज उसी दिन विक्रय हो रही है।

# धान एवं गेहूँ का उपार्जन

151. (क. 2422) कुंवर सौरभ सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में वर्ष 2012-13 से गेहूँ एवं धान उपार्जन में उपार्जन केन्द्रों से प्रेषित धान गेहूँ की मात्रा में भण्डारण केन्द्रों तक पहुंचने में कब कितनी मात्रा की कमी पाई गई? उपार्जन केन्द्रवार, वर्षवार बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में उपार्जन एजेंसियों को कितना ट्रान्जिट गेन हुआ उपार्जन वर्षवार बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) अवधि में कौन उपार्जन केन्द्रों से प्रेषित कितना उपार्जित खाद्यान्न अस्वीकृत होने पर, बाद में उसी खाद्यान्न को ऑफ लाईन उपार्जन के रूप में जमा किया गया? यह भी बताये कि कौन से केन्द्र ने कब उपार्जन से अधिक मात्रा कब और कितनी उपार्जन से अधिक मात्रा भण्डारण केन्द्र में जमा की? (घ) प्रश्नांश (क) अवधि में कौन उपार्जन केन्द्र के कौन प्रभारियों ने स्वयं के व्यय पर कितना खाद्यान्न भण्डारण केन्द्रों को परिवहन किया? किस प्रभारी को उपार्जन एजेन्सी से कब कितना परिवहन व्यय प्राप्त हुआ? (ड.) प्रश्नांश (क) अवधि में उपार्जन हेतु कौन उपार्जन केन्द्रों में कितने पल्लेदारों को काम में लगाया गया? पल्लेदारों को कितना भुगतान किया उपार्जन के अंतिम दो दिवसों में कितना उपार्जन हुआ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) कटनी जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक उपार्जित धान को भंडार केन्द्र तक पहुंचने में कमी नहीं आई है। केन्द्रवार परिवहन एवं जमा मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। उपार्जित गेहूँ की मात्रा एवं जमा मात्रा में अन्तर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश **(क)** उल्लेखित अविध में उपार्जन एजेंसियों को धान एवं गेहूँ में ट्रान्जिट गेन प्राप्त नहीं हुआ है। (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में उपार्जित धान अस्वीकृत होने पर ऑफ लाईन जमा नहीं कराई गई है। वर्ष 2014-15 में एफएक्यू गुणवत्ता का न होने से अस्वीकृत खाद्यान्न की साफ-सफाई छन्ना लगाने तथा सुखाकर लाने पर एफएक्यू गुणवत्ता में आने के फलस्वरूप ऑफलाईन जमा कराया गया है। उपार्जन केन्द्रवार ऑफलाईन जमा कराई गई धान की मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। वर्ष 2013-14 में रैपुरा समिति द्वारा 6.14 क्विंटल एवं जिवारा समिति द्वारा 14.54 क्विंटल गेहूँ खरीदी से अधिक भंडारण केन्द्र में जमा कराई गई है। उपार्जन केन्द्र प्रभारी द्वारा खाद्यान्न के परिवहन का कार्य नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (इ.) वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक उपार्जन समितियों द्वारा 495 पल्लेदारों को पल्लेदारी के कार्य में लगाया गया है जिन्हें राशि रू. 512.74 लाख का भ्गतान किया गया है। उपार्जन केन्द्रवार लगाए गए पल्लेदारों की संख्या एवं भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। उपार्जन के अंतिम दो दिवसों में उपार्जित खाद्यान्न मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-इ अनुसार है।

# उपायुक्त, सहकारिता के विरूद्ध कार्यवाही

152. (क्र. 2460) श्री आरिफ अकील: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उपायुक्त भोपाल के विरूद्ध शिकायतें हुई है यदि हाँ, तो विगत 2 वर्षों की स्थिति में किन-किन के द्वारा शिकायत की गई तथा शिकायतों के आधार पर प्रश्न दिनाँक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त शिकायतों के प्रचलन में होते हुए भी उपायुक्त श्री आर.एस. विश्वकर्मा को भोपाल जिले में पदस्थ रखे जाने से जाँच प्रभावित नहीं होगी? यदि हाँ, तो कब तक अन्यत्र स्थानान्तरित किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में श्री विश्वकर्मा के विरूद्ध कौन-कौन सी जाँच कब-कब से प्रचलन में और जांचे कितनी-कितनी अवधि में पूर्ण होना थी? समय-सीमा समाप्त होने के पश्चात् भी जांचे पूर्ण नहीं हो सकी है इस लापरवाही के लिए कौन-कौन दोषी है शासन द्वारा उनके विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें जांचे किस-किस स्तर पर लंबित है और कब पूर्ण कर ली जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) जी नहीं. प्रशासकीय आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही की जाती है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है. कितपय प्रकरणों में जाँच प्रक्रियाधीन एवं कितपय प्रकरणों में जाँच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है. समय-सीमा निर्धारित न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (घ) उत्तरांश "ग" अनुसार.

### परिशिष्ट - "तिरानवे"

### बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक के प्रदाय एवं वितरण में अनियमितता

153. (क्र. 2461) श्री आरिफ अकील: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या फसल प्रदर्शन में भोपाल संभाग में बीज उर्वरक कीटनाशक औषधियों के प्रदाय एवं वितरण में वित्तीय अनियमितताएँ पाई गई हैं? यदि हाँ, तो वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक की स्थिति में यह अवगत करावें की भोपाल संभाग के किस जिले में कितने अधिकारी/कर्मचारियों की संलिप्तता रही हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या शासकीय वाहन से यात्राएं एवं 20 वर्ष पुराना सोयाबीन बीज खरीद के मामले में उजागर हुई वित्तीय अनियमितता पाई गई और ऑडिट आपित भी आई थी? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक किन-किन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सिहत वर्षवार जिलेवार बतावें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन): (क) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) जी नहीं । (ग) शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

## तत्कालीन आर.टी.ओ. छतरपुर द्वारा की गई अनियमितता के

154. (क्र. 2462) श्री आर.डी. प्रजापित : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि छतरपुर जिले पदस्थ रहे तत्कालीन आर.टी.ओ. अजय गुप्ता की शिकायत व अवैध कार्य करने के लिये विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समाधान ऑनलाईन में शिकायत की गयी थी? यदि हाँ, तो वर्ष 2011 में उन पर क्या कार्यवाही की गयी? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में उपरोक्त गडबिडयों के संबंध में प्रकाशित किया गया था? (ग) क्या थाना कोतवाली में ट्रक ऑनर्स एसोसियेशन द्वारा उपरोक्त के संबंध में की गई शिकायत तथा

फर्जी रूप से जारी परिमटों की शिकायत की गई थी? (घ) यदि तत्का. आर.टी.ओ. श्री अजय गुप्ता दोषी थे तो उन पर आज दिनाँक तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? यदि उन पर कोई कार्यवाही की गयी है तो विवरण प्रदाय करें?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ): (क) कलेक्टर छतरपुर कार्यालय की पंजी अनुसार वर्ष 2011 में समाधान ऑन लाईन के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया जाता है। (ख) वर्ष 2011 में समाचार पत्रों में प्रकाशन से संबंधित इस प्रकार की कोई जानकारी कार्यालयीन रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। (ग) उपरोक्त संबंध में प्रभारी, थाना कोतवाली द्वारा पत्र क्रमांक 410/14 दिनाँक 21.02.2014 से प्रदाय की गई जानकारी अनुसार आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं कथन देने हेतु नोटिस जारी किया गया था, परन्तु आवेदक द्वारा कथन देने से इंकार करने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया। (घ) प्रश्लांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

### सीमेंट कांक्रीट रोड (सी.सी.रोड) निर्माण संबंधी

155. (क्र. 2463) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक तक ग्रामों में कराये जा रहे आदिम जाति कल्याण विभाग, परफार्मेन्स ग्रान्ट, गौण खनिज सीमेन्ट कांक्रीट रोड प्राक्कलन अनुसार बनाये जा रहे हैं या नहीं? (ख) उपरोक्त कराये जा रहे सीमेन्ट कांक्रीट रोड स्वीकृत वर्ष, स्वीकृत राशि, ग्राम पंचायत का नाम, मूल्यांकन राशि, व्यय राशि, कार्य की भौतिक स्थिति (पूर्ण, अपूर्ण) की जानकारी देवें? (ग) प्रश्न (क) के अनुसार कराये जा रहे कार्यों का क्यूव टेस्ट करवाकर ही भुगतान किया गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्न (ग) के अनुसार यदि कार्यों का भुगतान हो गया है तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उनके प्रति क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) अधिकांश सी.सी.रोडों का क्यूब टेस्ट कराये गये है, सभी सी.सी.रोडों के क्यूब टेस्ट नहीं हुये है। भुगतान गुणवता पूर्ण सी.सी.रोड के सहायक यंत्री के सत्यापन के उपरांत कराये जाते है। (घ) प्रश्लांश "ग" के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

### परिशिष्ट - "चौरानवे"

# संशोधित बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़ने में की जा रही अनियमितताएं

156. (क्र. 2466) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के चन्दला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसीलों में संशोधित बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़ने हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है? (ख) क्या तहसील चन्दला, गौरिहार, लवकुश नगर में फर्जी तरीके से अपात्र व्यक्तियों का बिना सर्वे किये ही बी.पी.एल. सूची में नाम दर्ज किया जा रहा है? वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक संशोधित बी.पी.एल. सूची ग्राम, व्यक्तिवार उपलब्ध करावें। (ग) यदि यह सही है, तो मापदण्ड के अनुसार सर्वे कराकर सूची में नाम जोड़े जा रहे हैं, तो सर्वे प्रपत्र वर्ष 2013 में प्रश्न दिनाँक तक उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) यदि प्रश्न (ग) के

अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत तहसीलों में संशोधित बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़ने हेतु लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत ग्रामीण नागरिकों द्वारा लोक सेवा केन्द्र अथवा तहसील कार्यालयों में आवेदन किये जाने पर निर्धारित सर्वे प्रपत्र में 14 या 14 से कम अंक प्राप्त होने पर बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़ने का प्रावधान है (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

### आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में बजट आवंटन

157. (क्र. 2492) श्री संजय उड़के : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को आदिवासी उपयोजना क्षेत्र मद में उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु बजट का आवंटन होता है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितनी राशि विभाग को प्राप्त हुई एवं कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में किन-किन जिलों को आवंटित की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

### आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में बजट आवंटन

158. (क्र. 2493) श्री संजय उड़के : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को आदिवासी उपयोजना क्षेत्र मद में उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु बजट का आवंटन होता है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितनी राशि विभाग को प्राप्त हुई है एवं कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में किन-किन जिलों को आवंटित की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2013-14 में राशि रू.24603.55 लाख एवं वर्ष 2014-15 में राशि रू.42093.98 लाख विभाग को प्राप्त हुई। वर्षवार, योजनावार, जिलों को आवंटित राशि (वर्षान्त की स्थिति में) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है।

# निर्मल भारत अभियान अंतर्गत कार्य की जाँच

159. (क्र. 2494) श्री संजय उड़के : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले में निर्मल भारत अभियान से संबंधित गलत जानकारी देने एवं भ्रष्टाचार की जाँच प्रश्नकर्ता की शिकायत पर कराई गई है? (ख) यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन की प्रति मय दस्तावेज के उपलब्ध करावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

## प्रधानमंत्री सी.सी. रोड के दोनों ओर नालियों का निर्माण

160. (क्र. 2513) श्री दिलीप सिंह शेखावत: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित प्रधानमंत्री सी.सी.रोड के दोनों ओर पानी निकासी हेतु नालियां बनाई जाने का प्रावधान है? (ख) क्या रोड के दोनों तरफ नालियाँ बनाने

का प्रावधान है? यदि है तो कितनी जगह नालियां बनाई गई है एवं कितनी जगह नहीं बनाई गयी? (ग) यदि ऐसा नियम नहीं है तो पानी निकासी हेतु क्या शासन नालियां बनाने का प्रावधान करेगा? शेष जगह कब तक नालिया बन जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के डीपीआर में आवश्यकता होने पर सी.सी. रोड के दोनों ओर पानी निकासी हेतु सामान्यतः नाली बनाये जाने का प्रावधान किया जाता है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार। सामान्यतः स्थल पर आवश्यकता होने पर नाली निर्माण किया गया है, कितिपय स्थानों पर नाली निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न होने, भूमि विवाद होने अथवा तत्समय डीपीआर में प्रावधान नहीं किये जाने से उक्त स्थलो पर नाली निर्माण नहीं हो सका है। (ग) कार्य स्थल पर नाली निर्माण की आवश्यकता होने, निर्माण हेतु आवश्यक निर्विवाद भूमि उपलब्ध होने एवं मार्ग के निर्माणाधीन होने की स्थित में उक्त कार्य कराये जाने का प्रावधान किया जायेगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

## बैतूल में किसानों को ड्रिप सप्लाई

161. (क्र. 2530) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल में वर्ष 2009 से 2014 तक कृषकों ड्रिप वितरित किये गये थे? (ख) क्या ड्रिप वितरण में विभाग की सहमित ली गई थी? यदि हाँ, तो कृषकों को ड्रिप कनेक्शन वितरण एजेंसी ने किस प्रकार दिये है? (ग) ड्रिप वितरण कंपनी को भैसदेही, घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में कितने रूपये का भुगतान किया गया है? (घ) ड्रिप वितरण में कितने रूपये का घोटाला हुआ है जाँच क्यों रोकी गई है? जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। लक्ष्यों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार ही ड्रिप वितरित किये गये ड्रिप कनेक्शन वितरण एम.पी.एग्रो एवं विपणन संघ बैत्ल के द्वारा वितरित किये गये। (ग) वर्ष 2009 से 2013 के दौरान भैंसदेही विकासखंड के दो कृषकों में वितरित ड्रिप की अनुदान राशि रू.80000 मात्र का भुगतान ड्रिप वितरण संस्था विपणन संघ बैत्ल एवं वर्ष 2014-15 में एम.पी.एग्रो एवं विपणन संघ बैत्ल के माध्यम से घोड़ाडोंगरी में चार एवं भैंसदेही के पांच किसानों को ड्रिप का वितरण किया गया है, जिसकी अनुदान राशि रू.603060 भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) ड्रिप वितरण में किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है न ही किसी प्रकार की जाँच को रोका गया है, अत: शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट - "पचानवे"

## शाहपुर (बैत्ल) में घरेलू गैस का वितरण

162. (क्र. 2531) श्री सज्जन सिंह उईके: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाहपुर बैतूल में घरेलू गैस वितरण किस कंपनी/एजेंसी को है? (ख) ग्राम घोड़ाडोगंरी/पाठर/भौरा में वर्ष 2010 से 2014 में वितरण एजेंसी की शिकायतें पूर्व में उपभोक्ताओं द्वारा की गई थी? यदि हाँ, तो कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? (ग) ग्रामीण क्षेत्र बीजादेही, घपाड़ा, केसिय के उपभोक्ताओं को गैस लेने के लिये शाहपूर 20-25 कि.मी. आना पड़ रहा है कब व्यवस्था होगी?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

### सहकारी समिति द्वारा की गई अनियमितता

163. (क्र. 2539) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रोहित गृह निर्माण सहकारी समिति का संचालक मंडल भंग कर शासकीय अधिकारी को उक्त समिति का नियंत्रण दिया गया है? अगर हां, तो उक्त नियंत्रण अधिकारी का पदनाम/नाम दें? (ख) क्या उक्त सहकारी समिति में प्रश्न तिथि तक क्या-क्या अनियमतितायें पाई गई है? (ग) उक्त समिति में कुल कितने लोगों ने प्लाट के लिये कितनी-कितनी राशि जमा की? कुल कितने लोगों को प्लाट प्राप्त नहीं हुये? नामवार/राशिवार जानकारी दें? (घ) किस-किस नाम/पदनाम के विरूद्ध विभाग द्वारा प्रश्नतिथि तक एफआईआर किस थाना क्षेत्र में दर्ज करवाई है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ. श्री एन.एस. हांडा, अंकेक्षण अधिकारी. (ख) सहकारी अधिनियम/नियम एवं उपविधियों का उल्लंघन, आर्थिक दुरूपयोग, एक-एक भूखण्डों के दो-दो विक्रय पत्र, सदस्यता से छेड़छाड़, अपात्र व्यक्तियों को भूखण्ड का आवंटन एवं पंजीयन करने संबंधी प्रमुख अनियमिततायें परिलक्षित हुई है. (ग) समिति का रिकार्ड प्राप्त न हो पा सकने के कारण जानकारी देना संभव नहीं है. (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

### परिशिष्ट - "छियानवे"

## निर्माण समितियों द्वारा नियम विरूद्ध गृह कार्य

164. (क्र. 2540) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री बजरंग गृह निर्माण सह. समिति उज्जैन को पटवारी हल्का नं. 35 में 15.321 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी? अगर हां, तो कब? जारी आदेशों की एक प्रति उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सह. समिति को उक्त भूमि का कब्जा किस दिनाँक को दिया गया? अगर नहीं दिया गया तो क्यों कारण दें? नियम बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित गृह निर्माण सहकारी समिति को आवंटित भूमि पर किस नाम/पते वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों ने कब्जा कर अवैध प्लाट काट लिये? नामवार जानकारी दें? (घ) विभाग अवैध सहकारी समितियों के विरुद्ध किन नियमों के तहत कब व क्या कार्यवाही करेगा? अगर नहीं तो क्यों? कारण दें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जी नहीं. शेष का प्रश्न नहीं उठता. (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता. (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता. (घ) जिले में अवैध सहकारी समिति न होने से कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता.

# मुलताई विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्य

165. (क्र. 2573) श्री चन्द्रशेखर देशमुख: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग में विगत दो वर्षों में विभिन्न मदों से कुल कितने कार्य स्वीकृत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य अप्रारंभ, प्रगतिरत एवं पूर्ण कर दिये गये हैं? संख्या दी जावे एवं किन कारणों से कार्य प्रारंभ नहीं हो सके उल्लेख किया जावे? (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत क्या कार्यों की स्वीकृति तकनीकी संबंधित कर्मचारी / अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण पश्चात् प्राक्कलन तैयार कर जारी की गई है? यदि हाँ, तो प्राक्कलनों में समाविष्ट माप एवं आयटमों में एक रूपता किन परिस्थितियों में परिलक्षित होती है? यदि नहीं, तो

क्या विभागीय तकनीकी अमले द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात् प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति न करने वाले दोषी अधिकारी / कर्मचारी पर कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) अंतर्गत कार्यालय प्रमुख द्वारा उक्त अप्रारंभ कार्यों को नजर अंदाज कर प्रारंभ करवाने में रूचि न लेने पर शासन द्वारा क्या उन पर कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्रश्नांकित अविध में मुलताई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 27 कार्य स्वीकृत हैं। (ख) स्वीकृत कार्यों में से 04 कार्य अप्रारंभ, 19 कार्य प्रगतिरत एवं 04 कार्य पूर्ण हैं। 02 कार्यों में पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में होना एवं 02 कार्यों में विलंब से आवंटन प्राप्त होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सके। (ग) जी हाँ। स्थल पर कराये गये कार्य एवं तकनीकी स्वीकृति में कार्य के दौरान स्थानीय परिस्थितियों अनुसार प्राक्कलन के कुछ आयटम एवं वास्तविक किये गये कार्य के आयटम में एकरूपता नहीं होना स्वाभाविक होता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

### फर्जी स्थानांतरण आदेश पर कार्यवाही

166. (क्र. 2584) श्री बहादुर सिंह चौहान: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास में पदस्थ किसी सहायक संचालक के द्वारा स्वयं का फर्जी स्थानान्तरण आदेश जारी करने बावत् कोई प्रकरण संचालनालय के प्रकाश में आया था? (ख) क्या फर्जी आदेश के संबंध में किसी जाँच दल का गठन किया गया था? यदि हाँ, तो जाँच दल के द्वारा किन-किन को दोषी माना गया? (ग) यदि हाँ, तो किस स्तर के अधिकारी के नाम से ये फर्जी आदेश जारी किया गया था? (घ) क्या दोषी कर्मचारी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु संयुक्त संचालक कृषि भोपाल को संचालनालय के पत्र क्रमांक/अ-2-ग/स्था./4937 दिनाँक 22.10.2013 के द्वारा लिखा गया था? अभी तक क्या कार्यवाही की गई तथा कब तक की जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) संचालनालय से नहीं। संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल संभाग भोपाल में पदस्थ सहायक संचालक श्री बी.एल.शाक्य के स्थानांतरण से संबंधित फर्जी आदेश क्रमांक अ-1-बी/स्था/स्थानांतरण/2012/2863 बी, दिनाँक 11/5/2012 संबंधी प्रकरण प्रकाश में आया था। (ख) जी हाँ। जाँच दल के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री बी.एल.शाक्य, संचालनालय एवं कार्यालय संयुक्त संचालक कृषि भोपाल के केंद्रीय जावक के कर्मचारी की मिलीभगत होने संबंधी निष्कर्ष दिया गया। (ग) उक्त आदेश संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल के नाम से जारी हुआ है। (घ) जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारी श्री शाक्य एवं कार्यालय संयुक्त संचालक, कृषि भोपाल के जावक शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही हेतु लिखा गया था। फर्जी आदेश संबंधी प्रकरण की जाँच पुनः संयुक्त संचालक भोपाल संभाग भोपाल से कराई गई। जाँच के जाँच प्रतिवेदन में फर्जी आदेश जारी करने संबंधी आरोप में श्री शाक्य के विरूद्ध आरोप प्रमाणित न पाये जाने के कारण शिकायत नस्तीबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है।

## महिदपुर की समितियों से राशि की वसूली

167. (क्र. 2585) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र की बैजनाथ कृषि सेवा समिति एवं कासोन कृषि सेवा समिति द्वारा

01.01.10 से 30.06.15 तक कितनी प्रीमियम राशि वसूली गई? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि अनुसार कितनी बीमा क्लेम राशि वितरित की गई? (ग) क्या कासोन समिति प्रबंधक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण बनने पर इन्हें बर्खास्त किया गया? यदि नहीं, तो कब तक किया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार दोनों समितियों के घोटालों की उच्च स्तरीय जाँच कब तक करवाई जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) संस्था बैजनाथ द्वारा राशि रूपये 6090763.11 तथा संस्था कासोन द्वारा राशि रूपये 1551272.56 प्रीमियम राशि वसूल की गई. (ख) संस्था बैजनाथ द्वारा राशि रूपये 15382964.88 तथा संस्था कासोन द्वारा राशि रूपये 5145388.33 प्राप्त बीमा क्लेम की राशि का वितरण किया गया है. (ग) जी नहीं, पुलिस प्रकरण बनने के कारण निलंबित किया गया है. विवेचना के निष्कर्षो तथा सेवानियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जायेगी. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (घ) संस्था कासोन की जाँच कराई जा चुकी है तथा संस्था बैजनाथ की कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से जाँच नहीं कराई गई है.

## जनपद पंचायत महिदपुर के ग्राम पं. पेटलावद व कामल्याखेड़ी स्वीकृत कार्य

168. (क्र. 2588) श्री बाला बच्चन: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत महिदपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पेटलावद एवं कामल्याखेड़ी द्वारा दि. 01.01.10 से 30.06.15 तक कितने कार्य स्वीकृत किए गए? कार्य नाम, स्वीकृति दि., लागत सिहत पूर्ण अपूर्ण स्थिति बतावें? (ख) गुणवत्ताहीन कार्यों की जाँच कब तक कर ली जावेगी? (ग) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएगे?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : क) जनपद पंचायत महिदपुर की ग्राम पंचायत पेटलावद में 50 कार्य एवं ग्राम पंचायत कामल्याखेडी में 75 कार्य स्वीकृत किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार (ख) वर्तमान में कोई जाँच प्रचलित नहीं है। (ग) अपूर्ण कार्य वितीय वर्ष 2015-16 अंत तक पूर्ण कराया जाना है।

## ग्राम पंचायतों को प्राप्त राशि

169. (क्र. 2593) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत दाबरभाट, सुनारी, जनपद पंचायत नरवर जिला शिवपुरी में समस्त मदों/समस्त योजनाओं के अंतर्गत दिनाँक 01.04.2009 से 20.01.2015 तक कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु किन-किन मदों योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त हुई? (ख) उक्त राशि से क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी लागत से कहाँ-कहाँ कराये गये एवं कितनी-कितनी राशि उक्त कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत भुगतान की गई? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में वर्णित ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों एवं योजनाओं के अंतर्गत राशि आवंटित की गयी थी? उक्त राशि संबंधित सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत द्वारा आहरित कर ली गई है परन्तु कार्य नहीं कराये गये है? ऐसे कार्यों की राशि सहित जानकारी संलग्न कर बताएं? (घ) प्रश्नाधीन वर्णित ग्राम पंचायतों में क्या-क्या भ्रष्टाचार एवं अनिमितताएं की गई हैं? एवं उन अनिमितताओं पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" के कालम 3, 4 एवं 5 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" के कालम 5, 7, 2 एवं 10 अनुसार। (ग) जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। (घ) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# मुरैना जिले में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी

170. (क्र. 2596) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में विकासखण्डवार कितने किनष्ठ आपूर्ति अधिकारियों की पदस्थापना है, नामवार जानकारी दी जावें? (ख) मुरैना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं? विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संस्थावार कार्य स्थल एवं प्रबंधक/संचालक की जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ग) क्या मुरैना जिले की समस्त उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों द्वारा प्रत्येक माह प्राप्त खाद्यान्न को समस्त हितग्राही को वितरण किया जाता है, यदि नहीं, तो क्या संचालकों द्वारा शेष खाद्यान्न को समर्पण हेतु खाद्य विभाग के सुपुर्द किया जाता है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी एवं 06 मुरैना के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विगत एक वर्ष में खाद्यान्न प्राप्त न होने के संबंध में किस-किस संस्था एवं उसके संचालक के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? निश्वित समय-सीमा बतावें?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) मुरैना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 115 और ग्रामीण क्षेत्र में 185 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। संस्थावार संचालित उचित मूल्य दुकानों के नाम, कार्यस्थल, प्रबंधक / संचालक की विधानसभावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग) उचित मूल्य दुकान से संलग्न अन्त्योदय परिवारों की संख्या एवं प्राथमिकता परिवारों की सदस्य संख्या के आधार पर खाद्यान्न का प्रदाय उचित मूल्य दुकानों को किया जाता है। उचित मूल्य दुकान से संलग्न पात्र परिवार किसी विशिष्ट माह की सामग्री प्राप्त न करने की दशा में उसे अगले माह प्राप्त कर सकते हैं। दो माह के भीतर सामग्री प्राप्त नहीं करने पर उस शेष सामग्री का समायोजन आगामी माह में किया जाता है, जिससे दुकानों को आगामी माह में उतना कम खाद्यान्न प्राप्त होता है। (घ) विधानसभा क्षेत्र दिमनी एवं मुरैना में उचित मूल्य दुकान से सामग्री वितरण न करने के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'स' अनुसार है। शेष भाग का प्रथन उपस्थित नहीं होता।

## परिशिष्ट - "सतानवे"

## ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित योजना

171. (क्र. 2598) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुरैना में कौन-कौनसी योजनाओं का क्रियान्वयन संचालित है, योजनावार जानकारी प्रदान की जावें? इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी में पदस्थ मैदानी अधिकारी/कर्मचारी के नाम, पदनाम का ब्यौरा दिया जावें? (ख) कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुरैना द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में निर्माण कार्य (यथा-सी.सी. खरंजा, डब्ल्यूबीएम रोड निर्माण आदि) का क्रियान्वयन शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं मापदण्डों के अनुरूप नहीं कराया गया है, के संबंध में कब तक योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जावेगा, निश्चित समय-सीमा बताई जावें? (ग) कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुरैना द्वारा

विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में कितने निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितनी राशि के किस-किस ग्राम पंचायत में कराये गये?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुरैना में क्रियान्वियत योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। विधान सभा क्षेत्र दिमनी में पदस्थ मैदानी अधिकारी/कर्मचारियों का व्यौरा की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुरैना अंतर्गत निर्माण कार्य शासन के मापदण्ड अनुसार कराये गये है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुरैना द्वारा विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में कराये गये निर्माण कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

परिशिष्ट - "अट्ठानवे"

### ग्रामीण ए.पी.एल. परिवारों को केरोसिन वितरण

172. (क्र. 2599) श्री नारायण त्रिपाठी: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत किस-किस श्रेणी के परिवार को क्या-क्या खाद्यान व केरोसिन कितनी-कितनी मात्रा में वर्तमान में प्रदेश में प्रदाय किया जा रहा है? (ख) क्या खुले बाजार में केरोसिन उपलब्ध है और आम उपभोक्ताओं को आसानी से उपलब्ध हो रहा है? (ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण ए.पी.एल. परिवारों को केरोसिन उपलब्ध कराये जाने की क्या योजना है? (घ) मैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने ए.पी.एल. परिवारों व प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को अब तक किसी प्रकार की खाद्यान/राशन पर्ची/कूपन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है और क्यों?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राष्ट्रीय खाद्य स्रक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानान्सार तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) एवं प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) प्रतिमाह प्रति सदस्य तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के एवं 22 आदिवासी जिलों के प्राथमिकता परिवारों को 5 लीटर केरोसीन एवं शेष जिलों के प्राथमिकता परिवारों को 4 लीटर केरोसीन प्रतिमाह प्रति परिवार वितरण किया जा रहा है। (ख) प्रदेश के 116.60 लाख पात्र परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केरोसीन का वितरण शासकीय उचित मूल्य द्कानों के माध्यम से किया जा रहा है। खुले बाजार में केरोसीन उपलब्ध कराने हेतु गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का केरोसीन कोई भी व्यक्ति समानांतर विपणनकर्ता से प्राप्त कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा सकता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा केरोसीन (उपयोग पर निर्वधन और अधिकतम कीमत नियतन) संशोधन आदेश, 2015 द्वारा आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार। (घ) गैर प्राथमिकता श्रेणी के ए.पी.एल. परिवारों को पात्रता पर्ची उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। मैहर विधानसभा में प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई जा चुकी है। पात्र परिवार की श्रेणी में सम्मिलेत परिवार यदि सत्यापन से शेष रह गया है तो वह परिवार स्थानीय निकाय में आवेदन देकर पात्र परिवार के रूप में सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त कर सकता है। पात्र परिवारों के सत्यापन उपरांत उन्हें पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है।

# भोपाल दुग्ध संघ में व्याप्त अनियमितताएं

173. (क. 2600) श्री नारायण त्रिपाठी: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल दुग्ध संघ भोपाल शासन के किन नियमों, उपनियमों, शर्तों आदि के अधीन किस स्तर पर पंजीकृत है? संस्था के संचालक मण्डल का विवरण देते हुए गत पांच वर्षों का आय-व्यय का ब्यौरा उपलब्ध करावें? (ख) उक्त संस्था से वर्तमान में कितनी दुग्ध उत्पादक समितियां और पशुपालक संबद्ध हैं और उन्हें किस-किस प्रकार लाभान्वित किया जा रहा है? संस्था की पशुपालकों के हितार्थ प्रचलित योजनाओं का विवरण दें? क्या दुग्ध प्रदाता पशुपालकों व समितियों को नियमित लाभांश दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) सांची ब्रांड के विभिन्न उत्पादों की प्रति यूनिट उत्पादन लागत क्या है और इन्हें कितने लाभ पर बाजार में विक्रय किया जा रहा है? गुणवत्ता नियंत्रण हेतु संस्था व विभाग में क्या-क्या मापदण्ड प्रचलित हैं? क्या इनका पूर्ण रूपेण पालन किया जा रहा है? नहीं, तो क्यों? (घ) भोपाल दुग्ध संघ द्वारा लाभांश के वितरण में गड़बड़ी व विभिन्न अधोसरंचना व विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की क्या-क्या शिकायतों विगत पांच वर्षों में संघ, विभाग व शासन को प्राप्त हुई हैं? शिकायतवार की गई कार्यवाही का विवरण दें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के अन्तर्गत, पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल के स्तर पर पंजीकृत, विवरण पुस्ताकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है, गत पांच वर्षों का आय-व्यय का ब्यौरा पुस्ताकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है. (ख) 2440 दुग्ध सहकारी समितियां एवं 1,00,049 पशुपालक, संस्था के पशुपालकों के हितार्थ प्रचलित योजनाओं का विवरण पुस्ताकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है, जी हाँ, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जानकारी पुस्ताकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों में गुणवत्ता हेतु खाय सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 नियम 2011, विनियम 2011 के अन्तर्गत आवश्यक समस्त खाय मानकों का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है तथा जाँच हेतु समस्त आवश्यक उपकरण उपलब्ध है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

# वाटर शेड योजनान्तर्गत स्वीकृत/सम्पन्न कार्य

174. (क्र. 2604) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 व प्रश्न दिनाँक तक सागर जिले के अंतर्गत जिला पंचायत द्वारा संचालित वाटर शेड की आई.डब्लू.एम.पी. की समस्त योजनाओं के वर्षवार कुल कितने कार्य कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? (ख) स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण हो चुके है और कितने कार्य प्रचलित व अपूर्ण है? अपूर्ण कार्यों में कितने प्रतिशत कार्य शेष है? शेष कार्य के विरुद्ध कितनी राशि निर्माण एजेंसी द्वारा आहरित की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) वर्णित अविध में ऐसे कौन-कौन से स्वीकृत कार्य है जो आरंभ ही नहीं किये गये और राशि सरेण्डर कर दी गई? क्यों? इस हेतु कौन-कौन उत्तरदायी हैं? (घ) विगत दो वर्षों में उक्त जिलों में कौन-कौन

सी नवीन योजनाओं को स्वीकृति दी गई है? इनमें कितनी-कितनी राशि से कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "1" अनुसार है। (ख) कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "1" अनुसार है। शेष अपूर्ण कार्य हेतु कोई राशि आहरित नहीं की गई। (ग) स्वीकृत कार्य जो कि अभी आरंभ नहीं किये गये है कि जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "1" अनुसार है। उक्त अप्रारंभ कार्य की कोई राशि सरेंडर नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "1" अनुसार है।

### वित्त आयोग की राशि से निर्माण कार्य

175. (क्र. 2605) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले देवरी वि.स.क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक 13 वें वित्त आयोग मद में वर्षवार कितनी कितनी राशि किस-किस एजेंसी को आवंटित की गई? आवंटित आदेश की प्रति सहित विवरण दें? (ख) उक्त आवंटित राशि में से किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि आवंटित हुई? (ग) उक्त राशि से स्वीकृत कार्यों हेतु वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृतियां कब-कब जारी हुई? स्वीकृत कार्य कितनी-कितनी राशि से किस एजेंसी द्वारा कब पूर्ण कराये गये? कौन-कौन से स्वीकृत कार्य निर्माणाधीन व अप्रारंभ हैं? (घ) उक्त निर्माण कार्यों से संबंधित उक्त अवधि में क्या-क्या शिकायतें शासन, विभाग, आदि को प्राप्त हुई? इन पर कार्यवाही, जाँच की अयतन स्थिति क्या है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (घ) उक्त निर्माण कार्यों से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

# छिन्दवाइा जिले के विकासखण्ड विछुवा में निर्मित डबल लॉक गोदाम का प्रारंभ कराया जाना

176. (क्र. 2616) पं. रमेश दुबे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में विगत 5 वर्षों में डबल लॉक का गोदाम कितनी क्षमता से, कितनी राशि से, कहाँ-कहाँ पर निर्मित कराये गये है? (ख) क्या छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड विछुआ में विगत 2 वर्ष पूर्व डबल लॉक का गोदाम बनकर तैयार किया है किंतु इसको प्रारंभ नहीं कराया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? कारण स्पष्ट करें? (ग) क्या उक्त गोदाम के प्रारंभ नहीं होने से विकासखण्ड विछुआ के सहकारी समितियों को काफी दूर छिन्दवाड़ा से खाद का परिवहन करना पड़ता है जिसके चलते किसानों को खाद आपूर्ति में कठिनाई हो रही है? (घ) क्या शासन विकासखण्ड विछुआ में निर्मित उक्त डबल लॉक गोदाम को शीघ्र प्रारंभ कराने का आदेश देगा? यदि हाँ, तो कब तक गोदाम में भण्डारण प्रारंभ करा दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) छिन्दवाड़ा जिले में विगत 5 वर्षों में आर.के.व्ही.वाय. योजना अन्तर्गत एग्रीसाल्यूसन सेन्टर के नाम से गोदामों का निर्माण कराया गया, जानकारी संलग्न पिरिशष्ट अनुसार है. (ख) छिन्दवाड़ा जिले के बिछुआ जिले में आर.के.व्ही. वाय. योजना अन्तर्गत एग्रीसाल्यूसन सेन्टर के नाम से गोदामों का निर्माण कराया गया जो 16.09.2013 को बन कर तैयार हुआ जिसमें वर्ष 2014-15 में सर्मथन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ का भण्डारण किया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) गोदाम में उपार्जित गेहूँ भण्डारित रहने से विकास खण्ड बिछुआ के

सहकारी समितियों को छिन्दवाड़ा से खाद की आपूर्ति कराई गई. (घ) रबी सीजन वर्ष 2015-16 से इस गोदाम में खाद का भण्डारण किया जायेगा.

### परिशिष्ट - "निन्यानवे"

## छिन्दवाडा जिले में पुल का निर्माण

177. ( क. 2617 ) पं. रमेश दुवे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड विछुवा में ग्राम बड़ोसा के समीप प्रवाहित नदी पर पुल निर्माण के पूर्ण होने की अविध क्या थी? पुल निर्माण की प्रगति क्या है? क्या निर्माण कार्य पूर्ण हुआ? यदि नहीं, तो जिम्मेदार कौन है? (ख) क्या उक्त पुल का निर्माण कार्य म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के द्वारा कराया जा रहा है? किंतु उनके द्वारा इस पुल के निर्माण में रूचि नहीं लेने के चलते पुल निर्माण में विलंब हो रहा है? पुल निर्माण में हो रहे विलंब पर विभाग के द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, की गयी है तो क्यों? (ग) क्या उक्त पुल का निर्माण कार्य विगत 4-5 वर्षों से चल रहा है किंतु उसका निर्माण कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ जिसके चलते वर्षाकाल में नागरिकों को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है? (घ) क्या शासन उक्त पुल निर्माण को संज्ञान में लेकर अब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारणों की जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा पुल का निर्माण कार्य तीव्रता से कराकर शीघ्र पूर्ण करने का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड विछुआ में ग्राम बड़ोसा के समीप डोडीनाला एवं सर्पानाला पर पुल निर्माण की अनुबंधानुसार क्रमशः दिनाँक 08/06/13 एवं 08/12/13 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि थी। वर्तमान में उक्त पुलों का निर्माण कार्य क्रमशः 15 एवं 80 प्रतिशत पूर्ण है। जी नहीं। विलम्ब के लिये ठेकेदार उत्तरदायी है। (ख) जी हाँ ! जी नहीं ! विभाग द्वारा अनुबंध के प्रावधान अनुसार विलम्ब से कार्य करने वाले ठेकेदारों के चलित देयक से पेनाल्टी हेतु राशि का कटोत्रा किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा पैकेज क्रमांक बी-01 (डोडीनाला) में प्रगति नहीं लाने के कारण उनका अनुबंध दिनाँक 16/06/2015 को निरस्त किया जा युका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, निर्माणाधीन पुलों का कार्य पूर्ण नहीं होने से नागरिकों को विशेष कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि निर्माणाधीन पुलों के समीप पूर्ण निर्मित रपटो का ठेकेदार द्वारा रख रखाव कार्य कराया जा रहा है जिससे ग्रामीणों का आवागमन हो रहा है। (घ) पुल निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के लिये ठेकेदार उत्तरदायी है उक्त ठेकेदार के विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही की गई है अतः जाँच कराने, दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। पुल निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य पेंशन योजनाएं

178. (क्र. 2626) श्री आशीष गोविंद शर्मा: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के खातेगांव जनपद पंचायत में वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक कितने हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन वितरण की जा रही थी? (ख) हितग्राही

की मृत्यु होने के अलावा प्रश्नाधीन दिनाँक तक कितने पेंशनधारियों को समग्र पोर्टल पर इंट्री होने से पेंशन पुन: प्राप्त हो रही है? संख्या बताएं? (ग) क्या वर्तमान में सैकड़ो पात्र व्यक्ति नाम छूट जाने से पेंशन योजना का लाभ लेने से वंचित है? (घ) जिन पंचायत सचिवों/रोजगार सहायकों ने अपनी पंचायतों में इंट्री कराने में लापरवाही बरती है? उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) वर्ष 2012-13 तक नगरीय निकायों में 1590 तथा पंचायत क्षेत्र में 6638 इस प्रकार कुल 8228 हितग्राहियों को विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभांवित किया जा रहा था। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। पात्र हितग्राहियों को नियमित रुप से पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश-"ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

### परिशिष्ट - "सौ"

### पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत प्राप्त राशि

179. (क्र. 2627) श्री आशीष गोविंद शर्मा: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले अंतर्गत खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के अंतर्गत पंच परमेश्वर योजना के तहत कितनी राशि का आवंटन किया गया? पंचायतवार जानकारी देवें? (ख) पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत किस आधार पर कितनी राशि का आवंटन किया जाता है? क्या ग्राम पंचायतों के बजट आवंटन में विसंगति पाई गई है? (ग) इस योजना के तहत वर्ष 2015 से 2016 में आवंटन में कितनी राशि ग्राम पंचायतों के खातों में डाली जा चुकी है कुल योग बतावें? (घ) किन पंचायतों द्वारा प्रश्नाधीन दिनाँक तक राशि खर्च नहीं की है?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) देवास जिले के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 72423935/- एवं वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 38680649/- पंच-परमेश्वर योजना के तहत आवंटन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) पंच-परमेश्वर योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर राशि का आवंटन किया जाता है। ग्राम पंचायतों के बजट आवंटन में विसंगति से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) पंच-परमेश्वर योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 में राशि का आवंटन नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) योजनांतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा पिछले वितीय वर्ष में प्राप्त राशि का व्यय किया गया है।

## प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में स्वीकृत सड़़कें

180. (क्र. 2629) श्री आशीष गोविंद शर्मा: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खातेगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विगत 5 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं, सूची देवें। (ख) विगत 5 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण अनुबंध की शर्तों के अनुसार खातेगांव विधान सभा क्षेत्र में निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होना था? समयाविध बतावें व लागत एवं निर्माण ऐजेन्सी का नाम बतावें? (ग) क्या विगत 5 वर्ष पश्चात पुन: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क को डामरीकृत किया जाता है

तो खातेगांव विधान सभा क्षेत्र की सड़कों को पुन: 5 वर्ष पश्चात कब निर्माण/दुरस्तीकरण करवाया गया लागत सिहत बतावें? (घ) खातेखांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री सड़क जो उखड़ चुकी है क्षितिग्रस्त हो गई उन्हें पुन: कब तक दुरस्त/निर्माण किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 5 वर्ष की गारंटी अवधि पश्चात् आवश्यकता होने पर पुनः डामरीकरण (बी.टी. रिन्यूवल) का कार्य कराया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कें जो भारी वाहनों के आवागमन से प्रभावित है उनके रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

## चैकपोस्ट बैरियर पर शुल्क वसूली

181. (क्र. 2630) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परिवहन विभाग द्वारा म.प्र. के समस्त चैकपोस्टों को परिवहन शुल्क वस्त्नने हेतु शासकीय भवन उपलब्ध कराया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में शासकीय भवन उपलब्ध नहीं होने पर म.प्र. के समस्त चैकपोस्टों हेतु स्थल चिन्हित कराया जाकर अशासकीय भवन उपलब्ध कराने हेतु कोई निर्देश आदेश परिपत्र एवं अधिस्चना जारी हुई है या नहीं, यदि हाँ, तो जानकारी देवें? (ग) मुरैना में स्थित आर.टी.ओ. बैरियर (चैक पोस्ट) अशासकीय भवन में स्थापित हैं, क्या इनके संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी हुए है? क्या उक्त अशासकीय भवन का विधिवत किराया निर्धारण कराया गया है? उक्त अशासकीय भवन में परिवहन चैकपोस्ट कब से कब तक स्थापित करने हेतु समय निर्धारित किया गया है? (घ) क्या आर.टी.ओ. बैरियर (चैक पोस्ट) मुरैना पर विगत 2 वर्ष के कार्यकाल में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है? यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियमों के अंतर्गत कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं? विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक कार्यवाही की जावेगी, निश्चित समय-सीमा बतावें?

परिवहन मंत्री ( श्री भूपेन्द्र सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में परिवहन चेक पोस्टों की स्थापना के समय शासकीय भवन या भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अशासकीय भवन में चेक पोस्ट का संचालन प्रारम्भ किया जाता है। अशासकीय भवन में संचालित परिवहन चेक पोस्ट का किराया कलेक्टर व्दारा निर्धारण उपरान्त भुगतान किया जाता है। इस संबंध में पृथक से कोई परिपत्र जारी नहीं है। (ग) वर्तमान में परिवहन चेक पोस्ट मुरैना अशासकीय भवन में संचालित है। भवन का किराया कलेक्टर मुरैना द्वारा निर्धारण कराया गया है। परिवहन चेकपोस्ट मुरैना को शासन की योजनानुसार शीघ्र ही एकीकृत परिवहन चेक पोस्ट के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। एकीकृत चेकपोस्ट निर्मित होने तक यह अशासकीय भवन में स्थापित रहेगा। (घ) परिवहन चेकपोस्ट मुरैना पर विगत 2 वर्ष की अविध में प्रभारी अधिकारी परिवहन चेकपोस्ट मुरैना पर पदस्थी के दौरान श्री प्रवीण नाहर परिवहन निरीक्षक के विरूद्ध थाना सिविल लाईन मुरैना व्दारा अपराध क्रमाक

564/14 दिनाँक 31.10.2014 को पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना की जा रही है इसलिए कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

# उज्जैन जिलान्तर्गत कार्यरत कृषि प्रयोगशालाएं

182. (क्र. 2656) डॉ. मोहन यादव: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में किसानों के कृषि से संबंधित कितनी प्रयोगशालाएं किन-किन प्रयोजनार्थ कब से कार्यरत हैं? (ख) क्या प्रौद्योगिकी मिशन अंतर्गत प्रयोगशाला प्रारंभ करने हेतु उज्जैन विधानसभा क्षेत्र में कोई प्रयास हुआ हैं? यदि हाँ, तो कहाँ एवं वर्तमान स्थिति क्या हैं? (ग) क्या शासन किसानों एवं युवाओं के हित में उज्जैन विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की मंशा शासन रखता हैं? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ): (क) उज्जैन जिलें में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वर्ष 1971 से संचालित है, जिसमें मिट्टी के नमूनों का परीक्षण किया जाता है। म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, की 01 बीज परीक्षण प्रयोगशाला दिनाँक 06.11.2012 से संचालित है, जिसमें मात्र बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से संबंधित बीज नमूनों का परीक्षण किया जाता है। (ख) जी नहीं। (ग) वितीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए नवीन कृषि महाविधालय खोलने की कार्यवाही पर विचार नहीं किया जा रहा है।

### नकली बीज की शिकायत पर कार्यवाही

183. (क्र. 2658) डॉ. मोहन यादव: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013 एवं 2014 में उज्जैन जिले में किसानों को नकली अनुपजाऊ, खराब सोयाबीन सप्लाई के किन-किन विक्रेताओं के खिलाफ शिकायतें जिले के कलेक्टर/उप संचालक कृषि उज्जैन को मिली? (ख) उक्त शिकायतों पर नकली अनुपजाऊ सोयाबीन सप्लायर्स पर क्या-क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) उज्जैन जिले में नकली, अनुपजाऊ सोयाबीन सप्लायर्स के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ख) उत्तरांश 'क' के तारतम्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

# मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास का चयन

184. (क्र. 2679) श्री मेहरबान सिंह रावत: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास शासन ने ग्राम सभा के पारित प्रस्ताव ठहराव के आधार पर चयनित किये जाने के निर्देश जारी किये है? यदि हाँ, तो क्या ग्वालियर चंबल संभाग में इसका पालन किया जा रहा है? (ख) क्या 20 जन् 2014 को जिला पंचायत ग्वालियर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम सभा के पारित प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास चयनित किये जाने का निर्देश जारी किया था? यदि हाँ, तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? यदि किया जा रहा है तो ग्राम सभा के पारित प्रस्तावों के आधार पर 20 जून 2014 के बाद कितने मुख्यमंत्री ग्रामीण

आवास चयनित किये गये है? विकासखण्ड एवं बैंकवार जानकारी देवें? (ग) क्या इस संबंध में जिला पंचायत ग्वालियर पुन: निर्देश जारी करके कड़ाई से पालन करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में प्राप्त आवेदनों में से, पात्र हितग्राहियों की, पंचायत स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित सूचि में, प्राथमिकता के क्रम का निर्धारण, ग्राम सभा द्वारा किये जाने के निर्देश हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## वर्तमान एवं भूतपूर्व सरपंचों के मानदेय का भुगतान

185. (क्र. 2680) श्री मेहरबान सिंह रावत: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर एवं मुरैना जिले के वर्तमान सरपंचों को मानदेय कब से भुगतान नहीं किया गया है? क्यों? कब तक भुगतान किया जावेगा? (ख) क्या भूतपूर्व सरपंचों को भी मानदेय देना शेष है? उन्हें कब तक भुगतान करा दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) ग्वालियर जिले में माह अप्रैल, 2015 से तथा मुरैना जिले में जनपद पंचायत कैलारस में माह जुलाई, 2015 से वर्तमान सरपंचो को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। नवनिर्वाचित सरपंचो के बैंक खाते की जानकारी प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है। नवनिर्वाचित सरपंचो के बैंक खाते की जानकारी प्राप्त होते ही मानदेय का भुगतान किया जावेगा। (ख) जी हाँ। भूतपूर्व सरपंचो द्वारा नोडयूज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही किये जाने के उपरांत शेष मानदेय का भुगतान कर दिया जावेगा।

## प्रदेश में गन्ना नीति का निर्माण

186. (क्र. 2687) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया): क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के अंदर गन्ना नीति बनाये जाने संबंधी प्रक्रिया प्रचलन में है? यदि हाँ, तो कब तक गन्ना नीति तैयार कर ली जायेगी? (ख) प्रदेश के अंतर्गत गन्ना उत्पादक किसानों को शासन द्वारा क्या-क्या स्विधाएं प्रदान की जा रही हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) मध्यप्रदेश गन्ना नीति 2007 से ही प्रचलन में है। अतः शेष कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अन्तर्गत किसानों को प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शुगरकेन हार्वेस्टर एवं अन्य सहायक मशीनिरयों पर अनुदान की स्विधा प्रदान की जाती है।

## 13वें वित्त आयोग परफॉरमेंस मद से स्वीकृत कार्य

187. (क्र. 2700) श्री शैलेन्द्र पटेल: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग ने 13वां वित्त आयोग परफॉरमेंस मद से वर्ष 2012-13 से 2014-15, 2015-16 तक भोपाल संभाग के जिला सीहोर में सीधे पंचायत राज्य संचालनालय से कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किए, वर्षवार पृथक-पृथक ब्यौरा देवें? (ख) कितने कार्यों को स्वीकृत करने की अनुशंसा की है? कितने

विधायकों/सांसदों की अनुशंसा पर कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए, विधायक/सांसदवार, कार्यवार सूची प्रस्तुत करें? (ग) 13वां वित्त आयोग से कार्य स्वीकृत करने के अधिकार किस संस्था को हैं? किस नियम से कार्य स्वीकृत किए जाते हैं, नियमों की सूची उपलब्ध करावें?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) कुल 99 कार्य स्वीकृत किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार।

### प्रदेश में बी.पी.एल. काईधारी हितग्राहियों को खाद्यान्न आवंटन

188. (क. 2702) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या खाय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में कौन-कौन सा एवं कितना-कितना खायान्न पी.डी.एस. हेतु प्रदाय किया गया, इस खायान्न को राज्य सरकार ने किन-किन माध्यमों से हितग्राहियों को वितरित किया? प्रदेश सरकार प्रत्येक परिवार को अधिकतम कितना खायान्न वितरित करती है? (ख) सीहोर जिले में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक वर्षवार कितने बी.पी.एल. कार्डधारी बढ़ाये अथवा घटाये गए? वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करायें (ग) वर्ष 2014-15 में प्रदेश में बी.पी.एल. कार्डधारियों की कितनी संख्या थी, जिलेवार ऑकड़ा देवें? क्या सरकार ने पिछले 1 वर्ष में बी.पी.एल. कार्डधारी परिवारों की संख्या में कमी की है? यदि हाँ, तो कितनी एवं किस आधार पर? (घ) प्रदेश में अंत्योदय परिवार की संख्या कितनी हैं, जिलेवार ब्यौरा देवें?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। केन्द्र सरकार द्वारा आवंदित खाद्यान्न को राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों से उठाकर राज्य की 22,165 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया। वर्तमान में राज्य सरकार अन्त्योदय परिवार (अधिकतम ७ सदस्यों तक) को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह तथा ७ से अधिक सदस्यों वाले अन्त्योदय परिवार तथा प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रति माह के मान से खाद्यान्न वितरित करती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ख' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ख' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। जी हाँ। बीपीएल सर्वे सूची में नाम जोड़ने एवं उसमें से नाम काटने की एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके कारण ऐसा संभव हुआ है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार है।

# भारत माता सहकारी समिति शोभापुर को केरोसिन सप्लाई का आवंटन

189. (क्र. 2710) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर: क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला होशंगाबाद में भारत माता सहकारी समिति शोभापुर को पिपरिया तहसील क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के लिए केरोसिन होलसेलर एवं आवंटन सप्लाई के लिए, कब व किसके द्वारा आदेश दिया गया? इसे कब और किसके द्वारा निरस्त किया गया? इसे निरस्त करने का क्या कारण है? निरस्ती आदेश में कारण स्पष्ट क्यों नहीं किया है? (ख) क्या 28.05.2015 में कमीश्नर, होशंगाबाद ने भारत माता केरोसिन होलसेलर समिति के निरस्ती आदेश को निरस्त किया है? हां तो आदेश का पालन क्यों नहीं

हुआ है? इस आदेश को लंबित क्यों किया जा रहा है? इसमें कौन अधिकारी दोषी है? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समिति के विरूद्ध कोई स्थगन आदेश हुआ है? यदि नहीं, तो, उक्त समिति को आवंटन क्यों नहीं दिया जा रहा है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समिति को आवंटन कब तक दिया जाएगा?

खाच मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) होशंगाबाद जिले में भारत माता सहकारी समिति, शोभापुर को पिपरिया तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के हेतु केरोसिन सेमी होलसेलर की अनुज्ञित कलेक्टर एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी, होशंगाबाद द्वारा दिनाँक 16.12.2014 को स्वीकृत की गई एवं जिला आपूर्ति नियंत्रक, होशंगाबाद के हस्ताक्षर से दिनाँक 24.02.2015 को जारी की गई। इसे दिनाँक 07.03.2015 को कलेक्टर एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया गया। निरस्ती आदेश में अनुज्ञित निरस्त करने के कारणों का उल्लेख नहीं है। (ख) जी हाँ। आयुक्त, होशंगाबाद के आदेश दिनाँक 28.05.2015 के पूर्व ही पिपरिया के केरोसीन थोक डीलर मेसर्स ऑयल एण्ड जनरल स्टोर्स द्वारा प्रश्नांकित सहकारी संस्था के विरुद्ध दिनाँक 22.05.2015 को पुनरीक्षण अपील सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश शासन के समक्ष प्रस्तुत की गई है। भारत माता सहकारी समिति शोभापुर द्वारा दिनाँक 02.06.2015 को माननीय मंत्री खाय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के समक्ष सीपीसी की धारा 148 ए के अंतर्गत केविएट प्रस्तुत किया गया है। यह प्रकरण सक्षम अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। (ग) जी नहीं। प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन है। (घ) शासन के निर्णयोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

## ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्वीकृति

190. (क्र. 2713) श्री संजय शाह मकड़ाई: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में आम्बा से मनासा एवं बोरपानी से राताभाटी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है? क्या कार्य गुणवत्ता पूर्ण किया गया? क्या समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच की गई? यदि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं है तो संबंधी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? (ख) कायदा से डेहरीया, छिरपुरा से बोथी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत कब स्वीकृति की गई? क्या लागत थी, क्या स्टीमेंट अनुसार कार्य किया गया? यदि नहीं, तो संबंधित के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत, कायदा से डेहरिया तथा छिरपुरा से बोथी सड़क क्रमशः वर्ष 2014 एवं 2012 में स्वीकृत की गई, इन मार्गों की अनुबंधित राशि क्रमशः रू.235.48 तथा 766.08 लाख है। उक्त सड़कों का कार्य स्वीकृत डीपीआर एवं कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार कराया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

# मुख्यमंत्री ग्रामीण सङ्क योजना एवं प्रधानमंत्री सङ्क योजना के अपूर्ण कार्य

191. (क्र. 2714) श्री संजय शाह मकड़ाई: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कितने कार्य स्वीकृत हुये? आज दिनाँक कि स्थिति तक कितने पूर्ण तथा कितने अपूर्ण है?

(ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि कार्य अपूर्ण है तो क्यों? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा? पूर्ण कार्य की स्थिति आज दिनाँक में क्या है तथा उसके रख-रखाव की स्थिति बतायें? अपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी किसकी है? (ग) उक्त कार्य का निरीक्षण समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया या नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ): (क) हरदा जिले में विगत पांच वर्षों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 112 कार्य स्वीकृत हुये इनमें से 110 कार्य पूर्ण तथा 2 कार्य अपूर्ण है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 24 कार्य स्वीकृत हुये इनमें 14 कार्य पूर्ण तथा 10 कार्य अपूर्ण है। (ख) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 2 कार्य वन विभाग से अनुमति प्राप्त न होने के कारण अपूर्ण हैं। जबिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 10 कार्य ठेकेदार द्वारा विलम्ब से कार्य करने के कारण अपूर्ण है। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। पूर्ण कार्यों की स्थिति वर्तमान में संतोषप्रद हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कार्य अपूर्ण रहने के लिये जिम्मेदार होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जबिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अपूर्ण कार्यों के लिये ठेकेदार जिम्मेदार हैं। (ग) उक्त कार्यों का निरीक्षण समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है।

### चितरंगी क्षेत्र में किसानों की कर्ज माफी

192. (क्र. 2785) श्रीमती सरस्वती सिंह: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील अंतर्गत वर्ष 2010 से आज दिनाँक तक में अनुसूचित जाति सेवा सहकारी समितियों द्वारा किस-किस सत्र में कितने किसानों की कर्ज माफी की गई हैं? (ख) यदि हाँ, तो समितिवार सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र की जानकारी दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भागव ): (क) प्रश्नांश में उल्लेखित समयाविध में कर्ज माफी नहीं की गई. (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

### प्रावधानों के विरुद्ध प्रसंस्करण की जाँच

193. (क्र. 3063) श्री हर्ष यादव: क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर, देवास, उज्जैन, सागर, रायसेन, पन्ना व नरिसंहपुर जिलों में कहाँ-कहाँ दाल मिलें और कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित हैं? निजी क्षेत्र की इन इकाईयों द्वारा वर्ष 2009 से प्रश्न दिनाँक तक वर्षवार कितना-कितना कृषि जींस (उत्पाद) क्रय किया गया? (ख) इन इकाईयों द्वारा क्या लगातार म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 06,19,31,36 व 37 का उल्लघंन किया जाता रहा है किन्तु शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई? क्यों? (ग) क्या इन इकाईयों द्वारा प्रसंस्करत उत्पाद के विक्रय किये जाने हेतु खाद्य प्रसंस्करण विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग के निर्देशों, नियमों का पालन किया जा रहा है और निर्धारित करों का भुगतान किया जाता रहा है? नहीं तो क्यों? (घ) क्या प्रश्नांश (ख) और (ग) वर्णित अनियमितता की जाँच कराई जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है। (ख) कृषि उपज मंडी समिति पवई जिला पन्ना की शारदा दाल मिल पुरैना द्वारा म.प्र.

कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 6,19,31,36, व 37 का उल्लंघन किया गया है, जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई में दिनाँक 13.04.2014 को परिवाद प्रस्तुत किया गया है इसमें कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।